पंचम माला, खंड 40, अंक 52, बुधवार, 8 मई, 1974/18 वैशाख, 1896 (शक)

Fifth Series, Vol. XL, No. 52, Wednesday, May 8, 1974/Vaisakha 18, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र / Tenth Session]

[खंड 40 में अंक 51 से 54 तक हैं / Vol. XL contains Nos. 51 to 54]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपए

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

28 LSS/74 – 1

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 52, बुधवार, 8 मई, 1974/18 वैशाख, 1896 (शक)

No. 52, Wednesday, May 8, 1974/Vaisakha 18, 1896 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
निधन सम्बन्धी उल्लेख	OBITUARY REFERENCES	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
977 पश्चिम बंगाल में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना	Setting up of T.V. Centre in West Bengal	2
978 मध्य प्रदेश के विभिन्न नगरों में ट्रंक बोर्ड आपरेटरों की कमी	Shortage of Trunk Board Operators in various Towns of M.P. . .	4
981 बिजली, ईंधन और भारी जल संबंधी कर्मी दल (टास्क फोर्स) का प्रतिवेदन	Report of the Task Force on Power, Fuel and Heavy Water . . .	5
982 वर्ष 1974-75 की योजना के लिये परिव्यय में कटौती	Cut in Outlay for 1974-75 Plan .	8
983 भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को पेंशन मजूर करने में विलम्ब	Delay in sanction of pension to Ex-INA Personnel	12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
976 बिहार सर्कल में टेलीफोन आपरेटरों के पदों पर नियुक्ति	Appointment to posts of Telephone Operators in Bihar Circle . . .	18
979 समाज सुरक्षा बल की स्थापना करना	Setting up a Social Defence Force .	18
980 मध्य प्रदेश में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों में आशय-पत्रों का जारी किया जाना	Issue of letters of Intent in Backward Areas on the basis of Techno Economic Survey in M.P. . .	19
984 बेरोजगार वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डाक्टरों का रजिस्टर	Register for unemployed scientists, Engineers and Doctors . . .	19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
985	वैल्लोर में अखबारी कागज का कारखाना	Newsprint Factory at Vellore	21
986	"चीन जाने वाले मिजो विद्रोही" (मिजो होस्टाइल्स फार चाइना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News item "Mizo Hostiles for China"	22
987	मध्य प्रदेश में खनिज विकास प्रयोगशाला की स्थापना	Mineral Development Laboratory in Madhya Pradesh . . .	22
988	तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा विनियमन प्रक्रिया का सरलीकरण	Simplification of regulatory procedure by DGTD	22
989	सरकारी और गैर सरकारी छत्रों में सीमेंट का उत्पादन	Cement production in public and Private sectors	23
990	कागज मिलों की अधिष्ठापित क्षमता	Installed Capacity of Paper Mills	24
991	खानाबदोश जातियों का उत्थान	Upliftment of Nomadic tribes . .	24
992	औद्योगिक उत्पादन में कमी तथा बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा कमाए गए मुनाफे में वृद्धि	Decline in industrial production and rise in profits earned by large Industrial Houses	25
993	केरल में एम० ई० एन० सी० ओ० एस० तथा ई० एन० सी० ओ० एस० द्वारा परियोजनाओं की मांग	Demand of projects by MENCOS and ENCOS in Kerala	25
994	मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की गतिविधियां	Activities of Mizo National Front in Mizoram	26
995	आगामी भारत-इंगलैण्ड क्रिकेट टैस्ट मैच को टलीविजन पर दिखाने का प्रबन्ध करने का प्रस्ताव	Proposal to arrange live Telecasts of the Forthcoming India England Cricket Test Matches	26
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
9433	मध्य प्रदेश की बुरहानपुर औद्योगिक बस्ती में उद्योग	Industries in Burhanpur Industrial Estate M.P.	27
9434	दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आवंटन	Allotment of Newsprint to Dailies .	27
9435	नई दिल्ली स्थित तालकटोरा क्लब में जुआ खेला जाना	Gambling in Club, New Delhi . .	28

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9436	केरल में हिन्दी अनुवाद प्रशिक्षण के लिए विशेष नियोजन कार्यक्रम	Special Employment Programme for Hindi Translation Training in Kerala	28
9437	अन्डमान में कैद किए गए स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters imprisoned in Andamans . .	29
9438	फ्रांस में भारतीय इंजीनियर	Indian Engineers in France . .	29
9439	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में ठकेदारों को अधिक भुगतान	Excess Payment to Contractors in K.G.B. New Delhi	30
9440	अमरीका में भारतीय इंजीनियर	Indian Engineers in USA . . .	30
9441	केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों की हड़ताल	Strike by Central Government Officers	30
9442	ऊर्जा संकट में दिल्ली में हुई गोष्ठी	Seminar on Energy Crisis held in Delhi	30
9443	विदेशी फर्मों के उत्पादन का विनियमन और विदेशी मुद्रा बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध	Regularisation of Production of Foreeign Firms and Restriction on Repatriation of Foreign Exchange .	31
9444	विदेशी फर्मों के 'ब्रांड' नाम	Brand Names of Foreign Firms . .	32
9445	उड़ीसा में बचत बैंक सुविधा वाले डाकघर	Post Offices in Orissa with Saving Bank Facility	32
9446	भुवनेश्वर तथा अन्य नगरों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialing system between Bhubaneshwar and other cities . . .	33
9447	उड़ीसा में विमान डाक सेवा	Air Postal Services in Orissa . .	33
9448	पंजाब में टायर-ट्यूब निर्माण परियोजना	Tyre and Tube Manufacturing Project in Punjab	33
9449	प्रसासनिक समितियों का लाइसेंसिंग समिती के साथ सहयोग	Cooperation of Administrative Committee with Licensing Committee .	34
9450	लाइसेंस के लिए आवेदनों पर डी० जी० टी० डी० द्वारा विलंब	Delay by DGTD on Licensing Applications	34
9451	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के कार्यालय का नई दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरण	Shifting of Office of Hindustan Paper Corporation from New Delhi to Calcutta	35
9452	भारतीय मानक संस्थान में अनुभाग अधिकारियों के आरक्षित पद	Reserved Posts of Section Officers in Indian Standards Institution . .	35

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9453	दिल्ली नगर निगम में नियुक्त व्यक्तियों को युद्ध सेवा के लाभ देना	Benefits of War Service to Candidates appointed in MCD . . .	35
9454	मध्य प्रदेश में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल	BSF and CRP stationed in M.P. .	36
9455	शिक्षित बरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Madhya Pradesh for providing Employment to Educated unemployed	36
9456	मध्य प्रदेश में आटा मिलों की क्षमता	Capacity of Flour Mills in M.P. .	38
9457	अखबारी कागज के आयात में कदाचार	Malpractice in Import of Newspint .	38
9458	सेंट्रल प्रेस अक्रडिशन कमेटी की बैठक	Meeting of Central Press Acredition Committee	39
9459	महरौली, दिल्ली के निकट सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु	Youth killed in Road Accident near Mehrauli, Delhi	39
9460	डाक का दैनिक वितरण	Daily Delivery of Mail . . .	39
9461	मध्य प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिक	Pak. Nationals in Madhya Pradesh .	41
9462	उत्तर प्रदेश की बीमार कपड़ा मिलों में कंट्रोलरों की नियुक्ति	Appointment of Controllers in Sick Textile Mills, U.P. . . .	41
9463	फोटोग्राफिक कागज का उत्पादन और मांग	Production and Demand of Photographic Paper	42
9464	आंध्र प्रदेश में उद्योगों को भेड़-बकरी की चर्बी की सप्लाई	Supply of Mutton Tallow to Industries in Andhra Pradesh . . .	42
9465	एक ऊर्जा बोर्ड की स्थापना	Setting up of an Energy Board . .	43
9466	मध्य प्रदेश में औद्योगिक समितियों का सर्वेक्षण	Survey of Industrial Societies in M.P.	44
9467	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज की गतिविधियों पर वृत्त चित्र बनाना	Documentary films on Netaji Subhash Chandra Bose and activities of Azad Hind Fauz	44
9468	छोटे चर्मशोधकों के लिये विकास संबंधी सुविधायें	Development facilities for Small Tanners	45
9469	युद्ध अपराधियों की सूची में नेताजी का नाम है/था या नहीं का पता लगाने के लिये की गई कार्यवाही	Steps taken to verify if Netaji's name is/was in list of War Criminals .	46

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9470	कोका कोला निर्यात निगम द्वारा इक्विटी शेयर जारी करना	Issue of equity shares by Coca Cola Export Corporation . . .	46
9471	आटोमोबाइल टायर निर्माता कंपनियों की विदेशी साम्य पूंजी की मात्रा में कमी करना	Dilution of foreign equity holdings of Automobile tyre manufacturing companies	46
9472	रेयन यार्न के उत्पादन के लिये लकड़ी की लुगदी का आयात	Import of Wood pulp for production of rayon tyre yarn . . .	47
9473	पांचवीं योजना में आवास प्रदान करने हेतु आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये नियतन	Allocation for the Tribal and Hilly areas to provide Houses in the Fifth Plan	47
9474	नयी अपराध प्रक्रिया संहिता	New Code of Criminal Procedure .	48
9475	आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम को समाप्त करना	Withdrawal of Maintenance of Internal Security Act	48
9476	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को मंत्रालय में स्थायी बनाने के मामले में आरक्षण	Reservations in confirmation of S.C. and S.T. Employees in the Ministry	49
9477	भारत के द्वीपों तथा वहां के निवासियों की संख्या	Indian Islands and Inhabitants thereof	49
9478	मध्यम दर्जे के उद्योगकर्ताओं द्वारा नयी वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया जाना	Diversification for new articles by medium scale entrepreneurs . .	50
9479	मध्यम स्तर की फर्मों को उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति	Permission for diversification to medium scale firms . . .	50
9480	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबंधक के निवास स्थान पर किया गया खर्च	Expenditure on residential accommodation of Manager of K.G.B. New Delhi	51
9481	रेलवे डाक सेवा के 'एन० बी०, डिवीजन के कर्मचारियों को 'पी०टी०, डिवीजन में स्थानान्तरण करना	Transfer of Employees of RMS 'NB' Division to 'PT' Division .	51
9482	रेलवे को छोड़ कर शेष सभी मंत्रालयों द्वारा विभागीय कार्यवाही के मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पेशकर्ता अधिकारियों की सिफारिशें स्वीकार किया जाना	Presenting officers of C.B.I. accepted all Ministries except Railways in Departmental Action cases . .	52

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9483	कोयले से तेल निकालने के लिये संयंत्र की स्थापना	Setting up of a plant to manufacture oil from coal	52
9484	कोयले से तेल निकालने के लिये एक संयंत्र स्थापित करना	Setting up of a Plant for production of oil from coal	53
9485	कमानी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खनिज इन्स्युलेटिड केबल का निर्माण	Manufacture of Mineral insulated cables by Kamani Tubes Private Limited	53
9486	गरीबी के स्तर से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग	People living below poverty level .	53
9487	अमरीका से पूंजी निवेश के लिये प्रस्ताव	Proposals for investment from USA .	54
9488	कालगेट पालमोलिव इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड की गतिविधियां	Activities of Colgate Palmolive (India) (Pvt.) Limited	54
9489	रेशम उद्योग विकसित करने के लिये अनुसंधान करने हेतु राज्यों को सहायता	Assistance to States for Research Works to develop Silk Industry .	55
9490	दिल्ली में बिक्रीकर की बकाया राशि	Arrears of Sales Tax in Delhi . .	56
9491	अमरीकी कम्पनियों से प्राप्त पूंजी निवेश संबंधी प्रस्ताव	Proposals for investment received from U.S. Companies	57
9492	पाइप लाइनों के माध्यम से कोयला, अयस्क, चूना पत्थर भेजे जाने की योजना	Scheme for Transportation of Ore, Lime Stone through Pipe Lines .	57
9493	दक्षिण दिल्ली में महिला महाविद्यालयों के निकट गुंडों का खतरा	Goonda menace in neighbourhood of Women colleges in South Delhi .	57
9494	'डार्क फाइन्डिंग्स आन इरेडिमेटिड फूड' शीर्षक से समाचार	News Report entitled Dark findings on Irradiated Food . . .	58
9495	दादरा और नगर हवेली में आदिवासियों का पुनरुत्थान	Uplift of Adivasis in Dadra and Nagar Haveli	58
9496	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देना	Scholarships to S.C. and S.T. Students	59
9497	पांचवीं योजना में गुजरात राज्य में आदिवासियों के उत्थान के लिये निर्धारित की गई धनराशि	Amount earmarked for uplift of Adivasis in Gujarat State in Fifth Plan	59
9498	न्यू फ्रेन्ड्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, नई दिल्ली	New Friends Cooperative House Building Society, New Delhi	

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9499	कलाकारों को पुरस्कार	Award to Artists	60
9500	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये पेय जल कार्यक्रम	Drinking Water Programme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	60
9501	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियों के लिये राज्यों को अनुदान	Grants to States for Scholarships to S.C. and S.T. Students . . .	60
9502	पिछड़ी जातियों के लिये रियाहशी बस्तियां	Housing colonies for Backward Class	61
9503	राज्यों में वर्ष 1973-74 के दौरान राष्ट्रपति का शासन	President's Rule in States during 1973-74	61
9504	मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने संबंधी राज्यों के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति	President's assent to State Bills for Providing Life Imprisonment to adulterators	62
9505	नेपा मिलों के पूंजीगत ढांचे में परिवर्तन	Change in Capital structure of Nepa Mills	62
9506	उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में हथियारों तथा गोला बारूद का पकड़ा जाना	Unearthing of arms and ammunitions in U.P., Punjab and Bihar . .	63
9507	उत्पादन एककों को कोयले का प्रयोग आरंभ करने के लिये कहना	Production Unit asked to Switch over to Coal.	63
9508	दादरा और नगर हवेली में टायरों और ट्यूबों के वितरण के लिये एजेंसी	Agency for distribution of Tyres and Tubes in Dadra and Nagar Haveli .	63
9509	दादरा और नगर हवेली के लिये निर्धारित ट्रकों और बसों के टायरों तथा ट्यूबों का कोटा	Quota of Truck and Bus Tyres and Tubes fixed for Dadra and Nagar Haveli	64
9510	परमाणु बम का निर्माण	Manufacture of A Bomb . . .	64
9511	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार न करना	Non preparation of estimates of National Income by Central Statistical Organisation	65
9512	जनपथ होटल, नई दिल्ली में एक दम्पत्ति द्वारा आत्म हत्या	Suicide Committed by a Couple in Janpath Hotel, New Delhi . .	65
9513	विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Foreign Companies . .	66
9514	दिल्ली में सीमेंट की खुली बिक्री पर रोक	Ban on open sale in Cement of Delhi	66

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9515	'मराठा' के नई दिल्ली स्थित संवाददाता द्वारा की गई शिकायतों के बारे में जांच	Investigation into the complaints made by the Maratha's New Delhi Correspondent	66
9516	प्राकृतिक गैस तथा मोनोजाइट से हेलियम निकालना	Helium from Natural Gas and Monazite	67
9517	मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं को सुविधायें देना	Provision of Facilities to the Surrendered Dacoits by Madhya Pradesh Government	68
9518	दिल्ली में वयोवृद्ध दुर्बल राजनीतिक पीड़ित आश्रम	Home for Aged, Infirm Political Sufferers in Delhi	68
9519	कोलाबा और रत्नगिरी जिलों के नगरों का बम्बई के साथ टेलीफोन सम्पर्क	Telephone Links of Towns in Kolaba and Ratnagiri Districts with Bombay	69
9520	बिहार के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters from Bihar	69
9521	बड़े औद्योगिक एककों का विस्तार	Expansion of Big Industrial Units .	70
9522	ई० डी० शाखा डाकघर के पोस्टमैन का वेतन और भत्ते	Salary and Allowance of a Postman of E.D. Branch Post Office . .	70
9523	गैर-विभागीय चौकीदारों द्वारा किया गया काम	Duties performed by Extra Departmental Chowkidars . . .	71
9524	शाखा पोस्ट मास्टर, शाखा पोस्टमैन मैसेन्जर, चौकीदार और चपरासी को दिया जाने वाला वेतन	Salary paid to a Branch Post Master Postman, Messenger Guard and Peon	71
9525	पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने की कसौटी	Criteria for Determining Backward Areas	72
9526	राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार	Rape of an Adivasi women in Banswara District, Rajasthan. . . .	72
9527	पचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर किया गया व्यय	Expenditure on Industrial Development in Fourth Plans . . .	72
9528	पहाड़ी आदिवासी, और पिछड़े क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण	Regional Development Authorities for Hilly, Tribal and Backward Areas .	73
9529	"बैंक-लैश विल क्रिएट अबन्डेंट एनर्जी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Report captioned "Back Lash will Create Abundant Energy"	73

अता० प्र० संख्या U.S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9530	मिजोरम के मुख्य मंत्री द्वारा विद्रोही मिजो लोगों की गतिविधियों के बारे में वक्तव्य	Statement by the Mizoram Chief Minister regarding the activities of Mizo Rebels	74
9531	एक्सप्रेस डिलिवरी सेवा का समाप्त किया जाना तथा पत्रों की 'रिकार्डिंग डिलीवरी सेवा'	System of Recorded delivery of letters and abolition of Express delivery Service	74
9532	13 अप्रैल, 1974 को कानपुर में बमों का बरामद होना	Recovery of Bombs in Kanpur on 13th April, 1974	75
9533	तमिलनाडु में फ्रिज का निर्माण	Manufacture of Fridge in Tamil Nadu	75
9534	वर्ष 1974-75 के लिये धन के नियतन के बारे में मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श	Discussions with Chief Ministers on Allocation for 1974-75	76
9535	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक बस्तियां	Industrial Estates in West Bengal .	76
9536	श्री विपिन चन्द्र पाल का स्मारक	Memorial of Shri Bipin Chandra Pal	77
9537	श्री लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय के स्मारकों के लिये दान देने वाले व्यक्ति	Contributors for Memorials of Sri Lokmanya Tilak and Lala Lajpat Rai	77
9539	कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Textile Mills . .	77
9540	भारतीय मानक संस्थान में अनुसूचित जातियों के दैनिक मजदूरी पर नियुक्त व्यक्ति	Scheduled Castes in Indian Standard Institution on Daily Wages . .	78
9541	अम्बर चरखे द्वारा कम उत्पादन	Low productivity of Ambar Charka	79
9542	औद्योगिक लाइसेंसों के लिये विचाराधीन आवेदन-पत्र	Pending Applications for Industrial Licences	80
9543	सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा स्टेन्डंड की बिक्री	Sale of standard and imported Confiscated cloth in Central Government Employees Cooperative Society Ltd., New Delhi	81
9544	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन	Implementation of Second Pay Commission Recommendations in K.G.B. New Delhi	81
9545	सार्वजनिक टेलीफोनों में नया उपकरण लगाना	Introduction of a new Device in P.C.O's	81
9546	कोयले से ऊर्जा का उत्पादन	Production of Energy from Coal .	82

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9547	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में अंशकालिक सलाहकारों की निगुक्ति	Appointment of part time advisers in National Industrial Development Corporation	83
9548	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के विरुद्ध मुकदमें वापस लिया जाना	Withdrawal of Suit against NIDC .	83
9549	केन्द्र तथा राज्यों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच	Inquiries made by CBI in Centre and States	83
9550	अखबारी कागज के सप्लाई और वितरण के बारे में भारतीय श्रम-जीवी पत्रकार संघ की मांग	Demand from Indian Federation of Working Journalists Re. Supply and Distribution of Newsprint .	84
9551	ताम्र पत्रों का दिया जाना	Award of Tamra Patras . .	84
9552	मुखौटे वाले डाक-टिकट	Postal stamps on Masks .	85
9553	वर्ष 1971 की जनगणना के भाषायी आंकड़े	Language figures of 1971 census .	85
9554	दिल्ली के उपराज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग	Demand for dismissal of Lt. Governor of Delhi	85
9555	मांडया नेशनल पेपर मिल्स में खोई (बगासे) से कागज का उत्पादन	Manufacture of paper from Bagasse in Mandhya National Paper Mills	86
9556	औद्योगीकरण के लिये भारत-हंगरी समझौता	Indo Hungarian agreement for Industrialisation	86
9557	सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग करने पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on introducing Hindi in Government Offices .	87
9558	केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद, के निदेशक द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Director of C.F.R.I. Dhanbad	87
9559	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघों के पदाधिकारियों को दी गई सुविधायें	Facilities provided to office bearers of Central Government Employees Unions	89
9560	बालयोगेश्वर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Balyogeshwar . . .	90
9561	शहरघाट में एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना	Opening of P.C.O. at Shharghat .	90
9562	आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of backward areas of Andhra Pradesh	91
9563	'निहित स्वार्थ प्रगति में बाधक : प्रधान मंत्री' (वेस्टेड इन्टेरेस्ट्स स्टाल प्रोग्रेस : पी० एम०) शीर्षक से छपा समाचार	News Report entitled Vested Interests Stall Progress: P.M	91

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9564	उत्तर बिहार का विकास	Development of North Bihar . .	91
9565	योजना आयोग का राज्य के कृषि विभागों पर नियंत्रण	Planning Commission's control over Agriculture Departments in States	92
9566	विदेशी कम्पनियों द्वारा आयात लाइसेंसों के लिये आवेदन-पत्र	Applications from foreign companies for import licences . . .	93
9567	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production . .	93
9568	सीमेन्ट उद्योग की क्षमता का विस्तार	Expansion of capacity in cement industry	94
9569	ग्रामोफोन कम्पनियों द्वारा ग्रामोफोन रिकार्डों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of discs by Gramophone Companies	95
9570	नाटकों के अभिनय पर मनोरंजन कर में छूट के बारे में सरकार की नीति	Policy of Government to Exempt staging of plays from Entertainment Tax	96
9571	डाकघरों के सहायक अधीक्षकों और पोस्ट-मास्टरों के वेतनों का निर्धारित किया जाना	Pay fixation of Assistant Superintendents of Post Offices and Post Masters	96
9572	विदेशी सहयोग समझौतों का पुनर्विलोकन और रायल्टी की अदायगी का सीमित किया जाना	Review of Foreign Collaboration Agreements and Restriction of Royalty Payment	97
9573	पत्रिकाओं, पम्फलेट एवं पुस्तकों का प्रकाशन	Publication of Journals, Pamphlets and Books	97
9574	राज्यों में सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा	Use of language in official business in States	98
9575	राजस्थान में उद्यमकर्ताओं को लाइसेंस जारी करना	Issue of licences to entrepreneurs in Rajasthan	98
9576	कागज के उत्पादन के लिये लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of licences for production of Paper	99
9577	दिल्ली में दो अन्य जेलों की स्थापना करना	Setting up of two more jails in Delhi	99
9578	हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी उत्पाद	Products of Hindustan Lever . .	99
9579	टेलीफोनों के कल-पुर्जे	Spare parts for telephones . . .	100
9580	फन्टा ग्रेप और फन्टा सोडा के लिये अनुमति	Permission for Fanta Grape and Fanta Soda	100
9581	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा व्यावसायिक शुल्क का भुगतान	Payment of professional charges by NIDC	100

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9582	पश्चिम बंगाल में अखबारी कागज का कारखाना	News print factory in West Bengal .	101
9583	गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच	Inquiry into charges of Corruption against Former Chief Minister and Ministers of Gujarat . . .	101
9584	वस्तुओं के मूल्यों का महीनेवार निर्धारण	Fixation of price of products on Monthly Basis	102
9585	पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त उद्योगों को पुनर्जीवित करना	Revival of Sick Industries in West Bengal	102
9586	डाक-तार विभाग में दैनिक दर पर नियुक्त डाक्टर	Daily Rated Doctors in P & T Deptt.	102
9587	मैसर्स पांडे इण्डस्ट्री, कलकत्ता के प्रबन्ध का अपने नियंत्रण में लिया जाना	Take over of M/s Pandey Industries Calcutta	103
9588	चौथी योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन	Industrial production during Fourth Plan period	103
9589	कैल्सियम कार्बोनेट का उत्पादन	Production of Calcium Carbonate .	104
9590	उत्तर प्रदेश-हरियाणा सीमा विवाद	U.P.—Haryana Boundary Dispute .	105
9591	डाक तथा तार कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधायें	Medical Facility to P & T Employees	105
9592	बम्बई टेलेक्स केन्द्र	Telex Centre at Bombay .	106
9593	टेलीफोन बिलों की बकाया राशि	Arrears of Telephone Bills .	106
9594	खरगोडा पोटाशियम संयंत्र का सेन्ट्रल साल्ट एण्ड मेरीन कैमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा अधिकार में लिया जाना	Take over of Kharagoda Potassium Plant by Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar	107
9595	बीड़ी तथा सिगरेटों के मूल्य	Prices of Bidis and Cigarettes . .	108
9596	पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त कपड़ा मिलें	Sick Textile Mills in West Bengal .	108
9597	पुरुलिया जिले के व्यक्तियों को राजनैतिक पेंशन	Political pensions to persons from Purulia District	109
9598	लखनऊ में बमों तथा खोलों की बरामदगी	Recovery of Bombs and Shells in Lucknow	109
9599	डाक-प्रक्रिया का पुनरीक्षण	Review of Postal procedures . .	109

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9600	नौसैनिक जहाजों को चलाने के लिये आणविक शक्ति का प्रयोग	Nuclear Power for propulsion of Naval Ships	110
9601	ऊर्जा संकट हल करना	Resolving Energy Crisis . . .	111
9602	कोलगेट पामओलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का विस्तार	Expansion of Colgate Palmolive India Private Ltd.	111
9603	लाइसेंसों के लिये बड़े औद्योगिक गृहों से प्राप्त आवेदन-पत्र	Applications from Large Industrial Houses for Licences . . .	112
9604	मनीपुर में विकास कार्यों के लिये धनराशि का नियतन	Allocation for development works in Manipur	113
9605	बी० एस० एफ० बेस हास्पिटल, जालंधर कैंट के कार्यकारी चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध आरोप	Charges against Medical Officers in charge of BSF Base Hospital, Jullundur Cantt	113
9606	आकाशवाणी में कर्मचारियों की छंटनी	Retrencment in A.I.R. . . .	114
9607	पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में ग्रामीण औद्योगिक विकास परियोजनायें	Rural Industrial Development Projects in West Bengal, Gujarat and Maharasthra	114
9608	केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों द्वारा विरोध सप्ताह मनाया जाना	Protest week to be observed by Central Government Officers	115
9609	खारची तहसील के गुड़ा रामसिंह गांव में पब्लिक काल आफिस	P.C.O. in village Gudu Ramsingh in Karchi Tehsil	115
9610	मंत्रालय में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी	Over staffiing in Ministry . . .	116
9611	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये केन्द्रप्रायोजित योजनायें	Centrally sponsored schemes for Welfare of Scheduled Castes . .	116
9612	पश्चिम बंगाल के लिये अधिक केन्द्रीय आवंटन	Larger Central Allotments for West Bengal	117
9613	कोयले से तेल सम्बन्धी अनुसंधान	Coal to oil Research . . .	117
9614	उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय का गरीब के स्तर की आय का होना	Per capita income as Poverty Line Income in U.P..	117
9615	उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये कच्चे माल के निक्षेपों का सर्वेक्षण	Survey of Raw Materials Deposit by Setting up Industries in U.P. . .	118
9616	उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना	Grant of pension to Freedom Fighters from U.P.	119

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
9617	आकाशवाणी से भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिये विद्वानों को आमंत्रण	Scholars invited to speak on Indian Culture over A.I.R.	120
9618	मेहमान कलाकारों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रस्ताव	Proposal to increase the remunerations paid to Guest Artistes . .	120
9619	अहमदाबाद में एक दैनिक समाचार-पत्र के चीफ रिपोर्टर के घर पर पुलिस द्वारा छापा मारा जाना	Police raid in the House of Chief Reporter of Daily in Ahmedabad .	120
9620	सीमेन्ट के छोटे कारखाने	Mini Cement Plants . .	121
9621	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करना	Obtaining information relating to Netaji Subhas Chandra Bose .	121
9622	भारतीय आयोजना में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का योगदान	Netaji Subhas Chandra Bose's contribution to Indian Planning . .	121
9623	पांचवीं योजना में पर्याप्त मात्रा में खाद्य तथा ईंधन की सप्लाई	Supply of Adequate Food and Fuel in Fifth Plan	122
9624	दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण में 'काल गर्ल' गिरोह	Call Girl Racket in Delhi University Campus	123
9625	विकासशील देशों से प्रतिभा का पलायन	Brain drain from Developing Countries	123
9626	उद्योगों के संवर्धन के लिये खादी व ग्रामोद्योग निगम के लिये नियतन	Allocation for K.V.I.C. for promotion of Industries	125
9627	तकनीकी विकास महानिर्देशालय में अधिकारियों का स्थानान्तरण	Transfer of officials in DGTD .	125
9628	पिछड़े क्षेत्रों में रेडियो स्टेशन	Radio Stations in Backward Areas .	126
9629	राज्यों को सीमेन्ट नियतन	Allocation of Cement to States . .	126
9630	दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज के कोटे का नियतन	Allotment of Newsprint quota to daily Papers published from Delhi . .	128
9631	1973-74 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भेजे गये भारतीय चलचित्रों की संख्या	Number of Indian films sent for International Film Festival during 1973-74 .	129
9632	बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय संचार केन्द्र	International Communication Centre at Bombay	130
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Adjournment Motion . . .	130
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	134

अता० प्र० सं० विषय U.S.Q. No.	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों में संशोधन— सभा पटल पर रखे गये	Amendments to Directions by the Speaker—Laid	137
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha . .	137
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	137
41वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	Forty-first Report—presented .	137
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes .	138
अध्ययन दल के अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन— सभा पटल पर रखा गया	Reports of Study Tours of Study Groups—Laid	138
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	Committee on Absence of Members from the Sitting of the House— .	138
15वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	Fifteenth Report—presented . .	138
याचिका समिति—	Committee on Petitions— .	138
17वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश— प्रस्तुत किये गये	Seventeenth Report and Minutes—Presented	138
मणिपुर में सीमा सुरक्षा दल के जवानों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार के समाचार के बारे में वक्तव्य—सभा पटल पर रखा गया	Statement Re. Alleged Raping of Women and Girls by BSF Personnel in Manipur—Laid	139
श्री राम निवास मिर्धा	Shri Ram Niwas Mirdha . . .	139
संविधान (35वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Thirty-fifth Amendment) Bill—	140
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H.R. Gokhale . . .	140
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee. . .	152
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami .	154
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	155
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen . . .	156
श्री ईरा सेझियान	Shri Ira Sezhiyan	158
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	159
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय	Dr. Laxminarain Pandeya .	160
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B.K. Das Chowdhury . .	160

28 LSS/74—2

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	161
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended	
श्री एच० आर० गोखले	Shri H.R. Gokhale .	168
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar .	169
श्री मुहम्मद खुदा बख्श	Shri Muhammed Khuda Bukhash	170
सभा का कार्य—	Business of the House	
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah	170

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 8 मई, 1974/18 वैशाख, 1896 (शक)
Wednesday, May 8, 1974/Vaisakha 18, 1896 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
Obituary Reference

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को श्री ब्रजराज सिंह के निधन की सूचना देनी है। श्री ब्रजराज सिंह का देहान्त 5 मई, 1974 को, 53 वर्ष की आयु में, फिरोजाबाद में हो गया।

श्री ब्रजराज सिंह वर्ष 1957—62 तक द्वितीय लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद चुनावक्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह व्यवसाय से वकील और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे और उन्होंने अपना जीवन हरिजनों के उत्थान और सामाजिक सुधारों में लगा दिया। विद्यार्थी जीवन में उन्होंने 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भाग लिया। एक श्रमिक नेता होने के नाते उन्होंने विभिन्न मजदूर संघों और विशेषतया हरिजनों तथा किसानों के संघों का संगठन तथा स्थापना की। अपने संसद्कालीन समय में वह अच्छे वक्ता तथा सक्रिय संसद सदस्य रहे।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा खेद व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि शोक संतप्त परिवार तक हमारा शोक पहुंचाने में यह सदन भी मेरा साथ देगा।

दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धान्जली अर्पित करने के लिये अब हम थोड़ी देर के लिए खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे

The Members then stood in silence for a short while

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती बसंती देवी के निधन का समाचार सुन कर मुझे बहुत दुःख हुआ है। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह हमारे देश के बहुत बड़े नेता की पत्नी थी। राष्ट्र ने उन्हें पद्मविभूषण से सम्मानित किया था। देशबन्धु चितरंजनदास की पत्नी होने के साथ साथ, वह अपने आप में भी महान् थी।

मुझे आशा है कि उनके शोक संतप्त परिवार तथा पौत्र श्री सिधारथ शंकर राय तक अपना शोक संदेश पहुंचाने में यह सदन मेरे साथ है।

अब दिवंगत आत्मा के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिये हम कुछ समय के लिए खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े रहे

The Members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पश्चिम बंगाल में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना

*977. **श्री रानेन सेन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में एक टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के लिए सब प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया है; और

(ख) उक्त केन्द्र की स्थापना कब की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिन्हा) : (क) क्योंकि टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की न होकर केन्द्र सरकार की है, अतएव, राज्य सरकार को सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) कलकत्ता में स्थायी टेलीविजन केन्द्र 1976-77 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है। इस परियोजना के पूरा होने तक, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार के परामर्श से एक अन्तरिम ढांचा स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। दो रिले केन्द्रों, जिनसे कलकत्ता टेलीविजन केन्द्र का सेवा क्षेत्र मिदनापुर और आसनसोल के इर्द-गिर्द के क्षेत्रों तक बढ़ जायेगा, के 1976-77 के दौरान तैयार हो जाने की संभावना है।

डा० रानेन सेन : क्या यह सच है कि यह टेलीविजन केन्द्र कलकत्ता में वर्ष 1973 के अन्त तक स्थापित किया जाना था; और यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री धर्मवीर सिन्हा : इसमें विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु यह भी ठीक नहीं है कि इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की जानी थी। वास्तव में इसके लिए भूमि 31 मार्च, 1973 को हमें दी गई थी। अतः यह आशा करना गलत था कि 1973 में ही कलकत्ता टेलीविजन केन्द्र का निर्माण हो जायेगा। हमारी यह मंशा कभी नहीं थी।

डा० रानेन सेन : क्या यह सत्य नहीं है कि काफी समय पहले पश्चिम बंगाल के अनेक छोटे तथा बड़े उद्योगपतियों द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार से टेलीविजन सैट बनाने की मंजूरी मांगी गई थी और

यदि हां, तो क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार द्वारा, यहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार के टेलीविजनों का निर्माण करने के प्रस्ताव पर, विचार नहीं किया गया था ? इन प्रस्तावों पर विचार क्यों नहीं किया गया ?

श्री धर्मवीर सिन्हा : इस प्रश्न का संबंध इलैक्ट्रानिक्स विभाग से है। जहां तक मुझे जानकारी है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कुछ प्रस्तावों की सिफारिश की गई थी और कुछ लाइसेंस दिये गये हैं।

श्री सोमनाथ चैटर्जी : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कलकत्ता में सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली नहीं होती है, तो क्या बैटरी से चलने वाले टेलिविज़न सेट बनाने का भी कोई प्रस्ताव है ?

श्री धर्मवीर सिन्हा : इस दिशा में कुछ प्रयोग अवश्य किये गये हैं परन्तु यह प्रौद्योगिकी अभी भारत में पूर्णरूप से विकसित नहीं हो पाई है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसका संबन्ध हमारे मंत्रालय से नहीं है।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय ने बताया कि कलकत्ता टेलीविजन केन्द्र 1976-77 तक बन कर पूरा हो जायेगा और उसके अन्तर्गत मिदनापुर तथा उड़ीसा के कुछ भाग आ जायेंगे । क्या सरकार का विचार यह सुविधा उत्तर बंगाल या आसाम के कुछ भागों तक पहुंचाने का भी है ? दूसरे क्या मंत्री महोदय इस समाचार पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे जिसके अन्तर्गत कहा गया है कि सरकार द्वारा कुछ अमरीकन एजेंसियों से उपग्रह के माध्यम से देश के कुछ भागों में टेलीविजन कार्यक्रम प्रसारित करने का अनुरोध किया गया है ?

श्री धर्मवीर सिन्हा : कलकत्ता में स्थाई टेलीविजन केन्द्र की स्थापना 1976-77 तक हो जाने की संभावना है और उसके दो प्रसारण ट्रांसमीटरों द्वारा मिदनापुर तथा आसनसोल के कुछ भागों तक प्रसारण किया जायेगा। जहां तक स्थान-प्रयोग (साइट एक्सपेरीमेंट) का संबन्ध है, उसके लिये भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 'नासा' के साथ करार किया गया है। इस प्रयोग के अन्तर्गत उड़ीसा, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और राजस्थान के कुछ भाग आ जायेंगे। यह प्रयोग परिज्ञानशील चित्रों के विकास-परिणामों को जानने के लिये किया जायेगा। जहां तक उत्तरी बंगाल का संबन्ध है, अभी उसके लिए हमारी कोई योजना नहीं है क्योंकि स्वीकृति प्राप्त योजनाओं में दो प्रसारण ट्रांसमीटर हैं जिनके अन्तर्गत बंगाल के मिदनापुर और आसनसोल के क्षेत्र आते हैं।

श्री डी० डी० देसाई : टेलीविज़न केन्द्र की स्थापना करने के लिए क्या कसौटी अपनाई जाती है ? इसके लिए वहां विद्यमान रेडियो-सेटों या वर्तमान प्रसारण व्यवस्था से प्राप्त होने वाले राजस्व को दृष्टिगत रखा जाता है या उसे अपनाने की लोगों की सेट खरीदने की शक्ति को या लोगों द्वारा प्रार्थना पत्र देने की क्षमता को दृष्टिगत रख कर टेलीविजन केन्द्र की स्थापना की जाती है ?

श्री धर्मवीर सिन्हा : जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं सुझाव दिया है, टेलीविज़न की स्थापना करते समय जनसंख्या को भी आधार बनाया जाता है और इसी आधार पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास आदि को चौथी योजना में शामिल किया गया था। बम्बई में टेलीविजन केन्द्र स्थापित हो गया

है। मद्रास में अगले वर्ष स्थापित हो जाने की संभावना है। कलकत्ता के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। विशेष प्रयोग के अन्तर्गत जो क्षेत्र आते हैं, वही प्रयोग आगे चलाने के लिए अन्य केन्द्रों का आयोजन किया गया है।

श्री डी० डी० देसाई: रेडियो सेटों की संख्या का आधार ठीक नहीं है क्योंकि रेडियो सेटों और राजस्व के आधार पर तो अन्य राज्यों की अपेक्षा गुजरात में टेलीविजन स्थापित किये जाने के अवसर अधिक हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप पहले ही एक प्रश्न पूछ चुके हैं।

Shri Narsingh Narain Pandey: There are many backward areas where if T.V. Centres cannot be established, at least satellite clusters can be there. At least Satellite Stations can be set up there.

Mr. Speaker: The main question is about West Bengal.

श्री नरसिंह नारायण पांडेय: इस का संबंध भी तो उपग्रह कार्यक्रम से है।

श्री धर्मवीर सिन्हा: उपग्रह के अन्तर्गत केवल एकल चित्र प्रवाह और द्वि-ध्वनि प्रवाह होंगे और यह भारत को केवल 4 घंटों के लिए उपलब्ध होगा। अतः इससे अधिक क्षेत्रों तक पहुंचाने की हमारी क्षमता काफी सीमित है। अतः हम इच्छा होते हुये भी इसे अधिक क्षेत्रों तक विस्तृत नहीं कर सकते।

Shortage of Trunk-Board Operators in Various Towns of M.P.

*978. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the telephone subscribers are being inconvenienced greatly because of shortage of Trunk-Board Operators in many towns, like Jaora, Mandsaur, Ratlam in Indore Circle (telegraph) and the P&T Department is also suffering financial loss on this account; and

(b) if so, the action taken by the P&T Department in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Shri Sher Singh): (a) The full sanctioned strength of Trunk Switch Board Operators is available at Mandsaur and Ratlam. There is shortage of one trunk-board operator out of the sanctioned strength of five at Jaora. The department is not suffering any financial loss. The subscribers are also not inconvenienced.

(b) Necessary action for filling up vacant post at Jaora is being taken.

Dr. Laxminarayan Pandeya: The reply is contrary to facts. Telephone Exchanges of the entire Indore circle are not functioning satisfactorily. I have drawn the attention of the hon. Minister towards these Exchanges through my letter. I also wrote him about Jaora, Mandsor, Ratlam and many other places. Some time back the capacity of these Exchanges was augmented but accordingly the capacity of Boards and operators was not increased. This is resulting in inconvenience to the subscribers and financial loss to the P & T Department. Is it not a fact? An additional Board is required for Jaora for which material is available, but why it is not being installed?

Shri Sher Singh: My submission is that in Mandsaur and Ratlam twenty and fifty eight operators are required and they are there. There is no shortage. It is only Jaora Exchange which is short of one operator. The sanctioned strength of this Exchange is of five. The sanctioned strength is five so that each of them can get one off day in a Week.

Now that this exchange is short of one operator, they resume their duty turn by turn. We provide them overtime allowance and they work on holidays also. That way neither there is any inconvenience to the subscribers nor any financial loss on that account.

Shri Laxminarain Pandey: The reply of the hon. Minister is misleading. The overtime allowance is given only in some cases. The work in these exchanges is suffering. If one is to connect Mandsaur with Bombay it is likely to take eight, ten or twelve hours, but ordinarily it should not take more than 2 hours. May I know if he will get this issue re-examined and when the capacity of exchanges, and the number of Boards have been increased, why the number of operators has not been increased accordingly? Will he make up the deficiency?

Shri Sher Singh: I will look into it and in case there is any deficiency, I will see to it. But the number of operators is not at its cause. As regards overtime, it has not been stopped altogether but it is sanctioned as and where it is necessary. So, if we ask them to resume duty on weekly off day, we pay overtime for that. I will look into the difficulties pointed out by the hon. Member.

Shri B. S. Bhaura: What is the reason that strength of operators is not full in any Exchange in India?

The Boards of the Telephone Exchanges are out-dated. I want to know when the new Boards are available, what is the hitch in switching over to the new Boards?

Mr. Speaker: Please do not go out of the scope of the question.

Shri R.V. Bade: A mention of overtime allowance has been made by the hon. Minister and I want to know how much overtime has been given during the last four months Jaora and when it was paid? In Jaora no overtime is paid.

Shri Sher Singh: I require notice to tell how much overtime has been given but when we are short of one operator, we do give overtime when an operator works on rest day.

बिजली, ईंधन और भारी जल सम्बन्धी कर्मी दल (टास्क फोर्स) का प्रतिवेदन

+

*981. **श्री डी० डी० देसाई :**

श्री पी० गंगा देव :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली, ईंधन और भारी जल संबंधी कर्मी दल ने, जिसकी नियुक्ति वर्ष 1973 में की गई थी, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने कर्मी दल के प्रतिवेदन पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परमाणु ऊर्जा विभाग इस प्रतिवेदन के आधार पर परमाणु शक्ति संबंधी एक 15 वर्षीय कार्यक्रम तैयार कर रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) बिजली, ईंधन एवं भारी पानी संबंधी अध्ययन के लिए जो अध्ययन दल गठित किया गया था, उसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट पेश कर दी है। एक 15 वर्षीय रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट पर अनुसंधान एवं विकास तथा आइसोटोप से संबन्धित अध्ययन दलों की रिपोर्टों के साथ-साथ विचार किया जा रहा है।

श्री डी० डी० देसाई : उत्तर अपर्याप्त है। प्रश्न का संबन्ध कुछ विशेष मामलों से जिनमें से एक है परमाणु ऊर्जा के माध्यम से बिजली का उत्पादन करना। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन्हें

कुछ और अधिक विशिष्ट रूप से मुझे यह बताना चाहिये कि क्या उनके मंत्रालय या सरकार द्वारा देश में ही उपलब्ध इंधन और विशेषतया कोयला, तेल और आणविक ईंधन आदि से बिजली का उत्पादन करने संबन्धी कोई कार्यक्रम बनाया गया है और क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारी आगामी 15 वर्षीय आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिया जायेगा; यदि हां, तो क्या भविष्य में 'ब्रीडर रीएक्टर' भी बनाये जायेंगे ? उस स्थिति में क्या वह विचार करेंगे कि······

अध्यक्ष महोदय: क्या यह सभी उस एक प्रश्न के भाग हैं ?

श्री डी० डी० देसाई: जी, हां।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न के इतने भागों को दृष्टिगत रखते हुए, यदि मंत्री महोदय आप को विशिष्ट उत्तर नहीं दे सकते तो आपको उन्हें दोष नहीं देना चाहिये।

श्री डी० डी० देसाई: मंत्री महोदय को मालूम है कि बीच-बीच में व्यवधान होते रहे हैं। अगर मंत्री महोदय चाहेंगे तो मैं अपने प्रश्न दोहरा दूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री डी० डी० देसाई: मैं कह रहा था कि क्या इस कार्यक्रम में 'ब्रीडर रीएक्टर' भी बनाये जायेंगे और यदि हां, तो यह किस-किस क्षेत्र में लगाये जायेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: इन का प्रश्न 'कर्मी दल' (टास्क फोर्स) से सम्बद्ध था और उसका उत्तर दे दिया गया है। अब सदस्य महोदय ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं, उनका मूल प्रश्न से विशेष सम्बन्ध हो या न हो, हां, उनका संबन्ध आगामी 15 वर्षों से अवश्य है।

सरकार का आणविक ईंधन से बिजली का उत्पादन करने का कार्यक्रम है। तारापुर और राजस्थान के बिजली-घरों में पहले ही परमाणु बिजली घरों से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसी प्रकार का एक एकक राजस्थान में निर्माणाधीन है तथा अन्य दो मद्रास में निर्मित्त किये जा रहे हैं। पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं में नरोरा के प्रथम और द्वितीय चरण का निर्माण हो जायेगा। यह बिजली उत्पादन कार्यक्रम की मोटी रूपरेखा है।

जहां तक हमारी बिजली की आवश्यकताओं का ध्यान रखने का ताल्लुक है, इससे परमाणु ऊर्जा उत्पादित बिजली तो देश की आवश्यकता का केवल एक अंश ही पूरा कर सकेगी।

जहां तक 'पावर ब्रीडर रीएक्टर' का संबंध है, यह मद्रास में लगाये जा रहे हैं। अभी यह लग नहीं पाये हैं। जब इनका निर्माण हो जायेगा, तभी हम इनके बारे में ऐसा कुछ कह सकने की स्थिति में होंगे जो कि ब्रीडर रीएक्टर कार्यक्रम के लिए सहायक होगा। हम ऐसा करना चाहते हैं और यह हमारे विचाराधीन है।

श्री डी० डी० देसाई: पन-बिजली के अतिरिक्त कोयला-खान तथा कोयला क्षेत्र बिजली के दो मुख्य स्रोत हैं। क्या मंत्री महोदय नर्मदा से पन-बिजली की क्षमता का, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है, उपयोग करेंगे और क्या गुजरात जैसे क्षेत्रों में, जहां से कोयला क्षेत्र दूर है, परमाणु बिजली घर की स्थापना करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक कोयला-क्षेत्रों से दूर वाले स्थानों में परमाणु बिजली तथा पन-बिजली के उपयोग का प्रश्न है, यह एक मोटी और सामान्य बात है परन्तु इसके लिए हमें संबंधित पन-बिजली परियोजना पर निर्भर रहना होगा। जहां तक नर्मदा का सबन्ध है, यह प्रश्न सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय से पूछा जाना चाहिए।

श्री पी० गंगादेव : परमाणु बिजली की 15 वर्ष की प्रायोजित रूप रेखा को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या तापीय तथा पन बिजली की प्रति यूनिट लागत के साथ-साथ परमाणु बिजली की प्रति यूनिट लागत के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो बिजली कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लागत के अधिक अन्तर को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

श्री कृष्णचन्द्र पंत : लागत के अधिक अन्तर के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। पन बिजली सबसे सस्ती है और तारापुर परमाणु बिजली घर में बनाई जाने वाली परमाणु बिजली थोड़ी महंगी है परन्तु तापीय बिजली की अपेक्षा कम महंगी है। लागत बिजली घर के आकार, एकक के आकार तथा इसके स्थापना स्थल तथा अन्य कारणों पर निर्भर करती है। लागत के आंकड़े तैयार करने के लिए इन सभी कारणों को ध्यान में रखना होगा। मेरे विचार में यही मोटी रूपरेखा हो सकती है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : योजना आयोग ने कुछ माह पूर्व कहा था कि तेल संकट के कारण बिजली ईंधन तथा भारी जल के बारे में कर्मी दल का प्रतिवेदन देर से आएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि आर्थिक विकास से संबन्धित समस्याओं को हल करने के लिए आर्थिक जीवन में संसाधनों के उपयोग की क्षमता के बारे में कोई प्रगति हुई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह एक महत्वपूर्ण कर्मी दल है। दो अन्य कर्मी दलों के निष्कर्षों को भी इसके साथ सम्बद्ध करने का विचार था ताकि समेकित 15 वर्षिय योजना बनाई जा सके। दो अन्य कर्मी दल अनुसंधान तथा विकास और आइसोटोप के बारे में थे। कर्मी दलों ने अपने प्रतिवेदन दे दिए हैं और उन पर विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है। कठिनाई यह है कि जिन लागत अनुमानों के आधार पर कर्मी दलों ने निष्कर्ष दिए थे, मूल्य वृद्धि के कारण उनमें अन्तर आ गया है। अतः इस मामले में अन्तिम नीति निर्णय लेने से पूर्व इसको ध्यान में रखना होगा।

श्री समर गुह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में ग्रेफाइट नहीं है और सभी रियेक्टरों को भारी जल, जो रियेक्टरों के लिए आवश्यक है, पर निर्भर रहना पड़ता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रियेक्टर उत्पादन का विस्तार हो रहा है, क्या सरकार भारी जल की उत्पादन क्षमता के विस्तार पर विचार करेगी ताकि हम रियेक्टरों के लिए भारी जल की सप्लाई में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकें तथा निर्यात संभावयता की दृष्टि से रियेक्टरों के भावी कार्यक्रम बना सकें ?

श्री कृष्णचन्द्र पंत : निर्यात संभाव्यता के बारे में मुझे पता नहीं है परन्तु अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए उत्पादन में विस्तार करने की हमारी पूरी मंशा है।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या उनके ध्यान में यह बात लाई गई है कि कनाडा में, तापीय पन तथा परमाणु बिजली घरों से बिजली पैदा करने के अतिरिक्त बिजली पैदा करने के लिए आंधी तथा वायु के उपयोग के बारे में परीक्षण किए जा रहे हैं? भारत में ऊंचे-ऊंचे पहाड़ है और हर समय हवा और आंधी चलती रहती है और इन साधनों से बिजली पैदा करने के लिए टरबाइनों का प्रयोग किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछने की बजाय मंत्री महोदय को जानकारी दे रहे हैं।

श्री प्रबोध चन्द्र: मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय के पास जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय: आपके पास जानकारी है जो आपने मंत्री महोदय को दे दी है।

वर्ष 1974-75 की योजना के लिए परिव्यय में कटौती

*982. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्:**
श्री प्रसन्नभाई मेहता:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के लिए परिव्यय को कम कर दिया गया है और यदि हां, तो कितना;

(ख) क्या तमिलनाडु को उसकी वार्षिक योजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में भी कोई कटौती करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो कितनी सहायता कम करने का विचार है; और

(घ) गुजरात और आसाम को कितनी केन्द्रीय सहायता दिए जाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) वित्त मंत्रालय एवं राज्य तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर योजना आयोग द्वारा 1974-75 की वार्षिक योजना के लिए कुल 4843.68 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया है। इन विचार-विमर्शों के आधार पर स्वीकृत किए गए परिव्यय में बाद में कोई कमी नहीं की गई।

(ख), (ग) और (घ) तमिलनाडु, गुजरात तथा असम की 1974-75 की स्वीकृत वार्षिक योजनाओं में दर्शायी गई केन्द्रीय सहायता की राशि निम्नलिखित है:—

(रुपए करोड़ में)

	1974-75 के लिए स्वीकृत वार्षिक योजना परिव्यय	राज्यों के लिए दर्शाई गई केन्द्रीय सहायता	राज्यों के अपने संसाधन
तमिलनाडु	112.00	41.15	70.85
गुजरात	143.32	32.17	111.15
असम	53.66	40.04	13.62

राज्यों को भेजी गई 1974-75 की वार्षिक योजना के लिए केन्द्रीय सहायता की मात्रा में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री ग्रार० वी० स्वामीनाथन् : मैंने यह पूछा था कि क्या पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के परिव्यय में कटौती की गई है और यदि हां, तो कितनी ? मंत्री महोदय ने इसका उत्तर नहीं दिया और केवल इतना बताया है कि प्रस्तावित परिव्यय 4843.68 करोड़ रुपये का है । क्या यह मूल आंकड़े हैं अथवा कटौती करने के बाद वाले आंकड़े हैं ? तमिलनाडु का वर्ष 1974-75 का प्रस्तावित वार्षिक योजना परिव्यय 112 करोड़ रुपये का है और केन्द्रीय सहायता 41.15 करोड़ रुपये हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि तमिलनाडु ने कितनी सहायता की मांग की थी ।

श्री मोहन धारिया : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और वित्त मंत्रालय की सलाह के बाद 4843.68 करोड़ रुपये का परिव्यय बनाया गया है । इसमें कटौती करने का प्रशन नहीं है । तमिलनाडु ने वर्ष 1974-75 के लिए 165 करोड़ रुपये का परिव्यय तैयार किया गया था । तमिलनाडु सरकार को 34 ल० ध० संसाधनों और केन्द्रीय सहायता के बारे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की सलाह के बाद 112 करोड़ रुपये का परिव्यय तैयार किया गया ।

श्री ग्रार० वी० स्वामीनाथन् : अन्य देशों तथा अप्रत्याशित स्रोतों से सहायता मिलने की गुंजाइश है । प्रधान मंत्री की ईरान यात्रा के बाद उस देश से काफी सहायता मिलेगी । प्रधान मंत्री द्वारा किए गए अन्य प्रयासों के परिणामस्वरूप अन्य देशों से भी सहायता मिलने की आशा है । इसीलिए क्या सरकार कुल व्यय में बढ़ोतरी करने तथा राज्यों को अधिक सहायता देने पर विचार करेगी ?

श्री मोहन धारिया : राज्यों के परिव्यय में वृद्धि करने का कोई प्रश्न नहीं है । सदन तेल संकट से पूरी तरह अवगत है और इसका सामना करने के लिए स्वभावतः प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

श्री पी० जी० मावलंकर : प्रश्न के (क) भाग के उत्तर में विशेषरूप से यह नहीं बताया गया है कि गुजरात की मूल मांग क्या थी और इसमें कितनी कमी की गयी तथा इस कमी के क्या कारण थे । क्या मंत्री महोदय कृपा करके हमें बतायेंगे कि दिल्ली में गुजरात के मुख्य मंत्री तथा गुजरात के अन्य अधिकारियों के साथ कब चर्चा हुई थी और क्या उन चर्चाओं में तथा उसके बाद भारत सरकार ने कुछ गैर-योजना व्यय तथा संसाधनों को योजना व्यय तथा संसाधनों में शामिल कर लिया और उन्हें योजना संसाधनों के रूप में दिखाकर इस प्रकार पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के संसाधनों की राशि को बढ़ाने का प्रयास किया है ?

श्री मोहन धारिया : गुजरात सरकार की वार्षिक योजना का प्रस्ताव 150 करोड़ रुपये का था और गुजरात सरकार के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् 143.32 करोड़ रुपये के लिये सहमति हुई थी । जहां तक गैर-योजना और योजनागत व्ययों का सम्बन्ध है, कुछ निर्णय लिये गये हैं जिसके द्वारा कुछ स्थितियों में विशेषकर रख-रखाव के सम्बन्ध में गैर-योजना व्यय को योजनागत व्यय समझा जाता है, किन्तु इससे गुजरात की योजना पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री पी० जी० मावलंकर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की यही नीति है, क्योंकि उदाहरणार्थ पुलिस के क्वार्टरों के निर्माण पर खर्च किये जाने वाले धन को योजनागत व्यय में शामिल किया गया था । आप इस निर्णय पर किस प्रकार पहुंचे हैं कि एक विशेष व्यय योजनागत व्यय है अथवा गैर-योजना व्यय है ? आप गैर-योजना के प्रावधान में वृद्धि करे देते हैं और बाद में इसे योजना के प्रावधान में बदल देते हैं और इस प्रकार आप यह दिखा देते हैं कि आपने योजनागत व्यय

के लिये अधिक धन दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की नीति दोनों व्ययों के बीच जो भेदभाव है, उसे दूर करने की है ।

श्री मोहन धारिया : गृह निर्माण गतिविधियों के मामले में यदि पुलिस के लिये कुछ क्वार्टरों का निर्माण करना होता है और यदि उनके लिये किये जाने वाले व्यय को गैर-योजना व्यय समझा जाता है, तो यह कोई गलत बात नहीं है । मैं माननीय सदस्य को यह बात विस्तारपूर्वक स्पष्ट करने के लिये तैयार हूं ।

श्री आर० एस० पांडे : विवरण में सरकार द्वारा यह बताया गया है कि इन चर्चाओं के आधार पर स्वीकृत परिव्यय में बाद में कोई कमी नहीं की गयी है ।

It is evident from the statement that the reduction has been made with the approval of the Chief-Minister or the State Government. I think that keeping in view of the plight of Madhya Pradesh, which is a backward state, the Chief Minister would not have agreed to the reduction. I want to know whether you have kept in view the specific condition and backwardness of the state while preparing the outlay for the first year for advancing your contribution as one third population of the state is of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न में तथ्यात्मक सूचना के बारे में पूछा गया था । उसे तीन राज्यों गुजरात, तमिलनाडु और असम में बांटा गया है ।

श्री मोहन धारिया : मैं इस सभा में केवल इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि हमने विचार-विमर्श और चर्चायें की थीं । मैंने यह नहीं कहा है कि हमें आवश्यक रूप से मुख्य मंत्रियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है । आखिरकार ये राज्य सरकार के संसाधन और केन्द्रीय सहायता ही हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है । यह स्वाभाविक ही है कि हमने उनके साथ चर्चा की और उन पर यथासम्भव इतने संसाधन जुटाने के लिये ज़ोर दिया ताकि हम योजना परिव्यय में वृद्धि कर सकें ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : मेरा पूरक प्रश्न मूल प्रश्न के (घ) भाग से सम्बन्धित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विभिन्न राज्यों के लिये सहायता राशि निर्धारित करने का कोई मानदण्ड बनाया गया है या कि इसके बारे में मनमाने ढंग से और तदर्थ आधार पर निर्णय किया जाता है ।

श्री मोहन धारिया : केन्द्रीय सहायता के बारे में निर्णय तदर्थ आधार पर नहीं किया जाता । मैंने अनेक अवसरों पर इस सभा में स्पष्ट किया है कि हमने बेशक राष्ट्रीय विकास परिषद् के अनुमोदन से गाडगिल फार्मूले के नाम से एक फार्मूला बनाया है । उसी फार्मूले तथा उन विचारों के आधार पर ही हम केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करते हैं ।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : क्या 1974-75 की वार्षिक योजना के लिये कुल परिव्यय में एक विशेष सहायता शामिल है जिसे आन्ध्र प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों को दिया जाता है जैसाकि छः-सूत्री फार्मूले के अन्तर्गत वचन दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : क्या वार्षिक योजना में वह विशेष सहायता शामिल है जिसे आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों को दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है ?

श्री वयालार रवि : हम केरल के बारे में भी जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न में तीन राज्यों का उल्लेख किया गया है । यदि मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं, तो मुझे अन्य राज्यों के सम्बन्ध में इसी तरह प्रश्नों को पूछने की अनुमति देनी होगी और प्रत्येक सदस्य प्रश्न पूछने के लिये उठ खड़ा होगा ।

श्री पी० वेंकटासुब्बैया : छः-सूत्रीय फार्मूले के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिये विशेष सहायता देने का वचन दिया गया था । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस परिव्यय में यह शामिल है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस प्रश्न को और समय नहीं देंगे ।

श्री मोहन धारिया : जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार द्वारा जितनी सहायता का आश्वासन दिया गया है, वर्ष 1974-75 के लिये योजना परिव्यय को अन्तिम रूप देते समय उस आश्वासन को ध्यान में रखा गया है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सालवे : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में राज्य वित्त के मामले में बहुत ही निराशाजनक बात तमिलनाडु में अन्य बातों के साथ 200 करोड़ रुपये से अधिक की भारी घाटे की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है । यह केवल तमिलनाडु में ही नहीं है, मैं यह नहीं चाहता कि श्री सेझियान मुझ से नाराज़ हो जायें, वित्तीय अनुशासनहीनता में उनका राज्य सबसे आगे है और मेरा राज्य दूसरे नम्बर पर आता है । उसके बाद मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्य आते हैं ।

यदि यह बात ठीक है, तो क्या हमने प्रथम वर्ष के लिये यह आशा की थी कि राज्यों को बड़े पैमाने पर संसाधनों को जुटाने का प्रयास करना चाहिये, तो क्या इस घाटे की अर्थव्यवस्था से यह मालूम होता है कि ऐसे प्रयासों का पूर्ण रूप से अभाव रहा है और यदि हां, तो इसके प्रति मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

दूसरा, यदि हां, तो क्या सरकार यह आशा करती है कि जिन मूल लक्ष्यों की उसने योजना में कल्पना की है, उन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।

श्री मोहन धारिया : हमने सभी राज्य सरकारों को घाटे के बजट पेश न करने, यथासम्भव अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाने, राजसमिति तथा अन्य समितियों के प्रतिवेदनों को ध्यान में रखने और अधिकतम संसाधनों को जुटाने की ओर ध्यान देने का परामर्श दिया है ।

मूल लक्ष्यों के सम्बन्ध, इन परिव्ययों के अनुसार हमारी जो कुछ भी सहमति राज्य सरकारों के साथ हुई थी, उस सीमा तक हमारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास रहेगा कि मूल लक्ष्यों को प्राप्त किया जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि किस मूल्य स्तर पर 4,843,68 करोड़ रुपये के इस कुल परिव्यय का अनुमान लगाया गया है । अर्थात्, क्या यह अनुमान वर्तमान मूल्यों के आधार पर लगाया गया है अथवा क्या बहुत ही वास्तविक सम्भावना को ध्यान में रखा गया है कि 1974-75

के दौरान लगभग 23-26 प्रतिशत के बीच तक मूल्य वृद्धि दोहरायी जा सकती है, जैसाकि गत वर्ष हुई थी ? इस मामले में मूल लक्ष्यों पर, जिनके साथ इन परिव्ययों का सम्बन्ध है, कितना प्रभाव पड़ेगा ।

श्री मोहन धारिया : ये परिव्यय 1973-74 के मूल्य स्तरों पर आधारित हैं । यह बात सच है कि मूल्यों में हुई वृद्धि ने मूल्य लक्ष्यों को अचानक और बुरी तरह प्रभावित किया है । यद्यपि हमारा समूचा प्रयास अपूर्ण कामों को पूरा करने तथा पहले स्थापित की गयी क्षमताओं को उपयोग करने का है, चाहे यह कृषि क्षेत्र में हो अथवा औद्योगिक क्षेत्र में और उस सीमा तक मूल्यों में वृद्धि को बाधक नहीं बनना चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह किस प्रकार बाधक नहीं बनेगी ?

श्री सेझीयान : यह बाधक बनेगी ।

श्री पीलू मोदी : यद्यपि सरकार इस बारे में चिन्तित नहीं है, तथापि यह होगा ही ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन परिव्ययों का तब तक कोई अर्थ नहीं होगा जब तक इन्हें मूल्यों के उतार-चढ़ाव से सम्बन्धित नहीं किया जाता । इस प्रकार मूल्य लक्ष्यों को कभी भी प्राप्त नहीं किया जायेगा ।

योजना मंत्री (श्री डी० पी० धर) : मैं आपकी अनुमति से इस मामले के सम्बन्ध में अपने सहयोगियों द्वारा कही गयी बातों के अतिरिक्त कुछ कहना चाहता हूं ।

लक्ष्यों और नियतन का मूल्यांकन 1973-74 के मूल्य स्तर पर आधारित है । इस में सन्देह नहीं है कि मूल्य-वृद्धि में कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है और प्रत्येक मास मूल्यों में वृद्धि के अनुसार परिव्यय के बारे में हिसाब लगाना तथा पुनः हिसाब लगाना सम्भव नहीं है ....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इतने दूर तक की बात सोची गयी है ?

श्री डी० पी० धर : हम निश्चित रूप से कुछ समय के पश्चात् मूल्यों में होने वाली वृद्धि के प्रभाव पर ध्यान देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना पर कितना प्रभाव पड़ेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या लक्ष्यों में कटौती की जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इतने अधिक सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं । हमें केवल दो या तीन प्रश्न पूछने चाहिये । पहले ही 45 मिनट बीत चुके हैं । हमें कई प्रश्नों को निपटाना है ।

अगला प्रश्न ।

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को पेंशन मंजूर करने में विलम्ब

*983. **श्री वयालार रवि** :

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को राजनैतिक पेंशन मंजूर करने में काफी विलम्ब हो गया है

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के कितने सैनिकों को पेंशन मंजूर की गई है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) और (ख) भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारियों से प्राप्त 26,640 आवेदन पत्र 2 श्रेणियों के हैं—(1) भूतपूर्व सैनिक 17,604 तथा भूतपूर्व सिविलियन 9,036 ।

पहली श्रेणी के 6,978 आवेदन-पत्रों का निपटान किया जा चुका है । दूसरी श्रेणी के 1,083 आवेदन-पत्रों का निपटान किया जा चुका है ।

भूतपूर्व सेना के कर्मचारियों के बारे में कुछ रिकार्ड हाल ही में प्राप्त हुए हैं और इससे बाद के भारी संख्या में अतिरिक्त आवेदन-पत्रों का निपटान किया जा सकेगा ।

(ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण]

भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारियों की संख्या का विवरण जिन्हें 30-4-1974 को राज्यवार पेंशन स्वीकृत की गई हैं ।

राज्य	प्राप्त हुए तथा जांचे गये	स्वीकृत	अस्वीकृत	निपटान के लिये लम्बित अपूर्ण आवेदन-पत्र
1	2	3	4	5
अण्डमान और निकोबार .	3	—	—	3
आन्ध्र प्रदेश . .	125	17	—	108
अरुणाचल प्रदेश . . .	—	—	—	—
असम . .	10	1	1	8
बिहार	93	17	3	73
चण्डीगढ़ . . .	26	6	—	20
दिल्ली . . .	527	378	15	134
गोवा	—	—	—	—
गुजरात	174	21	12	141
हरियाणा	2,785	1,794	29	962
हिमाचल प्रदेश . . .	1,181	447	10	724
जम्मू और काश्मीर . .	218	174	1	43
केरल	1,904	14	9	1,881

1	2	3	4	5
कर्नाटक .	233	6	—	227
मध्य प्रदेश .	204	28	9	167
महाराष्ट्र .	478	61	2	415
मणिपुर .	584	41	—	543
मेघालय	2	—	—	2
मिजोराम	—	—	—	—
नागालैण्ड	4	—	—	4
उड़ीसा	522	1	5	516
पाण्डिचेरी	49	—	1	48
पंजाब	7,309	3,005	33	4,271
राजस्थान	337	146	1	190
तमिलनाडु	5,222	16	137	5,069
त्रिपुरा . .	10	—	—	10
उत्तर प्रदेश	4,469	771	8	3,690
पश्चिमी बंगाल .	171	5	—	166
जोड़	26,640	6,949	276	19,415

श्री वयालार रवि : : विवरण से पता चलता है कि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 26,640 है, जिसमें से केवल 6,000 के लगभग आवेदन पत्रों को निपटाया गया है । यह बिल्कुल ही स्पष्ट है कि आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों से पेंशन के लिये आवेदन पत्र निपटाने में काफी विलम्ब हुआ है । इसका पता स्वयं प्रतिवेदन से ही चल जाता है ।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि क्या आजाद हिन्द फौज संबंधी समिति की, जिसमें सिफारिश करनी है, बैठक नहीं हुई है और वह इन आवेदन पत्रों का निपटान नहीं कर रही है । यदि मैं ठीक जानता हूं, तो यही कठिनाई है । यदि यही बात है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समिति की कई मास से बैठक नहीं हुई है और यदि हां, तो इस मामले में शीघ्रता करने के लिये सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : इस समिति की नियुक्ति जुलाई, 1973 के आरम्भ में की गयी थी और 8 अगस्त को इसकी पहली बैठक हुई थी । उसके पश्चात् इसकी कुछ औपचारिक और अनौपचारिक बैठकें हुई हैं । समस्या आवेदन पत्रों के बारे में विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने की थी ।

अब हाल ही में रक्षा मंत्रालय से 15,000 आज़ाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों की सूची प्राप्त हुई है और हमें आशा है कि जून के अन्त तक हम 17,000 में से काफी अधिक आवेदन पत्रों का निपटान करने में समर्थ हो जायेंगे ।

जहां तक असैनिक कर्मचारियों का संबंध है, प्रश्न अधिक जटिल है और यह समिति एक सुविधा-जनक अथवा आसानी से किये जाने वाले तरीके को सुझाने में समर्थ नहीं हो पायी है । उस समिति ने आजाद हिन्द फौज के ब्रिगेडों, कम्पनियों अथवा आधार अस्पतालों के नामों का उल्लेख किया है, जिनके सदस्यों को पेंशनों के भुगतान के लिये योग्य स्वीकार किया जा सकता है, यदि वह इस का प्रमाण पेश कर सकें । ये नाम हैं : सुभाष ब्रिगेड, सुभाष गुरिल्ला ब्रिगेड, गांधी गुरिल्ला ब्रिगेड, नेहरू गुरिल्ला ब्रिगेड, बहादुर कोर, झांसी रेजीमेंट तथा आधार अस्पताल के सदस्य और इंडियन इंडीपैंडेंस लीग के सदस्य ।

इस सुझाव पर आगे विचार किये जाने की आवश्यकता है और इस मामले को निर्णय के लिये हाल ही में मंत्रिमंडल के पास भेजा गया था । यह विचार करने की बात है कि क्या और किन परिस्थितियों में आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों के बारे में यह तथ्य कि कोई सैनिक आजाद हिन्द फौज के एक विशेष ब्रिगेड अथवा कम्पनी से संबंधित था, जिससे वे पेंशन का अधिकारी बन जायें, इस के लिए मंत्रिमंडल स्तर पर नीति निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है । मुझे आशा है कि वह भी इस मास के अन्त तक उपलब्ध हो जानी चाहिये ।

श्री वयालार रवि : केरल से 1904 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और केवल 14 को स्वीकृति प्रदान की गयी है । मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र से ही 50 प्रतिशत आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । आप मेरे ऊपर पड़ने वाले दबाव की कल्पना कर सकते हैं, मेरे लिये यह बहुत ही कठिन हो गया है । मैं केरल की आजाद हिन्द फौज संघ में भी था और मैं उनकी समस्याओं को जानता हूं । यदि आप पत्र भी लिखते हैं, तो आप को उनका उत्तर नहीं दिया जाता है । आप को आजाद हिन्द फौज की उप-समिति से उत्तर प्राप्त नहीं होते । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव है और क्या वह इस मामले को आजाद हिन्द फौज संबंधी समिति पर छोड़ने की बजाये इस पर विचार करेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले को उप-समिति पर छोड़ने की बजाये इस दिशा में कोई विशेष प्रयास करेगी, ताकि इसका शीघ्र निपटान किया जा सके ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : मैं इस बारे में श्री शाहनवाज खां से जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, बात करूंगा । नीति निर्णय ले लेने के पश्चात् उनका काम बहुत ही आसान हो जायेगा और इसी कारण मैंने कहा है कि जहां तक सैनिक कर्मचारियों का संबंध है, मुझे आशा है कि उनके मामलों को 30 जून तक निपटा दिया जायेगा । हो सकता है कि लगभग 2,600 या 2,500 मामले रह जायें; किन्तु अन्य मामलों का निपटान कर दिया जायेगा । मेरे विचार में केरल के मामले असैनिक श्रेणी से संबंधित हैं । इस समिति का अधिक संबंध असैनिक कर्मचारियों से है और स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात् मुझे पूर्ण विश्वास है निपटान शीघ्रता से होगा।

श्री वयालार रवि : धन्यवाद ।

श्री सेझीयान : विवरण में दिये गय पूर्ण आंकड़ों से यह पता चलता है कि 26,640 आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा उन पर विचार किया गया, उनमें से 6,949 आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान की गयी । यह संख्या प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का 25 प्रतिशत से अधिक है इस से सही स्थिति का पता नहीं लगता, क्योंकि यदि आप प्रत्येक राज्य की बात करें तो यह स्थिति है । केरल से प्राप्त 1,904 आवेदन पत्रों में से केवल 14 को स्वीकृति प्रदान की गयी है । उड़ीसा में प्राप्त 522 आवेदन पत्रों

में केवल एक को मंजूर किया गया है। तमिल नाडु में 5,222 आवेदन प्राप्त हुए और केवल 16 को स्वीकृति प्रदान की गयी। कर्नाटक में 233 में से केवल 6 को मंजूर किया गया। जबकि हरियाणा के सम्बन्ध में 2,785 आवेदन पत्रों में से 1,794 को स्वीकृति दी गयी। पंजाब में भी यह स्थिति अच्छी है जबकि वहां लगभग 3,000 आवेदन-पत्रों को स्वीकृत किया गया है। क्या इसका अर्थ यह है कि जो दिल्ली के निकट वाले राज्य हैं, वे दबाव डाल कर मंजूरी प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं; जबकि केरल, कर्नाटक, तमिल नाडु आदि राज्य जो दूर हैं, मंजूरी प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं? क्या इस का अर्थ यह होता है कि उनको यह इसलिये नहीं मिल रही है क्योंकि वे दूर हैं? अनावश्यक विलम्ब को तथा इस मामले को तुरन्त आवश्यकता न देने की भावना को देखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं ऐसे आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिकों को राहत दी जा सके जिसके बारे में सोचा जा रहा है?

श्री उमाशंकर दीक्षित: प्रथम प्रश्न के प्रति मेरा उत्तर नकारात्मक है। कर्मचारियों की श्रेणियों के बारे में, मैंने अपने द्वारा दिये गये आंकड़ों में उन्हें शामिल कर लिया है। यदि वे आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी हैं, तो उनके विवरणों को जोड़ में शामिल कर लिया गया है जो मैंने सभा को बताये हैं। उन्हें पहले ही प्राप्त किया जा चुका है और उन पर विचार किया जा रहा है। अपूर्ण आवेदन पत्रों के मामलों में जांच पड़ताल की जानी होती है। जब तक वह पूरी नहीं कर ली जाती, तब तक उन्हें नहीं निपटाया जा सकता।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उत्तर से पता लगता है कि 276 आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्हें अस्वीकृत किये जाने का कारण क्या है। इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल में जब उन्हें 171 आवेदन पत्र प्राप्त हुये तो केवल पांच को क्यों स्वीकृति प्रदान की गयी? पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह भेदभाव क्यों किया गया?

श्री उमाशंकर दीक्षित : भेदभाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिस क्रम से आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं उसके आधार पर उन पर विचार किया गया है। उन पर तैथिक क्रम से विचार किया गया है और यदि आवेदन-पत्रों तथा फार्मों को सही ढंग से भरा जाये और सभी सूचना भेज दी जाये तो इन मामलों का उचित रूप से निपटान होगा। इस बीच रक्षा मंत्रालय से पूरे विवरण प्राप्त हो चुके हैं और उनको तुलनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी कारण से मैंने कहा कि जून के अन्त तक भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के अधिकतर मामलों के बारे में निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री डी० एन० तिवारी: इस समय दो प्रकार की श्रेणियों के राजनीतिक पीड़ितों के बारे में विचार किया जा रहा है, उन में से एक श्रेणी स्वतंत्रता सेनानियों की है और दूसरी है भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारियों के चाहे वे असैनिक हों अथवा सैनिक, दोनों मामलों में निपटान में विलम्ब हो रहा है। याचिकाओं को शीघ्रता से नहीं निपटाया जा रहा है।

क्या मैं गृह मंत्री महोदय से प्रत्येक मामले पर विचार तथा मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिये प्रांतीय समितियों के सदस्यों की बैठक बुलाने की प्रार्थना करता हूं ताकि इन दोनों श्रेणियों की सहनशीलता चली न जाये और उनके मामलों का शीघ्र निपटान किया जाये।

श्री उमाशंकर दीक्षित : इस प्रश्न का संबंध ग्राज़ाद हिन्द फौज के कर्मचारियों से संबंधित है । वह दोनों श्रेणियों का उल्लेख कर रहे हैं । बिहार सरकार ने एक समिति नियुक्त की है ग्रौर उसने हाल ही में सूचित किया है कि उनकी सिफारिशों सहित पूरी सूचना ग्रब से 9 महीनों के भीतर हमें उपलब्ध हो जायेगी । यदि हम उन्हें यहां बुला लें, तो इन मामलों का बहुत ग्रधिक शीघ्र निपटान नहीं हो जायेगा ।

श्री त्रिदिब चौधरी : उन सैनिक कर्मचारियों के संबंध में जो ब्रिटिश सेना में थे ग्रौर जो बाद में ग्राज़ाद हिन्द फौज में शामिल हो गये, स्थिति ग्रधिक जटिल नहीं है । मलेशिया ग्रौर ग्रन्य स्थानों में रहने वाले ग्रसैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में कठिनाई पैदा हो गयी है जो ग्राज़ाद हिंद फौज में शामिल हुये थे ग्रौर जिनकी भर्ती ग्राजाद हिन्द फौज द्वारा सीधी की गयी थी । क्या सरकार ने इस समिति के साथ, जो श्री शाहनवाज़ खां के ग्रध्यक्षता में बतायी गई है, ग्राज़ाद हिन्द फौज के कुछ ग्रन्य कर्मचारियों तथा ग्रन्तरिम ग्राजाद हिन्द सरकार के कर्मचारियों को संबंध करने कि सम्भावना के बारे में विचार किया है जो अभी तक जीवित हैं ग्रौर जिनकी सेवायें उपलब्ध हो सकती हैं ऐसा हो सकता है कि यदि उनकी सेवाग्रों को प्राप्त कर लिया जाये तो इन बातों के बारे में शीघ्रता की जा सकती है क्या सरकार ने इस सम्भावना पर विचार किया है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : श्रीमान जी, इस समिति के अध्यक्ष श्री शाहनवाज़ के ग्रतिरिक्त जनरल मोहन सिंह, श्री एम० एम० घोष, श्री ग्रार० एन० त्यागी ग्रौर श्री ग्रार० एन० प्रदीप उप-सचिव इस समिति के वर्तमान सदस्य हैं । यदि माननीय सदस्य किसी ग्रन्य व्यक्ति का सुझाव दे सकते हैं, जो ग्रधिक जानकारी रखते हों ग्रौर जो ग्रपेक्षित सूचनाग्रों को प्राप्त करने में सहायता दे सकता हो हम उसकी सहायता प्राप्त करेंगे । केवल सदस्यों की संख्या को बढ़ाने से ही सहायता नहीं मिलेगी ।

श्री समर गुह : श्रीमान जी, मंत्री महोदय ने सही सूचना नहीं दी है । उन्होंने जनरल मोहन सिंह का नाम लिया है, किन्तु उन्होंने इस समिति का सदस्य होने से स्पष्टरूप से इंकार किया था । पिछली बार श्री मिर्धा ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जनरल मोहन सिंह ने त्यागपत्र दे दिया था ग्रौर वह इसे ग्रब स्वीकार नहीं करेंगे । दूसरा, श्री एस० एम० घोष गम्भीर रूप से बीमार हैं ग्रौर वे बीमारी से समर्थ नहीं हो पायेंगे क्योंकि उन पर नियमित रूप पक्षाघात के दौरे पड़ते रहते हैं । श्री शाहनवाज़ खां ही एक मात्र गैर-सकारी व्यक्ति हैं । मैंने श्री ग्रानन्द मोहन, श्री देवनाथ साहा ग्रौर श्रीमती सहगल को इसमें शामिल करने के लिये ग्रनेक सुझाव दिये थे । उन्हें शामिल किया जा सकता है । इसमें क्या कठिनाई है । 17,000 कर्मचारियों के बारे में तो वही, प्रत्युत 9,000 ग्रसैनिक कर्मचारियों के बारे में कठिनाई है, इसे क्यों मंत्री मण्डलीय समिति को भेजा जाना चाहिये नेता जी का नारा था : "फकीर बनने के लिये सब कुछ बलिदान कर दो ।" ग्राज़ाद हिन्द फौज की तीसरी सेना ग्रधिकांशतः ग्रसैनिकों से ही बना दी गयी थी । ग्रतः क्या यह सरकार मेरे द्वारा सुझाये गये व्यक्तियों को शामिल करके इस समिति का पुनर्गठन करेगी ।

श्री उमा शंकर दीक्षित : जनरल मोहन सिंह समिति की बैठकों में शामिल होते रहे हैं । इसके ग्रतिरिक्त श्री एम० ग्रार० व्यास, जो ग्रन्तरिम सरकार के सदस्य थे, भी समिति की बैठकों में शामिल होते रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिहार सर्किल में टेलीफोन ऑपरेटरों के पदों पर नियुक्ति

***976. श्री के० एम० मधुकर :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या संचार मंत्री 12 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4,424 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सर्किल में टेलीफोन ऑपरेटरों के रूप में नियुक्ति के लिए भर्ती किए गए अनेक उम्मीदवार प्रशिक्षण पाने के बावजूद अभी तक बेकार बैठे हैं;

(ख) क्या यह भर्ती अभी जारी है और ऐसे बेकार उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने की आशंका है;

(ग) क्या टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर पदोन्नति की परीक्षा विभागीय उम्मीदवारों ने भी पास कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : (क) बाहर के उम्मीदवारों में से चुने गए 104 उम्मीदवार प्रशिक्षित किए जा चुके हैं । इनमें से 82 उम्मीदवार नियुक्त कर दिए गए हैं और 22 उम्मीदवार अपनी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ख) 1974 में आगे कोई भर्ती करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) जी हां । वर्ष 1972 और 1973 में 59 विभागीय उम्मीदवार पदोन्नति के लिए चुने गए थे । 47 उम्मीदवारों की पदोन्नति कर दी गई है और 12 उम्मीदवारों की पदोन्नति करना शेष है । इन 12 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवार प्रशिक्षण पा चुके हैं और 4 को अभी प्रशिक्षण देना बाकी है ।

समाज सुरक्षा बल की स्थापना करना

***979. श्री कार्तिक उराव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार समाज विरोधी तत्वों और सभी स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर निकट से नजर रखने के लिये समाज सुरक्षा बल की स्थापना करने का है जिससे कि सरकार को उचित निर्णय करने में सहायता मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों के अधीन विभिन्न सतर्कता, जांच पड़ताल तथा प्रवर्तन एजेंसियां

हैं, जिनका उत्तरदायित्व समाज में अपराध के विभिन्न क्षेत्रों में समाज विरोधी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखता है और उनके विरूद्ध तत्संबंधी कानून के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही ही करना है इसलिए इस प्रयोजन के लिए ऐसा कोई "समाज सुरक्षा बल" स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों में आशय पत्रों का जारी किया जाना

*980. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि अगर तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछड़े क्षेत्र में औद्योगिक कारखाने की स्थापना की जा सकती है, तो उस औद्योगिक कारखाने के लिए विकसित क्षेत्र को कोई आश्रय पत्र जारी नहीं किया जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) 22 जनवरी, 1974 को हुए उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग मंत्री ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि जहां कहीं भी पिछड़े क्षेत्रों के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है किसी विशेष पिछड़े क्षेत्र में किसी खास उद्योग के स्थापित करने की गुंजाइश है ऐसे उद्योगों को उन्नत क्षेत्रों में स्थापित करने के लिये कोई आशय पत्र जारी नहीं किया जाना चाहिए ।

"उद्योगों की याचिकादर्शिता 1973–74" में सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि लाइसेंसिग निर्णय लेते समय सरकार संतुलित क्षेत्रीय विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखेगी । आशय पत्र स्वीकार करने के आवेदनों पर विचार करते समय अन्य बातें समान होने की स्थिति में सरकार की नीति पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने संबंधी प्रस्तावों को प्राथमिकता देने की रही है ।

बेरोजगार वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डाक्टरों का रजिस्टर

*984. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, में देश में बेरोजगार वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डाक्टरों की क्या संख्या थी ;

(ख) क्या सरकार ने उनको लाभप्रद व्यवसाय में लगाने के बारे में कोई योजना बनाई है; और

(ग) क्या सभी बेरोजगार वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और डाक्टरों को सरकार से कोई वित्तीय सहायता मिलती है और यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) नेशनल रजिस्टर में दर्ज बेरोजगार वैज्ञानिक, इंजीनियर, और चिकित्सकों का एक "लाइव रजिस्टर" सी० एस० आई० आर० के तकनीकी कार्मिक विभाग द्वारा रखा जाता है। दिनांक 28-2-1974 को "लाइव रजिस्टर में" बेरोज़गार वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और चिकित्सकों की संख्या 3,858 थी। फिर भी, पंजीकरण स्वेच्छिक है।

(ख) ऐसे कार्मिकों की रोजगार संबंधी स्थिति को उन्नत करने के लिए भारत सरकार समय-समय पर उपाय कर रही है। इस संबंध में पहिले ही किये गये कुछ उपायों का विवरण परिशिष्ट-एक में दिया गया है।

(ग) वर्तमान समय में बेरोजगार वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और चिकित्सकों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई योजना नहीं है।

फिर भी (क) सी० एस० आई० आर० में वैज्ञानिक पूल की एक योजना चलाता है जिसमें बेरोजगार विशिष्ठ योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों को अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाता है। पूल में चयन किये गये व्यक्ति को सामान्य तौर पर योग्यता के आधार पर रु० 400 से रु० 700 तक प्रदान किया जाता है। यह राशि योग्यता और अनुभव पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त इनको देय भत्ते भी दिये जाते हैं।

(ख) योग्य वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और चिकित्सकों आदि को कनिष्ट अनुसंधान छात्रवृत्ति रु० 300 और वरिष्ट अनुसंधान छात्रवृत्ति 400 रुपये की प्रतिमास और 500 रुपये की छात्रवृत्ति (पोस्ट डोक्टारेल अनुसंधान छात्रों के लिये) प्रदान की जाती है।

(ग) अपने उद्योग चलाने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) "हाफ के मिलियन जोब्स" कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ योजनाओं में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को रोज़गार प्रदान करने के लिये उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।

विवरण

रोजगार के अवसरों को उन्नतशील बनाने के लिए जो चरण पहिले ही उठाये गये हैं, वे इस प्रकार हैं–

1. रोजगार के लिए उपलब्ध व्यक्तियों का विवरण प्रदान करते हुए जनशक्ति मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। इस बुलेटिन की लगभग तीन हजार प्रतियां रोजगार प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनों को निशुल्क वितरित की जाती हैं ताकि उनको ऐसे व्यक्तियों का उपयोग करने में सुविधा हो सके।

2 भर्ती करने वाले निकायों तथा रोजगार देने वालों की सी० एस० आई० आर० (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) को प्रेषित अधिसूचनाओं के प्रत्युत्तर में योग्य उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की जाती है।

3. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच भी करती है और उन विज्ञापनों के अनुसार उपयुक्त योग्यता वाले पंजीकृतों को विज्ञापनदाता के विचारार्थ सिफारिश भी करती है।

4. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आई० सी० एम० आर०, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् आदि द्वारा अनुसंधान छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।.

5. विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में अनुसंधान योजनाओं के विभिन्न अभिकरणों द्वारा धन लगाया जाता है। इस प्रकार रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं।

6. सी० एस० आई० आर० द्वारा संचालित वैज्ञानिकों के पूल की योजना में वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों आदि को अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाता है।

7. विशिष्ट योजना प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को जल्दी ही रोजगार में नियमित करने के लिये अधिसंख्यक पदों की एक योजना चल रही है।

8. वर्ष 1973-74 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिये योजना आयोग ने 45.85 करोड़ रुपये का एक आवंटन किया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1973-74 में केन्द्रीय बजट के सौ करोड़ रुपये के साथ शिक्षित बेरोजगारों के लिये "हाफ एण्ड मिलियन जोब्स प्रोग्राम" कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बचत को ध्यान में रखकर यह राशि कम करके सत्तर करोड़ रुपये कर दी है। इस कार्यक्रम द्वारा 2.85 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

9. योजना आयोग ने तेईस करोड़ रुपये की एक धनराशि राज्य सरकारों और केन्द्र शासिक प्रदेशों को रोजगार के विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिये प्रदान करने हेतु अलग रही है। इस राशि के अलावा राज्यों को अतिरिक्त तेईस करोड़ रुपये की राशि इस कार्य में लगानी पड़ेगी। इस कार्यक्रम द्वारा दो लाख व्यक्तियों से अधिक को 133.56 लाख व्यक्ति-दिवसों सहित रोजगार का लाभ प्राप्त हुआ है।

10. वर्ष 1974-75 में रोजगार पदोन्नति कार्यक्रमों के लिये योजना आयोग ने चालीस करोड़ रुपये का एक आवंटन किया है।

वैल्लोर में अखबारी कागज का कारखाना

*985. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैल्लोर में अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें उत्पादन कार्य कब तक आरंभ हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जी, हां। केरल राज्य में कोट्टायम जिले वैकम तहसील के, वैल्लोर ग्राम में वार्षिक 80,000 मी० टन की क्षमता वाला एक अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने का विचार है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार परियोजना में 1977-78 तक उत्पादन होने लगेगा।

'चीन जाने वाले मिजो विद्रोही' (मिजो होस्टाइल्स फार चाइना) शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*986. **श्री विक्रम महाजन :**

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 अप्रैल, 1974 के एक स्थानीय दैनिक में "मिजो होस्टाइल्स फार चाइना" (चीन जाने वाले मिजो विद्रोही) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) तथा (ख) सरकार ने उक्त प्रेस रिपोर्ट देखी है। किन्तु इस समाचार रिपोर्ट की पुष्टि के लिए कोई निश्चित सूचना नहीं है।

Mineral Development Labor atcry in Madhya Pradesh

987. Shri B. S. Chowhan :
Shri Ram Bahadur Singh:

Will the Minister of **Science** and Technology be pleased to state:

(a) whether the Council of Scientific and Industrial Research has suggested that an intensive mineral development laboratory should be set up in Madhya Pradesh; and

(b) if so, the action taken on the proposal?

The Minister of Industrial Deve lopment and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा विनियमन प्रक्रिया का सरलीकरण

*988. **श्री के० लकप्पा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय ने विनियमन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(1) साधारणार्थ कच्चे माल और पुर्जों आदि को आयात करने के बारे में प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया है। जिससे 45 दिन की निर्धारित समय सीमा में आवेदन पत्रों की स्वीकृति दी जाती है।

(2) पूंजीगत माल का विज्ञापन देने की प्रक्रियाओं को सरल बना दिया गया है जिससे कि एक ओर देशी निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया जा सके और दूसरी ओर सम्भव सीमा तक भावी उद्यमियों द्वारा अलग-अलग विज्ञापन देने के काम को खत्म किया जा सके। वर्ष 1974-75 के लिए लगभग 400 वस्तुओं का चयन किया गया है। इन सूचियों की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाएगी।

(3) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के संगठन को सुप्रवाही बनाया गया है और पुर्नगठित किया गया है। विनियमकारी कार्यों को, जिनकी पहले अधिक महत्ता थी अब उसे गौण महत्व दिया गया है और विकासात्मक कार्यों को प्रथम प्राथमिकता दी गई है। मुख्य नीति पुनः निर्यात करने, आयात प्रतिस्थापन, दुर्लभ आयातित माल का संरक्षण, प्रौद्योगिकी में सुधार करना आदि के बारे में घनिष्ट संबंध एक सम्पर्क रखना है, उद्योगों, उद्योग संघों, अनुसंधान और विकास संगठनों, चैम्बर्स आफ कोमर्स आदि।

सीमेंट की कमी और उसकी कीमत

*989. **श्री एम० ए० मुरुगनन्तम:** क्या औद्योगिक विकास मंत्री सीमेंट की कीमत के बारे में 24 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 8034 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के बारे में गैर-सरकारी क्षेत्र के सीमेंट कारखानों के प्रति पक्षपात किया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में सीमेंट के उत्पादन के तथ्य क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) देश में इस समय सीमेंट का उत्पादन करने वाले 51 कारखाने हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 197.6 लाख मी० टन प्रतिवर्ष है। इनमें से 9 कारखाने सरकारी क्षेत्र में हैं जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 23.1 लाख मी० टन है और जो कुल क्षमता का 11.7 प्रतिशत है। 1973 में उनका उत्पादन 17 लाख मी० टन था। गैर-सरकारी क्षेत्र की क्षमता 174.5 लाख मी० टन है और 1973 में उनका उत्पादन 133 लाख मी० टन था।

पांचवीं योजना के प्रलेख में 290 लाख मी० टन की क्षमता के 85 प्रतिशत के उपयोग के आधार पर पांचवीं योजना के अंत तक सीमेंट का उत्पादन लक्ष्य 250 लाख मी० टन निर्धारित किया गया है। पूर्वानुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पार्टियों को अब तक 171.1 लाख मी० टन की क्षमता के लिए अतिरिक्त लाइसेंस और आशयपत्र जारी किए गए हैं। अब तक स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र का भाग क्रमशः 112.3 लाख मी० टन तथा 58.8 लाख मी० टन है। सरकार द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त क्षमता में से 34 प्रतिशत से अधिक सरकारी क्षेत्र में है जबकि वर्तमान हिस्सा कुल क्षमता का 11.7 प्रतिशत ही है। भारतीय सीमेंट निगम ने पांचवीं योजना में सरकारी क्षेत्र में 31.8 लाख मी० टन की क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई है। सीमेंट उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने में गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। वस्तुतः सरकारी क्षेत्र के प्रति उन्मुख होने का यह एक परिवर्तनशील कदम है।

कागज मिलों की अधिष्ठापित क्षमता

*990. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कागज मिलों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत दो वर्षों में कितना-कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये कि आगामी शिक्षा-सत्र से स्कूलों और कालेजों के छात्रों हेतु पाठ्य पुस्तकों तथा कापियों के लिये कागज की कोई कमी न हो, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) पेपर मिलों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता का 9,67,000 मी० टन है। उत्पादन 1972 की अवधि में 8,03,000 मीट्रिक टन तथा 1973 में लगभग 7,96,000 मीट्रिक टन था।

(ख) यद्यपि सामान्य किस्मों के पेपर को संभरण तथा वितरण के विजय में उद्योगों द्वारा अपनाया गया वितरण की ऐच्छिक संहिता के परिणामस्वरूप कुछ सुधार हुआ है, समग्रतः स्थिति कठिन ही है। स्थिति में सुधार लाने के उपाय विचाराधीन है।

Upliftment of Nomadic Tribes

*991. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the programmes implemented for the upliftment of nomadic tribes by the end of the Fourth plan period and the nature of special assistance provided by the Centre therefor?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit): The following welfare programmes were undertaken for the benefit of the Denotified, Nomadic and Semi-nomadic Tribes as Centrally Sponsored Schemes and a sum of Rs. 3.974 crores was released to the State Governments for this purpose during the Fourth Plan period:—

Education

1. Scholarships and stipends.
2. Grant of tuition and examination fees.
3. Mid-day-meals.
4. Ashram Schools, Residential Schools and Hostels etc.

Others

1. Agriculture including minor irrigation.
2. Animal Husbandry.
3. Poultry forms.
4. Cottage Industries.
5. Cooperatives.
6. Rehabilitation, Colonisation/Housing.
7. Community Welfare Centres, Balwadis, Sanskar Kendra.
8. Drinking Water Wells.
9. Mid-wifery training etc.

औद्योगिक उत्पादन में कमी तथा बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा कमाए गए मुनाफे में वृद्धि

*992. **श्री ज्ञान सिंह औरा :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दरों में कमी होने और उसके साथ-साथ बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा कमाये गये मुनाफे की राशि और उसकी दरों में वृद्धि होने के कारणों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) बड़े औद्योगिक गृहों के उत्पादन और लाभ के आंकड़े उपलब्ध नहीं है । रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा "फाइनेन्सेज आफ लार्ज पब्लिक लिमिटेड कम्पनीज़" पर 1972-73 में किये गये अध्ययन के अनुसार उत्पादन मूल्य की विकास दर और 350 अध्ययन की गई कम्पनियों की लाभदेयता दोनों में ही 1971-72 की अपेक्षा 1972-73 में गिरावट आई है। जब कि 1971-72 की उत्पादन की विकास दर 11.7% से घटकर 1972-73 में 9.1% रह गयी वहां कम्पनी विश्लेषित लाभ देयता में वर्ष 1972-73 में निम्नलिखित गिरावट आई :—

(क) कुल निवेशित पूंजी पर कुल लाभ का प्रतिशत (अर्थात् कुल वास्तविक आस्तियों पर) 1971-72 में 11.1% था उससे घटकर 1972-73 में 10.6% रह गया।

(ख) कुल बिक्री पर हुए कुल विक्रय लाभ का प्रतिशत 1971-72 में 11.1% था जो 1972-73 में घटकर 10.6% रह गया; और

(ग) टैक्स निकाल दिये जाने के उपरान्त लाभ की कुल दर 1971-72 में 11.00% थी उससे घटकर 1972-73 में 9.7% हो गई।

केरल में एम० ई० सी० ओ० एम० तथा ई० एन० सी० ओ० एस० द्वारा परियोजनाओं की मांग

*993. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के इंजीनियरों तथा तकनीशनों की औद्योगिक सहकारी समितियों, एम० ई० एन० सी० ओ० एस० तथा ई० एन० सी० ओ० एस० ने सरकार से वर्ष 1974-75 में कुछ नई परियोजनाओं के लिये अनुदान की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस मंत्रालय को केरल में मेनको जे० (एम० ई० एन० सी० ओ० एम०) नामक किसी संगठन के होने की जानकारी

नहीं है। इनकोज (ई० एन० सी० ओ० एस०) को 1974-75 के लिए अनुदान संबंधी कोई आवेदन सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रन्ट की गतिविधियां

*994. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बर्मा की सीमा के साथ मिजोरम के बाहरी क्षेत्रों में गैर-कानूनी मिजो नेशनल फ्रन्ट अब वस्तुतः समानान्तर सरकार चला रहा है ;

(ख) क्या वे वहां के लोगों से जबरदस्ती करों की वसूली कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस क्षेत्र में सुरक्षा बनाये रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) चालू वर्ष में धन ऐंठने के कुछ मामलों की रिपोर्ट हैं।

(ग) मिज़ोरम प्रशासन ने प्रशासनिक केन्द्रों को मजबूत किया है और अतिरिक्त पुलिस चौकियां स्थापित की हैं। छिपे मिज़ो की अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं तथा निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

आगामी भारत-इंगलैंड क्रिकेट टेस्ट मैच को टेलीविजन पर दिखाने का प्रबन्ध करने का प्रस्ताव

*995. **श्री नवल किशोर सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आगामी भारत-इंगलैण्ड क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला को खेल के मैदान से टेलीविजन पर दिखाने का प्रबन्ध करने की संभावनाओं का पता लगा रही है;

(ख) क्या उक्त मैच को खेल के मैदान से टेलीविजन पर दिखाने का प्रबन्ध करने में कोई तकनीकी कठिनाई है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय काफी समय पहले कर लिया जायेगा; और

(घ) यदि इस बीच इस संबंध में कोई निर्णय कर लिया गया है तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) से (घ) भारत और इंगलैण्ड के बीच क्रिकेट के आगामी टैस्ट मैचों को खेल के मैदान से टेलीकास्ट करने की संभावनाओं पर विचार किया गया था। अन्तर्निहित अत्यधिक खर्चों, अंशतः विदेशी मुद्रा में, के कारण प्रस्ताव को छोड़ने का निर्णय किया गया है।

Industries in Burnanpur Industrial Estate M.P.

9433. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether certain industries are functioning in the Industrial Estate building in Burhanpur Tehsil of East Nimad District of Madhya Pradesh and if so the mumber of public and private industries among them;

(b) the expenditure incurred by the Madhya Pradesh Government in acquiring land and constructing the building; and

(c) whether Government have made any profit from the said building since its construction?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaru Rahman Ansari): (a) Five units are reported functioning in Industrial Estate Burhanpur. Information as to how many are in private sector and public sector is not available.

(b) Rs. 343939/- upto 31-3-1973.

(c) The main objective of the programme of Industrial Estates is not so much as to make profit as to encourage and support the creation, expansion and modernisation of small scale industries through provision of factory accommodation and common service facilities etc. In fact, the state Governments provide a number of facilities to the entrepreneurs in the Industrial Estates. These include common service facility workshops, subsidy on rent for factory accommodation, allotment of sheds on hire-purchase basis, concessional charges for supply of water and electricity and exemption from payment of sales tax for certain categories etc.

दैनिक समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आबंटन

9434. **श्री एम० आर० लक्ष्मीनारायणन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दैनिक समाचारपत्रों को प्रतिवर्ष अखबारी कागज का कितना आवंटन किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में प्रतिदिन छापे और बेचे जाने वाले समाचारपत्रों का आकार, औसत पृष्ठ संख्या और प्रतियों की औसत संख्या क्या थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ख) देश के समाचारपत्रों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले अखबारी कागज का आकार 16 इंच और 66 इंच के बीच अलग अलग है।

गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्रकाशित होने वाले उन दैनिक समाचारपत्रों, जिनको अखबारी कागज का कोटा मिलता है, का औसत आकार, औसत पृष्ठ संख्या तथा प्रतिदिन छापी तथा बेची जाने वाली प्रतियों की औसत संख्या संकलित की जा रही है और यह भी यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

Gambling in Talkatora Club, New Delhi

9435. **Shri Chandulal Chandakar**: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Talkatora club is situtated in New Delhi and only the Central employees can become its members as per rules;

(b) whether the Members of this club and other persons accompanying the members indulge in gambling and drinking till late in the night;

(c) the amount of aid being given by the Government to this club; and

(d) the number of members of this club?

The Minister of state in the Ministry of Home and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) Yes, Sir. The Club has been re-named as Central Secretariat Club and only the Central Government employees can become its members.

(b) No, Sir. Drinking of liquor and gambling have been completely banned in the club premises by the Managing Committee of the Club. Further, the Club closes down at 9.00 p.m. sharp.

(c) At present, the Government is only giving a subsidy to the Club towards meeting the rent of accommodation occupied by it. This comes to about Rs. 8,134.00 in a year, and has to be paid to the Estate Department who own the premises.

(d) The total number of members of the club on 1st April, 1974 was 401.

केरल में हिन्दी अनुवाद प्रशिक्षण के लिए विशेष नियोजन कार्यक्रम

9436. **श्री वयालार रवि** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष नियोजन कार्यक्रम के अधीन हिन्दी अनुवाद प्रशिक्षण धन न होने के कारण केरल में बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम को चालू रखने का कोई नया प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार प्रशिक्षण पा रहे 100 अनुवादकों को रोजगार देगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। पांच लाख रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1973-74 में नौ महीने की अवधि के लिए हिन्दी अनुवाद प्रशिक्षण स्कीम स्वीकृत की गई है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता केवल मार्च, 1974 तक प्रदान की गई थी। तदनुसार स्कीम कार्यान्वित कर दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) स्वीकृति के अनुसार, भरती नियमों के अनुकूल प्रशिक्षार्थियों को नौकरी दी जानी थी या नौकरियों में भर्ती करते समय उन्हें वरीयता दी जानी थी। इस स्कीम के अन्तर्गत जिन अनुवादकों को प्रशिक्षण दिया गया है उन्हें खपाने के लिए राज्य सरकार तौर-तरीके ढूंढ रही है।

अन्डमान में कैद किए गए स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना

9437. **स्वामी ब्रह्मा नन्द :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन स्वतन्त्रता सेनानियों को अन्डमान में कैद किया गया था उनके राज्यवार नाम, आयु एवं पते क्या हैं; अन्डमान के भीतर तथा मुख्य भूभाग में उनके कारावास की अवधि क्या हैं और उन में से प्रत्येक ने किस प्रकार का अपराध किया था और उनमें से प्रत्येक को कितनी पेंशन मिल रही है;

(ख) उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, आयु और पते क्या हैं जिनका पेंशन की मंजूरी से पूर्व स्वर्गवास हो गया तथा पेंशन के लिए उन्होंने किन-किन तारीखों को आवेदन पत्र दिए थे और उनमें से प्रत्येक के स्वर्गवास की तारीख क्या है;

(ग) उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम, आयु और पते क्या हैं जिनकी पेंशन मंजूर किए जाने के बाद स्वर्गवास हो गया और उनमें से प्रत्येक को कितनी अवधि तक पेंशन मिली; और

(घ) ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है जिन्होंने अपने स्वर्गवास के बाद पेंशन लेने वाला कोई उत्तराधिकारी अथवा आश्रित नहीं छोड़ा, स्वर्गवास के समय उनकी आयु क्या थी; उनका स्वर्गवास किस वर्ष में हुआ और स्वर्गवास के समय उनके पते क्या थे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) 27-2-70 को इस सदन के तारांकित प्रश्न संख्या 139 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। भूतपूर्व अण्डमान स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना के अधीन 284 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन स्वीकृति की गई है। इसमें वे स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं जिन्होंने गोवा मुक्ति आन्दोलन में भाग लिया था और भारत के बाहर सजा काटी थी।

पूछी गई सूचना सहज उपलब्ध नहीं है। परन्तु उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6947/74]

Indian Engineers in France

9438. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Science and Technology be pleased to state whether Government propose to collect information through its Embassy in France about the number of Indian Engineers living in France at present?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): The Council of Scientific and Industrial Research maintains an "Indians Abroad" Section of the National Register for registration of Indian Scientists, engineers, technologists, medical personnel, etc. in overseas countries including France. Forms for registration are available with Indian Missions abroad. Registration is voluntary.

No separate record of the number of registrants from France has been maintained. However 165 Indian Engineers on the Registrer as on 1-1-1974 were in all European countries excepting Germany (East and West) and United Kingdom.

Excess Payment to Contractors in K.G.B. New Delhi

9439. **Shri Hira Lal Doda:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) Whether Government will get the voucher No. 2471 dated the 24th October, 1969 of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi, examined where under certain officials have deliberately made excess payment of about Rs. 1500 in order to benefit a contractor in an improper manner and thus caused loss to the institution; and

(b) if so, whether Government propose to take action against the concerned officers?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) The Commission has stated that an amount of 60 paisa was paid to a staff member towards conveyance charge against voucher No. 2471 dated 23-7-69 (not 24-10-69).

(b) Does not arise.

Indian Engineers in U.S.A.

9440. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state whether Government propose to ascertain from the Indian Embassy in the U.S.A., about the present number of Indian engineers there?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): The Council of Scientific and Industrial Research maintains an "Indians Abroad" Section of the National Register for registration of Indian scientists, engineers, technologists, medical personnel, etc. in overseas countries including U.S.A. Forms for registration are available with Indian Missions abroad. Registration is voluntary.

1433 Indian Engineers in U.S.A. were on the Register as on 1-1-1974.

केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों की हड़ताल

9441. **श्री एम० कत्तामुत्तु :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग क्या है और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों की ओर से कोई मांगें सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं। फिर भी, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की ऐसोसिएशनों का अखिल भारतीय परिसंघ, सरकार को अनेक मामलों, विशेषकर श्रेणी-1 के अधिकारियों के वेतन से संबंधित मामलों पर, समय-समय पर अभ्यावेदन भेजता रहा है। उन सभी अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपना अंतिम निर्णय लिए जाने से पहले विचार कर लिया गया है और उनकी घोषणा वित्त मंत्री द्वारा 29 मार्च, 1974 को लोक सभा में कर दी गई थी।

ऊर्जा संकट में दिल्ली में हुई गोष्ठी

9442. **श्री वयालार रवि :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा संकट पर हाल ही में दिल्ली में एक गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो संकट को दूर करने के लिए उसमें क्या विशेष सुझाव दिए गए ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) आयोजकों से संगोष्ठी (सेमिनार) में रखे गए विशिष्ट प्रस्तावों को भेजने का अनुरोध किया गया है।

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार संगोष्ठी (सेमिनार) में रखे गए कतिपय प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :—

(1) कोयले के जलगैसीकरण से संबंधित अनुसंधान तथा विकास के लिए पर्याप्त पूंजी निवेश रखा जाए।

(2) ईंधन के अधिक कुशलतापूर्ण उपयोग के लिए रेलवे को चाहिए कि कोयले से चलने वाले इंजनों को डीजल से चलने वाले इंजनों में बदल दें।

(3) ईंधन का अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए जिसमें ईंधन के अकुशल उपयोग को दण्डनीय ठहराया जाए।

(4) वैज्ञानिक तथा समन्वयात्मक ढंग से बनाई गई एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के विकास के लिए यह वांछनीय है कि एक सांविधिक राष्ट्रीय ऊर्जा प्राधिकरण बनाया जाये।

विदेशी फर्मों के उत्पादन का विनियमन और विदेशी मुद्रा बाहर भेजने पर प्रतिबन्ध

9443. **श्री भालजीभाई परमार :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी फर्मों के उत्पादन का विनियमन और उनके द्वारा विदेशी मुद्रा की भारी रकमें विदेश भेजने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने के लिए लाइसेंसिंग समिति क्या कदम उठाएगी ;

(ख) विदेशी क्षेत्र की आस्तियां कम करने के लिये मंत्रालय ने क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए हैं; और

(ग) क्या इन सिद्धान्तों पर अमल किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) 2 फरवरी, 1973 के लाइसेंसिंग पालिसी स्टेटमेंट से विदेशी कम्पनियों की लाइसेंसिंग नीति शासित होती है। इस नीति के अनुसार जब तक कि प्रमुखरूप से उत्पादन निर्यात हेतु न हो, केवल 19 विशिष्ट उद्योगों में ही जो प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, हिस्सा लिया जा सकता है। 19 फरवरी, 1972 के प्रेस नोट के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्रकाशित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उनके द्वारा किये गये निदेश की विदेशी इक्विटी के भारतीय इक्विटी में परिवर्तित करके कम किया जा सकता है। इसकी प्रौद्योगिक-दृष्टिकोण से निर्यात की संभावनाओं तथा अदायगी अधिशेष पर समरूपेण पड़े प्रभाव के विशेष संदर्भ में और भी जांच की जाती है। इन कम्पनियों द्वारा बाहर भेजा जाने वाला लाभ तथा लाभांश भारतीय कराधान के अधीन ही होता है।

2. सभी कम्पनियों को जिनके पास 40 प्रतिशत से अधिक की विदेशी इक्विटी होती है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन अपने कार्यकलाप जारी रखने हेतु सरकार की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होता है। इससे सरकार को इन कम्पनियों द्वारा अर्थव्यवस्था में किये गये योगदान के संदर्भ में इनके कार्यकरण की समीक्षा करने का एक अवसर भी प्राप्त होता है।

विदेशी फर्मों के 'ब्रांड' नाम

9444. **श्री नवल किशोर सिंह :**
श्री सतपाल कपूर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश में कार्य कर रही कुछ विदेशी फर्मों के 'ब्रांड' नामों सम्बन्धी मामलों की जांच कर रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच यदि पूरी हो गई है, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और उन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी ब्रांड नामों के इस्तेमाल का प्रश्न पिछले कुछ दिनों से भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। इसके अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 28(1) (ग) और धारा 29 के अन्तर्गत 40 प्र०श० से अधिक विदेशी अंशधारिता वाली कम्पनियों द्वारा विदेशी ब्रांड के नामों के इस्तेमाल को विनियमित करने के लिये व्यवस्था की गई है। उक्त विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धाराओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

उड़ीसा में बचत बैंक सुविधा वाले डाकघर

9445. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय ऐसे कितने डाकघर हैं जहां बचत बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है; और

(ख) यह संख्या पड़ौसी राज्यों से अधिक है या कम ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) उड़ीसा—5840।

(ख) उड़ीसा के समीपवर्ती राज्यों में उन डाकघरों की संख्या का, जहां बचत बैंक सुविधाएं उपलब्ध हैं और बचत बैंक की सुविधा वाले प्रत्येक डाकघर द्वारा सेवा पाने वाली औसतन जन संख्या का उल्लेख राज्यों के नामों के सामने कर दिया गया है :

बिहार राज्य	9,219	6,110
आन्ध्र प्रदेश	13,948	3,112
पश्चिम बंगाल	6,485	6,852
मध्य प्रदेश	6,226	6,689
उड़ीसा	5,840	3,756

भुवनेश्वर तथा अन्य नगरों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

9446. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भुवनेश्वर और कुछ प्रमुख नगरों के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भुवनेश्वर और कटक के बीच सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है । वर्ष 1974-75 के अन्त तक भुवनेश्वर को कलकत्ता के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज से जोड़ने की योजना है, ताकि भुनेश्वर से कलकत्ता, आसनसोल और खड़गपुर के लिए सीधे डायल करने की सुविधाएं मिल सकें। पांचवीं योजना के दौरान भुवनेश्वर से दिल्ली, पटना मुजफ्फरपुर, रांची, धनबाद, राउरकेला, जमशेदपुर जैसे स्थानों के लिए सीधे डायल करने की सुविधाएं उत्तरोत्तर चालू करने की योजनाओं को भी अतिन्म रूप दे दिया गया है । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और उसके बाद अन्य शहरों के लिए भी उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधाएं दे दी जाएंगी ।

उड़ीसा में विमान डाक सेवा

9447. **श्री बनमाली बाबू :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष में उड़ीसा के बड़े और प्रमुख नगरों को विमान डाक सेवा से जोड़ने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) उड़ीसा में सिर्फ भुवनेश्वर शहर ही हवाई मार्ग पर है। इसलिए वहां हवाई डाक सेवा सुलभ है । जब इंडियन एयर लाइन्स उड़ीसा के अन्य शहरों में हवाई सेवा चालू कर देगी तब उन शहरों में भी हवाई डाक सेवा चालू करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा सकेगा ।

पंजाब में टायर-ट्यूब निर्माण परियोजना

9448. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन व्यवस्था के सुधार के लिए टायर-ट्यूबों की बढ़ती मांग को देखते हुए पंजाब सरकार से हाल में टायर-ट्यूब बनाने की परियोजना की मंजूरी का अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) पंजाब राज्य औद्योमिक विकास निगम लि० ने मोटरगाड़ी टायरों और ट्यूबों के उत्पादन के लिये एक नया उपक्रम स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिये मार्च 1970 में एक आवेदन पत्र दिया था।

प्रतिवर्ष 4 लाख मोटरगाड़ी टायर और ट्यूबों का उत्पादन करने के लिये 12 दिसम्बर, 1970 को निगम को एक आशयपत्र जारी किया गया था। इस संबन्ध में पंजाब सरकार से हाल में कोई और अन्य आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रशासनिक समितियों का लाइसेन्सिग समिति के साथ सहयोग

9449. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०जी०टी०डी० और प्रशासनिक मंत्रालयों के असहयोग के कारण सेक्रेटेरियट फार-इंडस्ट्रियल एप्रोच विफल रहा है,

(ख) क्या ये मंत्रालय लाइसेंसिंग समिति के साथ मूलभूत निर्णय करने, विशेषकर भारतीय क्षेत्र के विकास के लिए सहयोग नहीं कर रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो कितने मामलों में इन मंत्रालयों ने भिन्न विचार व्यक्त किया है और संबन्ध पक्षों के नाम क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रशासकीय मंत्रालय लाइसेंसिंग कमेटी के साथ सहयोग करते रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लाइसेंस के लिए आवेदनों पर डी० जी० टी० डी० द्वारा विलम्ब

9450. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में डी०जी०टी०डी० द्वारा लाइसेंस के लिये आवेदन पत्रों पर अपनी टिप्पणियां देने में विलम्ब किया पाया गया अथवा उन्होंने अनुचित रूप से अधिक समय लिया ;

(ख) क्या डी० जी० टी० डी० ने कुछ मामलों में हेरफेर किया है या भारतीय फर्मों के स्थान पर विदेशी फर्मों से आवेदन आमंत्रित किये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय द्वारा वहां विलम्ब की जांच कराई जाएगी और क्या विलम्ब न होने देने या इसे करने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ग) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर तकनीकी विकास के महानिदेशालय की टिप्पणी देने में लगने वाले समय के बारे में पहले कोई सूचना नहीं रखी जाती थी। औद्योगिक स्वीकृति देने के लिये 1-11-1973 से लागू की गई नई प्रणाली के अन्तर्गत तकनीकी विकास के महानिदेशालय को अपनी टिप्पणी देने के लिये उसे औद्योगिक लाइसेंस के आवेदनों पर अपनी टिप्पणी देने के लिये 30 दिन की अवधि दी गई है । नवम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 में तकनीकी विकास के महानिदेशालय को भेजे गये 902 आवेदनों में से 825 मामलों में तकनीकी विकास के महानिदेशालय की टिप्पणी निर्धारित अवधि के भीतर मिल गई थी ।

(ख) सरकार की जानकारी में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं आया है ।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के कार्यालय का नई दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरण

9451. **श्री वयालार रवि :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन के वर्तमान चेयरमैन तथा प्रबन्ध निदेशक ने उसका कार्यालय कलकत्ता स्थानान्तरित करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ख) क्या इस पर कोई निर्णय किया गया है और इससे कर्मचारियों को कितनी असुविधा होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय मानक संस्थान में अनुभाग अधिकारियों के आरक्षित पद

9452. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान में अब तक अनुभाग अधिकारियों (सेक्शन आफिसरों) के कितने पद आरक्षित घोषित किये गये हैं ;

(ख) क्या अनुभाग अधिकारी का कोई आरक्षित पद अभी तक खाली पड़ा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण है और उसे कब तक पूरा किया जायेगा ; और

(ग) क्या अनुभाग अधिकारी का कोई आरक्षित पद गैर-आरक्षित घोषित किया गया है और यदि हां, तो इस संबन्ध में प्रक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारतीय मानक संस्थान में अब तक अनुभाग अधिकारियों के चार पद आरक्षित घोषित किये गये हैं।

(ख) भारतीय मानक संस्थान के शाखा कार्यालय कलकत्ता में अनुसूचित जाति के कर्मचारी की उच्च पद पर पदोन्नति हो जाने के कारण एक आरक्षित पद खाली पड़ा है जिसके शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है ।

(ग) जी, हां। विहित सक्षम प्राधिकारी की सहमति से अनुसूचित जाति का अभ्यार्थी न मिलने के कारण एक आरक्षित पद गैर-आरक्षित घोषित कर दिया गया है ।

दिल्ली नगर निगम में नियुक्त व्यक्तियों को युद्ध सेवा के लाभ देना

9453. **श्री विभूति मिश्र :** क्या गृह मंत्री 1 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1510 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके उत्तर और दिल्ली नगर निगम क्षेत्र सेवा (नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1959 के नियम 4 को देखते हुए, क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा एमरजेंसी तथा शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों की युद्ध सेवा गिने जाने के बारे में जारी किए गए आदेशों के निगम द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृति आवश्यक है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेश (1963 से 1972) तक जो एमरजेंसी और शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त (इंजीनियरिंग तथा चिकित्सा सेवाओं के) सेवा युक्त अधिकारियों की युद्ध सेवा गिनने/वरिष्ठता देने के बारे में है, दिल्ली नगर निगम ने अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं ; यदि हां, तो विलम्ब क्यों हो रहा है ; और

(ग) दिल्ली नगर निगम ये आदेश कब तक स्वीकार/लागू करेगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली नगर निगम (नियंत्रण व अपील) विनियम 1959 केवल अनुशासनिक मामलों में कार्यवाही करने के लिए है । युद्ध सेवा आदि को जोड़ने से संबन्धित मामले इन विनियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं । ऐसे मामले भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गये आदेशों/नियमों से नियंत्रित होते हैं और वे तभी प्रभावी होते हैं जब निगम अलग संकल्प द्वारा उन्हें अपना लेता है । एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों व शार्ट सर्विस कमीशन प्राप्त अधिकारियों (इंजीनियरी व चिकित्सा सेवा) की युद्ध सेवा तथा वरीयता संबन्धी मामलों में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1963 से 1972 तक दिए गये आदेश निगम के विचाराधीन हैं । कथित आदेशों को निगम द्वारा औपचारिक रूप से अपना लेने पर कार्यान्वित किया जायगा ।

B.S.F. and C.R.P. Stationed in M.P.

9454. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of officers and jawans of Central Reserve Police and Border Security Force stationed in Madhya Pradesh at present; and

(b) the monthly expenditure incurred by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) and (b) 269 B.S.F. personnel including 2 officers are deployed in Madhya Pradesh for internal security duties. Average monthly expenditure on them works out to be Rs. 1.71 lakhs.

There are no C.R.P.F. units deployed in Madhya Pradesh for internal security duties.

Central Assistance to Madhya Pradesh for Providing Employment to Educated Unemployed.

9455. **Shri G. C. Dixit:** Will the **Minister of Planning** be pleased to state:

(a) whether the Central Government had given any financial assistance to the Madhya Pradesh Government for providing employment to the educated unemployed people in the State in 1973-74 and if so, the amount thereof; and

(b) the amount of financial assistance provided to other States, separately in 1973-74 ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) Yes, Sir. During 1973-74, financial assistance amounting to Rs. 1062 lakhs was provided for the State Government of Madhya Pradesh for formulating schemes for providing gainful employment to educated unemployed persons. Programme-wise break-up was:

	(Rs. lakhs)
(i) Programme for Educated Unemployed, initiated in 1971-72	531.89
(ii) Half-a-Million Jobs Programme (1973-74) . . .	530.00
TOTAL	1061.89

Besides, Central assistance of Rs. 173.78 lakhs was provided under the Special Employment Programme in 1973-74 which covers schemes of employment relating to educated as well as uneducated persons.

(b) The particulars of Central assistance relating to Madhya Pradesh and other States during 1973-74 are given below:

(Rs. in lakhs)

Sl. No.	States	Programme for educated unemployed	Half-a-Million Jobs Programme		Central assistance under Special Employment Programme
			Ceiling amount allocated	Amount released	
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh	199.72	600.00	417.33	181.44
2.	Assam	203.35	150.00	74.68	61.33
3.	Bihar	652.22	850.00	393.09	234.26
4.	Gujarat	194.76	350.00	320.28	111.59
5.	Haryana	128.31	175.00	135.15	41.74
6.	Himachal Pradesh	98.44	60.00	13.77	14.48
7.	Jammu & Kashmir	63.49	75.00	74.99	19.59
8.	Karnataka	160.57	500.00	250.00	121.81
9.	Kerala	179.32	700.00	338.67	88.59
10.	Madhya Pradesh	531.89	530.00	100.00	173.78
11.	Maharashtra	264.28	800.00	379.92	210.41
12.	Manipur	6.67	40.00	20.88	4.26
13.	Meghalaya	11.08	20.00	5.00	4.26
14.	Nagaland	16.79	12.00	5.09	2.56
15.	Orissa	178.89	280.00	182.76	92.00
16.	Punjab	156.92	220.00	141.00	56.22
17.	Rajasthan	442.71	325.00	207.27	107.33
18.	Tamil Nadu	203.95	650.00	421.32	171.22
19.	Tripura	14.70	40.00	17.60	6.82
20.	Uttar Pradesh	511.21	1100.00	589.74	368.00
21.	West Bengal	302.29	1500.00	775.00	185.70
	TOTAL STATES:	4521.56	8977.00	4863.54	2257.39

Capacity of Flour Mills in M.P.

9456. **Shri G.C. Dixit**: Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the details and capacity of the flour mills in Madhya Pradesh licensed under the Industries (Development and Regulation) Act; and

(b) the names of the mills, out of them, which are not utilising their full capacity due to non-availability of adequate quantity of wheat ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) The information is furnished below:—

Sl. No.	Name of the Unit	Registered/licensed capacity per annum
1.	M/s. Raipur Roller Flour Mills, Raipur	13,200 Tonnes.
2.	M/s. Standard Flour and Oil Mills, Ganj Basoda, M.P.	18,000 Tonnes.
3.	M/s. Central India Roller Flour Mills, Bhopal	36,000 Tonnes.
4.	M/s. M.P. Flour Mills, Gwalior	15,000 Tonnes.
5.	M/s. Flour and Food Pvt. Ltd., Indore	36,000 Tonnes.

(b) None of the roller flour mills is utilising its full capacity due to non-availability of adequate quantity of wheat.

अखबारी कागज के आयात में कदाचार

9457. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों को अखबारी कागज के एक व्यापारी, एम०ए० देसाई एंड कम्पनी और समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार से राज्य व्यापार निगम और डा० नाथ के विरुद्ध अखबारी कागज के आयात के ठेके करने में कदाचारों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ; और

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने इस बारे में कोई जांच की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरों को एम० ए० देसाई एंड कम्पनी या समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। तथापि, राज्य व्यापार निगम के एक्जीक्यूटिव निदेशक ने अपने 27 मार्च, 1974 को केन्द्रीय जांच ब्यूरों के निदेशक को भेजे गये पत्र में श्री एम० ए० देसाई के द्वारा उनको की गई इस शिकायत, "कि राज्य व्यापार निगम के कुछ अधिकारियों ने बम्बई में एक फर्म खड़ी कर दी है और वे राज्य व्यापार निगम में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हुए समाचारपत्रों से उनको आवण्टित किये गये अखबारी कागज को जल्दी छुड़ाने के बारे में कैनवैसिंग कर रहे हैं," की जांच करने के लिये कहा था।

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने जांच के लिये मामले को रजिस्टर कर लिया है ।

सैन्ट्रल प्रैस अक्रैडिटेशन कमेटी की बैठक

9458. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल प्रैस अक्रेडिटेशन कमेटी की बैठक काफी समय बाद दिसम्बर, 1973 में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) क्या वह कार्य-सूची, उन पर कमेटी की सिफारिशों और दिसम्बर, 1973 की बैठक में उत्पन्न मामलों, तिथियों सहित, निबटाने की कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) केन्द्रीय प्रैस प्रत्यायन समिति की बैठक लगभग एक वर्ष की अवधि के उपरान्त 20 दिसम्बर, 1973 को हुई थी।

(ख) कोई निश्चित समयान्तर नहीं है। प्रधान सूचना अधिकारी विचाराधीन मामले जो समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए पर्याप्त परिपक्व हों, की संख्या को ध्यान में रखते हुए जब भी जरूरी होता है, केन्द्रीय प्रेस प्रत्यायन समिति की बैठकें बुलाते हैं।

(ग) केन्द्रीय प्रैस प्रत्यायन समिति की बैठकों का कार्यवृत, आदि गोपनीय माना जाता है

महरौली, दिल्ली के निकट सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु

9459. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 अप्रेल, 1974 की रात को महरौली रोड, दिल्ली पर हुई सड़क दुर्घटना में मारे गये युवक के शव को हटाने में पुलिस द्वारा किए गए विलम्ब की जांच कराई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) शव को हटाने में कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ था और इसलिए इस मामले में कोई जांच नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक का दैनिक वितरण

9460. **श्री सुखदेव वर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के किन क्षेत्रों में डाक के दैनिक वितरण सुविधा नहीं थी ; और

(ख) अगली पंच-वर्षीय योजना में यह सुविधा कहां तक उपलब्ध की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) देश भर के सभी शहरी इलाकों में रोजाना डाक बांटने की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है।

जहां तक देहाती इलाकों का संबन्ध है, चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जिस सीमा तक रोजाना डाक वितरण की व्यवस्था की जा चुकी है, उसका व्यौरा संलग्न विवरण पत्न (अनुबंध-1) में दिया गया है ।

(ख) देहाती इलाके में डाक बांटने की क्या व्यवस्था की जाय, इसका फैसला डाक यातायात से संबन्धित कुछ मानदंडों के आधार पर किया जाता है । जिन स्थानों में प्रति सप्ताह कम से कम 30 पत्न आते हैं, वहां रोजाना डाक बांटने की व्यवस्था की जाती है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान भी, जिन स्थानों में इन मानदंडों के अनुसार औचित्य सिद्ध होगा, वहां रोजाना डाक बांटने की व्यवस्था की जाएगी ।

विवरण

राज्य का नाम	गांवों की कुल संख्या		रोजाना डाक पाने वाले गांव प्रतिशत
1	2	3	4
आन्ध्र . .	36181	(35095)	98प्र०
बिहार .	73686	(63039)	86प्र०
दिल्ली . . .	248	(248)	100प्र०
गुजरात . . .	18537	(12400)	67प्र.
दादर-नगर-हवेली . .	72	(27)	38प्र०
जम्मू और कश्मीर . .	7618	(342)	57प्र०
केरल .	1578	(1578)	100प्र०
लक्ष-द्वीप . . .	10	(10)	100प्र०
मध्य प्रदेश . . .	70618	(14121)	20प्र०
महाराष्ट्र	36164	(17822)	49प्र०
गोवा-दमन-दिव . . .	430	(403)	94प्र०
करनाटक . . .	26826	(25439)	95प्र०
असम . .	21227	(8487)	40प्र०
अरुणाचल . .	2704	(192)	7प्र०
मनीपुर . .	1991	(1179)	59प्र०
मेघालय . .	4687	(127)	1·6प्र०
मिजोरम . .	229	(17)	7प्र०
नागालैंड ..	962	(396)	41प्र०
त्रिपुरा . .	4932	(1919)	40प्र०
उड़ीसा . . .	51327	(26790)	52प्र०
पंजाब	12197	(8727)	72प्र०

1	2	3	4
चंडीगढ़ . .	21	(21)	100प्र०
हरियाणा	7177	(4871)	68प्र०
हिमाचल प्रदेश	30850	(13240)	43प्र०
राजस्थान	38541	(20033)	52प्र०
तमिलनाडु	25510	(25368)	99प्र०
पांडिचेरी	390	(390)	100प्र०
उत्तर प्रदेश	155134	(77966)	50प्र०
पश्चिम बंगाल .	44818	(23348)	52प्र०
अंडमान-निकोबार . . .	401	(121)	30प्र०

Pak Nationals in Madhya Pradesh

9461. **Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Pakistani nationals in Madhya Pradesh, District-wise, on long term visa at present; and

(b) the number of those, out of them, whose visas have been renewed more than once so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Appointment of Controllers in Sick Textile Mills, U.P.

9462. **Shri Hukam Chand Kachwai: Will the Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the number and names of sick textile mills in Uttar Pradesh at present where Government have appointed Controllers; and

(b) the statement of loss and profit of these mills for the year 1973-74 ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) and (b) At present, there are 5 textile undertakings in Uttar Pradesh, whose management has been taken over by Government under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 and the Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1972. The names of these undertakings and the profit (provisional figures) made by them during the period April, 1973 to February, 1974 are as follows:

Sl. No.	Name of the Mill	Profit after depreciation & Bonus (Rs. in lakhs)
	Under Industries (Development & Regulation) Act.	
1.	Muir Mills Ltd., Kanpur	4.76
2.	New Victoria Mills Co. Ltd. Kanpur	5.35
	Under Sick Textile Undertakings (Taking Over of Management) Act.	
3.	Bijli Cotton Mills, Mandu Road, Hathras	2.39
4.	Lord Krishna Textile Mills, Saharanpur	12.28
5.	Shri Vikram Cotton Mills, Lucknow	2.89

फोटोग्राफिक कागज का उत्पादन और मांग

9463. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों में फोटोग्राफिक कागज का वार्षिक उत्पादन तथा मांग क्या थी ;

(ख) इस कागज की सप्लाई क्या है और क्या सरकार को सूचना मिली है कि अधिकांश उपलब्ध कागज काले बाजार में पहुंच जाता है और वास्तविक उपभोक्ता इससे वंचित रहते हैं ;

(ग) क्या दिल्ली व्यावसायिक फोटोग्राफर संघ ने उनके मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन किया है ; यदि हां, तो उनकी मांगे और उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं ; और

(घ) क्या इस संघ को पहली स्तर पर बिक्री मूल्य पर इस कागज का कोटा बिना बिचौलिए के देने का कोई प्रस्ताव है और एक लाख का वर्तमान कोटा अन्तरिम सहायता के तौर पर बढाने का भी विचार है ; यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) फोटोग्राफिक कागज की मांग जो इस समय 35 लाख वर्ग मी० प्रतिवर्ष है वर्ष 1974-75 में बढ़कर 45 लाख वर्ग मीटर हो जाने की आशा है । फोटोग्रैफिक कागज का वर्ष 1971, 1972 और 1973 में उत्पादन निम्न प्रकार रहा :—

1971	33.05 लाख वर्ग मीटर
1972	31.15 लाख वर्ग मीटर
1973	38.75 लाख वर्ग मीटर

(ख) सरकार को फोटोग्रैफिक कागज की कम सप्लाई अथवा चोर-बाजारी के संबन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ग) और (घ) दिल्ली व्यावसायिक फोटोग्राफर संघ का कोई अभ्यावेदन इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है । किन्तु उन्होंने 15 अप्रैल, 1974 को एक ज्ञापन अध्यक्ष मे० हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि० को दिया है जिसमें उनकी मुख्य मांग हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् द्वारा फोटोग्रेफिक कागज फोटोग्रेफरों के विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों को प्रथम स्थान के विक्रय मूल्य पर बिना किसी बिचौलिये/डीलर के सम्भारित किए जाने के संबन्ध में है । मै० हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् ने बताया है कि व्यक्तिगत रूप में अलग-अलग फोटोग्राफरों की मांग बहुत कम है अतः इस प्रकार के व्यावसायिक फोटोग्राफिरों के लिये सहकारी समितियां गठित कर लेना लाभप्रद रहेगा जिन्हें उस स्थिति में हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् सीधा डीलर मान लेगा और वे अपने सदस्यों को डीलरों के मूल्य पर थोक सप्लाई कर सकेंगे ।

आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों को भेड़-बकरी की चर्बी की सप्लाई

9464. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **औद्योगिक** विकास **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में 120 छोटे एकक साबुन बनाने में लगे हैं ;

(ख) क्या देश के छोटे पैमाने के सभी औद्योगिक एककों को वर्ष 1972-73 में वितरित की गई भेड़-बकरी की 40,000 मिलियन टन चर्बी में से आन्ध्र प्रदेश को 665 मिलियन टन आवंटित की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों की तुलना में आन्ध्र प्रदेश को भेड़-बकरी की चर्बी तथा ताड़ के तेल का आवश्यकता से कम आवंटन किया गया था ; और

(घ) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के लिए नियतन में अब वृद्धि कर दी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) लघु उद्योगों की राष्ट्रीय गणना का परिणाम निकल आने पर यह जानकारी तब उपलब्ध हो सकेगी। वर्तमान में गणना का कार्य चल रहा है तथा यह 1974 के अन्त तक पूरा हो जायेगा।

(ख) सभी राज्यों को आवंटित कुल 40,000 मी० टन की भेड़ों बकरी की चर्बी (मटन टैलो) में से आन्ध्र प्रदेश के लिए 666 मी० टन चर्बी का नियतन किया गया था।

(ग) मटन टैलो के कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इस सामग्री का उपयोग करने वाली यूनिटों की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूरी नहीं की जा सकी। मटन टैलो की कुल मांग तथा नियतन के मुकाबले आंध्र प्रदेश को दिखाने वाली एक सारणी नीचे दी जाती है :--

	कुल अखिल भारतीय मांग	कुल अखिल भारतीय नियतन	नियतन (प्रतिशत)	मांग	(आंध्र प्रदेश)	नियतन प्रतिशत
1969-70	40332	36500	90 प्र०	700	658	94 प्र०
1970-71	88485	45000	50.6 प्र०	1479	749	50.6 प्र०
1971-72	88485	54000	50.6 प्र०	1479	749	50.6 प्र०
1972-73	151625	40000	26.4 प्र०	1479	666	45 प्र०
1973-74	151625	24800	16.3 प्र०	7000	468	6.6 प्र०

आंध्र प्रदेश में ग्रामोद्योग परियोजनाओं के क्षेत्र में चर्बी (मटन टैलो) की खपत वाले एकक बहुत कम हैं, अतएव, ग्रामोद्योग परियोजनाओं के इन एककों के लिए समग्र नियतन में से किया गया भाग भी नगण्य ही रहा है । यही कारण है कि वष 1973-74 में आंध्र प्रदेश के लिए यथानुपातिक नियतन कम किया गया था ।

(घ) जी, नहीं ।

एक ऊर्जा बोर्ड की स्थापना

9465. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय तेल सप्लाई के कम हो जाने तथा मूल्यों में वृद्धि हो जाने को देखते हुए सरकार ने तुरन्त ही एक उच्चस्तरीय ऊर्जा बोर्ड गठित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) देश की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति भरोसे से तथा मितव्ययी तरीके से हो सके यह सुनिश्चित करने के लिए एक समन्वय

संगठन गठित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है। समन्वय संगठन में कार्यों में कार्यवाही के उन सभी तत्वों का समावेश होगा जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्रावश्यक हैं।

यद्यपि सरकार ने ऊर्जा संगठन की स्थापना के बारे में ग्रभी कोई निर्णय नहीं किया है फिर भी मंत्रिमंडलीय तथा प्रशासनिक स्तरों पर विभिन्न प्रकार की ऊर्जा तथा पैट्रोलियम, कोयला, बिजली, रेलवे ग्रौर ग्रन्य सम्बद्ध विषयों का काम देखने वाले विभिन्न मंत्रालयों के मध्य ग्रपेक्षित समन्वय प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त व्यवस्थायें कर दी गई हैं।

Survey of Industrial Societies in M.P.

9466. **Shri G.C. Dixit:** Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether a survey of economically viable more viable and non-viable industrial societies had been conducted in Madhya Pradesh along with other States; and

(b) if so, the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) Yes, Sir.

(b) The report of the survey conducted by the State Registrar of Cooperative Societies has not so far been received.

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ग्रौर ग्राजाद हिन्द फौज की गतिविधियों पर वृत्त चित्र बनाना

9467. **श्री समर गुह:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ग्रौर ग्राजाद हिन्द फौज की गतिविधियों के बारे में ग्रनेक वृत्त चित्र उस समय भारत में श्री शाहनवाज खां द्वारा लाये गये थे जब उनको भारत भेजा गया था, सरकार के पास हैं, ग्रौर यदि नहीं, तो इन फिल्मों का क्या हुग्रा ;

(ख) क्या इस मामले की जांच का काम ग्रौर नेताजी तथा ग्राजाद हिन्द फौज पर इन महत्व-पूर्ण फिल्मों का पता लगाने का काम केन्द्रीय जांच ब्यूरों ग्रथवा किसी ग्रन्य उपयुक्त निकाय को सौंपा जायेगा ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच०मोहसिन): (क) इसका सम्बन्ध उस मामले से है जिसके लिए नेताजी जांच ग्रायोग में साक्षी दी गई थी ग्रभी जिसको ग्रपनी रिपोर्ट देनी है। जबकि मामला निर्णयाधीन है, सरकार इस समय कोई उत्तर देने की स्थिति में नहीं है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

छोटे चर्मशोधकों के लिये विकास सम्बन्धी सुविधायें

9468. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री डी०डी० देसाई :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्द्ध परिष्कृत वस्तुओं के निर्यात की रोकथाम के लिये सरकार का विचार उद्यमकर्ताओं को माल तैयार करने तथा उसे अन्तिम रूप देने संबन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से छोटे चर्मशोधकों को विकास सुविधायें देने के लिये एक एजेंसी स्थापित करने का भी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) तैयार चमड़े का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से अर्धनिर्मित चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है तथा इस पर कोटा प्रणाली लागू कर दी गयी है । देश में चमड़ा तैयार करने की सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा आवश्यक प्रोत्साहन देने के विभिन्न अभ्युपाय किये गये हैं। चमड़ा निर्यात करने के लिए मशीनों का आयात करने में उदारपूर्वक आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं। अर्धनिर्मित चमड़े के निर्यातकों को संतुलन मशीनों का आयात करने आधुनिकीकरण तथा प्राधिकृत विस्तार करने हेतु अपने प्रतिपूर्ति लाइसेंस के एक तिहाई का प्रयोग करना पड़ेगा। अर्धनिर्मित चमड़े का उत्पादन करने वाले विद्यमान लाइसेंस प्राप्त एककों को सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना ही अपनी क्षमता को तैयार चमड़े का उत्पादन करने में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी गयी है ।

ये एकक तैयार चमड़े का उत्पादन करने के लिये अपेक्षित क्षमता का उपयोग करने के लिये पूंजीगत माल का आयात करने हेतु सीधे ही आवेदन पत्र दे सकते हैं । सरकार द्वारा उन मशीनों की एक सूची तैयार की गयी है जो देश में उपलब्ध नहीं है वह जिनकी चमड़ा एककों को जरूरत है । इस सूची में सम्मिलित मशीनों का आयात करने में संबन्ध में तकनीकी विकास के महानिदेशालय से उनकी स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है । यह सूची 1 अप्रेल 1974 से लागू है तथा एक वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी। निर्यातोन्मुख उद्योगों की योजना के अधीन मशीनों के आयात की भी उदारतापूर्वक अनुमति दी जाती है । वास्तविक उपयोक्ताओं तथा पंजीयित निर्यातकों की योजना दोनों के अन्तर्गत आवश्यक रसायन सहायक सामान तथा तैयार करने के उपकरणों का आयात करने की अनुमति दी जा रही है । चमड़ा उद्योग प्राथमिकता उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है । तथा आवश्यक कच्चे माल तथा अतिरिक्त पुर्जों का आयात करने की उदारतापूर्वक अनुमति दी जाती है ।

फिलहाल अपने क्षेत्रीय अभिकरणों विस्तार केन्द्रों सहित लघु उद्योग विकास संगठन तथा सेंट्रल लैदर रिसर्च इन्स्टीट्यूट छोटे चर्म शोधकों को चमड़ा तैयार करने हेतु आवश्यक सुविधाएं दे रहा है ।

इसमें तैयार चमड़े के विनिर्माण में तकनीकी सलाह देना प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना योजनाएं तैयार करना, किराया खरीद के आधार पर मशीनें सप्लाई करना तथा वित्तीय संस्थानों आदि के माध्यम से वित्तीय सहायता की व्यवस्था करना सम्मिलित हैं ।

युद्ध अपराधियों की सूची में नेताजी का नाम है/था या नहीं का पता लगाने के लये की गई कार्यवाही

9469. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात की पुष्टि नहीं कर पाई है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नाम युद्ध अपराधियों की सूची में नहीं था/नहीं है ;

(ख) क्या जापानी विदेश विभाग संबंधी "वरबेल संख्या 136/ए एस डब्ल्यू, दिनांक 20 दिसम्बर 1967" टिप्पणियां और हमारे टोकियों स्थित दूतावास की टिप्पणी (संख्या 375-एफ एस/67) इस संबंध में तथ्य रहित है और संदिग्ध है ;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र से संबंध हमारे हेग और न्यूयार्क स्थित मिशनों द्वारा भेजी गई टिप्पणियों में स्पष्ट उल्लिखित है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निश्चित आधार नहीं है कि नेताजी का नाम युद्ध अपराधियों की सूची में नहीं था/नहीं है ;

(घ) यदि हां, तो इन टिप्पणियों में उल्लिखित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ङ) नेताजी का नाम युद्ध अपराधियों की सूची में नहीं था/नहीं है संबंधी तथ्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने न्यूयार्क के उपर्युक्त नोट में सुझाई गई अथवा अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ङ) : प्रश्न के पैरा (ख) और (ग) में उल्लिखित कागजात नेताजी जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये हैं और आयोग ने जूडिशियल नोटिस ले लिया है। चूंकि मामला आयोग के समक्ष न्यायाधीन है अतः सरकार इन पत्रों के सन्दर्भ में अभी उत्तर देने की स्थिति में नहीं है ।

कोका कोला निर्यात निगम द्वारा इक्विटी शेयर जारी करना

9470. **श्री शशि भूषण** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री कोका कोला निगम द्वारा इक्विटी शेयर जारी करने के बारे में 7 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3781 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रश्न की जांच कर ली गई है कि कोका कोला निर्यात निगम द्वारा 'फैंटा ग्रेप' का उत्पादन विस्तार करने के समान है जिसके लिये सरकारी अनुमति अपेक्षित थी; और

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मामले की जांच की गई है और अब यह स्पष्ट हुआ है कि कम्पनी को फन्टाग्रेप का उत्पादन करने के लिये सरकार की विशेष स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है ।

आटोमोबाइल टायर निर्माता कम्पनियों की विदेशी साम्य पूंजी की मात्रा में कमी करना

9471. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शत प्रतिशत विदेशी साम्य पुंजी वाली आटोमोबाइल टायर ट्यूबों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों ने अपनी विदेशी साम्य-पूंजी घटाकर 40 प्रतिशत कर दी है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उन कम्पनियों की विदेशी साम्य-पूंजी को घटाकर 40 प्रतिशत करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क)) मैसर्स फायर स्टोन टायर एंड रबर कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड की गाड़ियों के टायर और ट्यूब बनाने वाली ऐसी कंपनी है जिसमें 100 प्रतिशत विदेशी इक्विटी पूंजी लगी है। उसने अभी तक विदेशी इक्विटी को 40 प्रतिशत तक कम नहीं किया है।

(ख) विदेशी कम्पनियों को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अधीन अपने वर्तमान व्यापार कार्य जो औद्योगिक, व्यावसायिक अथवा व्यापारिक हो सकता है, को जारी रखने हेतु रिजर्व बैंक आफ इंडिया की अनुमति प्राप्त करनी होती है। बैंक को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 30, जून 1974 है। मैसर्स फायर स्टोन टायर ऐण्ड रबर कम्पनी से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ही विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 को प्रशासन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निर्णय किया जायेगा।

रेयन यार्न के उत्पादन के लिये लकड़ी की लुगदी का आयात

9472. **श्री डी०बी० चन्द्र गौड़:** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लकड़ी की लुगदी का जो रेयन टायर यार्न बनाने के लिए प्रमुख कच्चा माल है देश में उत्पादन नहीं हो रहा है और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून द्वारा किए गए अध्ययन से इस समस्या का कोई स्थायी हल नहीं निकला है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की पुनर्विलोकित नीति सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून द्वारा किए गए परीक्षणों से पता लगा है कि देवदार और सनोवर जैसी शंकुल (कोनिफेरस) लकड़ी जो अधिकतर हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, रेयन टायर यार्न लुगदी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त कच्चा माल है। अधिक ऊंचाई और परिवहन की कठिनाइयों के कारण इस प्रकार की रेयन ग्रेड लुगदी बनाने के लिए इस क्षेत्र में इस किस्म की लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग करना अभी संभव नहीं है।

राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला (नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज), पूना वैकल्पिक कच्चे माल पर आधारित रेयन टायर यार्न लुगदी बनाने की संभाव्यता पर अनुसंधान कर रही है और उसके परिणाम उत्साहवर्द्धक निकले हैं।

पांचवीं योजना में आवास प्रदान करने हेतु आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिये नियतन

9473. **श्री गिरधर गोमांगो:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में निराश्रम तथा बेघरबार आदिवासी लोगों को आवास प्रदान करने हेतु देश के आदिवासी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कितनी धन राशि का नियतन किया गया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) मंत्रालय ने सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) अभी तक राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट सिफारिशें नहीं की है। किन्तु पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े वर्गों के विकास के लिए एक नया तरीका अपनाया गया है। काफी बड़े आदिवासी क्षेत्रों वाले राज्यों से आदिवासी क्षेत्रों के लिए उप-योजनाएं और इन क्षेत्रों के विकास के लिए व्यवहार्य आदिवासी विकास परियोजनाएं तैयार करने को कहा गया है। बेघर आदिवासियों को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए उचित सावधानी बरती जायेंगी।

नयी अपराध प्रक्रिया संहिता

9474. **श्री रानन सैन :**
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृप. करेंगे कि :

(क) क्या नई अपराध प्रक्रिया सहिता लागू हो गई है ;

(ख) क्या अभियोजकों के नए रुतबे के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जहां आवश्यक है सरकारी अभियोजकों के संबंध में नई संहिता के प्रावधानों के व्याख्या पर निर्णय कर लिये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम को समाप्त करना

9475. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दार :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखना अधिनियम के अंतर्गत की गई अंधाधुंध गिरफ्तारियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये निर्णय को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उस अधिनियम को समाप्त करने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि नहीं तो इसका क्या कारण है।

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सरकार को अधिनियम के अंतर्गत अंधाधुंध की गई गिरफ्तारियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के किसी ऐसे निर्णय का पता नहीं है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को मंत्रालय में स्थायी बनाने के मामले में आरक्षण

9476. **श्रीमती गंगादेवी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार मंत्रालय मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को स्थायी बनाने के मामले में आरक्षण किया जाता है, और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट, नई दिल्ली के महा प्रबन्धक ने इनको इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के सम्बन्ध में क्रियान्वित किया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां । कार्मिक विभाग ने सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले पदों/सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के लिए जगहें सुरक्षित करने के बारे में जो हिदायतें जारी की हैं, उन्हें सभी कार्यालयों के अनुपालन के लिए परिचालित कर दिया गया है ।

(ख) जी नहीं । जिन ग्रेडों/सेवाओं में आंशिक रूप से सीधी और आंशिक रूप से विभागीय अधिकारियों को पदोन्नति देकर भर्ती की जाती है, वहां अधिकारियों को स्थायी करने के सम्बन्ध में कुछ शंकाए उत्पन्न हुई हैं । कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से इन शंकाओं की जांच की जा रही है ।

Indian Islands and Inhabitants thereof

9477. **Shri Jagannathrao Joshi:** Will the **Minister of Home Affairs** be pleased to state:

(a) the length of coastal line of India;

(b) the number of all the big and small islands and the number of inhabitants thereof;

(c) the number of uninhabited islands; and

(d) the special arrangements made to ensure their security ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin): (a) 6083 KM.

(b) and (c) There are 1175 numbers of big and small Islands/rocks including 19 outlying Islands/rocks. Information about the number of inhabitants thereof and also the number of uninhabited islands is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as soon as received.

(d) The security of Islands/rocks is ensured by Police and Naval patrolling.

मध्यम दर्जे के उद्यमकर्ताओं द्वारा नयी वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया जाना

9478. **श्री के०एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी फर्मों की विविधता क्षमता के कारण हुई विदेशी मुद्रा का हानि के बारे में 20 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 367 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर में उल्लिखित दिनांक 16 फरवरी, 1973 को अधिसूचना संख्या एस० ओ० 98 (इ)/आर० डी० आर० ए०/29 बी०/73/1 विविधता लाने की अनुमति प्रदान नहीं करती ;

(ख) क्या मध्यम दर्जे के ऐसे उद्यमकर्त्ता जिन पर एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएं अधिनियम लागू नहीं होता है तथा विदेशी बहुमत वाली कम्पनियां अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता का 25 प्रतिशत भी 'नयी' वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में नहीं ला सकती और आयातित कच्चे माल के 5 प्रतिशत से अधिक उसमें नहीं लगा सकती, और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार कोई ऐसी अधिसूचना जारी करेगी जिसके अनुसार मध्यम दर्जे के क्षेत्र को यह स्वतन्त्रता मिल जाये कि वह पुरानी वस्तुओं के स्थान पर नई वस्तुओं का उत्पादन कर सके ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) अधिसूचना संख्या का० आ० 98 (ई०)/आई०डी०आर०ए०/29ख/73–1 दिनांक 16 फरवरी, 1973 के द्वारा अन्य बातों के साथ साथ उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11 क के प्रवर्तन से जिसके अनुसार किसी नयी वस्तु के निर्माण हेतु लाइसेंस लेना आवश्यक होता है, छूट दी गई है। इस अधिसूचना के अनुसार वे औद्योगिक उपक्रम जिन पर एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम लागू होता है तथा विदेशी बहुलांश वाली कंपनियां बिना औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए ही 1 करोड़ रु० तक अचल आस्तियों पर अतिरिक्त विनियोजन करने के लिए कतिपय शर्तों के अधीन नयी वस्तुओं का निर्माण करने हेतु स्वतंत्रता है। निर्धारित शर्तों में से एक यह है कि पुर्जों तथा हिस्सों का अयात करने के लिए उत्पादन प्रारंभ करने के तीन वर्ष पश्चात् किसी एक वर्ष में नई वस्तु बनाने का ऐसा प्रस्ताव ऐसा न हो जिसमें वार्षिक उत्पादन के कारखानों से चलते समय के मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर से अधिक के कच्चे माल का आयात करने की आवश्यकता होती है। अथवा पांच लाख रु० के वार्षिक उत्पादन के कारखाने के चलते समय के मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर से अधिक जो भी कम हो, की आवश्यकता पड़ती हो। इस संबंध में निकट भविष्य में कोई भी परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

मध्यम स्तर की फर्मों को उत्पादन में विविता लाने की अनुमति

9479. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री विदेशी फर्मों द्वारा क्षमता में विविधता लाने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि के बारे में 20 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 367 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्यम स्तर की भारतीय फर्मों की गत तीन वर्षों में कितनी बार उत्पादन में विविधता लाने की अनुमति दी गई; उन कम्पनियों के नाम क्या हैं; किस मद के उत्पादन की अनुमति दी गई, उसमें आयात की मात्रा कितनी थी और लाइसेंस प्राप्त क्षमता में कितने प्रतिशत विविधता की अनुमति दी गई; और

(ख) कितने मामलों में "बहुत ही उदारता" का रुख अपनाया गया और विविधता की अनुमति दी गई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री० सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) निर्बाधरूप से विविधता लाने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति अधिसूचना संख्या का० आ० 98(ई)/आई०डी०आर०ए०/29-ख/73/1 : दिनांक 16 फरवरी, 1973 में बता दी गई है (जिसकी प्रतियां सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है) जिसके अनुसार एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम के अंतर्गत आने वाली और विदेशी बहुलांश वाली फर्मों को छोड़कर सभी औद्योगिक उपक्रमों को निर्बाधरूप से विविधता लाने की सुविधा प्राप्त है। इस अधिसूचना में विविधता लाने के लिये स्वीकृत शर्तों और उनकी सीमाएं स्पष्ट रूप से बता दी गयी हैं। यह सुविधा बिना किसी अनुमति के प्राप्त है, अतः पूछे गए ब्यौरे सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

Expenditure on residential accommodation of Manager of K.G.B. New Delhi

9480. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the entire expenditure incurred on the residence of the Manager of the Khadi Gramodyog Bhavan at 1/24, Jan Path Lane, New Delhi, is being met under the cover of meeting expenditure on Guest House and against which an audit objection has also been raised; and

(b) if so, whether any action is proposed to be taken to check this practice ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

रेलवे डाक सेवा के एन० बी० डिवीजन के कर्मचारियों को पी०टी० डिवीजन में स्थानान्तरण करना

9481. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे डाक सेवा के 'एन० बी०' डिवीजन के कर्मचारियों का जिसका क्षेत्र समस्तीपुर से कटिहार तक है, 'पी० टी०' डिवीजन में स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव है. और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या 'एन०बी०' डिवीजन के रेलवे डाक सेवा कर्मचारी समस्तीपुर, कटिहार सेक्शन की एन० बी० डिवीजन के अन्तर्गत रखने और यू-29 (बरौनी–इलाहाबाद) रेलवे डाक सेवा सेक्शन को 'एन०बी०' डिवीजन से सम्बद्ध करने पर जोर दे रहे हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) रेल डाक सेवा 'यू' डिवीजन को दो भागों में बांटने पर जिसका कि मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है 'एन० बी०' डिवीजन के कर्मचारियों ने जिसका कि मुख्यालय समस्तीपुर में है, यह मांग कि 'यू–25'

(बरौनी-गोरखपुर) और 'यू–29' (बरौनी-इलाहाबाद) सेक्शनों को 'यू' डिवीजन में से हटाकर 'एन०वी० डिवीजन में कर दिया जाय। किसी एक डिवीजन के क्षेत्राधिकार में आने वाली मील दूरी को ध्यान में रखते हुए और प्रशासनिक आधार पर 'यू–25' सेक्शन को 'यू' डिवीजन में ही बनाए रखा गया है और 'यू–29' सेक्शन को 'पी०टी०' डिवीजन के अन्तर्गत कर दिया गया है, जिसका कि मुख्यालय पटना में है।

Presenting Officers of C.B.I. Accepted by all Ministries except Railways in Departmental Action cases

9482. **Shri Nageshwar Dwivedi:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether in the cases in which regular departmental action is recommended by the C.B.I. the presenting officer of the C.B.I. is accepted by all the Ministries of the Central Government except the Railway Ministry: and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel: (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) and (b) Unlike other Ministries/Departments presenting officers are not appointed by the Ministry of Railways in departmental enquiries against their non-gazetted employees. The reasons given by the Ministry of Railways for not appointing the presenting officers in such cases are that oral enquiries in respect thereof are normally held by Railway officials who are intimately familiar with the technicalities of railway working. The Ministry of Railways have added that the number of such cases being very large, it may not be feasible to have presenting officers in all the cases. However, the question of the Ministry of Railways falling in line with other Ministries/Departments in this regard has been taken up with that Ministry and the matter is being further examined by that Ministry.

So far as the officers in the Ministry of Railways of gazetted status are concerned the Railway Board, on the advice of the Central Vigilance Commission, are nominating presenting officers in departmental enquiries aginst Railway employees entrusted to the Commissioners for Departmental Enquiries in Central Vigilance Commission.

कोयले से तेल निकालने के लिय संयंत्र की स्थापना

9483. **श्री राजदेव सिंह:**

श्री वसन्त साठे: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान के निदेशक की राय है कि चालीस करोड़ रुपये की लागत से कोयले से दस लाख टन तेल उत्पादन करने के संयंत्र का निर्माण करना सम्भव नहीं है, जैसा कि विज्ञान योजना के मसौदे में उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या उक्त संस्थान ने चार वर्ष पूर्व व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार किया था जिसके अनुसार उक्त क्षमता के संयंत्र की स्थापना पर दो सौ चालीस करोड़ रुपये से अधिक खर्च आने का अनुमान था; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) (क) और (ख) जी, हां।

(ग) कोयले से तेल बनाने संबंधी नमूने के तौर पर टेन्डर में दिये गये विवरणों के आधार पर एक प्रायोगिक संयंत्र की एक यथावत रिपोर्ट तैयार करने के लिये इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से निवेदन किया गया है।

कोयले से तेल निकालने के लिये एक संयंत्र स्थापित करना

9484. **श्री डी०बी० चन्द्र गौडा :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले से तेल निकालने के लिये सरकार एक 10 लाख टन के संयंत्र की स्थापना सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) जी हां। भारत तथा विदेशों में प्रौद्योगिकी के स्तर का मूल्यांकन किया जा रहा है। दस लाख टन सामर्थ्य वाले एक संयंत्र के लिये तकनीकी विशेष विवरण भी तैयार किये जा रहे हैं। यह कार्य मैसर्स इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

कमानी ट्यूब प्रा० लिमिटेड द्वारा खनिज इन्स्युलेटिड केबल का निर्माण

9485. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमानी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ने दिवालिये में जा रहे एक अन्य उपक्रम को अपने हाथ में लेकर खनिज इन्सुलेटिड केबल बनाने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

गरीबी के स्तर से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग

9486. **श्री समर गुह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के मूल्य में गिरावट का प्रभाव गरीबी के स्तर से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की प्रतिशत का हिसाब लगाने पर भी पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप गरीबी के स्तर से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की प्रतिशतता बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो अब क्या प्रतिशत है; और

(घ) गरीबी के स्तर से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की अब संख्या कितनी है?

योजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) मूल्यों के बढ़ने के कारण मुद्रा के मूल्य में कमी आती है और उसके साथ-साथ यदि आय नहीं बढ़ती तो इससे गरीबी के स्तर से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले लोगों की प्रतिशत पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(ख) से (घ) वर्ष 1973-74 सहित वर्तमान वर्षों के बारे में उपभोक्ता व्यय के वितरण के आंकड़ों के प्रभाव में, गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की प्रतिशतता का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

फिर भी, परिवार व्यय पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अद्यतन आंकड़े (23वां दौर) 1968-69 के बारे में उपलब्ध हैं और इनके आधार पर उक्त वर्ष में गरीबी के स्तर से नीचे जीवन निर्वाह करने वाले कुल लोगों का अनुमान 25 करोड़ से अधिक या कुल जनसंख्या का 46.6 प्रतिशत था।

अमरीका से पूंजी निवेश के लिये प्रस्ताव

9487. **श्री डी०डी० देसाई** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के सम्बन्ध में अमरीकी फर्मों से सहयोग और पूंजी निवेश सम्बन्ध प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विदेशी इक्विटी पूंजी निवेश सम्बन्धी सरकारी निर्णय से क्या इन प्रस्तावों पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) से (ग) प्रौद्योगिकी आयात करने सम्बन्धी सरकारी नीति निरन्तर चयनात्मक रही है तथा जहां कहीं भी विदेशी इक्विटी की सहभागिता की अनुमति प्रदान की जाती है सामान्यतया इस पर 40 प्रतिशत की सीमा नियत कर दी गई है। इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

इस समय सरकार के विचाराधीन अमरीकी सहयोग के 54 प्रस्ताव हैं जिनमें से 3 प्रस्तावों में विदेशी पूंजी की सहभागिता अर्न्तग्रस्त है। उनमें प्रमुख उद्योग बिजली की वस्तुएं, औद्योगिक मशीने, छपाई की मशीने, इलैक्ट्रानिक्स के पुर्जे, लौह वस्तुएं, रासायनिक वस्तुएं, होटल परियोजनाएं तथा जड़ी बूटी औषधियां आदि हैं। इन प्रस्तावों पर विद्यमान नीति तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाएगा।

कालगेट पालमोलिव इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड की गतिविधियां

9488. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया:**

श्री श्रीकिशन मोदी:

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 30 मार्च, 1974 के दिल्ली से प्रकाशित होने वाले एक समाचार पत्र में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि कालगेट पालमोलिब इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड ऐसी व्यापार प्रक्रियाएं अपना रहा है, जिनसे उत्पादन लागत बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मै० कालगेट पामोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपनाई जाने वाली कुछ अधिकथित व्यापार प्रक्रियाओं के बारे में जांच करने के लिये सरकार द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग से कहा गया है। उनके निष्कर्षों की प्रतीक्षा की जा रही है।

रेशम उद्योग विकसित करने के लिये अनुसंधान करने हेतु राज्यों की सहायता

9489. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रेशम उद्योग विकसित करने के लिये कदम उठाए हैं;

(ख) क्या विस्तार कार्यों के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाने हेतु कुछ अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ किये गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अनुसंधान कार्यक्रमों के लिये, राज्यवार, कितनी राशि दी गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधीन रेशम कीट पालन उद्योग सम्बन्धी अनुसंधान को केन्द्रित कर दिया है। बोर्ड ने मैसूर (कर्नाटक) बहरामपुर (प० बंगाल) में मलबरी सिल्क के लिये और रांची (बिहार) तथा टीटाबार असम में गैर मलबरी रेंशम जैसे टसर/इरी और मूंगा के लिए चार पूर्ण रूपेंण अनुसंधान संस्थानों/केन्द्रों की स्थापना की है। कालिमपोंग (प० बंगाल) माजरा (उ० प्र०) इम्फाल (मणिपुर) भीमताल (उ० प्र०) तथा बेटोटे (जम्मू) में पांच अनुसंधान उपकेन्द्र भी है।

इन अनुसंधान केन्द्रों ने, संस्थानों ने रेशम की कीड़ों, शहतुत की किस्मों और रेशम के कीड़े पालने के सुधार तरीकों के विकास और शहतुत की खेती कराने की प्रक्रिया आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुसंधान किए हैं। इन अनुसंधान कार्यों के फलस्वरूप कोयों की प्रति 100 डी एफल पैदावार 20 कि० ग्रा० से बढ़कर 40 से 50 कि० ग्रा० तक हो गई है। कोयों के उत्पादन में सुधार करने के लिए रेशम के कीड़े पालने वालों की सहायता करने के लिए कर्नाटक, प० बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अनुसंधान केन्द्रों में किस्म और मात्रावार विस्तार खण्डों की स्थापना की गई है। इन विस्तार खण्डों द्वारा आरम्भ किये गये मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित है :

(क) कीटपालकों को नए वाइलोल टाइनों और मल्टी वोलटाइनों संकट जातियों के पालन का का प्रदर्शन करना।

(ख) रेशम के कीड़े पालने और शहतुत की खेती की सुधरी तकनीक का प्रदर्शन करना।

(ग) रेशम के कोड़े की नई उत्पादित जातियों और विस्तार कार्यक्रमों के वड़े पैमाने पर क्षेत्रों में परीक्षण करना।

(घ) रेशभ कीटपालकों के प्रशिक्षण के अन्य प्रदर्शन संबंधी कार्यकलाप करना।

(ड.) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में अनुसंधान कार्यकलापों के कार्यान्वयन पर 59.87 लाख रु० व्यय किए हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

लाख रु० में

1. सेन्ट्रल सेरीकल्चर रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, मैसूर (कर्नाटक) . . .	18.461
2. सेंट्रल सेरीकल्चर रिसर्च स्टेशन बहरामपुर (प० बंगाल) .	1.550
3. सेंट्रल टसर रिसर्च स्टेशन, रांची, बिहार . . .	37.662
4. यूनीवोल्टाइन रिसर्च स्टेशन माजरा (उ० प्र०) .	0.420
5. सेन्ट्रल मूगा एण्ड एरी रिसर्च स्टेशन टीटाबार असम	1.780
योग . . .	59.873

पांचवी योजनावधि में केन्द्रीय सेरीकल्चर अनुसंधान को उच्च प्राथमिकता दी गई है। बोर्ड की केन्द्रीय परियोजना के रूप में पांचवी योजननावधि में 2.59 करोड़ रु० व्यय करने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के दो क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र हैं जिनका तकनीकी दृष्टि से नियंत्रण रांची केन्द्र द्वारा किया जाता है। उक्त राज्य सरकार द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना में उक्त क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों पर लगभग 30,000 रु० खर्च किए गए हैं।

दिल्ली में बिक्रीकर की बकाया राशि

8490. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अब विक्री कर की बकाया राशि 8.18 करोड़ रुपये थी जबकि गत वर्ष यह राशि 6 करोड़ रुपये थी ; और

(ख) यदि हां, तो इतनी अधिक बकाया राशि हो जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) बिक्री कर की बकाया राशि 31-3-73 को 8.18 करोड़ रुपये थी जबकि 31-3-72 को 6.03 करोड़ रुपये थी।

(ख) विक्री कर मांग की बकाया राशि में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं :—

(I) बहुत से मामलों में न्यायालय द्वारा रोधनादेश की स्वीकृति दी गई है।

(II) कुछ व्यापारियों का पता नहीं लग सका/कुछ अदा करने में असमर्थ हैं।

(III) कुछ व्यापारी दिवालिये हो गये हैं।

(IV) निपटान के लिये लम्बित आवेदनपत्रों के संशोधन/पुनरीक्षण के कारण भुगतान नहीं किया गया है।

(V) अपील सुनने वाली /पुनरीक्षण प्राधिकरणों द्वारा बरामदगियां रोक दी गई है।

(VI) वर्ष 1972-73 में उत्पन्न कुल मांग अधिक थी तथा 446.00 लाख रुपये हो गई थी जबकि पिछले वर्ष मांग 343.40 लाख रुपये थी।

Proposals for investment received from U.S. Companies

9491. **Shri Phool Chand Verma:** Will the **Minister of Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether American companies are very anxious to invest capital in India; and

(b) if so, the reaction of the Government of India thereto ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam: (a) and (b) During the first quarter of 1974 (January to March) Government have approved 8 foreign collaboration proposals involving U.S. capital participation to the extent of Rs. 64,56,500/-. These were in priority sectors including export-oriented schemes.

Three foreign collaboration proposals involving U.S. capital participation are at present under consideration of the Government. These proposals including those which might be received in future will be decided on merits in accordance with the existing policy and guidelines.

पाइप लाइनों के माध्यम से कोयला, अयस्क, चूना पत्थर भेजे जाने की योजना

9492. **श्री आर० एन० बर्मन:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति ने पाइप लाइनों के माध्यम से कोयला, अयस्क, चूना पत्थर भेजने की एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यरूप दियें जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के परिवहन संबंधी दल ने अच्छे अयस्क, कोयलें तथा चूना पत्थर आदि के परिवहन के साधन के रूप में पिच्छिल पाइप लाइन के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के अनुरोध पर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने एक निर्दिष्ट खदान से निर्दिष्ट तापीय बिजली घर तक उसकी सम्पूर्ण कोयलें की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पिच्छिल पाइप लाइनों द्वारा कोयले के (अयस्क अथवा चूना पत्थर आदि नहीं) परिवहन पर एक प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक रिपोर्ट तैयार करने का प्रस्ताव किया है। इस बीच, निधि की व्यवस्था, प्रयोग करने वाले मंत्रालयों के समावेश आदि जसे कुछ मामलों को अभी तक करना बाकी है।

दक्षिण दिल्ली में महिला महाविद्यालयों के निकट गुंडें का खतरा

9493. **श्री आर० एन० बर्मन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में महिला महाविद्यालयों के निकट गुंडों का खतरा बढ़ता जा रहा है;

(ख) क्या यह गुंडे रूट नं० 43–ए में छात्राओं को परेशान करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध म सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) ऐसी कोई घटना दिल्ली पुलिस को सूचित नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

'डार्क फाइन्डिग्स आन इररोडियेटिड फूड' शोर्षक से समाचार

9494. **श्री पी० गंगादेव:**

श्री अनादि चरण दास:

क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान 5 अप्रैल, 1974 के एक स्थानीय दैनिक में 'डार्क फाइन्डिग्स आन इररेडियटिड फूड' शोर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या किरणीयित (इररेडियेटिड) गेहूं खाने के प्रभावों के संबंध में कोई परीक्षण किये गये हैं और यदि हां, तो उसके क्या-क्या परिणाम निकले?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)

(क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में पशुओं पर किए गए परीक्षणों से तथा विश्व के अनेक देशों में मनुष्यों और पशुओं पर किये गए परीक्षणों से किसी ऐसे हानिप्रद प्रभाव का पता नहीं लगा जैसा कि प्रैस रिपोर्ट में बताया गया है। तथापि, खाद्य पदार्थों के परिक्षण के लिए किरणीयन की प्रविधि की उपयोगिता का पता लगाने के लिए परीक्षण अभी नहीं किए गए हैं। किरणीयित भोज्य पदार्थ के महत्व को ध्यान में रखते हुए, इस विषय पर स्वास्थ्य मंत्रालय से परामर्श करके अध्ययन किया जा रहा है।

दादरा और नगर हवेली में आदिवासियों का पुनरुत्थान

9495. **श्री आर० आर० पटेल**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974-75 में आदिवासियों के पुनरुत्थान के लिये दादरा और नगर हवेली में नये कल्याण केन्द्र स्थापित करने हेतु कुल कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने केन्द्र खोले जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) दादरा व नागर हवेली के बारे में 1974-75 वर्ष के लिए वार्षिक योजना में आदिवासियों के कल्याण केन्द्रों के लिए कोई योजना शामिल नहीं है। किन्तु नयी बालवाड़ियां खोलने और शारीरिक रूप से अपगों के कल्याण की योजना के लिये 0.35 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देना

9496. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या और नाम क्या हैं जिनको विभिन्न विषयों में विदेशों में उच्चतर अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्तियां देने के लिये चुना गया है ;

(ख) उक्त संख्या का, राज्यवार, ब्यौरा क्या है ; और

(ग) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिये कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) अनुसूचित जातियों के 241 तथा अनुसूचित जनजातियों के 65 छात्रों ने 1973-74 के वित्तीय वर्ष में विदेशी छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन किया था । चयन को जल्दी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

पांचवीं योजना में गुजरात राज्य में आदिवासियों के उत्थान के लिये निर्धारित की गई धनराशि

9497. **श्री बेकारिया :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य के आदिवासियों के उत्थान के लिये कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : गुजरात राज्य में आदिवासियों के उत्थान के लिये पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये अभी तक परिव्यय को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

न्यू फ्रैन्ड्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, नई दिल्ली

9498. **श्री डी० के० पंडा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू फ्रैंड्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, नई दिल्ली की मैनेजिंग कमेटी की 25 जनवरी, 1974 को बैठक हुई थी ;

(ख) क्या उपरोक्त बैठक में कुछ संकल्प पारित किये गये थे ; और

(ग) क्या उनको दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजा गया था ; और क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने उप राज्यपाल को दिल्ली विकास प्राधिकरण के चेयरमैन की हैसियत से 60 नये सदस्य बनाने के लिए अनुमति प्रदान हेतु लिखा था । उप राज्यपाल ने अनुमति प्रदान कर दी ।

कलाकारों को पुरस्कार

9499. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलाकारों, नाटककारों, लेखकों, कवियों, संगीतज्ञों, नर्तकों, स्कालरों तथा अन्य ख्यातिप्राप्त लोगों को पुरस्कार देती है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में पुरस्कार विजेताओं के नाम क्या हैं ;

(ग) इनके चयन का मुख्य मानदण्ड क्या है ;

(घ) क्या कई लोगों ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) हां, श्रीमान् । संभवतया सदस्य महोदय का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर किये जाने वाले पदम पुरस्कारों से हैं ।

(ख) : सभी प्राप्तकर्ताओं के नाम क्रमशः 26 जनवरी, 1973 तथा 1974 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे ।
अधिसूचनाओं की प्रतिलिपियां संलग्न हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए। संख्या एल० टी० 6948/74]

(ग) : पुरस्कार अलग अलग व्यक्तियों को अपने कार्य के क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिये दिये जाते हैं ।

(घ) तथा (ङ) : पदम श्री के दो प्राप्तकर्ताओं ने निजी कारणों से पुरस्कार लेने से मना किया है । वे ये हैं :—

(1) श्री कालीचरण पटनायक (1974)

(2) श्री तारापद चक्रवर्ती (1974)

Drinking Water Programme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

9500. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the authorities responsible for implementing the drinking water programme for Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) the expenditure incurred on this account by each State during the years 1972, 1973 and 1974 respectively as also the number of wells constructed for these Castes separately by each State during this period ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) :(a) & (b) : The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Grants to States for Scholarships to S.C. and S.T. Students

9501. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have stopped giving grants to the States for Scholarships to the students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No Sir. Grants-in-aid amounting to Rs. 891.08 lakhs have been sanctioned for 1973-74 to the States/Union Territories for Post-matric Scholarships to Scheduled Caste and Schedule Tribe students.

(b) The question does not arise.

पिछड़ी जातियों के लिये रिहायशी बस्तियां

9502. **श्री गजाधर माझी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछड़ी जातियों के लिए रिहायशी बस्तियां बनाने हेतु वित्तीय सहायता देती है ; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971-72 और 1972-73 में उड़ीसा राज्य के गरीब आदिवासियों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि मंजूर की है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) यद्यपि रिहायशी बस्तियां बनाने के लिए सहायता प्रदान करने की कोई विशिष्ठ योजना नहीं थी तथापि पिछड़े वर्ग क्षेत्र के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को मकान बनाने के लिए राज्य सहायता देने की एक योजना चौथी योजना में शामिल की गई थी ।

(ख) चतुर्थ योजना की अवधि में पिछड़े वर्ग राज्य क्षेत्र के अधीन योजनाओं के लिए राज्यों को प्रति वर्ष खंड अनुदान तथा खंड ऋण के रूप में केन्द्रीय सहायता दी गई थी । उड़ीसा सरकार ने अनुसूचित जन जातियों को मकान बनाने के लिए 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान राज्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित धन राशि व्यय की :—

	रु० लाखों में
1971-72	0.53
1972-73	0.20 (पूर्वानुमानित)

राज्यों में वर्ष 1973-74 के दौरान राष्ट्रपति का शासन

9503. **श्री विभूति मिश्र :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान कतिपय राज्यों में राष्ट्रपति का शासन स्थापित करना पड़ा था ;

(ख) क्या उन मामलों में बहुमत वाले दल सरकार चलाने में असमर्थ थे ;

(ग) क्या संविधान के वर्तमान उपबन्ध जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे हैं ; और

(घ) ऐसी सांवैधानिक असफलताओं को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) : इस संबंध में सूचना 1973-74 वर्ष की इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है, जो संसद सदस्यों को परिचालित की जा चुकी है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने सम्बन्धी राज्यों के विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति

9504. **श्री शशि भूषण:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसी राज्य विधान मंडल ने मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने संबंधी विधेयक पास किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इसके सबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति दे दी गई है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के कब से विचाराधीन हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) जी हां, श्रीमान् । पश्चिम बंगाल विधान मंडल ने ऐसा एक विधेयक पास किया है ।

(ख) खाद्य, औषधियों और शृंगार की वस्तुओं में मिलावट की रोक (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि :—

(1) खाद्य, औषधि अथवा शृंगार की वस्तुओं में मिलावट के लिए आजीवन करावास की सजा होगी, जब तक कि न्यायालय पर्याप्त तथा विशेष कारणों से सजा कम नहीं करता ।

(2) जब किसी व्यक्ति से खाद्य अथवा औषधि की कोई वस्तु इस पर्याप्त विश्वास में पकड़ी जाती है कि इसमें मिलावट की गई है, तो सिद्ध करने का यह उत्तरदायित्व कि इसमें मिलावट नहीं है, उस व्यक्ति का होगा ।

(3) ऐसे अपराध प्रज्ञेय होंगे और जमानत नहीं होगी ।

(ग) राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को 21-4-1974 को अनुमति प्रदान की गई थी ।

Change in Capital structure of Nepa Mills

9505. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to effect changes in the Capital structure of Nepa Paper Mill at Madhya Pradesh; and

(b) if so, the reasons for effecting the proposed changes ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) Yes, Sir. The proposal is in keeping with the recommendations contained in the 27th Report of the Committee on Public Undertakings 1972-73.

(b) The contemplated reorganisation of capital structure will reduce the Company's burden on payment of higher interest charges which has a bearing on the cost of the newsprint.

उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में हथियारों तथा गोला बारूद का पकड़ा जाना

9506. **श्री निहार लास्कर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश पंजाब और बिहार जैसे विभिन्न राज्यों में हाल ही में बरामद हुए हथियारों तथा गोला बारूद से यह सिद्ध होता है कि उक्त हथियार और गोलाबारूद विदेशों द्वारा सप्लाई किए जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ मामलों में सैनिक विशेषज्ञों ने ऐसा पाया है ;

(ग) क्या हथियारों की चोरी हथियार और गोलाबारूद का उत्पादन करने वाले कारखानों से भी की जाती है ; और

(घ) क्या मंत्रालय ने इन कारखानों में कड़ी निगरानी रखने के निदेश दिए हैं ; और यदि हां तो किस सीमा तक ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) उपरोक्त विषय पर राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

उत्पादन एककों को कोयले का प्रयोग आरम्भ करने के लिये कहना

9507. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने उत्पादन एककों को कोयले का प्रयोग आरंभ करने के लिए कहा गया है और देश में तेल इंधन की कमी के कारण उन्हें निरन्तर सप्लाई का आश्वासन दिया गया है ; और

(ख) क्या इस संबंध में उद्योगों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहवर्धक नहीं रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) कोयले की सम्भरण स्थिति खास करके भारत के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में जो भारत के कुल फरनैस आयल की खपत के करीब 60-70% के बराबर है, 1974 की पहली तिमाही में आशा से बहुत कम रही है । अतः फरनेस आयल का उपयोग करने वाले किसी भी उत्पादक एकक को देश में इंधन तेल की कमी को देखते हुए कोयले का उपयोग करने अथवा कोयले की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये नहीं कहा गया है ।

दादरा और नगर हवेली में टायरों और ट्यूबों के वितरण के लिये एजेन्सी

9508. **श्री आर० आर० पटेल :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नगर हवेली में किस एजेंसी के माध्यम से टायर और ट्यूब बांटे जा रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार टायरों और ट्यूबों को उचित वितरण के लिए सहकारी क्षेत्र को एजेंसियां अलाट करने का है ;

(ग) क्या इस संबंध में दादरा और नगर हवेली के लिए कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ख) टायरों और ट्यूबों का वितरण मूल रूप से उद्योग द्वारा उपलब्ध होने पर गाड़ियों की संख्या के आधार पर और संस्थापित वितरण मार्गों के द्वारा किया जाता है । उद्योग ने केन्द्र सरकार के परामर्श से एक वितरण योजना तैयार की है जिसमें विभिन्न स्तरों पर वितरकों और विक्रेताओं के कार्यकलाप के एक मिलजुलकर संचालन की व्यवस्था है । योजना में सरकार के तत्वाधान में सभी प्रकार की प्राथमिकताओं और सम्भरण सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समन्वय कारी समिति तथा टायरों और ट्यूबों के वितरण का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय राज्य स्तर पर समितियों की व्यवस्था भी की गई है।

दादरा और नगर हवेली के लिये निर्धारित ट्रकों और बसों के टायरों तथा ट्यूबों का कोटा

9509. **श्री आर० आर० पटेल:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दादरा और नागर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र के लिए ट्रकों और बसों के टायरों और ट्यूबों का वार्षिक कोटा कितना निर्धारित किया गया है ; और

(ख) गत दो वर्षों में कुल कितने टायर और ट्यूब स्प्लाई किए गए ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) उपलब्धता के अनुसार मूलतः ट्रक/बस टायरों और ट्यूबों का वितरण उद्योग द्वारा गाड़ी, आबादी और सुस्थापित वितरण माध्यमों के आधार पर किया जाता है ।

(ख) टायर उत्पादकों द्वारा विभिन्न राज्यों को सम्भरित बस/ट्रक टायरों और ट्यूबों की संख्या संबंधी आंकड़े सरकार द्वारा एकत्रित नहीं किए गये हैं ।

परमाणु बम का निर्माण

9510. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अप्रैल, 1974 के एक स्थानीय दैनिक में "एटम बम इज़ इजी टु मेक" (परमाणु बम बनाना सरल है) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी, हां ।

(ख) जहां तक अमरीका में विद्यमान परिस्थितियों का सवाल है, वहां के वैज्ञानिक, परिस्थिति-विज्ञानविद् तथा अन्य लोग ऐसी संभावनाओं के बारे में अधिकाधिक कहते रहते हैं तथा वहां के प्राधिकारी एवं जनता इस बारे में और अधिक सचेत होते जा रहे हैं कि न्यूक्लीय सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए तथा उसे सुरक्षित रखने के तरीकों में लगातार सुधार किया जाना चाहिए। यह उत्तरदायित्व मूलतः संबंधित देश का होता है कि वह अपने यहां ऐसी सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करे ।

जहां तक भारत का प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के विभिन्न संस्थानों में विशिष्ट प्रकार की न्यूकलीय सामग्री को सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था है । तथापि, सुरक्षा व्यवस्था को पर्याप्त बनाए रखने के प्रश्न पर पुनरीक्षण परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा लगातार किया जाता रहता है ।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार न करना

9511. **श्री राम भगत पासवान :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा दिये गये वर्ष 1972-73 और 1973-74 के राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमानों का उल्लेख नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) दिए गए अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा नहीं तैयार किए गए थे ।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा वर्ष 1972-73 के लिए तैयार किए गए राष्ट्रीय आय के अनुमानों की जांच की जा रही है । 'इकानामिक सर्वे' में वर्ष 1973-74 के लिए दिए गए अनुमान पर्वानुमान के रूप थे । केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ऐसे पूर्वानुमान तैयार नहीं करता ।

Suicide Committed by a Couple in Janpath Hotel, New Delhi

9512. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a couple had committed suicide in Janpath Hotel in New Delhi on the 1st April, 1974; and

(b) the facts of the incident and the outcome of the investigations made so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) Yes Sir. A report about the incident was received at the Police Station Parliament Street on 1-4-74.

(b) A report was received at Police Station Parliament Street on 1-4-74 from Hotel Janpath that 2 persons staying in the hotel had been found dead in their beds. On inquiry, the police found that the couple had checked in at the hotel on 28-3-74 and had given their names and address as Dr. and Mrs. V. Srinivasan of 81, Mahatma Gandhi Road, Bombay. Five syringes used for injecting morphine were found in the room. There were 115 empty/broken phials of morphine scattered on the floor. The manufacturers batch numbers had been scraped off from the phials as well as the card-board containers. A note left by the couple was found in a wallet containing Rs. 960/-, which stated that all their possessions would belong to Hotel Janpath. There was one suitcase containing approximately 2 sets of clothing of each person and also another sum of Rs. 475 /-.

After inquest proceedings the bodies were sent for postmortem. Efforts were made to contact the relatives of the deceased at the address in Bombay but this address was found to be fictitous. Efforts to establish their identity were utlimately successful and the deceased couple were found to be Dr. V. Govind Rajan a post graduate student of General Hosptial Madras and his wife Smt. Krishnaveni.

The Madras Police have been requested to make further investigation and to ascertain the possible motive for the suicide.

विदेशी कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उलंघन

9513. **श्री बेकारिया:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 में विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के लिये किस-किस तथा कितनी विदेशी फर्मों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गये ; और

(ख) उन फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1972-73 तथा 1973-74 के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन, भारत से बाहर निगमित किसी भी कंपनी के विरुद्ध न्यायालय में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Ban on open sale of Cement in Delhi

9514. **Shri Chandulal Chankrakar :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the open sale of cement has been banned in Delhi; and

(b) whether imposing such bans and then lifting them do not give rise to blackmarketing ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) : To ensure equitable distribution of available supplies of cement, Delhi Administration had introduced permit system w.e.f. 16th November, 1972, under which 90% of stocks of cement were sold by the stockists against permits issued by the Delhi Administration and remaining 10% was sold without permits to small consumers on first come first served basis. The Delhi Administration has now withdrawn w.e.f. 9-4-1974 the provision regarding sale of 10% of stocks without permits so that now the entire quantity of cement distributed to the public is against permits issued and at the rates fixed by the Administration.

'मराठा' के नई दिल्ली स्थित संवाददाता द्वारा की गई शिकायतों के बारे में जांच

9515. **श्री लुतफल हक:** क्या गृह मंत्री 'मराठा' के नई दिल्ली स्थित संवाददाता के प्रेस कार्ड के नवीकरण के बारे में 3 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5658 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'मराठा' के नई दिल्ली स्थिति संवाददाता द्वारा 2 अप्रैल, 1974 के पत्र में उल्लेख की गई शिकायतों के बारे में सक्षम जांच अधिकारियों द्वारा नये सिरे से जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) मराठा के नई दिल्ली के संवाददाता श्री चौधरी के 2 अप्रैल, 1974 के पत्र में उल्लिखित शिकायत पर विचार किया गया था और उसे सही नहीं पाया गया। किन्तु श्री चौधरी का केन्द्रीय प्रेस प्रत्यापन समिति जिसने उसके आचरण के बारे में श्री चौधरी के आवेदन पत्र तथा मराठा, बम्बई के मुख्य संपादक द्वारा किए गये अनुरोध को ध्यान में रखते हुए सिफारिश करने पर 20 अप्रैल, 1974 को पुनः प्रत्यापन किया गया था।

प्राकृतिक गैस तथा मोनेजाइट से हीलियम निकालना

9516 **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र में अब प्राकृतिक गैस तथा मोनेजाइट से हीलियम निकाले जाने की व्यवहार्यता के बारे में कार्य किया जा रहा है तथा केरल के अलावा ये नामक स्थान पर इण्डियन रेयर अर्थस प्लांट में इस वर्ष के सितम्बर महीने में प्रयोगात्मक कार्य आरम्भ हो जायेगा;

(ख) क्या अलवाये संयंत्र में प्रति वर्ष 30 लाख लीटर (लगभग 3,000 क्यूबिक मीटर) शुद्ध हीलियम गैस का उत्पादन होगा;

(ग) क्या केरल में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध मोनेजाइट से प्राकृतिक गैस की तुलना में अधिक शुद्ध हीलियम प्राप्त होता है;

(घ) क्या भारत को प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख लीटर (5,000 क्यूबिक मीटर) हीलियम की आवश्यकता है; और

(ङ) क्या हीलियम के निर्यात की सम्भावनायें बहुत अधिक हैं और यदि हां, तो सरकार को इससे लगभग कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जहां तक प्राकृतिक गैस से हीलियम निकालने का सम्बन्ध है, भारत में अब तक प्राकृतिक गैस का ऐसा कोई स्त्रोत नहीं मिला है, जिससे हीलियम निकाली जा सकती है। तथापि, इण्डियन रेयर अर्थस के आल्वे संयंत्र में मोनाजाइट से हीलियम निकाले जाने की संभावना का अध्ययन करने के लिये एक प्रायोगिक प्रणाली का डिजाईन तैयार किया जा रहा है तथा ऐसी आशा है कि यह प्रणाली इस वर्ष के सितम्बर मास तक परीक्षण के तौर पर काम में लाई जा सकेगी।

(ख) यह प्रस्ताव है कि उपरोक्त संभावना का अध्ययन जैसे ही पूरा हो वैसे ही आल्वे संयंत्र के मोनाजाइट संसाधन अनुभाग में आवश्यक सुधार कर दिये जायें। यदि अनुमान के अनुसार गैस प्राप्त की जा सके तो सम्भवतः प्रति वर्ष लगभग 3,000 क्यूबिक मीटर हीलियम गैस प्राप्त होने लगेगी।

(ग) मोनाजाइट के संसाधन से प्राप्त हीलियम गैस प्राकृतिक गैस से प्राप्त हीलियम की तुलना में सम्भवतः अधिक सांद्रित होगी। इस कारण, मोनाजाइट से प्राप्त होने वाली गैस को शुद्ध करने की आवश्यकता कम पड़ेगी।

(घ) प्रतिवर्ष 5,000 से 10,000 क्यूबिक मीटर हीलियम गैस की आवश्यकता पड़ती है । ऐसी संभावना है कि अगले लगभग सात वर्षों में यह मांग पांच गुनी तक हो जायेगी।

(ङ) भारत में हीलियम का कोई प्रमुख स्त्रोत न होने के कारण, फिलहाल इसके निर्यात का प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आत्म-समर्पण करने वाले डाकुओं को सुविधायें देना

9517. **श्री रणबहादुर सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुनगाई स्थित राज्य की प्रथम खुली जेल में रखे गये आत्म समर्पण करने वाले 78 डाकुओं पर मध्य प्रदेश सरकार 1500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से खर्च कर रही है;

(ख) यदि हां, तो डाकुओं को क्या-क्या सुविधायें दी गई हैं; और

(ग) इन डाकुओं पर राज्य सरकार ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और जैसे ही प्राप्त होगी सभा पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली में वयोवृद्ध दुर्बल राजनैतिक पीड़ित आश्रम

9518. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 अक्तूबर, 1972 को सांयकाल आकाशवाणी ने यह प्रसारित किया था कि प्रधान मंत्री ने उसी दिन प्रातः गृह मंत्रालय से सम्बन्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में यह घोषणा की है कि सरकार ने निर्णय किया है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय शीघ्र ही दिल्ली में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिये एक आश्रम स्थापित करेगा जिसमें वयोवृद्ध और दुर्बल राजनीतिक पीड़ितों को सरकारी खर्च पर रखा जायेगा;

(ख) क्या वही सूचना देश भर में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचारपत्रों में अगले दिन प्रातः प्रकाशित हुई थी;

(ग) क्या यह सूचना बैठक के समाप्त होने पर सम्वाददाताओं को, प्रैस सूचना ब्यूरो के उप-सूचना अधिकारी ने दी थी; और

(घ) क्या इस बीच इस समाचार का खंडन किया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार बुलेटिन के पाठ केवल एक वर्ष के लिये रखे जाते हैं। अतएव 13 अक्तूबर, 1972 को प्रसारित बुलेटिन का विषय उपलब्ध नहीं है।

(ख) कुछ दैनिकों ने मामले पर 14 अक्तूबर, 1972 को खबरें प्रकाशित की थीं।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

कोलाबा और रत्नागिरि जिलों के नगरों का बम्बई के साथ टैलीफोन सम्पर्क

4519. **श्री शंकर राव सावन्त:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1974-75 में महाराष्ट्र के कोलाबा और रत्नगिरी जिलों के कौन कौन से नगरों का बम्बई के साथ सीधा टेलीफोन सम्पर्क स्थापित कर दिया जायेगा: और

(ख) वर्ष 1974-75 में इन दो जिलों के किन गांवों में टेलीफोन सुविधा दी जायगी?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) कोलाबा जिले के पनवेल, अलबाग, खोपोली, पहाड़, पेन और उरान तथा रत्नगिरी जिले के रत्नगिरि, चिपलून और सावन्तवाड़ी स्थानों का बम्बई के साथ सीधा ट्रंक सम्बन्ध है। आशा है कि कोलाबा जिले के राहा स्थान का शीघ्र ही बम्बई के साथ सीधा ट्रंक सम्बन्ध हो जायेगा। इन जिलों के दूसरे स्थानों से बम्बई के ट्रंक ट्रेफिक को इस समय रत्नगिरि या पनवेल के मार्ग से भेजा जाता है।

(ख) रत्नगिरि और कोलाबा जिलों के जिन गांवों में वर्ष 1974-75 के दौरान टेलीफोन सुविधा देने का प्रस्ताव है, उनके नाम नीचे दिये गये हैं:—

रत्नगिरि जिला : अजगांव, हाटखंभा, लवेल, सांगवे, शिरगांव, ताले बाजार और रुलास।

कोलाबा जिला : इस समय कोई नहीं।

बिहार के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देना

9520. **श्री एम० एस० पुरती:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में, जिलेवार कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को पैंशन दी गई हैं; और

(ख) सरकार के पास अभी तक कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं:

विवरण

क्रमांक	जिलों के नाम	स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या जिनको पेंशन प्रदान की गई	अपूर्ण आवेदन पत्र जो निपटाये जाने हैं
1	2	3	4
1.	शाहबाद	845	1143
2.	मुजफ्फरपुर	901	690
3.	धनबाद	69	26
4.	पुर्निया	340	128

1	2	3	4
5.	पटना	2002	996
6.	दरभंगा	1642	552
7.	पालमऊ	213	25
8.	गया	650	648
9.	सारन	720	759
10.	मुंगेर	1136	382
11.	चम्पारन	734	355
12.	सहरसा	292	221
13.	हजारीबाग	150	176
14.	भागलपुर	1021	1057
15.	संथाल परगना	340	440
16.	रांची	123	151
17.	सिंहभूम	38	116
18.	सिवान	3	43
19.	जमशेदपुर	1	—
20.	रोहतास	1	—
21.	शाहजाहनपुर	1	—
22.	औरंगाबाद	—	1
23.	मोतिहारी	—	1
	जोड़	11222	7912

Expansion of Big Industrial Units

9521. **Dr. Laxminarayan Pandeya :**
Shri Priya Ranjan Das Munshi :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 706 on the 17th April, 1974 regarding issue of licences/letters of intent to Big Business Houses and state the locations and names of the Big Industrial Units which allowed to expand their capacity during 1973-74 ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : In the year 1973, 37 Industrial Licences and 37 Letters of Intent were issued to undertakings registered under M.R.T.P. Act, 1969 for effecting substantial expansion. The statements showing the location and names of these industrial units are enclosed. [Placed in the **Library** See No. L.T.—6949/74]

Salary and Allowance of a Postman of E.D. Branch Post Office

9522. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minisfer of **Communications** be pleased to state the salary, cycle allowance and service conditions of the Postman of Extra Departmental Branch Post Office ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : The extra-Departmental Delivery Agents who perform the duties of a Postman in a Branch Post Office are paid Consolidated remuneration between a minimum of Rs. 60.50 p.m. and maximum of Rs. 85/- p.m. depending upon the workload. In addition the Extra-Departmental Delivery Agents are granted a Cycle allowance of Rs. 6/- p.m. subject to fulfilment of certain conditions.

Like other E.D. Agents they are not entitled to pension or death-cum-retirement gratuity, or leave with allowances. They are, however, entitled to *ex-gratia* gratuity after 15 years' continuous service. Penalties of recovery for loss, removal and dismissal can be imposed on them after following prescribed procedures. The services of those who have rendered not more than three years' continuous service can be terminated without notice for unsatisfactory work or on any administrative ground unconnected with their conduct. Subject to certain conditions, they are eligible for absorption in regular posts for which they are given concession in maximum age limit prescribed for direct recruits. They can be retained in the E.D. Agents capacity upto the age of 65 years.

Duties performed by the Extra Departmental Chowkidars

9523. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether E.D.Chowkidars are required to perform duty for 12 hours or more; and

(b) the pay ordinarily drawn by them and main points of conditions of their service ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) No Sir.

(b) The E.D. chowkidars are paid a consolidated remuneration between a minimum of Rs. 60.50 p.m. and maximum of Rs. 85/- p.m. depending upon the quantum of work. They are employed on part time basis and are governed by P & T E.D.A. (Conduct & Service) Rules 1964.

Salary paid to a Branch Post Master, Postman, Messenger, Guard and Peon

†9524. **Dr. Laximarayan Pandeya** ; Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the salaries paid to the Branch Post Master, Branch Postman, Messenger, Guard and Peon at present;

(b) whether there are some rules in regard to making them permanent; and

(c) whether they are given the benefit of Dearness Allowance ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) The Extra Departmental Branch Postmasters are paid a Consolidated remuneration between a minimum of Rs. 65.50 p.m. and maximum of Rs. 90/- p.m. The Extra Departmental Delivery Agents who perform the duties of Postman and the Extra-Departmental Messengers are paid respectively a consolidated remuneration between a minimum of Rs. 60.50 p.m. and maximum of Rs. 85/- p.m. There is no category of Guards in the Extra-Departmental system but Extra Departmental Chowkidars are being paid between Rs. 60.50 p.m. and Rs. 85/- p.m. The Extra Departmental Packers who also perform the duties normally performed by the Peon are paid a Consolidated remuneration between a minimum of Rs. 60.50 p.m. and maximum of Rs. 85/- p.m.

(b) & (c) : No, Sir.

पिछड़े क्षेत्रों का निर्धारण करने की कसौटी

9525. **श्री कार्तिक उरांव:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण की कसौटी पर पुनः विचार करेगी ताकि पिछड़ेपन का मामला लोगों की प्रतिव्यक्ति आय के आधार पर निर्धारित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) प्रति व्यक्ति आय के आधार पर पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के प्रश्न पर समय समय पर विचार किया जाता है। विकास स्तर की दृष्टि से क्षेत्रों को वर्गीकृत करने के लिये यह तुलनात्मक रूप से अधिक विश्वसनीय माना गया है। इसीलिये, चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्यों के मध्य केन्द्रीय सहायता वितरित करने के लिये इसे एक मानदण्ड माना गया है। किन्तु वर्तमान स्थिति में इसको राज्यों के पिछड़ेपन के सूचक के रूप में प्रयोग करना संभव नहीं है क्योंकि फिलहाल निम्न स्तरीय इकाइयों, जैसे कि अचल और जिला से संबंधित प्रति आय के तुलनात्मक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। योजना आयोग ने राज्यों के विचारार्थ 15 सूचकों का सुझाव दिया है। ये सूचक लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 9704, दिनांक 9-5-1973 के उत्तर में सभा पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार

9526. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अभी हाल में राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में पांच कांस्टेबलों द्वारा एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार करने के एक मामले की सरकार को जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिक विकास पर किया गया व्यय

9527. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश के औद्योगिक विकास के लिये कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) औद्योगिक विकास के पूंजी परिव्यय से कितनी शुद्ध आय हुई;

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) (क) विभागीय परियोजनाओं के अलावा केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में इक्विटी पूंजी और दीर्घ अवधि के ऋणों में 1972-73 के अन्त तक कुल पूंजी विनियोजन 5571 करोड़ रुपये था जिसमें से (इक्विटी पूंजी की राशि 3065 करोड़ रुपये और दीर्घ अवधि के ऋणों की राशि 2506 करोड़ रुपये है)।

(ख) मूल्य ह्रास के लिये व्यवस्था करने के पश्चात् परन्तु ब्याज और करों का भुगतान करने से पूर्व वर्ष 1972-73 का लाभ 243 करोड़ रुपये था जिससे लगी हुई पुंजी पर 5.1 प्रतिशत का सम्पूर्ण लाभ हुआ। ब्याज का भुगतान करने और करों की व्यवस्था करने के पश्चात् 19.85 करोड़ रुपये शुद्ध लाभ हुआ जो उत्पादन में लगी प्रभावी पूंजी का 0.4 प्रतिशत है।

पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण

9528. **श्री कार्तिक उरांव**: क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के सीध नियंत्रण के अधीन देश के पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) प्रधान मंत्री के सीधे नियंत्रण में देश के पहाड़ी, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिये क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण स्थापित करने का सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'बैक-लैश बिल क्रिएट अबन्डेंट एनर्जी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9529. **श्री डी०डी० देसाई:**
श्री एन० शिवप्पा:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान एक जर्मन प्रोफेसर डा० गरहर्ड स्विट-लिंक के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो 11 अप्रैल, 1974 के दिल्ली के एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में "बैंक-लैश बिल क्रिएट अबन्डेंट एनर्जी" शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और जिसमें यह कहा गया है कि वर्तमान स्थिति के बारे में 'ओवर रिएक्शन' से अत्यधिक ऊर्जा पैदा होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार के विचार क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, हां।

(ख) भारत में ऊर्जा नियोजन का कार्य पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बद्ध है। पांचवीं योजना में ऊर्जा उत्पादन कार्य का पुनर्निर्माण किया जा रहा है तथा इसे देसी ईंधन संसाधनों के विकास पर आधारित किया जा रहा है। अभी ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि निकट भविष्य में अत्यधिक ऊर्जा या अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो सकेगी, किन्तु देसी संसाधनों पर आधारित ऊर्जा कार्यक्रम में देश की जरूरतों के अनुरूप संशोधन किया जा सकता है।

मिजोरम के मुख्य मंत्री द्वारा विद्रोही मिजो लोगों की गतिविधियों के बारे में वक्तव्य

9530. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री तरुण गागोई :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम के मुख्य मंत्री ने 9 अप्रैल, 1974 को केन्द्रीय नेताओं को बताया था कि छिपे मिजो लोगों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस देखा गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) मिजोरम के मुख्य मंत्री ने अप्रैल, 1974 के दूसरे हफ्ते में केन्द्रीय गृह मंत्री के साथ अपनी भेंट में मिजोरम के उप राज्यपाल पर 10 मार्च 1974 को घात लगाकर आक्रमण करने के सन्दर्भ में मिजोरम की स्थिति से उन्हें अवगत कराया था।

(ख) बंगला देश बनने के पूर्व छिपे मिजो लोगों ने पाकिस्तान तथा चीन से बड़ी मात्रा में हथियार गोलाबारूद एकत्रित किया था। किन्तु हाल में उनको अपने हथियारों में पर्याप्त वृद्धि करने की कोई सूचना नहीं है।

(ग) सम्पूर्ण संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम को 1 मार्च, 1974 से 6 महीने की अवधि के लिये 'अशान्त क्षेत्र' घोषित किया गया है। मिजोरम प्रशासन ने प्रशासनिक केन्द्रों को सुदृढ़ कर दिया है और अतिरिक्त पुलिस चौकियों का प्रबन्ध किया गया है। छिपे मिजो लोगों की गैर कानूनी गतिविधियों के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय तथा लगातार सतर्कता रखी जा रही है।

एक्सप्रैस डिलीवरी सेवा का समाप्त किया जाना तथा पत्रों की 'रिकार्डिंग डिलीवरी सेवा'

9531. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री डी० बी० चन्द्र गौडा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'एक्सप्रैस' डिलीवरी' सेवा को समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार पत्रों की "रिकार्डिड" डिलीवरी की नई प्रणाली लागू करने का हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रणाली और पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) डिलीवरी के बीच क्या अन्तर है?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (घ) यह मसला अभी सरकार के विचाराधीन है।

13 अप्रैल, 1974 को कानपुर में बमों का बरामद होना

9532. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्:**
श्री प्रसन्न भाई मेहता:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 13 अप्रैल, 1974 को उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 382 अतिरिक्त बम बरामद हुये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या एक ही महीने के दौरान बरामद किया गया गोला बारूद का यह दूसरा सब से बड़ा भण्डार था;

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले की जांच करने के लिये कहा गया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह अप्रैल, 1974 के महीने में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भण्डार था।

(ग) तथा (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पड़ताल अपने हाथ में ले ली है, जो चल रही है।

तमिलनाडु में फ्रिज का निर्माण

9533. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन्:**
श्री अमर सिंह चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'फ्रिज फार रुपीज 100/– हैज बीन डिवैलप्ड बाई ऐन इंजीनियर इन तमिलनाडु' शीर्षक से 9 अप्रैल, 1974 को दिल्ली के एक समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस समाचार की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त कीमत को ध्यान में रखते हुये देश में ऐसे फ्रिजों के अधिक उत्पादन के लिये उक्त इंजीनियर को प्रोत्साहन देने का सरकार का विचार है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) प्रैस रिपोर्ट में उपलब्ध विवरण से ऐसा विदित होता है कि पार्टी ने मिट्टी के कुछ हिस्से बनाये हैं और संचालन के पश्चात् इन हिस्सों में रखने पर चीजें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं। किन्तु थर्मोडाईनेमिक सिद्धान्त के माध्यम से यह स्पष्ट हुआ है कि वस्तु का तापमान वैट वल्व की वायु जो मिट्टी के बर्तन से होकर गुजरती है कि तापमान के बराबर होगा। इसमें तापमान को नियंत्रित रखने का कोई साधन नहीं है। अतः यह प्रणाली रेफ्रीजरेटर की भांति चीजों को परिरक्षित करने के लिये कारगर साबित नहीं होगी।

वर्ष 1974-75 के लिये धन के नियतन के बारे में मुख्य मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श

9534. **श्री एन० शिवप्पा :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष 1974-75 के लिये धन के नियतन के बारे में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक, राजस्थान और उड़ीसा के सम्बन्ध में जल की सप्लाई और कच्चे माल के लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) जी, हां। राज्यों की 1974-75 की वार्षिक योजनाओं पर 1 जनवरी, और 12 फरवरी, 1974 के मध्य संबंधित मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों के साथ विचार विमर्श हुआ था। संसाधनों की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा और अन्य सभी राज्यों के लिये सर्वोपरि योजना आकार और क्षेत्रीय वितरण का निर्धारण किया गया था। पिछले भण्डारों की उपलब्धि, इन्वेंटरियों और वार्षिक योजनाओं में शामिल स्कीमों की आवश्यकताओं का विस्तृत विश्लेषण को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकारों द्वारा कच्चे माल, जल आपूर्ति के अन्य तत्वों तथा अन्य कार्यक्रमों के लिये आबंटन किया जाता है ।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक बस्तियां

9535. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल की औद्योगिक बस्तियों के नाम क्या हैं और वे कहां स्थित हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : एक विरण संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	पश्चिम बंगाल स्थित औद्योगिक बस्तियां	
1.	बरुईपुर (यूनिट 1) (24 परगना)	(कार्य कर रही है)
2.	बरुईपुर (यूनिट 2) (24 परगना)	—वही—
3.	कल्याणी (नाडिया)	—वही—
4.	शक्तिगढ़ (बर्दवान) .	—वही—
5.	बाल्टीकूरी (हावड़ा)	—वही—
6.	सेवक रोड (जलपाईगुड़ी)	(पूरी हो गई पर काम नहीं कर रही है)
7.	मानिकटोला (कलकत्ता)	—वही—
8.	कलकत्ता .	(निर्माण कार्य चल रहा है)

श्री विपिन चन्द्र पाल का स्मारक

9536. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**
श्री शंकर नारायण सिंह देव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कभी पश्चिम बंगाल सरकार या किसी संगठन अथवा किसी व्यक्ति से श्री विपिन चन्द्र पाल का स्मारक बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और प्रस्ताव किस तारीख को किया गया तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय के स्मारकों के लिये दान देने वाले व्यक्ति

9537. **श्री ए० के० एम० इसहाक :**
श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली में श्री लोकमान्य तिलक और लाला लाजपतराय के स्मारकों के लिये दान देने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : उच्चतम न्यायालय भवन के निकट लगाई गई श्री लोकमान्य तिलक की मूर्ति का खर्च तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा वहन किया गया था। नये संसद सचिवालय भवन के निकट लगाई जाने वाली प्रस्तावित लाला लाजपतराय की मूर्ति का व्यय लोक सेवक समिति द्वारा वहन किया जाएगा।

कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण

9539. **श्री राम भगत पासवान :**
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री सरकार द्वारा अपने हाथ में ली गई कपड़ा मिलों का आधुनिकीकरण करने के बारे में 14 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 549 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को, जो बनाया जा रहा था, अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 68 मिलों के लिए आधुनिकीकरण कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। मिलों के प्राधिकृत नियंत्रक/कस्टोडियनों के परामर्श से 29 और मिलों के कार्यक्रमों पर भी कार्यवाही की जा रही है। 6 मिलें जिन्हें न्यायालय में मामलों के चलने के कारण हाथ में नहीं लिया जा सका है, के बारे में आधुनिकीकरण कार्यक्रम उनके वस्तुतः हाथ में लिए जाने पर बनाया जायेगा।

(ख) अधिकांश मिलों का 25000 तकुओं तक विस्तार करके उन्हें लाभप्रद आकार का बनाने का विचार है और जहां भी संभव होगा अतिरिक्त करघे भी लगाए जायेंगे। आधुनिकीकरण कार्यक्रम से कताई, बुनाई, प्रक्रियान्वयन तथा इंजीनियरी में सुधार होगा।

भारतीय मानक संस्थान में अनुसूचित जातियों के दैनिक मजदूरी पर नियुक्त व्यक्ति

9540. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मानक संस्थान लोगों को दैनिक मजूरी पर नियुक्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान हैल्पर, चपरासी, लोअर डिवीजन क्लर्क और कनिष्ठ स्टैनोग्राफर के रूप में कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया;

(ग) प्रत्येक वर्ष में (एक) सीधे और (दो) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कितने-कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए और प्रत्येक वर्ष में उनको कितनी राशि अदा की गई; और

(घ) अब तक कितने व्यक्तियों को नियमित कर दिया गया है तथा प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख) भारतीय मानक संस्थान लोगों को दैनिक मजदूरी पर काम देता रहा है और वर्ष 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 की अवधि में काम में लगाये गये सहायता करने वाले (हैल्परों) चपरासियों, निम्न श्रेणी लिपिकों तथा कनिष्ठ आशुलिपिकों की संख्या निम्नलिखित है :—

स्थान	काम में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या		
	1970-71	1971-72	1972-73
चपरासी/हैल्पर	5	15	4
निम्न श्रेणी लिपिक	9	9	11
कनिष्ठ आशुलिपिक . .	1	—	4
योग . .	15	24	19

(ग) सीधे और रोजगार कार्यालय के माध्यम से वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में काम में लगाये गये व्यक्तियों की संख्या और प्रत्येक वर्ष में उन्हें भुगतान की गई अनुमानित राशि निम्न प्रकार है :—

	नियुक्ति किये गये व्यक्तियों की संख्या		
	1970-71	1971-72	1972-73
(1) सीधे नियुक्त किए गये (रोजगार कार्यालयों में पंजीयित)	14	22	14
(2) रोजगार कार्यालय के माध्यम से नियुक्त	1	2	5
	1970-71	1971-72	1972-73
	रु०	रु०	रु०
(3) ऐसे कर्मचारियों को भुगतान की गई राशि	5,770.00	24,560.00	37,900.00

(घ) भारतीय मानक संस्था द्वारा अब तक नियमित किये गये व्यक्तियों की संख्या तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति में से प्रत्येक की संख्या निम्नलिखित है :—

स्थान	दैनिक मजदूरी पाने वालों में से नियमित किए गये व्यक्तियों की संख्या	
	अनुसूचित जाति/आदिम जाति	अन्य
चपरासी/हैल्पर	2	15
निम्न श्रेणी लिपिक	—	10
कनिष्ठ आशुलिपिक	—	3

अम्बर चरखे द्वारा कम उत्पादन

9541. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बर चरखे की कम उत्पादकता के बारे में समीक्षा करने का सरकार ने निर्णय किया है;

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग में धन की बरबादी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त समीक्षा के क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ग) खादी और ग्रामोद्योग पर अशोक मेहता समिति (1968) की सिफारिशों के अनुसरण में अम्बर चर्खा के इस्तेमाल के स्थान पर सविचारित रूप से नए नमूने के चर्खे का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग सार्वधिक रूप से समय-समय पर विभिन्न प्रकार के चर्खों के कार्य के निष्पादन की संवीक्षा करता है तथा आवश्यकतानुसार सुधारात्मक अभ्युपाय करता है।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी और ग्रामोद्योगों के विकासशील कार्यक्रमों का राज्यों के विकेन्द्रीत एककों अर्थात राज्य वोर्डों और संस्थानों के माध्यम से कार्यान्वयन करता है। धन के सदुपयोग और उचित रूप में लेखावद्ध किए जाने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर हिसाब किताब रखने तथा आडिट की उपयुक्त व्यवस्था की गई है तथा इसकी भी समय-समय पर संवीक्षा की जाती है।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिये विचाराधीन आवेदनपत्र

9542. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 3 महीने से अधिक परंतु 6 महीने से कम, 6 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम, 12 महीने से अधिक परंतु 18 महीने से कम और 18 महीने से अधिक समय से औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) सबसे पुराना आवेदन पत्र कौन सा है और वह कितनी अवधि से विचाराधीन है;

(ग) इन सभी विचाराधीन आवेदनपत्रों को निपटाने के लिए लाइसेंस समिति का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(घ) क्या सभी विचाराधीन आवेदनपत्र भारतीय औद्योगिक कारखानों के हैं जबकि विदेशी फर्मों के जो आवेदन पत्र थे उन्हें बिना किसी विलम्ब के अनापत्ति पत्र दे दिये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशी फर्मों को इस मामले में तरजीह देने के क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) 1-4-1974 की स्थिति निम्न प्रकार है :—

3 महीने से अधिक परंतु 6 महीने से कम से अनिर्णीत	224
6 महीने से अधिक परंतु 12 महीने से कम से अनिर्णीत	723
12 महीने से अधिक परंतु 18 महीने से कम से अनिर्णीत	279
18 महीने से अधिक से अनिर्णीत	497

सबसे पुराना आवेदनपत्र 1968 का है और 8-4-68 से अनिर्णीत है। यथासंभव आवेदनों का निपटान करने के दृष्टिकोण से, लाइसेंसिंग समिति की बैठकें बार-बार हो रही हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा स्टैन्डर्ड और आयातित जब्त किये कपड़े की बिक्री

9543. **श्री भालजीभाई परमार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, रायसीना रोड़, नई दिल्ली द्वारा स्टैन्डर्ड और आयातित जब्त किये गये कपड़े कि बिक्री केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नहीं की जाती बल्कि व्यापारियों को की जाती है और इस प्रकार वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये उक्त कपड़ा खरीदना असम्भव हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त मदों को केवल शेयरधारियों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनके परिचय पत्र और शेयर सर्टिफिकेट देखकर, बेचने का है, और यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। सोसाइटी द्वारा केन्द्रीय सीमाशुल्क विभाग से प्राप्त, जब्त किया गया सामान केवल केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को ही बेचा जाता है। किन्तु, स्टेन्डर्ड कपड़ा, दिल्ली प्रशासन के सिविल पूर्ति विभाग, जो सोसाइटी को कपड़े का आबंटन करता है, के द्वारा इसके वितरण के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार कर्मचारियों तथा आम जनता दोनों ही को बेचा जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Implementation of Second Pay Commission Recommendation in K.G.B. New Delhi

9544. **Shri Panna Lal Barupal** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the benefits of the recommendations of the Second Pay Commission have been made applicable to the employees of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari) : (a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

सार्वजनिक टैलीफोनों में नया उपकरण लगाना

9545. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** :
श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय एक-एक करके दस पैसे के सिक्के डालने में इतना समय लगता है कि जिस व्यक्ति से बातचीत करनी होती है वह यह जाने बिना ही कि दूसरी ओर क्या हो रहा है, रिसीवर रख देता है; और

(ख) क्या सार्वजनिक टेलीफोन में कोई नया उपकरण लगाया जायेगा जिससे दस पैसे के सभी तीनों (नये) सिक्कों को टेलीफोन बाक्स में एक साथ डाला जा सके तथा जिसका यह लाभ हो कि जिस नम्बर पर टेलीफोन मिलाया जाता है वह तुरन्त मिल जाये ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) सिक्का बक्सों के लिए पी० सी० ओ० शुल्क इस समय 30 पैसे है। इसलिए काल करने वाले व्यक्ति को जिससे बात करनी हो उसका जवाब मिल जाने पर बक्स में 10 पैसे के तीन सिक्के एक के बाद एक कर के डलाने पड़ते हैं। सिक्का बक्स पर लिखी हिदायतों के मुताबिक बात करने वाले व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह 10 पैसे के तीन सिक्के ले कर तैयार रहे। आमतौर पर यह प्रणाली अच्छी सेवा दे रही है और शायद ही कभी कोई ऐसी शिकायत आई हो कि बुलाई गई पार्टी ने सिक्के देर से डाले जाने के कारण टेलीफोन काट दिया हो।

एक नये और बेहतर सिक्का बक्स का डिजाइन तैयार किया जा रहा है जिसमें सिक्के डालने के लिए बटन दबाने की व्यवस्था भी होगी। सिक्के पहले से ही सही स्थिति में रख दिए जाएंगे और बुलाई गई पार्टी का उत्तर मिलते ही बटन दबा दिया जाएगा, जिससे सिक्के बड़ी तेजी से एक के बाद एक करके बक्स के अन्दर सरक जाएंगे। यदि बुलाई गई पार्टी से कोई उत्तर न मिले या टेलीफोन लाइन खाली न हो तो काल करने वाला व्यक्ति अपने सिक्के उठाकर अपने पास रख सकेगा। इस नए डिजाइन के सिक्का बक्स का क्षेत्रीय-परीक्षण किया जा रहा है।

Production of Energy from Coal

9546. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Science and Technology** be pleased to state.

(a) whether the production of energy from coal has been taken in hand, if so, the progress made in this regard;

(b) the funds allocated therefor for the year 1974-75; and

(c) the names of the places in the country where the said work is being undertaken and whether it is likely to be undertaken in Madhya Pradesh as well ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) The coal mine is already being used in the country as a source of energy namely for electric power generation, domestic fuel, industrial boilers, Railways, etc. It is planned that in view of increasing import bill on account of oil imports, the extent of coal utilisation would increase considerably in the coming years. By the end of the 5th Plan, the coal production is expected to increase to about 135 million tonnes. The use of coal gasification to meet industrial and domestic demands, low temperature carbonisation for producing domestic fuel and conversion into oil are some new applications envisaged.

(b) The total outlay for the S & T programmes pertaining to coal utilisation as suggested by NCST for 5th Plan period amounts to about Rs. 45 crores. The funds required for the S & T programmes during 1974-75 are under finalisation in consultation with the concerned Ministries and the Planning Commission.

(c) Major sectors consuming coal include railways, steel plants, power stations and cement. Some of these users are also located in Madhya Pradesh. The S&T programmes pertaining to coal utilisation will be taken at the existing specialised institutions such as Central Mining Research Station Dhanbad, National Coal Development Corporation, Ranchi, Steel Authority of India Ltd., Ranchi, Central Mine Planning and Design Institute, Ranchi, Central Fuel Research Institute, Dhanbad, Regional Research Laboratory, Hyderabad, Fertilizer Corporation of India, Sindhri, Geological Survey of India, Calcutta, Indian School of Mines, Dhanbad, Research and Design Organisation for Electrical Industry, Bhopal, Heavy Electricals India Ltd., Bhopal and Selected Universities etc.

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम में अंशकालिक सलाहकारों की नियुक्ति

9547. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि० ने 200 रु० प्रतिदिन के पारिश्रमिक पर अंशकालिक सलाहकारों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे सलाहकारों की संख्या कितनी है और उन्हें कितनी अवधि के लिए नियुक्त किया गया है ;

(ग) प्रत्येक सलाहकार को नियुक्ति के बाद से अब तक कुल कितनी राशि अदा की गई ;

(घ) प्रत्येक सलाहकार की नियुक्ति से उक्त निगम की आय से कितनी वृधि हुई ; और

(ङ) 200 रु० प्रतिदिन के पारिश्रमिक पर नियुक्ति को न्यायोचित ठहराने के लिए प्रत्येक सलाहकार की वैयक्तिक जानकारी का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, हां।

एक विवरण संलग्न है **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6950/74]**

(घ) निगम को सलाहकारों की विशेषज्ञता तथा अनुभव से लाभ हुआ है तथा एक कार्य के निष्पादन में सामूहिक प्रयास फलीभूत होते हैं। किसी भी सलाहकार का व्यक्तिगत रूप से विशिष्ट योगदान धनराशि के रूप में नहीं आंका जा सकता।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के विरुद्ध मुकदमें वापस लिया जाना

9548. **श्री मान सिंह भौरा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्धकों के विरुद्ध सिविल मुकद्मों के बारे में अतारांकित प्रश्न सं० 4750 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर की क्रम सं० 3 में उल्लिखित मुकदमे को वादी ने बिना शर्त वापस ले लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार मुकद्मे को वापस ले लेने के कारण राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने प्रतिवादी के रूप में कितनी लागत राशि क्षतिपूर्ति के लिए दावा किया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी हाँ।

(ख) वापिस लेने पर मुकदमा खारिज करते हुए न्यायालय ने यह भी आदेश दिया था कि दोनों पक्ष स्वंय अपना खर्च वहन करेंगे।

Inquiries made by C.B.I. in Centre and States

9549. **Shri Lalji Bhai : Will the Prime Minister** be pleased to state :

(a) the number of persons at the Centre and in each State against whom inquiries were made by CBI during 1972-73 and 1973-74; and

(b) the number of persons, among them. found guilty and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the table of the House as soon as possible.

अखबारी कागज के सप्लाई और वितरण के बारे में भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की मांग

9550. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ की इंदौर में हाल ही में हुई बैठक में यह मांग की गई थी कि सरकार समाचार-पत्रों को अखबारी कागज की सप्लाई और वितरण के समूचे प्रश्न की जांच करने हेतु एक समिति गठित करे और श्रमजीवी पत्रकारों के प्रतिनिधि उस समिति के सदस्य हों; और

(ख) यदि हां, तो उस मांग पर सरकार का क्या निर्णय है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) अखबारी कागज की खरीदारी एक व्यापारिक लेन-देन है और समाचारपत्र उद्योग की खरीदारी समिति में पहले ही प्रतिनिधित्व है।

अखबारी कागज का वितरण पूर्णतया अखबारी कागज आबन्टन नीति के अनुसार किया जाता है। यह नीति अखबारी कागज सलाहकार समिति, जिसमें पहले ही भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का प्रतिनिधित्व है, द्वारा दिये गयें सुझावों पर विचार करने के बाद बनाई जाती है।

ताम्र पत्रों का दिया जाना

9551. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 अप्रैल, 1974 के समाचार पत्रों में "ताम्रपत्राज फार बोगस वेटरन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई जांच समिति गठित की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक रिपोर्ट प्राप्त होने की सम्भावना है और उक्त मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) 3 अप्रैल, 1974 को इस सदन में दिये गये अतारांकित प्रश्न सं० 5613 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक शिकायत की जांच की जाती है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

मुखौटे वाले डाक-टिकट

9552. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुखौटे वाले डाक टिकट जारी करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य के कौन-कौन से डाक-टिकट जारी किए गए; और

(ग) डाक टिकटों पर मुखौटे अंकित करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 15 अप्रैल, 1974 को चार डाक टिकट निकाले गए हैं, जिन पर सूर्य, चन्द्र, रावण और नरसिंह के चित्र अंकित हैं। ये डाक टिकट क्रमशः 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया और 2 रुपये के मूल्य के हैं।

(ग) डाक टिकट प्रेमियों और संग्रहकर्ताओं में यह विषय बहुत लोकप्रिय है।

वर्ष 1971 की जनगणना के भाषायी आंकड़े

9553. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या **गृह मंत्री** हिन्दी भाषी जनसंख्या से संबन्धित 28 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2489 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971 की जनगणना के भाषायी आंकड़ों को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : **(क) और (ख)** 1971 की जनगणना के भाषायी आंकड़े प्रस्तुत करने का प्रश्न अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।

दिल्ली के उपराज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग

9554. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** :
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस आशय की खबरों की ओर दिलाया गया है कि कुछ गुटों, पार्टियों और संगठनों ने तथाकथित भूमि हथियाने के मामले के ऊपर दिल्ली के उप-राज्यपाल की बर्खास्तगी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन गुटों, पार्टियों और संगठनों के नाम क्या हैं, जिन्होंने इस प्रकार की मांग की है; और

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) सरकार ने वे समाचार देखे हैं जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जनसंघ तथा दिल्ली प्रदेश युवक कांग्रेस जैसे दलों द्वारा की गई तथा-कथित भूमि हथियाओं विषय पर दिल्ली के उप-राज्यपाल को पदच्युत करने की मांग की गई है। विभिन्न आरोप जिसके आधार पर यह मांग की गई मालूम होती है अब उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन है।

मांडया नेशनल पेपर मिल्स में खोई (बगासे) से कागज का उत्पादन

9555. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मांडया नेशनल पेपर मिल नाम की एक ही मिल्स केवल खोई से कागज बनाने में सफल हो गई है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रक्रिया से कागज का उत्पादन किस सीमा तक बढ़ाया जा सकता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) कागज उद्योग में प्रयोग करने के लिए अधिक मात्रा में खोई की उपलब्धि के बारे में कुछ कठिनाइयां हैं क्योंकि इस समय इसे अधिकतर चीनी मिलों द्वारा सस्ते ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है ? फिर भी, अन्य सैल्युलोजिक कच्चे माल के साथ खोई पर आधारित कई योजनाओं को अनुमति दी गई है।

औद्योगीकरण के लिये भारत हंगरी समझौता

9556. **श्री तरुण गोगोई :**

श्री निहार लास्कर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या हंगरी, औद्योगीकरण के मामले में भारत की सहायता करने के लिए सहमत हो गया है,

(ख) यदि हां, तो भारत की किस प्रकार की सहायता दी जायेगी,

(ग) क्या कोई समझौता किया गया है, और

(घ) क्या दोनों देशों द्वारा कोई संयुक्त उद्यम आरम्भ किए जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) से (ग) औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग करने के बारे में अप्रैल, 1973 में दोनों देशों के बीच बातचीत की गयी थी। आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए एक भारत हंगरी संयुक्त आयोग की दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के सभी क्षेत्रों की जांच और विकास करने के लिए 19 दिसम्बर, 1973 को पत्र व्यवहार के द्वारा स्थापना की गई है। आयोग की बैठक अभी नहीं हुई है।

(घ) भारत में पहले से ही कुछ भारत-हंगरी संयुक्त उद्यम कार्य कर रहे हैं। अन्य दशों के मामले की भांति भारत हंगरी संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के प्रस्तावों पर जब भी वे प्राप्त होते हैं, विचार किया जाता है।

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग करने पर हुआ व्यय

9557. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के लिए परिपत्र, पत्र जारी करने पर अत्या-धिक धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) वर्ष 1971-72 से 1973-74 तक इन प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार ने प्रति वर्ष कुल कितनी राशि खर्च की; और

(ग) इस संबन्ध में अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग तथा यथा संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 के विभिन्न उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए जा रहे हैं। इन अनुदेशों को सभी संबंधित कार्यालयों को उनके प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से भेजा जाता है, न कि सीधे गृह मंत्रालय द्वारा। इस प्रयोजन के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं बनाया जाता है। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा इन अनुदेशों के परिचालन के लिए कितनी राशि व्यय की गई।

(ग) संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की प्रगति तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से देखी जाती है। उसकी विभागीय राजभाषा कार्यान्वियन समिति द्वारा भी समीक्षा की जाती है। हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में जहां कहीं कमी ध्यान में आती है उसके निराकरण की कार्य-वाही की जाती है। परन्तु निम्नलिखित तुलनात्मक स्थिति से प्राप्त परिणामों का पता लगता है :—

	31 मार्च, 1970 को	31 मार्च, 1973 को
इन अनुभागों की संख्या जहां टिप्पणी और मसौदा लेखन (नोटिंग/ड्राफ्टिंग) हिन्दी में किया जाता है . . .	250	515
अवर सचिव से ऊंचे अधिकारी जो हिन्दी में टिप्पणी लिखते हैं .	124	421

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के निदेशक द्वारा त्यागपत्र

9558. **श्री आर० एन० बर्मन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद के निदेशक ने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया है; है;

(ख) क्या उनके त्यागपत्र देने का मुख्य कारण यह था कि केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा कोयले के विकास परिरक्षण और वैज्ञानिक उपयोग पर किये गये अनुसंधान तथा कोयले के प्रयोग के बारे में अनुसंधान परिणामों को सरकार ने स्वीकार तथा क्रियान्वित नहीं किया था;

(ग) क्या वह कोयला उद्योग के लिये ऐसे विशेष ज्ञान के आयात के विरुद्ध थे जिसका केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ने विकास किया है; और

(घ) उनके त्यागपत्र से रिक्त हुए स्थान को सरकार कब भरेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क), (ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) पद को भरने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

डा० ए० लाहिड़ी, निदेशक, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जियल गोरा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई जांच के फलस्वरूप, महानिदेशक (सतर्कता) सी० एस० आई० आर० ने दिनांक 31-1-74 को एक जांच संबन्धी प्रतिवेदन अग्रसारित किया था, जिसमें डा० लाहिड़ी के विरुद्ध भाईभतीजावाद (कुनबापरस्ती), पक्षपात जैसे आरोप लगाये थे। वर्ष 1952-69 के दौरान जब डा० लाहिड़ी सी० एफ० आर० आई० में सहायक निदेशक/निदेशक के रूप में कार्यरत थे, पक्षपात से संबंधित आरोप द्वारा यह पता चलता है कि इस अवधि में उन्होंने सी० एफ० आर० आई० की नियुक्तियां तथा पदोन्नतियों के मामले में अपने चार संबंधियों के साथ पक्षपात किया था। महानिदेशक (सतर्कता) के अनुसार, जो चार मामले एक साथ लिये गये थे, के तथ्यों से पता चलेगा कि डा० लाहिड़ी, कुनबापरस्ती और पक्षपात आदि की बातों में शामिल रहते थे और केन्द्रीय सतर्कता के परामर्श से, यह सिफारिश की गई थी कि डा० लाहिड़ी के विरुद्ध एक बड़े जुर्माने के रूप में दंड प्रदान करने की कार्यवाही की जाये।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह से डा० लाहिड़ी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये मामले की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। उसी समय के दौरान, डा० लाहिड़ी ने एक प्रार्थनापत्र दिनांक 26-2-74 को प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 26-5-74 से तीन माह के नोटिस के साथ स्वेच्छापूर्वक सी० एस० आई० आर० की सेवाओं से सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के लिये प्रार्थना की गई थी। डा० लाहिड़ी की सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख 24-8-74 है। स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति की आज्ञा मांगते समय, डा० लाहिड़ी ने ईंधन और शक्ति विशेषज्ञ के रूप में छै माह के लिये दिनांक 15-3-1974 से चिली सरकार के लोहा और इस्पात संयत्र में यू एन डी पी के एक पद को स्वीकार करने के लिये भी निवेदन किया था।

विज्ञान और सी० एस० आई० आर० की एक संगठन के रूप में प्रतिष्ठा का अधिकाधिक महत्व ध्यान में रखकर संपूर्ण मामले पर विचार किया गया था। डा० लाहिड़ी के स्वैच्छिक सी० एस० आई० आर० की सेवाओं से सेवा निवृत्त होने संबंधी नोटिस और उनकी सी० एस० आई० आर० की सेवाओं से दिनांक 26-5-74 से स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त की आज्ञा को ध्यान में रखकर यह सुझाव दिया गया था कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अधिक जोर न दिया जाये। यह भी सुझाव दिया गया था कि चिली में यू० एन० डी० पी० के पद को स्वीकार करने के लिये उन्हें आज्ञा प्रदान की जाये। इस मामले पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श किया गया था। आयोग ने उपरोक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान कर दी थी। आयोग ने यह अनुभव किया कि डा० लाहिड़ी विभागीय कार्यवाही सामना किये बिना अपने आपको स्वेच्छा से सेवानिवृत के लिये प्रस्तुत करने के द्वारा कठिन परिस्थितियों से निकलने का प्रयास कर रहे थे। इस पृष्ठ-भूमि के आधार पर, आयोग ने डा० लाहिड़ी को अग्रिम टरमीनल अवकाश जैसी सुविधाएं स्वीकृत करना उपयुक्त नहीं पाया और आयोग का विचार था कि नोटिस में दिये गये समय के साथ जो समय लागू हो उसी अवधि का अवकाश उन्हें मंजूर किया जाये।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की उपर्युक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया था। उसी के अनुसार डा० लाहिड़ी को सी० एस० आई० आर० की सेवाओं से दिनांक 26-5-74 से सेवा मुक्त होने की आज्ञा के साथ अपना कार्यभार दिनांक 30-3-74 से सी० एस० आई० आर० प्रधानकार्यालय में सौंपने की आज्ञा प्रदान की गई। मध्यस्थ समय को स्वीकृत अवकास के रूप में माना जायेगा। उन्हें विदेशी कार्य को स्वीकार करने की भी आज्ञा प्रदान की गई।

स्वैच्छिक सेवानिवृति प्राप्त करने और यू० एन० डी० पी० के काम को स्वीकार करने के बाद यह प्रतीत होता है कि भारत से रवाना होने के पूर्व डा० लाहिड़ी ने समाचार पत्रों के जवाब सवालों में बहुत ही गलत बौ प्रस्तुत कर दीं थीं कि—सरकार की ईंधन नीतियों के मतभेदों के कारण और भारत द्वारा कोयला प्रौद्योगिकी पर किये कई विदेशी समझौतों पर असंतोष होने के कारण वे देश छोड़कर जा रहे हैं, जबकि बीस वर्षों के दौरान कोयले से संबंधित अधिकांश प्रौद्योगिकी सी० एफ० आर० आई० द्वारा विक-सित की गई है। इसे एक वैज्ञानिक के जोशीले भाव समझा जा सकता है, जिसने कठिन परिस्थितियों से बचने के लिये अपने पद को छोड़ना था। पद सुरक्षित नहीं था। यह कोई इस क्षेत्र के पूर्वगत और भविष्य के कार्यक्रमों का मूल्यांकन या लक्ष्य नहीं था जो शांतिपूर्वक सोच समझ कर कहा गया हो।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघों के पदाधिकारियों को दी गई सुविधायें

9559. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संघों के पदाधिकारियों को आवास, टेलीफोन जैसी सुविधाएं दी हैं;

(ख) क्या अधिकांश पदाधिकारी संघों के कार्य को कार्य समय में सरकारी काम की उपेक्षा करते हुए करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघों के पदाधिकारियों को आवास/टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

(ख) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बालयोगेश्वर द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

9560. **श्री श्याम सुन्दरमहापात्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बालयोगेश्वर द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामलों को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) इस मामले में जारी किये गये "कारण बताओ" नोटिसों का क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) जांच-पड़तावों के परिणामों के आधार पर, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए श्री बिहारी सिंह को, जिसे श्री प्रेमपाल सिंह रावत उर्फ बालयोगेश्वर का सचिव बताया जाता है, चार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। ये मामले न्याय-निर्णयन के लिए लम्बित पड़े हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा श्री रावत को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है ।

शहरघाट में एक सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की स्थापना

9561. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार** मंत्री बिहार के विभिन्न जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों तथा तारघरों के खोलने के बारे में 10 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6394 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नया सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र शहरघाट में पहले ही स्थापित हो गया है अथवा होने जा रहा है और यदि हां, तो क्या इसे माधवपुर अथवा बेनीपट्टी होकर जोड़ा जाएगा; और

(ख) शहरघाट और बेनीपट्टी के मध्य कितनी दूरी है और माधवपुर से मधुबनी होकर सीतामढ़ी अथवा बेनीपट्टी की दूरी कितनी है तथा बातचीत करने में कितना समय लगेगा।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) शहरघाट में सार्वजनिक टेलीफोन घर 26-1-73 को खोला जा चुका है। इसका मूल एक्सचेंज मुरसंद है। इसे माधवपुर या बेनीपट्टी से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) शहरघाट और बेनीपट्टी के बीच 23 किलोमीटर का फासला है। माधवपुर से मधुबनी बरास्ता बेनीपट्टी 54 किलोमीटर दूर पड़ता है। माधवपुर पी० सी० ओ० से मधुबनी को ट्रंक कालें सीता-मढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के रास्ते लगाई जाती हैं और यह मार्ग 198 किलोमीटर लम्बा है।

आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

9562. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री आन्ध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता के बारे में 10 अप्रैल, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की सरकार द्वारा राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की गति को तेज़ करने के अभिप्राय से कोई ठोस प्रस्ताव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वयन के लिये केन्द्र का विचार क्या विशेष सहायता देने का है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) छः सूत्री फारमूला के अन्तर्गत पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार से कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

"निहित स्वार्थ प्रगति में बाधक प्रधान मंत्री" (वैस्टेड इन्टेरेस्ट्स स्टाल प्रोग्रेस : पी० एम०) शीर्षक से छपा समाचार

9563. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल 1974 के एक स्थानीय दैनिक समाचार-पत्रों में "वैस्टेड इंटेरेस्ट्स स्टाल प्रोग्रेस : पी० एम०" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निहित स्वार्थ प्रगति में किस प्रकार बाधा डालते हैं; और

(ग) उन निहित स्वार्थों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रधान मंत्री ने अपने उपर्युक्त भाषण में प्रश्न के इस अंश की व्याख्या नहीं की है। किन्तु उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर "निहित स्वार्थ" शब्द का प्रयोग न तो किसी सीमित अर्थ में किया गया है और न ये किसी वर्ग-विशेष को सम्बोधित करते हैं। ऐसे स्वार्थी तत्व उत्पादन में, वस्तुओं के उचित वितरण में दखलन्दाजी करके और सामाजिक व्यवस्था को भंग करने के लिए किसी न किसी बहाने आन्दोलन आरम्भ करके प्रगति में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं।

Development of North Bihar

9564. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether the North Bihar has a population of more than two crores and no industry has been set up there since Independence; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) According to 1971 Census, total population of the six districts in North Bihar consisting of Champaran (3.5 million), Saran (4.3 million), Muzaffarpur (4.8 million), Darbhanga (5.2 million), Saharsa (2.4 million) and Purnea (3.9 million) account for 24.2 million persons. But, it is not a fact that no industry has been set up there since independence. In the field of Small Scale Industries itself the number of units in the region has increased from 4,062 in 1971 to 7,612 in 1973. Distribution of these units are as follows :

	1971	1973
Champaran	879	1,549
Saran .	452	941
Muzaffarpur	715	1,798
Darbhanga .	713	1,403
Saharsa . .	537	729
Purnea . . .	766	1,192
	4,062	7,612

In 1972, an industrial licence under IDR Act was issued for wheat products with an annual capacity of 24,000 tonnes in Darbhanga and in 1973 another licence has been issued for the same product for an annual capacity of 30,000 tonnes.

(b) It is, however, true that the progress of industrialisation in North Bihar has not been as swift as in South Bihar. This has been primarily due to the agricultural nature of North Bihar where primarily agro-based industrial units can develop whereas in South Bihar there are many mineral deposits on the basis of which many kinds of industrial units have come up.

Planning Commission's Control over Agriculture Departments in States

9565. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether all the schemes prepared by the Planning Commission in regard to agricultural production from First to Fourth Five Year Plans have almost failed ;

(b) if so, whether agriculture is a State subject;

(c) whether the Planning Commission has no legal jurisdiction over the Agriculture Departments of various States in the matter of implementation of agricultural schemes ; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to empower the Planning Commission to do so ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) No, Sir. Since the First Plan, irrigation nearly doubled to 42 million hectares, fertiliser consumption in terms of nutrients increased from little above 1 lakh tonnes to about 28 lakh tonnes, High-Yielding Seed Varieties Programme which was initiated in 1965-66 achieved an area coverage of 25 lakh hectares. All these production programmes raised foodgrain production from 51 million tonnes to 110 million tonnes, sugarcane in terms of gur from 57 lakh tonnes to 134 lakh tonnes, oilseeds from 52 lakh tonnes to 94 lakh tonnes, cotton from 29 lakh bales to 65 lakh bales and jute from 33 lakh bales to 56 lakh bales.

(b) Yes Sir.

(c) and (d) : Though the Planning Commission has no jurisdictions, the implementation of agricultural schemes in the States is followed up by Programme Advisers of the Planning Commission, reviewed during the Annual Plans and some schemes are evaluated by Programme Evaluation Organisation. The Project Appraisal Division and the Monitoring and Evaluation Organisation have been set up in the Planning Commission to improve the implementation process in the Fifth Plan.

विदेशी कम्पनियों द्वारा आयात लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र

9566. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कंपनियों की संख्या एवं नाम क्या हैं जिन्होंने 2 लाख रु० अथवा उससे अधिक भाड़ा बीमा लागत मूल्य के सभी प्रकार की वस्तुओं के आयात लाइसेंसों को मांग के लिए आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) इनमें से प्रत्येक कंपनी द्वारा मांगे गये लाइसेंसों (मात्रा एवं भाड़ा बीमा लागत के बारे में) और उनके मंत्रालय द्वारा (मात्रा एवं भाड़ा बीमा लागत के बारे में) क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) इन आवेदन पत्रों के बारे में सिफारिश करने के बारे में मंत्रालय ने क्या कारण बतायें हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (ग) 1973-74 की अवधि में विदेशी कंपनियों द्वारा 2 लाख रु० तथा उससे अधिक के मूल्य के आयात के लाइसेंस के बारे में दिये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी। आयात व्यापार नियंत्रण लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अनुसार उनके निपटाये जाने हेतु औद्योगिक विकास मंत्रालय की सिफारिशों की आवश्यकता नहीं हैं फिर। भी विशिष्टतया औद्योगिक विकास मंत्रालय की सिफारिशों पर जारी किए गए आयात के सभी मामलों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

औद्योगिक उत्पादन

9567. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री औद्योगिक उत्पादनों में कमी के बारे में 27 फरवरी, 1974 के तारांकित प्रश्न सं० 115 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1971 के उत्पादन के मासिक आंकड़े क्या हैं और वर्ष 1972 के उत्पादन के मासिक आंकड़े क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1971, 1972 और जनवरी से अक्तूबर, 1973 के औद्योगिक उत्पादन (कच्चा) का सामान्य सूचकांक।

(आधार 1960–100)

क्र० सं०	महीना	1971	1972	1973
1.	जनवरी	188.4	199.6	207.4
2.	फरवरी	178.7	196.7	191.8
3.	मार्च	192.4	208.0	211.2
4.	अप्रैल	183.4	190.4	187.6
5.	मई	179.0	194.6	190.2
6.	जून .	182.7	196.8	192.2
7.	जुलाई	187.3	196.8	199.1
8.	अगस्त	183.1	198.7	204.9
9.	सितम्बर	185.0	198.6	197.0*
10.	अक्तूबर	182.0	197.9	191.0*
11.	नवम्बर	189.7	203.3	
12.	दिसम्बर . . .	201.6	211.7	
	जनवरी-दिसम्बर	186.1	199.4	
	(औसत) .	(+1.0)	(+7.1)	
	जनवरी-अक्तूबर . . .	184.2	197.8	197.2
	(औसत) . .	(+0.6)	(+7.4)	(—0.3)

*अनन्तिम

सीमेंट उद्योग की क्षमता का विस्तार

9568. **श्री मधु लिमये :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट उद्योग की उत्पादन क्षमता बढ़ाने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या अतिरिक्त क्षमता का अधिकांश आवंटन बड़े व्यापार गृहों को दिया जा रहा है;

(ग) क्या पूरे अतिरिक्त उत्पादन को निर्माताओं को नियंत्रित मूल्य देने के पश्चात् सरकार वितरण के लिए अपने हाथ में ले लेगी; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) से (घ) सीमेंट उद्योग की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 197.60 मी० टन प्रतिवर्ष है और 1973 में उत्पादन लगभग 150.00 लाख मी० टन हुआ था। पांचवीं योजना प्रलेख में, पांचवीं योजना के अंत तक सीमेंट उत्पादन का लक्ष्य 250.00 लाख मी० टन रखा गया है जो क्षमता का 85 प्रतिशत उपयोग करने पर 290.00 लाख मी० टन क्षमता के अनुरूप है। प्रत्याशित मांग को पूरा करने की दृष्टि से विभिन्न पार्टियों को 171.10 लाख मी० टन की क्षमता के लिए अतिरिक्त लाइसेंस/आशयपत्र दिये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :—

सरकारी क्षेत्र	58.80 लाख मी० टन
गैर सरकारी क्षेत्र	
(क) बड़े घराने . .	81.30 लाख मी० टन
(ख) अन्य गैर सरकारी पार्टियाँ .	31.00 लाख मी० टन

122.50 लाख मी० टन को अतिरिक्त क्षमता के लिए (सरकारी क्षेत्र में 29.70 लाख मी० टन और गैर सरकारी क्षेत्र जिनमें बड़े घराने शामिल हैं में 92.80 लाख मी० टन) आवेदन पत्रों पर सरकार विचार कर रही है।

सीमेंट के मूल्य और वितरण का नियंत्रण उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन जारी किये गये सीमेंट नियंत्रण आदेश 1967 के अंतर्गत किया जाता है। आदेश की शर्तों के अनुसार उत्पादक अपनी उत्पादन लागत पर आधारित कारखाने से निकलते समय का संधारण मूल्य प्राप्त करने के हकदार हैं।

सीमेंट की उपलब्ध मात्रा का समान रूप से वितरण करने के लिए प्रत्येक राज्य को जुलाई 1973 से जून 1974 की अवधि के लिए कोटे निर्धारित कर दिये गये थे। इन कोटों में किसी राज्य विशेष में निर्णय निर्माण कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों की जरूरतों और बड़े एवं मझौले उद्योगों की वे आवश्यकतायें जिन्हें केन्द्रीय कोटे से अलग पूरा किया जाता है सम्मिलित नहीं है। राज्य कोटों का आवंटन राज्य सरकारों की सिफारिशों को कड़ाई से कार्यान्वित करते हुए किया जाता है। इस प्रकार सीमेंट की वितरण का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है।

ग्रामोफोन कंपनियों द्वारा ग्रामोफोन रिकार्डों के मूल्यों में वृद्धि

9569. **श्री मधु लिमये:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले एक वर्ष में ग्रामोफोन रिकार्ड कंपनियों ने ग्रामोफोन रिकार्डों (एलपी ई०पी० ओ० एस०एस०पी०) की कीमतों में वृद्धि की है;

(ख) विभिन्न कंपनियों द्वारा की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार भारतीय प्राचीन कला के संवर्धन के लिए कंपनियों को भारतीय शास्त्रीय संगीत (उत्तर भारतीय एवं कर्नाटक) के रिकार्डों के मूल्य में कमी करने का परामर्श देगी; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो जाने पर मामले पर विचार किया जा सकेगा।

नाटकों के अभिनय पर मनोरंजन कर में छूट के बारे में सरकार की नीति

9570. **श्री मधु लिमये** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति संघ राज्य क्षेत्र और देश के अन्य भागों में थियेटर को प्रोत्साहन देने की है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि 'अभिनय' नामक एक ग्रुप विजय तैन्दुलकर द्वारा लिखित 'घासीराम कोतवाल' नामक नाटक (मूल मराठी से हिन्दी में अनुदित) का दिल्ली में अभिनय कर रहा है;

(ग) क्या सरकार को तथा दिल्ली प्रशासन की नीति नाटकों को मनोरंजन कर से मुक्त करने की है; और

(घ) यदि हां तो घासीराम कोतवाल नामक नाटक के हिन्दी संस्करण को इस कर से मुक्त करने के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मनोरंजन कर लगाना तथा उसकी छूट देना राज्य विषय है। दिल्ली प्रशासन के मामले में थियेटिकल ग्रुपों को यह छूट कतिपय शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती हैं।

(घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार................."अभियान" नामक ग्रुप को 'घासीराम कोतवाल' का अभिनय करने के लिए मनोरंजन कर से छूट जब भी मांगी गई दी गई सिवाय 2, 3, 9 तथा 10 फरवरी 1974 को जब कोई शो नहीं हुआ।

डाकघरों के सहायक अधीक्षकों और पोस्टमास्टरों के वेतनों का निर्धारित किया जाना

9571. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग ने वर्तमान 225-425 रु० की वेतनमान के स्थान पर डाकघरों के अधीक्षकों/सहायक पोस्टरमास्टरों के ऊंचे सिलेक्शन ग्रेडों तथा सब-पोस्टमास्टरों के लिए तीन पृथक-पृथक वेतनमानों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें क्रियान्वित कर दिया गया है, और यदि नहीं, तो क्रियान्वित में विलम्ब के क्या कारण हैं, और

(ग) क्या पूरे भारत में डाकघरों के सहायक अधीक्षकों और पोस्टमास्टरों में तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतमानों के अनुसार वेतन निर्धारित करने में असमान्य विलम्ब के कारण असन्तोष पाया जाता है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां सरकार ने निम्नलिखित संशोधित वेतनमान अधिसूचित किए हैं :—

पदनाम	संशोधन से पूर्व वेतनमान	संशोधित वेतनमान
सहायक अधीक्षक डाकघर	335—425 रुपये	550—900 रुपये
मुख्य पोस्टमास्टर नायब पोस्टमास्टर	335—425 रुपये	(क) 700—900 रुपये (ख) 550—750 रुपये

(ख) और (ग) : चूंकि तीसरे वेतन आयोग ने एक वेतनमान (335—425 रुपये) की जगह तीन नए वेतन मान निर्धारित किये हैं, इसलिए कर्मचारियों को इन तीन वेतनमानों में समायोजित करने और नियुक्त करने की प्रक्रिया के ब्यौरों की जांच की जा रही है। इस मामले पर शीघ्र निर्णय करने के संबंध में अर्जियां प्राप्त हुई हैं और इस मामले में शीघ्र कार्रवाई की जा रही है।

विदेशी सहयोग समझौतों का पुनर्विलोकन और रायल्टी की अदायगी का सीमित किया जाना

9572. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय सहयोग करारों में रायल्टी दिये जाने की अवधि का उल्लेख नहीं है;

(ख) यदि हां, तो फर्मों के नाम क्या हैं तथा करारों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे समझौतों का दुबारा पुनर्विलोकन करके अदायगी को कम-से-कम अवधि तक सीमित करना चाहती है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) स (ग) : दिसम्बर 1968 में विदेशी विनियोजन बोर्ड (फारेन इन्वेस्टमेंट बोर्ड) की स्थापना हो जाने से सहयोगी को भुगतान की जाने वाली रायल्टी की रकम विदेशी सहयोग के सभी स्वीकृतियों में बताना अनिवार्य हो गया। फिर भी, ऐसे उपकरण विद्यमान हैं जिनमें स्वीकृतियां 1969 के पूर्व प्रदान दी गयी थीं तथा रायल्टी भुगतान के लिए अवधि नहीं बतायी गयी थी। इसे ध्यान में रखे हुए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया को अक्तूबर, 1969 में अनुदेश जारी किये गये थे कि इस प्रकार के उन सभी मामलों की समीक्षा करें जिनमें करार 10 वर्ष तक चल चुका है और भुगतान न करें साथ ही भारतीय पार्टियों को परामर्श दें कि यदि वे चाहें तो करारों की अवधि जारी रखने के लिए सरकार के विचारार्थ पुनः आवेदन दें।

पत्रिकाओं, पम्फलेट एवं पुस्तकों का प्रकाशन

9573. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सरकारी विभाग एवं एजेंसियां भारत में अखबारी कागज तथा कागज की भारी कमी के समय विभिन्न जरनल्स, पत्रिकायें, पम्फलेट एवं पुस्तकें प्रकाशित करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार सरकारी क्षेत्र में कागज के इस प्रकार दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) : अखबारी कागज तथा कागज की कमी के कारण केवल ऐसी पत्रिकायें, पुस्तकें तथा पम्फलेट प्रकाशित किये जा रहे हैं जो जनहित में आवश्यक हैं।

राज्यों में सरकारी कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा

9574. **श्री आर० बी० बड़े** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कौन-कौन से राज्यों में सम्पूर्ण सरकारी कार्य हिन्दी भाषा में हो रहा है; और

(ख) कौन-कौन से राज्यों में सरकारी कार्य केवल अंग्रेजी में हो रहा है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 345 के उपबन्धों के अनुसार सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी भाषा को अपना लिया है।

(ख) मणिपुर, मेघालय और नागालैण्ड राज्यों में संविधान के 345 के उपबन्ध के अनुसार सरकारी कामकाज अंग्रेजी में हो रहा है।

राजस्थान में उद्यमकर्ताओं को लाइसेंस जारी करना

9575. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने ऐसे सभी उद्यमकर्ताओं की जिनके पास राज्य में औद्योगिक कारखाने खोले जाने के आशयपत्र हैं, लाइसेंस जारी करने के लिए केन्द्र से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : आशयपत्र को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित करने के प्रश्न पर उद्यमी द्वारा आशयपत्र की शर्तों का अनुपालन करने तथा उसकी वैधता की अवधि के प्रारम्भ में ही विदेशी सहयोग पूंजीगत माल के आयात जहां कहीं भी आवश्यक हो, के लिए अपेक्षित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के पश्चात् ही विचार किया जाता है। औद्योगिक स्वीकृति की प्रक्रिया के सुप्रवाही बनाये जाने के साथ ही विलम्ब दूर करने की दृष्टि से आगे की अंतिम अर्थात् विदेशी सहायता या पूंजीगत माल के आयात के लिए स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् आशयपत्र स्वतः औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित हो जाता है।

राजस्थान सरकार से इस संबंध में कोई भी विशिष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी सरकार परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति का पता लगाने तथा तेजी से कार्यान्वित करने के मार्ग में आने वाली सामान्य कठिनाइयों के निराकरण की दृष्टि से विभिन्न उद्योगों के आशयपत्रधारियों द्वारा की गयी प्रगति की और जहां कहीं भी आवश्यक होता है राज्य सरकार के परामर्श से समय-समय समीक्षा करती रही है।

कागज के उत्पादन के लिये लाइसेंसों का जारी किया जाना

9576. **श्री श्रीकिशन मोदी :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विभिन्न प्रकार के कागज का उत्पादन करने के लिए अनेक फार्मों को आशय पत्र अथवा लाइसेंस जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा): (क) जी, हां।

(ख) कागज का उत्पादन करने के लिए जिन फर्मों को आशय-पत्र लाइसेंस स्वीकृति किये गये हैं उनके नामों को बताने वाला विवरण संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6951/74]**

दिल्ली में दो अन्य जेलों की स्थापना करना

9577. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री सेंट्रल जेल, तिहाड़, दिल्ली में असंतोषजनक स्थिति के बारे में 28 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2454 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच दिल्ली में दो अन्य जेलों की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां स्थापित किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख). दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली में तीन अतिरिक्त जिला जेलों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। दिल्ली विकास प्राधिकरण हैदरपुर और घोंडा प्रत्येक में लगभग 100 एकड़ भूमि उपलब्ध करने को सहमत हो गया है। तीसरी उप जेल दक्षिण दिल्ली में स्थापित करने का विचार है जिसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि प्राप्त की जानी है।

हिन्दुस्तान लीवर कंपनी उत्पाद

9578. **श्री शशि भूषण :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री हिन्दुस्तान लिवर के बारे में 28 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2564 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो अपेक्षित जानकारी उपलब्ध करने में कितना और समय लगने की संभावना है ?

28 LSS/74—9

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी): (क) और (ख). विभिन्न सम्बद्ध प्राधिकरणों से पूर्ण अपेक्षित सूचना अभी नहीं मिली है।

(ग) मामले में शीघ्रता करने की कार्यवाही की गई है और आशा है कि संबंधित सूचना करीब तीन महीने की अवधि में इकट्ठी हो जायेगी।

टेलीफोनों के कल-पुर्जे

9579 **श्री पुरुषोत्तम काकोडर :**
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका मंत्रालय इस वर्ष टेलीफोनों के और अधिक कल-पुर्जे प्राप्त कर रहा है;

(ख) क्या इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर में टेलीफोनों के कल पुर्जों के उत्पादन में चौगुनी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी नहीं। भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर में फालतू पुर्जों के उत्पादन में लगभग दुगुनी वृद्धि हुई है।

फेन्टा ग्रेप और फेन्टा सोडा के लिये अनुमति

9580. **श्री शशि भूषण :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री कोका कोला निर्यात निगम द्वारा विस्तार कार्यवाहियों के बारे में 5 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न सं० 3452 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जब 1964 में फेन्टा ओरेन्ज के बनाने के लिए अनुमति की आवश्यकता थी तब फेन्टा ग्रेप और फेन्टा सोडा बनाने के लिए अनुमति क्यों अपेक्षित नहीं थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी): कोका कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन के अनुरोध पर कुछ शर्तों के अधीन 1964 में उनके विद्यमान उद्योग में संतरा फल पेय बनाने के लिए अनुमति दी गई थी। मामले के विभिन्न पहलुओं की जांच करने पर अब यह पता लगा है कि फेन्टा ग्रेप और फेन्टा सोडा बनाने के लिए कम्पनी को सरकार से विशिष्ट प्रकार की नई अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा व्यावसायिक शुल्क का भुगतान

9581. **श्री इसाहक सम्भली :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्धकों के विरुद्ध दीवानी दावों से संबंधित 26 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 4150 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर की क्रम संख्या 1 से 4 में निर्दिष्ट 130 रु० अथवा 200 रु० के मूल्य के घोषणात्मिक दावों को लड़ने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्धकों द्वारा 10,000 रु० के व्यावसायिक शुल्क का किया गया भुगतान उचित है;

(ख) क्या उत्तर की क्रम संख्या 5 और 6 में निर्दिष्ट दावों के लिए इस बीच इस निगम ने किसी व्यावसायिक शुल्क का भुगतान किया है ?

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी राशि का भुगतान किया गया है,

(घ) क्या निगम के विरुद्ध कर्मचारियों द्वारा अन्य दावे दायर किये गये थे,

(ङ) यदि हां, तो उत्तर में निर्दिष्ट दावों के संबंध में तथा नये दावों के संबंध में दी गयी जानकारी क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) और (ङ) जैसा कि सभापटल पर दिये गये विवरण से स्पष्ट है 26 अप्रैल, 1972 के पश्चात् कर्मचारियों द्वारा निगम के विरुद्ध दो और दावे दाखिल किये गये हैं । [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6952/74]

पं० बंगाल में अखबारी कागज का कारखाना

9582. **श्री राम सहाय पाण्डे** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प० बंगाल सरकार का विचार राज्य में एक अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में अखबारी कागज का सयंत्र स्थापित करने के बारे में पश्चिम बंगाल उद्योग विकास निगम से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है । निरन्तर कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में आई० जी० फोरेस्ट और राज्य सरकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामले में अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

गुजरात के भूतपूर्व और मुख्य मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच

9583. **श्री राम सहाय पांडे**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने सरकार से उनके तथा उनके सहयोगियों के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार, राजनीतिक तथा अन्य आरोपों की सार्वजनिक जांच करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिये हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) ऐसा कोई अनुरोध न तो गुजरात सरकार को ही प्राप्त हुआ है और न केन्द्रीय सरकार को ही।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वस्तुओं के मूल्यों का महीनेवार निर्धारण

9584. **श्री रामसहाय पांडे : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ निर्माताओं ने अपनी वस्तुओं के मूल्य मासिक आधार पर निर्धारित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) हमें इसकी जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प० बंगाल में संकट ग्रस्त उद्योगों को पुर्नर्जीवित करना

9585. **श्री राम सहाय पांडे : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प० बंगाल सरकार से राज्य में संकटग्रस्त उद्योगों को पुनर्जीवि करने के लिए बजट व्यवस्था में कमी करने के लिए कहा था; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे निदेश देने का क्या औचित्य है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा 1974-75 की अवधि में संकट ग्रस्त कपड़ा मिलों के लिए प्रस्तावित 150 लाख रुपये के प्रावधान में से नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के कार्यक्रम की विस्तृत रूप से जांच होने तक योजना आयोग ने 75 लाख रुपये का अस्थायी योजना प्रावधान करने का सुझाव दिया था।

राज्य सरकार ने वार्षिक योजना 1974-75 में बन्द पड़े और संकट ग्रस्त औद्योगिक एककों (कपड़ा एककों के अतिरिक्त) को पुनर्जीवित करने हेतु 400 लाख रुपये का प्रावधान करने का भी प्रस्ताव किया था। योजना आयोग ने सुझाव दिया कि बन्द पड़े और संकट ग्रस्त एककों को पुनर्जीवित करने का कार्यक्रम चयनात्मक और सुनियोजित होना चाहिए। अंत में 1974-75 के लिए 184 लाख रुपये की योजना प्रावधान करने पर सहायता सहमत हो गये।

डाक तार विभाग में दैनिक दर पर नियुक्त डाक्टर

9586. **श्री रामवतार शास्त्री : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार विभाग में 20 रु० की एक मुश्त दैनिक दर पर डाक्टरों की नियुक्ति की जाती है;

(ख) क्या 20 रु० को यह दैनिक दर कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के तीसरे वेतन आयोग से पहले के वेतनमानों के आधार पर निर्धारित की गई थी; और

(ग) क्या कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के वेतनमानों में परिवर्तन किया गया है और यदि हां तो क्या सरकार 20 रु० को दैनिक दर पर कार्य करने वाले डाक्टरों की दर में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को 1 जनवरी, 1973 से दिये गये वेतनमानों के अनुपात में वृद्धि करना चाहती है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

मैसर्स पांडे इन्डस्ट्री कलकत्ता के प्रबन्ध का अपने नियंत्रण में लिया जाना

9587. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता में मैसर्स पांडे इन्डस्ट्री बिजली के पंखों के (निर्माता) नामक एक फर्म के प्रवन्ध की उसकी आर्थिक स्थिति के कारण अपने नियन्त्रण में ले लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में इसका और विकास करने के लिये लगभग 90 लाख रु० की पर्याप्त धनराशि की मंजूरी दी है ; और

(ग) यदि हां, तो विकास की योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। किन्तु इण्डस्ट्रियल रीकान्स्ट्रकशन कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० कलकत्ता ने इस कंपनी के पुनर्निर्माण के लिए कुल 34.96 लाख रु० के दो ऋण स्वीकार किए हैं।

चौथी योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन

9588. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथी योजना के दौरान औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर कम थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना आयोग ने अपने प्रकाशन "ड्राफ्ट फिफ्थ फाइव ईयर प्लान, 1974-79" में यह उल्लेख किया है कि उद्योग और खनिज क्षेत्र का कार्य निष्पादन चौथी योजनावधि में औद्योगिक उत्पादन की प्राक्कल्पित 8 से 10% की विकास दर से उल्लेखनीय रूप से निम्न रहा है।

औद्योगिक उत्पादन की दर 1969-70 में 7.4 प्रतिशत, 1970-71 में 3.0 प्र० श०, 1971-72 में 3.3 प्र० श० तथा 1972-73 में 5.3 प्र० श० रही है। 1973-74 के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) के प्रारम्भिक आंकड़ों से इस अवधि में उत्पादन दर (—) 0.9 प्र० श० पर स्थिर रहने का पता चलता है। पहले चार वर्षों (उदाहरणार्थ 1969-70 से 1972-73 तक) साधारण गणितीय औसत के आधार पर वार्षिक उत्पादन दर 4 75% ठहरती है।

जैसा कि योजना प्रकाशन में उल्लेख किया गया है जिस कारणों से औद्योगिक उत्पादन असन्तोष-जनक रहा है वे निम्नलिखित है :—

1. कुछ उद्योगों में अपर्याप्त क्षमता के कारण उत्पादन कम हुआ;

2. दूसरी तरफ इस्पात और उर्वरक जैसे कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में विभिन्न एककों की संचालन सम्बन्धी कठिनाइयां रख रखाव की/कमी अथवा डिजाइन सम्बन्धी कमियों के कारण उत्पादन अधिष्ठापित क्षमता से पर्याप्त कम रहा ;

3. चीनी और कपड़ा जैसे कृषि उद्योगों में योजनावधि में उत्पादन में सम्बन्धित कृषि फसलों के अनुसार कुछ अस्थिरता की प्रकृति परिलक्षित हुई है ;

4. निवेश में अपर्याप्त गुंजाइश के कारण औद्योगिक मशीनों की मांग घट गई और इसके फल-स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों के उत्पादन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ;

5. इस्पात और अलौह धातुओं की कमी के कारण अन्य इंजीनियरी उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई है ;

6. विजली की व्यापक कमी के कारण भी देश के विभिन्न भागों के औद्योगिक एककों के उत्पादन में काफी हद तक कमी आई है ;

7. कोयले की कमी यातायात सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण भी विद्यमान क्षमता का कम उपयोग हो सका है ; और

8. असन्तोषजनक औद्योगिक सम्बन्ध के कारण भी कुछ उद्योगों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

कैल्सियम कार्बोनेट का उत्पादन

9589. **श्री जी० आई० कृष्णन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो वर्ष में विजली की कटौती के कारण कैल्शियम कार्बोनेट और इलेक्ट्रोनाइटिक मैंगनीज डाई ओक्साइड के उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी और सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) इस समय चार एकक कैलसियम कार्बोनेट तैयार करने में लगे हैं। वर्ष 1971, 1972 तथा 1973 की अवधि में उनमें हुआ कुल उत्पादन इस प्रकार है :—

1971	13,827 मी० टन
1972	15,121 ,, ,,
1973	14,461 ,, ,,

इन एककों में से एक एकक पर जो उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, 1973 की अवधि में बिजली की कटौती के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

जहां तक इलेक्ट्रालिटिक मैंगनीज डायक्साइड का सम्बन्ध है, केवल एक ही एकक इसका निर्माण कर रहा है। उसमें जुलाई, 1971 में उत्पादन प्रारम्भ हुआ था। विगत 3 वर्षों में हुआ उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1971 (जुलाई 1971 से आगे)	374-445	मी० टन
1972	1600	" "
1973	1479	" "

फर्म ने बिजली में कटौती के कारण उत्पादन में कमी नहीं बतायी है। जान पड़ता है कि 1973 में स्टाक जमा हो जाना संभवतः एक कारण रहा है जिससे अपेक्षाकृत कम उत्पादन हुआ था।

(ख) अंतिम उत्पादन में कई बातों का असर पड़ता है, अतएव केवल बिजली की कटौती के कारण उत्पादन में हुई हानि के परिणाम का ठीक-ठीक पता लगा सकना संभव नहीं है बिजली पैदा करने में वृद्धि करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) सभी विद्यमान एककों में अधिकतम बिजली पैदा करना ;

(2) जहां अतिरिक्त विद्युत् शक्ति विद्यमान है वहां से पड़ौस के क्षेत्रों में बिजली का आदान-प्रदान करना ;

(3) जो एकक निर्माण की उन्नत अवस्था में हैं उन्हें चालू करने की गति तेज करना ;

(4) प्राथमिकता के आधार पर जनित्रण एककों के लिये कोयले तथा आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों के संभरण की व्यवस्था करना।

Ex. U.P. Haryana Boundary Dispute

9590. Shri Chandra Shailani : Will the Minister of Home Affairs be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2870 on 13th March, 1974 regarding U.P.-Haryana boundary dispute and state whether the officials of U.P. and Haryana have held talks to settle the boundary dispute between the two States and if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : The representatives of the Government of U.P. and Haryana have met several times in the past to resolve this dispute but could not reach any settlement. Recently communications have been received from both the State Governments indicating that the two Chief Ministers have agreed to refer the matter to arbitration. The Government of Haryana have intimated that the talks are in progress for determining the scope and terms of reference of arbitration. Further developments are awaited.

Medical Facility to P&T Employees

9591. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether Government provide medical facility only to those P&T employees who are in receipt of a pay of more than Rs. 500 p.m.; and

(b) If so, the reasons for not allowing medical facilities to the employees drawing a pay of Rs. 500 or less p.m. ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) No Sir, Under the Central Services (Medical Attendance) Rules the benefit of the medical facility is enjoyed by all categories of Regular Central Government employees irrespective of consideration of their pay limit.

(b) Does not arise.

Telex Centre at Bombay

9592. **Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Communications** be pleased to state :

(a) whether the capacity of Bombay Telex Centre had been increased in 1969 from 200 lines to 500 lines;

(b) whether this expansion is likely to cause a loss of about Rs. 14.12 lakhs; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) No, Sir. The capacity of Bombay Telex Centre had been increased from 200 lines to 500 lines in September, 1966.

(b) & (c) No, Sir. The expansion will not cause a loss. In fact, the exchange capacity has had to be increased even beyond 500 lines. There was some delay in the provision of telex connections to the full capacity immediately after the expansion. The audit had worked out a national loss of Rs. 14.12 lakhs due to delay in provision of the connections. This was examined by the PAC and they "trusted that such lapses would be avoided in future by advance planning and coordinated action to ensure that cables, dialling units etc. are available in time". Suitable instructions have been issued to all concerned to avoid such situations.

Arrears of Telephone Bills

9593. **Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Communications** be pleased to state :

(a) whether a large number of telephone bills have remained unpaid during 1973-74; and

(b) if so, the amount of telephone bills outstanding, Circle-wise and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) The position is indicated below :—

(1) Amount of bills issued during 1973-74 up to January 1974 . Rs. 151.56 crores.

(2) Out of the above, bills outstanding for more than 3 months (i.e. arrears) as on 31-1-74 . . . . Rs. 2.38 crores.

(b) A statement showing the Cirle-wise position is enclosed. Since the bulk of the revenue is billed after the service is rendered, some arrears are inevitable .

Statement

Circle-wise arrears (Three months old outstandings) as on 31st January, 1974 in respect of bills issued during 1973-74 up to 31st Oct., 1973.

Name of Circles/Telephone Districts	Arrears
	(Amount in lakhs of Rs.
Calcutta Telephones	10.65
Delhi ,,	40.47
Bombay ,,	22.48
Madras ,,	9.20
Hyderabad ,,	1.19
Bangalore ,,	0.99
Ahmedabad ,,	0.87
Poona ,,	0.39
Kanpur ,,	1.48
Nagpur ,,	1.35
Patna ,,	3.19
Jaipur ,,	1.90
Coimbatore ,,	0.45
Lucknow ,,	1.80
Andhra Circle	1.64
N.E. ,,	35.86
Bihar ,,	10.02
M.P. ,,	18.43
Maharashtra Circle	4.54
Gujarat ,,	1.41
J&K ,,	16.76
Kerala ,,	2.56
Tamilnadu ,,	1.39
Karnataka ,,	1.12
Orissa ,,	10.13
Punjab ,,	5.89
Rajasthan ,,	1.98
U.P. ,,	13.24
West Bengal ,,	17.10
	238.48 (Rs. 2.38 Crores)

Take over of Kharagoda Potassium Plant by Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar

9594. **Shri Mahadeepak Singh Shakya** : Will the Minister of Science and Technology be pleased to state :

(a) whether the Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar has taken over the Kharagoda Potassium Plant; and

(b) if so, the time by which the work will be completed and the benefits to be accrued therefrom ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) The Hindustan Salts Ltd., Jaipur have agreed with Scientist-in-charge, Central Salt and Marine Chemicals Research Institute (CS&MCRI), Bhavnagar that the Potassium Plant may be shifted to CS&MCRI owing to inadequate laboratory facilities at Kharagoda.

(b) A techno-economic feasibility Report has been forwarded by the Central Salt & Marine Chemicals Research Institute (CS&MCRI) to Hindustan Salt Limited (HSL) for their consideration.

Prices of Bidis and Cigarettes

9595. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**

Shri Lalji Bhai :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether prices of bidis and cigarettes were increased by Government considerably during the last three years;

(b) if so, whether Government have conducted any survey in regard to increase in the number of smokers; and

(c) the measures being taken to arrest the prices ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaru Rahman Ansari) : (a) Since there is no control on prices of Bidies & Cigarettes, the question does not arise.

(b) The information is not readily available.

(c) Does not arise in view of (a).

पश्चिम बंगाल में संकटग्रस्त कपड़ा मिलें

9596. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान पश्चिम बंगाल की संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के लिये क्या व्यवस्था की गई है ; और

(ख) राज्य की संकटग्रस्त तथा बंद पड़ी मिलों के संबंध में योजना आयोग के सुझावों की रूप-रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा राज्य की 14 कपड़ा मिलों जिनका प्रबंध सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है के लिए 1974-75 की अवधि के लिए 150 लाख रु० के प्रस्तावित प्रावधान के मुकाबिले आयोग द्वारा 75 लाख रु० का एक अस्थायी योजना प्रावधान करने का सुझाव दिया गया था । पश्चिम बंगाल की संकटग्रस्त और बंद कपड़ा मिलों की समस्याओं की संवीक्षा देश भर में संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को पुनर्जीवित करने और उन्हें पुनस्थापित करने के संबंध में चालू नीति के संदर्भ में की जानी चाहिए । सरकारी प्रबंध के अंतर्गत संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम को पांचवीं योजना कार्यक्रम में अपेक्षित प्राथमिकता प्रदान की गई है ।

पुरुलिया जिले के व्यक्तियों के लिये राजनीतिक पेंशन

9597. **श्री एस० एन० सिंह देव** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में अब तक किस किस व्यक्ति को राजनैतिक पेंशन दी गई है ; और

(ख) इस जिले के कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) तथा (ख) पुरुलिया जिला, पश्चिम बंगाल के व्यक्तियों से प्राप्त 546 आवेदनपत्रों में से 322 पेंशन के लिए स्वीकृत किये गये हैं, 63 अस्वीकृत किये गये हैं और 161 मामलों में आवेदकों द्वारा दी गई सूचना अधूरी है । अपूर्ण मामले राज्य सरकारों को भेजे जायेंगे, जो यदि आवश्यक हुआ, तो जिला/राज्य मंत्रणा समितियों से सलाह कर सकती हैं । इन सभी व्यक्तियों के नाम देना सम्भव नहीं है ।

लखनऊ में बमों तथा खोलों की बरामदगी

9598. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :
श्री महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में 5 अप्रैल, 1974 को बड़ी मात्रा में बम तथा छूरे बरामद किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस बम घोटाले की सूचना दी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ में बाजार खाला में 5-4-1974 को श्री राम औतार के पास से 25 बम तथा 39 खाली शैल बरामद किये गये थे जिससे पूछताछ करने पर पुलिस ने ऐरा बाग में जमुना झील से 6-4-74 को 6 और बम (2 भरे तथा 4 खाली) बरामद किए ।

(ख) जी हां श्रीमान्। स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है।

(ग) जैसा उपरोक्त (क) में बताया गया है, जांच पड़ताल की जा रही है।

(घ) राम अवतार को गिरफ्तार किया गया है।

डाक-प्रक्रिया का पुनरीक्षण

9599. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :
श्री डी० डी० देसाई :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक सेवायें अधिक खराब होती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय डाक सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से डाक प्रक्रियाओं का पुनरीक्षण करने के लिए एक विशेष यूनिट स्थापित करने का विचार कर रहा है;

(ग) क्या डाक व तार सर्किलों के अध्यक्षों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में अप्रैल, 1974 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त सम्मेलन में डाक-प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कुछ सुझाव दिये गए थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) डाक सेवाओं का कुशलतापूर्वक काम करना बहुत कुछ रेलवे, एयर लाइनों और सड़क परिवहन के चालू रहने पर निर्भर करता है। पिछले वर्ष के दौरान या इसके आस-पास रेल और हवाई सेवाएं समय-समय पर अस्तव्यस्त होती रही जिसका परिणाम यह हुआ कि डाक वस्तुओं के प्रेषण और वितरण में कुछ विलम्ब हुआ। सेवा में सुधार लाने के लिए विभाग में डाक संबंधी प्रक्रियाओं का लगातार पुनरीक्षण किया जाता है। हाल ही में जो कुछ कदम उठाए गए हैं उन में है—डाक का ज्यादा तेजी से निपटारा करने के लिए मातहत यूनिटों को ज्यादा अधिकार सौंपना, कुछ डाक प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना और जनता को ज्यादा कुशल सेवा प्रदान करने के लिये अनावश्यक फार्मों में संशोधन करना और उन्हें समाप्त करना।

(ग) जी हां।

(घ) सम्मेलन में दिए गए सुझाव सामान्य प्रकार के थे। सेवाओं में सुधार लाने के लिये किसी विशेष यूनिट का गठन करने के सम्बन्ध में सम्मेलन में कोई सुझाव नहीं दिया गया था।

नौसैनिक जहाजों को चलाने के लिये आणविक शक्ति का प्रयोग

9600. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसैनिक जहाजों को चलाने में इस्तेमाल के लिये आणविक शक्ति का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल के टैंकरों तथा व्यापारिक जहाजों को चलाने के लिये भी परमाणु शक्ति का उपयोग किया जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, हां। नौसैनिक जहाजों को चलाने में परमाणु बिजली का प्रयोग करने की सम्भावनाओं का अध्ययन कुछ समय से किया जा रहा है तथा नौसेना के साथ मिलकर एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। वह रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है।

(ख) तथा (ग) तेल के टैंकरों तथा व्यापारिक किस्म के नौसेना के व्यापारिक जहाजों को चलाने में परमाणु बिजली का प्रयोग करने के बारे में अब तक कोई अध्ययन इसलिए नहीं किया गया है कि स काम पर काफी खर्च आयेगा।

ऊर्जा संकट हल करना

9601. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत में ऊर्जा संकट दूर करने के लिये कुछ उपायों पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई विदेशी सहायता मांगी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) जी, हां।

(ख) भारत में ऊर्जा संकट से निपटने के लिये उठाये जाने वाले कतिपय कदम इस प्रकार हैं : उपलब्ध विजली उत्पादन क्षमताओं से अधिकतम उत्पादन करना, बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वियन में शीघ्रता करना, कोयले का उत्पादन बढ़ाना, इंधन तेल के स्थान पर कोयले और या बिजली का उपयोग करना, परिवहन गाड़ियों में पैट्रोल के अन्तरिक उत्पादन में कमी करना और तेल की खोज में वृद्धि करना।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

कोलगेट पालमोलिव (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का विस्तार

9602. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री कोलमेट पालमोलिव (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड में उत्पादन के बारे में 6 मार्च, 1974 के अतारांकित प्रश्न सं० 2131 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 और वर्ष 1973 में कंपनी की लाइसेंस प्राप्त क्षमता और स्थापित क्षमता कितनी थी;

(ख) वर्ष 1965 के दौरान वास्तविक उत्पादन क्या था;

(ग) क्या यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने बिना किसी अनुमति के 1965 और 1973 के बीच अपनी स्थापित क्षमता का काफी विस्तार कर लिया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ड.) अनधिकृत विस्तार के कारण कंपनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6953/74]

(ग) और (घ) मैं० कालगेट पालमोलिव (इण्डिया) प्रा० लि० को टूथपेस्ट बनाने में पर्याप्त विस्तार करने हेतु एक लाइसेंस प्राप्त करने के आवेदन पत्र के सन्दर्भ में सरकार द्वारा जुलाई, 1966

में यह सूचित किया गया था कि उपर्युक्त वस्तु के सम्बन्ध में यदि अतिरिक्त पूंजीगत उपकरण अधिष्ठापित नहीं किए जाते हैं अथवा कच्चे माल का आयात करने हेतु विदेशी मुद्रा का आवंटन नहीं किया जाता है तो 15.50 लाख के जी (अर्थात् 1550 मी० टन) की ऊँची क्षमता को तीन पाली के आधार पर मान्यता देने में सरकार को कोई आपति नहीं है। उस समय प्रवृत नीति के अनुसार फर्म को पर्याप्त विस्तार का औद्योगिक लाइसेंस लेना जरूरी नहीं था। कम्पनी ने टूथपेस्ट बनाने में अपनी स्वीकृत क्षमता से अधिक निर्माण किया है।

(ङ) इस विषय में जांच हो रही है।

लाइसेंसों के लिये बड़े औद्योगिक गृहों से प्राप्त आवेदन पत्र

9603. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री देवेन्द्र सिंह गुरचा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बड़े औद्योगिक गृह, बड़ी स्वतंत्र कंपनी तथा विदेशी नियंत्रण वाली कपनी से औद्योगिक लाइसेंसों के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान प्रत्येक को दिए गये लाइसेंसों का विवरण क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक आवेदन से प्राप्त एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग को भेजे गए औद्योगिक लाइसेसों के लिए आवेदन पत्रों का विवरण क्या है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान एकाधिकार निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रत्येक आवेदक से प्राप्त, निपटाए गए आवेदन पत्रों का विवरण क्या है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी): (क) और (ख) जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों के आंकड़े औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति रिपोर्ट 1969 में वर्गीकृत बीस बड़े गृहों द्वारा नियंत्रित अथवा उनसे सबधित फर्मों और कम्पनी कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई सूचियों के अनुसार विदेशी कम्पनियों को भारतीय सहायक कम्पनियों/विदेशी कम्पनियों की शाखाओं जैसी श्रेणियों के अनुसार रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में इन श्रेणियों को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों को निम्न तालिका में दिया गया है :—

श्रेणी	1971	1972	1973
1. औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट 1969 में वर्गीकृत 20 बड़े गृहों द्वारा नियंत्रित अथवा उनसे संबंधित फर्म कम्पनी कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार	114	61	48
2. विदेशी कम्पनियों की भारतीय सहायक कम्पनियां अर्थात 50 प्रतिशत से अधिक विदशी शैयर वाली और विदेशी कम्पनियों की शाखायें	65	22	21

प्राप्ति की स्थिति पर उपर्युक्त श्रेणियों के अनुसार आवेदनों को वर्गीकृत नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम, 1969 की धारा 21 और 22 के अधीन आयोग को वर्षवार संदर्भ के लिए भजे गये आवेदनों की संख्या और आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट नीचे दी गई है :—

	1971	1972	1973	1974 (9-4-74 तक)	योग	टिप्पणी
संदर्भ के लिए भजे गये आवेदन	20	6	10	3	39	11 आवेदन पत्रों के बारे में संदर्भ को वापस कर लिया गया। बंद कर दिया। वर्ष 1973 के अन्त तक आयोग के पास 5 मामले अनिर्णीत थे।
पेश की गई रिपोर्ट .	6	7	7	3	23	

कम्पनी कार्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आयोग की ऐसी 20 रिपोर्टों को, जिन पर सरकार ने आदेश जारी कर दिये हैं, उनके बारे में सरकार के आदेशों की प्रति सहित सभा पटल पर रखे गये थे। तीन रिपोर्टें सरकार के विचाराधीन हैं।

मणिपुर में विकास कार्यों के लिये धनराशि का नियतन

9604. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने चौथी योजना में मणिपुर में इम्फाल के नगरीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 34.5 लाख रुपये की राशि नियत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या नियत राशि चौथी योजना अवधि में उपलब्ध नहीं करायी गयी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) और (ख) मनीपुर राज्य की चौथी योजना में इम्फाल के नगरीय क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए 34.5 लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी जबकि राज्य सरकार ने सम्भावित खर्च की राशि 35 लाख रुपये बतायी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बी० एस० एफ० बेस हास्पिटल, जालन्धर कैन्ट के कार्यकारी चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

9605. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी० एस० एफ० बेस हास्पिटल जालंधर कैंट के कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी बड़े पैमाने पर सरकारी औषधियों/सम्पत्ति/मोटर गाड़ियों भूमि तथा आवास का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) चिकित्सा अधिकारी, जो सीमा सुरक्षा बल के बेस होस्पिटल, जालन्धर छावनी में प्रभारी अधिकारी था, के विरुद्ध सरकारी आवास के किराये का भुगतान न करने, औषधि तथा अस्पताल की वस्तुओं का दुरुपयोग करने, अम्बुलैंन्स वाहन का दुरुपयोग करने आदि के सम्बन्ध में कुछ गुमनाम शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच हो रही है।

आकाशवाणी में कर्मचारियों की छंटनी

9606. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में कर्मचारियों के लिये स्टाफ इन्सपैक्शन यूनिट के सिद्धान्तों को कार्यरूप देने के पश्चात् वहां प्रशासनात्मक कर्मचारियों की भारी संख्या में छंटनी की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और छटनी किये गये कर्मचारियों को रोजगार देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में ग्रामीण औद्योगिक विकास परियोजनायें

9607. **श्री शक्ति कुमार सरकार** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र में चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण औद्योगिक विकास परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) पांचवीं योजना में उक्त राज्यों में ग्रामीण औद्योगिक विकास के लिये मुख्य प्रस्ताव क्या है और उन पर उद्योगवार कितना पूंजी निवेश होगा, उनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेगी और उनसे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिये निश्चित विकास संबंधी योजनाएं अभी तैयार की जानी हैं, अतः इस स्थिति में पांचवीं योजनावधि में इन राज्यों में उद्योगों के स्थापना-स्थल और रोजगार की सभाव्यता और उद्योगवार कितना पूंजी निवेश होगा यह बताना संभव नहीं है।

विवरण

(क)	पश्चिम बंगाल	गुजरात	महाराष्ट्र
(1) पनपने के लिये सहायता-प्राप्त एककों की संख्या (मार्च, 1973 तक)	4924	2117	1353
(2) अचल तथा कार्यकारी पूंजी निवेश (मार्च, 1973 तक) .	356 लाख रु०	82.09 लाख रु०	129.51 लाख रु०

	पश्चिम बंगाल	गुजरात	महाराष्ट्र
(3) उत्पादन का कुल मूल्य (1972-73 में) .	594 लाख रु०	62.80 लाख रु०	150.69 लाख रु०
(4) उत्पन्न रोजगार संभाव्यताएं . . .	27,318 व्यक्ति	3107 व्यक्ति	4800 व्यक्ति
(5) 1973-74 तक दी गई केन्द्रीय सहायता ऋण और अनुदान दोनों।	149.47 लाख रु०	72.85 लाख रु०	135.50 लाख रु०

Protest Week to be observed by Central Government Officers

9608. **Shri M.C. Daga :**
Shri H.M. Patel :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in a local daily dated the 15th April, 1974 under caption 'Protest week planned by Central Officers'; and

(b) if so, the reaction of the Gover nment thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) Government have noticed certain statements appearing in the Press on behalf of the All India Confederation of Central Government Officers' Associations about their intention to observe a "Protest week" all over the country from the 1st May, 1974. As far as Government are aware the main issue raised by the Confederation related to the scales of pay of officers of the Central Class I Services. The views of the Confederation contained in the various memoranda submitted by them, from time to time were taken into account before Government took final decisions on the Pay Commission's report relating to the scales of pay of Class I Officers, which were announced in the Lok Sabha by the Finance Minister on the 29th March, 1974.

P.C.O. in Village Gudu Ramsingh in Karchi Tehsil

9609. **Shri M.C. Daga :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether the people of Gudu Ramsingh of Karchi Tehsil of Pali district have made a demand for opening a Public Call Office and if so, the reaction of Government thereto; and

(b) whether Government are aware that many people of Gudu Ramsingh are prepared to pay the charges for installing a telephone and if so, the time by which a telephone will be installed in the above village ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir. The demand has been received recently from Gram Vikas Mandal and the same is under examination.

(b) Yes, Sir. Time frame can be fixed only after examination of the proposal from both technical and financial angles are completd.

Overstaffing in Ministry

9610. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state whether the Ministry is overstaffed and if so, the percentage thereof and the steps taken to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Communications (Prof Sher Singh) : The Ministry is not overstaffed.

Centrally sponsored Schemes for Welfare of Scheduled Castes

9611. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the nature of various centrally sponsored schemes for the Welfare of Scheduled Castes for the last year and the funds provided for and spent on each of them indicating the names of those schemes?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Sh. F.H. Mohsin) : Centrally sponsored schemes include those schemes which are of highly nationwide priority or of such specific incapable nature for which intensive measures are needed to be taken for a long time. Total Expenditure on these schemes is incurred by Govt. of India. Implementation of these schemes is effected through State/Union territories.

A Statement showing different schemes undertaken under the programme for welfare of Scheduled Castes and sanctioned amount for last year (1973-74) is enclosed.

Financial year 1973-74 has just ended and information cannot be collected immediately regarding expenditure pertaining to this year.

STATEMENT

Names of the Schemes undertaken under the Programme for the welfare of Scheduled Castes and sanctioned amount for each scheme for the last year (1973-74)

Name of Scheme	Amount sanctioned in 1973-74
	Amount (in lakhs) Rs.
1. Post-Matric Scholarships	727.90
2. Hostels for Girl students	18.89
3. Improvement in the working and living conditions of persons engaged in emergency service	54.34
*4. Pre-Examination Training Centres	20.35
*5. Construction of Houses for Harijans in 'Jayanti Villages' . . .	500.00

*The object of the schemes is to provide educational facilities to Scheduled Castes and Scheduled tribes.

**As a part of Celebrations of 25th Anniversary of Independence this scheme had been undertaken as a non-plan centrally-sponsored scheme for construction of houses for Harijans in 'Jayanti villages'.

प० बंगाल के लिये अधिक केन्द्रीय आवंटन

9612. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बगाल के विभिन दलों के 24 विधान सभा सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में उनसे यह अनुरोध करने के लिए मिला था कि पटसन, पटसन से बनी वस्तुओं तथा चाय के निर्यात से देश की विदेशी मुद्रा की आय में पश्चिम बगाल के प्रमुख योगदान को ध्यान में रखते हुए केन्द्र से राज्य को वित्तीय सहायता तथा खाद्यान्नों का अधिक मात्रा में आबटन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो अनुरोध के प्रति केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले से तेल संबंधी अनुसंधान

9613. **श्री इन्द्रजीत गुप्तः** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ईधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद ने कोयले से तेल निकालने के बारे में अनुसधान कार्य कर रही है ;

(ख) क्या कोयले से गैस उत्पन्न करना और कोयला तैयार करना दो क्षेत्र हैं जिनमें देश में पर्याप्त तकनीकी ज्ञान उपलब्ध हैं ;

(ग) कोयले से तेल निकालने वाले प्रथम प्रयोगिक संयंत्र के लिये, जिसे गत वर्ष स्वीकृति दे दी गई थी, उपकरण खरीदने में सरकार के असफल होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उच्च स्तर पर समन्वय के लिये कोयला अनुसंधान निगम स्थापित करने के डा० ए० लाहरी के प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) कोयला तैयार करने के क्षेत्र में स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। फिर भी, कोयला गैसीकरण के क्षेत्र में हमारा अनुभव कम है और इसे अधिक बढ़ाना है।

(ग) उपकरण के भाग को खरीदने के लिये विदेशी मुद्रा के वितरण पर कार्यवाही जारी है ।

(घ) डा० लाहिरी द्वारा प्रस्तावित कोर उद्योग के लिये अनुसंधान और विकास की व्यवस्था के हेतु प्रस्ताव, जिसमें कोयला अनुसधान निगम की स्थापना शामिल है, सी० एस० आई० आर० की शासी सभा द्वारा इस प्रस्ताव को जांचने के लिये नियुक्त की गई समिति द्वारा इस पर कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय का गरीब के स्तर की आय का होना

9614. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह प्रति व्यक्ति आय कितनी है जो भारत में गरीबी के स्तर की आय में मानी जाती है

(ख) उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों में प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय औसत तथा गरीबी के स्तर की आय से भी कम है ; और

(ग) इन जिलों की गरीबी दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं पचवर्षीय योजना दस्तावेज-के प्रारूप के अनुसार भारत में वर्ष 1972–73 की कीमतों के आधार पर प्रति मास रु० 40.6 प्रति व्यक्ति आय को निर्धनता स्तर की आय के रूप में माना गया है।

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन प्रति व्यक्ति आय के जिलावार अनुमान संधारित नहीं करता। तथापि, उत्तर प्रदेश के राज्य योजना संस्थान ने उत्तर प्रदेश में 54 जिलों के बारे में मोटे तौर पर जिला-वार अनुमान तैयार किए हैं किन्तु ये भी प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 1968–69 के लिए ही उप-लब्ध हैं।

इन अनुमानों पर आधारित उत्तर प्रदेश के 41 जिले थे जिनमें 1968–69 के दौरान रु० 556 की अखिल भारतीय औसत आय से प्रति व्यक्ति आय कम थी। उक्त वर्ष 11 जिले ऐसे थे जिनमें औसतन प्रति व्यक्ति आय निर्धनता-स्तर से कम थी।

(ग) योजना कार्याक्रम जैसे कि छोटे किसानों के लिये विकास एजेन्सियों की स्थापना करना,उप-सीमान्त किसानों और खेतिहार मजदूरों के लिए परियोजनाएं, कृषि साख के प्रवर्धित, प्रावधान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों संबंधी कार्यक्रम, पर्वतीय और जनजाति क्षेत्रों में उप-योजनाएं, अन्य क्षेत्रों के मुकाबले में कम विकसित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थिति को तरजीह देना, आदि कतिपय प्रमुख कदम हैं जो कि असमानताए कम करने के लिये उठाये गए हैं।

तथापि, उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों के विकास को तेज गति देने के लिये कोई खास कार्यवाही राज्य सरकार के परामर्श से निर्धारित की जायेगी क्योंकि राज्यान्तर्गत असमानताओं को हल करने का उत्तरदायित्व मूलतः उन्ही का है।

उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिये कच्चे माल के निक्षेपों का सर्वेक्षण

9615. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पांचवीं योजना में उद्योग स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश में कच्चे माल के निक्षेपों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राणा) : (क) से (ख) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

9616. **श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों तथा अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी-गढ़वाल, देहरादून, नैनीताल तथा श्री पिथौरागढ़ के मृत तथा विद्यमान स्वतंत्रता सेनानियों और भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों के नाम जिलावार पृथक-पृथक क्या हैं जिन्होंने 28 फरवरी, 1974 तक राजनीतिक पेंशनों के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) क्या उनके दावों का अध्ययन करके अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन मृत तथा विद्यमान स्वतंत्रता सैनानियों और भूतपूर्व आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी तक पेंशन मज़ूर की गई है और जिलेवार पेंशनों की राशि कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (ग) स्वतंत्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों की संख्या जिन्होंने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों से पेंशन के लिये आवेदन किया था और उनकी संख्या जिनकी पेंशन के लिये अनुमोदन किया गया है, के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। व्यक्तियों के नाम तथा प्रत्येक मामले में पेंशन की राशि देना सभव नहीं है। फिर भी, स्वतंत्रता सेनानी के मामले में न्यूनतम पेंशन 200.00 रुपये तथा आश्रित को 100.00 रुपये प्रति माह है।

विवरण

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों के स्वतंत्रता सेनानियों तथा भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या तथा पेंशन स्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों की संख्या।

क्रम स०	जिले का नाम	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या		स्वीकृत मामलों की संख्या	
		स्वतंत्रता सेनानी	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी	स्वतंत्रता सेनानी	भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारी
1	अल्मोड़ा	452	301	255	9
2	चमौली	57	161	37	11
3	टहरी	—	—	—	—
4	गढ़वाल	260	436	162	129
5	टेहरी-गढ़वाल	36	—	18	—
6	देहरादून	217	41	132	2
7	नैनीताल	606	63	399	11
8	पिथौरागढ़	98	152	63	7
	जोड़	1726	1154	1066	169

आकाशवाणी से भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिये विद्वानों का आमंत्रण

9617. **श्री बेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिये कितने और कौन-कौन से विद्वान आमंत्रित किये गय ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : एक विवरण जिसमें अपेक्षित ब्यौरा दिया गया है सदन की मेंज पर रख दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 6954/74**] ।

महमान कलाकारों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रस्ताव

9618. **श्री बेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य सूचकांक में वृद्धि को देखते हुए सरकार महान कलाकारों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) सभी प्रकार के भाषित (स्पोकन वर्ड) कार्यक्रमों (अर्थात् वार्ता, चर्चा, इन्टरव्यू, नाटक तथा रूपक) के लिये केज्युअल आर्टिस्टों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की ऊपरी सीमा में संशोधन करने के बारे में पुर्नविलोकन किया जा रहा है । इस संबंध में ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

अहमदाबाद में एक दैनिक समाचारपत्र के चीफ रिपोर्टर के घर पर पुलिस द्वारा छापा मारा जाना

9619. **श्री बेकारिया :**
श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अहमदाबाद के पत्रकारों से गुजरात पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या पुलिस ने 9 अप्रैल, 1974 को 'जय हिन्द' नामक दैनिक समाचारपत्र के चीफ रिपोर्टर के घर पर छापा मारा था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) गुजरात सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही हैं और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायगा ।

सीमेंट के छोटे कारखाने

9620. **राम प्रकाश :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिये देश में सीमेंट के कुछ छोटे-छोटे कारखानों को मंजूरी देने तथा ऐसे कारखाने स्थापित करने का भी सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) प्राक्कलन समिति ने अपनी साठवीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी स्टेंडर्ड प्लांटों से अपेक्षाकृत छोटी क्षमता के वर्टीकल शाफ्ट क्लिनों को उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनमें सीमेंट की कमी है और जहां कुछ मात्रा में चूने का पत्थर उपलब्ध है। देश में अभी वाणिज्यिक आधार पर शाफ्ट क्लिन अथवा छोटे सीमेंट संयंत्रों को सफलतापूर्वक चलाने का प्रयोग नहीं किया गया है। तकनीकी आर्थिक संभाव्यता के आधार पर छोटे सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के आवेदन पत्रों पर गुणावगुनों की दृष्टि से विचार किया जायेगा।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में जानकारी प्राप्त करना

9621. **श्री समर गुह :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी आयोग की सहायक राष्ट्रीय समिति के संयोजक ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सामने कामरेड ब्रेजनेव को पिछली वार उनके भारत के दौरे के समय एक पत्र लिखकर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के बारे में उनके पास उपलब्ध सभी जानकारी देने का अनुरोध किया था ;

(ख) क्या उक्त पत्र को रूसी नेता के साथ आये रूस सरकार के एक अधिकारी ने प्राप्त किया था ; और

(ग) क्या विदेश मंत्रालय द्वारा सोवियत सरकार से कोई उत्तर प्राप्त किया गया तथा उसे गृह मंत्रालय को भेजा गया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार, सदस्य महोदय ने जो नेताजी जांच आयोग की सहायता के लिये राष्ट्रीय समिति के सयोजकों में से एक हैं, 29 नवम्बर, 1973 को एक पत्र आयोग के सामने प्रस्तुत किया था जो उनके द्वारा मिस्टर लियोनिद ब्रेजनेव को उनकी भारत यात्रा के दौरान लिखा गया बताया जाता है और जिसे, उनके अनुसार रूसी नेता के साथ आये एक अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

भारतीय आयोजना में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का योगदान

9622. **श्री समर गुह : क्या योजना मंत्री** भारतीय राष्ट्रीय आयोजना में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के योगदान के संबंध में 13 दिसम्बर, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारत की राष्ट्रीय आयोजना में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के योगदान पर एक प्रकाशन निकालने का वचन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रकाशन निकालने में विलम्ब के क्या कारण हैं।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पूरक प्रश्नों के उत्तर में योजना मंत्री ने कहा, "इस देश की आयोजन प्रक्रिया में नेताजी के योगदान का हम परिश्रम कर अध्ययन करेंगे और ब्यौरों का अध्ययन कर तथा इस विषय में कुछ अनुसंधान कर हम इस प्रश्न पर विशेष पुस्तिका प्रकाशित करेंगे"।

(ख) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के अनुसंधान और संदर्भ प्रभाग ने एक पाण्डुलिपि तैयार की है और उसकी जांच की जा रही है। जैसे ही जांच कार्य पूरा होगा प्रकाशन करने का प्रयत्न किया जायेगा।

पांचवीं योजना में पर्याप्त मात्रा में खाद्य तथा ईन्धन की सप्लाई

9623. **श्री पी० गंगादेव : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में पर्याप्त मात्रा में खाद्य तथा इंधन की सप्लाई तथा मुद्रा स्फीति किए बिना संसाधन जुटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि वित्तीय संसाधान तथा योजना में भौतिक कार्यक्रमों की सफलता के बीच एक द्विमार्गी संबंध है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) खाद्य की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये पांचवीं योजना प्रारूप में खाद्यान्नों तथा आम उपयोग के सामान जैसे खाद्य तेल, चीनी आदि के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि की कल्पना की गई है। इसमें वसूली और आवश्यक जिन्सों के वितरण में कुशल व्यवस्थायें करने की भी परिकल्पना की गई है।

इंधन की उपलब्धि पर्याप्त मात्रा में सुलभ करने के लिये इसमें अनेक कदमों की परिकल्पना की गई है जिनमें कोयले के उत्पादन में काफी वृद्धि, तेल खोज कार्यक्रम में तीव्रता लाना, विद्युत शक्ति और परमाणु ऊर्जा की उपलब्भि बढ़ाना, उपयोग में किफायतसारी अपनाना, तरल ईधंन का प्रतिस्थापन तथा इसका उपयोग विशिष्ट क्षेत्रों और इलाकों तक सीमित रखना और अर्थव्यवस्था में सर्वोपरि ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कार्यक्रम तैयार करने व समन्वित करने के लिये उच्चस्तर ऊर्जा बोर्ड का गठन शामिल है।

पांचवीं योजना के लिये धन उपलब्भ करने की स्कीम मुख्यतः गैर स्फीतिकारक है। इसके इलावा धाटे की अर्थव्यवस्था की मात्रा सीमित रखने और अतिरिक्त संसाधानों को जुटाने के लिये अपनाये जाने वाले उपायों में सार्वजनिक विनियोजनों से उच्च दर पर फलप्राप्ति, प्रत्यक्ष करों खासकर शहरी सम्पत्ति की उच्च दरें, धनियों के प्रदर्शन उपभोग पर रोक लगाने के लिये आबकारी शुल्कों की विभिन्न प्रनाली कर आधार को खास कर कृषि पर कर लगा कर विस्तृत करना और कर वंचना को रोकने के लिये कर प्रशासत को व्यवस्थित करना आदि शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

दिल्ली विश्वविद्यालय प्रांगण में "काल गर्ल" गिरोह

9624. **श्री पी० गंगा देव :**

श्री मधु दण्डवत :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 8 अप्रैल, 1974 को "काल गर्ल रैकेट इन कैम्पस बर्स्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या हैं ; और

(ग) ऐसे घोटाले को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्। किन्तु दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट का खण्डन किया है।

(ख) और (ग) दिल्ली पुलिस ने सात चोरों के गिरोह जिसमें तीन महिलायें शामिल हैं का पता लगाया। उनमें से एक महिला कुछ पढ़ी लिखी है अन्य दो निरक्षर हैं। उनमें कोई भी विद्यार्थी नहीं है। एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया और सभी सात व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे चोरी की गई 1.5 लाख रुपयों की सम्पति बरामद की गई है। मामले की जांच की जा रही है।

विकासशील देशों से प्रतिभा का पलायन

9625. **श्री राजदेव सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संयुक्त राष्ट्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में समिति में तथा महा सभा के अगले नियमित सत्र में विचार के संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निदेश पर तैयार की गई उस रिपोर्ट का पता है जिसमें विकासशील देशों से प्रतिभा-पलायन संबंधी समस्याओं के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) जी, हां।

(ख) यह कहना कठिन है कि भारत जैसे देशों से चिकित्सकों और नर्सों के बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लागाने से यू० एस० ए० और यू० के० की अस्पताल प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

(ग) भारत से प्रतिभा-पलायन रोकने के लिये किये गये उपायों को दिखाते हुए एक विवरण संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त यू० एस० ए० की विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा परिषद (ई० सी० एफ० एम० जी०) जिसने यू० एस० ए० में रोजगार प्राप्त करने के हेतु आवश्यक योग्यताएं प्राप्त करने के लिये भारतीय डाक्टरों के इस देश में आने की सुविधा प्रदान की थी, पर रोक लगा दी गई है।

विवरण

रोजगार के अवसरों को उन्नतशील बनाने के लिये जो चरण पहिले ही उठाये गए हैं वे इस प्रकार है :—

(1) रोजगार के लिये उपलब्ध व्यक्तियों का विवरण प्रदान करते हुए जनशक्ति मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है। इस बुलेटिन की लगभग तीन हजार प्रतियां रोजगार प्रदान करने वाले विभिन्न संगठनों को निशुल्क वितरित की जाती हैं ताकि उनको ऐसे व्यक्तियों का उपयोग करने में सुविधा प्राप्त हो सके।

(2) भर्ती करने वाले निकायों तथा रोजगार देने वालों की सी० एस० आई० आर० (वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्) को प्रेषित अधि-सूचनाओं के प्रत्युत्तर में योग्य उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की जाती है।

(3) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकासित विज्ञापनों की जांच भी करती हैं और उन विज्ञापनों के अनुसार उपयुक्त योग्यता वाले पंजीकृत को विज्ञापन दाता के विचारार्थ सिफारिश भी करती है।

(4) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आई० सी० एम० आर०, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् आदि द्वारा अनुसंधान छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(5) विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में अनुसंधान योजनाओं के विभिन्न अभिकरणों द्वारा धन लगाया जाता है। इस प्रकार रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।

(6) सी० एस० आई० आर० द्वारा संचालित वैज्ञानिकों के पूल की योजना में वैज्ञानिकों प्रौद्योगिकी विदों आदि को अस्थाई रोजगार प्रदान किया जाता है।

(7) विशिष्ट योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को जल्दी ही रोजगार में नियमित करने के लिये अधिसंख्यक पदों की एक योजना चल रही है।

(8) वर्ष 1973–74 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने के लिये योजना आयोग ने 45.85 करोड़ रुपये का एक आबंटन किया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1973–74 में केन्द्रीय बजट के सौ करोड़ रुपये के साथ शिक्षित बेरोजगारों के लिये "हाफ ए मिलियन जोब्स प्रौग्राम" कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बचत को ध्यान में रखकर यह राशि कम करके सत्तर करोड़ रुपये कर दी है। इस कार्यक्रम द्वारा 2.85 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

(9) योजना आयोग ने तेईस करोड़ रुपये की एक धनराशि राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को रोजगार के विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिये प्रदान करने हेतु अलग रखी है। इस राशि के अलावा राज्यों को अतिरिक्त तेईस करोड़ रुपये की राशि इस कार्य में लगानी पड़ेगी। इस कार्यक्रम द्वारा दो लाख व्यक्तियों से अधिक को 133.56 लाख व्यक्ति-दिवसों सहित रोजगार का लाभ प्राप्त हुआ है।

(10) वर्ष 1974–75 में रोजगार पदोन्नति कार्यक्रमों के लिये योजना आयोग ने चालीस करोड़ पये का एक आबंटन किया है।

उद्योगों के संवर्द्धन के लिये खादी व ग्रामोद्योग निगम के लिये नियतन

9626. **श्री राज देव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री खादी व ग्रामोद्योग निगम द्वारा पांचवीं योजना में उद्योग कार्यक्रम के विस्तार के बारे में 20 मार्च, 1974 के तारांकित प्रश्न संख्या 382 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरोक्त अनुदानों के साथ साथ हुए वाणिज्यिक बैंक इस अवधि में इस निगम को राज सहायता प्राप्त दरों पर ऋण के रूप में 200 करोड़ रुपये देंगे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह विश्वास हो गया है कि आयोग के पास इस राशि का उपयोग करने के लिये उपयुक्त संगठन तथा विशेषज्ञता विद्यमान है; और

(ग) क्या ग्रामोद्योगों के कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिये इस निगम के पास उपयुक्त व्यवस्था है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार के अधीन ग्रामोद्योगों की संस्थागत वित्त योजना के अंतर्गत आयोग इस समय बैंकों के विचारार्थ समुचित उद्योगों और उपयुक्त जिलों या क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाने वाली विशिष्ट योजनाओं का पता लगा रहा है। अतएव इस समय बैंकों द्वारा की जाने वाली वित्त व्यवस्था की टीक-ठीक धनराशि का पुर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। इस योजना के अधीन बैंक दस्तकारों/संठगनों को सीधे ही वित्त प्रदान करेंगे तथा तकनीकी पर्यवेक्षण, विपणन सुविधाओं आदि के रूप में आयोग आवश्यक संस्थागत सहायता करता रहेगा जिसके लिए उसके पास विभिन्न स्तरों पर आवश्यक विशेषज्ञता तथा संगठनात्मक तंत्र विद्यमान है ।

तकनीकी विकास महानिदेशालय में अधिकारियों का स्थानान्तरण

9627. **श्री राज देव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माथुर समिति ने तकनीकी विकास महानिदेशालय में अधिकारियों का तीन वर्ष के पश्चात स्थानान्तरण करने की सिफारिश की थी; और

(ख) यदि हां तो तकनीकी विकास के महानिदेशालय में उद्योगों से संबद्ध कितने अधिकारियों को गत तीन वर्षों, पांच वर्षों और दस वर्षों से स्थानान्तरित नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम): (क) और (ख) माथुर कमेटी की तकनीकी विकास के महानिदेशालय में कर्मचारियों के स्थानान्तरण से संबंधित सुसंगत सिफारिशें जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है, नीचे उद्धृत की जाती हैं:—"इसलिए कि तकनीकी अधिकारी का दृष्टिकोण व्यापक बने, उनके अनुभव में विविधता का संचार हो, यह एक अच्छी नीति ही होगी कि जहां तक व्यवहार्य हो आवधिक रीति से विभिन्न निदेशालयों में वे भेजे जायें। इस उद्देश्य के लिए समानता के आधार पर अथवा परस्पर संबंधित कार्य के आधार पर जिसमें अधिकारी वर्ग कार्य करता है निदेशालयों के वर्ग बना दिए जायें और उन्हें अंदर ही परस्पर बदला जाया करे।

यह दृष्टव्य है कि कमेटी ने तकनीकी विकास के महानिदेशालय में तीन वर्षों के उपरांत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की सिफारिश नहीं की थी।

ऊपर बतायी गई सिफारिश के अनुसरण में तकनीकी विकास के महानिदेशालय में एक निदेशालय से दूसरे में 27 अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया है । तकनीकी विकास के महानिदेशालयों के पुनर्गठन के पश्चात् भी, जिसमें तकनीकी विकास के कार्यकलाप पर जोर दिया गया है अनेक अधिकारी औद्योगिक विकास विभाग, पौलीसी एण्ड प्लान डिवीजन आदि में उनकी अर्हता तथा अनुभव का ध्यान रखते हुए, स्थानान्तरित कर दिए गए हैं।

पिछड़े क्षेत्रों में रेडियो स्टेशन

9628. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बस्तर तथा अन्य जनजातिय क्षेत्रों जैसे पिछड़े क्षेत्रों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने में बहुत अधिक समय लगाया; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन क्षेत्रों में रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं चौथी योजना के जो उद्देश्य थे उनमें एक उद्देश्य पिछड़े क्षेत्रों में प्रसारण व्यवस्था का विस्तार करना था। पिछड़े क्षेत्रों में प्रसारण व्यवस्था करने के लिये एक रेडियो स्टेशन लेह (जम्मू और काश्मीर) में पहले ही चालू किया जा चुका है तथा एक स्टेशन तवांग (अरुणाचल प्रदेश) में शीघ्र ही चालू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में प्रसारण व्यवस्था करने के लिये रीवां, छतरपुर, जगदालपुर (बस्तर) तथा अम्बिकापुर में रेडियो स्टेशनों का निर्माण कार्य चल रहा है: एजल, जैपुर (उड़ीसा), शिलांग तथा विशाखापतनम के ट्रांसमिटरों की शक्ति बढ़ाने का कार्य भी चल रहा है।

राज्यों को सीमेंट नियतन

9629. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, महाराष्ट्र, तामिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, असम और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को गत तीन वर्षों में सीमेंट की कुल कितनी मात्रा का नियतन किया गया, और

(ख) नियतन में भेदभाव के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० बी० राणा): (क) और (ख) जुलाई, 1973 से पहले, राज्य-वार कोई विशेष आवंटन नहीं किए जाते थे। समय समय पर किए गए अनुरोध के आधार पर सीमेंट देने के आदेश दे दिए जाते थे। जब 1973 के प्रारंभ में यह पता लगा कि कुछ कारणों से उत्पादन में कमी के परिणामस्वरूप देश में सीमेंट की उपलब्धता में बाधा पड़ेगी तब नीति के रूप में यह निर्णय किया गया कि सीमेंट की उपलब्ध मात्रा को समान रूप में देने के लिये पिछले पांच वर्षों की अवधि में प्रत्येक राज्य द्वारा सीमेंट की औसत खपत के 110 प्रतिशत पर जुलाई, 1973 से जून, 1974 तक की अवधि के लिए हर राज्य को कोटे निर्धारित कर दिए जायें। ये कोटे राज्य विशेष

में निर्माण कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार के विभागों की आवश्यकताओं और बड़े एवं मझौले उद्योगों की आवश्यकताओं जिन्हें अलग से केन्द्रीय कोटे से पूरा किया जाता है के अलावा हैं। इस प्रकार कोटे निर्धारित करके राज्य सरकारों की सिफारिशों पर उनको आवंटित किए गए बड़े कोटों की एवज में आबंटन किए जाते हैं।

वर्ष 1971 और 1972 में दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और उत्तर के राज्यों को राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भेजा गया सीमेंट निम्न प्रकार है। इनमें राज्य को उस राज्य विशेष में निर्माण कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों की जरूरतों के लिये भेजा गया सीमेंट शामिल नहीं है।

आंकड़े (000 मी० टन में)

राज्य का नाम	भेजे गए वास्तविक प्रेषण	
	1971	1972
दिल्ली	471	488
महाराष्ट्र	1516	1575
तमिलनाडु	1302	1289
कर्नाटक	704	704
बिहार	633	636
उड़ीसा	282	287
आसाम	138	169
मध्य प्रदेश	496	567
उत्तर प्रदेश	1332	1539

इन राज्यों को जुलाई, 1973 से जून, 1974 की अवधि में किए गए आवंटन निम्न प्रकार हैं :—

(आंकड़े '000 मी० टन में)

राज्य का नाम	आवंटन
दिल्ली	606
महाराष्ट्र	1552
तमिलनाडु	1160
कर्नाटक	688
बिहार	697
उड़ीसा	248
आसाम	157
मध्य प्रदेश	442
उत्तर प्रदेश	2697

Allotment of Newsprint quota to daily papers published from Delhi

9630. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Information and Braodcasting** be pleased to state:

(a) the number of new newspapers, weekly and monthly periodicals in the country for the publication of which the Registrar of the Newspapers issued orders during the last three months;

(b) the names of the daily papers whose publication was started from Delhi during the last three months; and

(c) the newsprint quota allotted to each daily paper published from Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : (a) The Registrar of Newspapers does not issue any orders for the publication of new newspapers or periodicals. Newspapers or periodicals are required to get before publication their proposed titles cleared by making an application to the District Authorities in whose jurisdiction the place of publication falls. The District authorities concerned forward these appilcations to the Registrar of Newspapers for clearance of titles in terms of proviso to Section 6 of the Press and Registration of Books Act, 1867. During the peroid from 1st February, 1974 to 30th April, 1974. The Registrar of Newspapers gave clearance of titles for 112 dailies and 1244 periodicals (including 400 weeklies and 430 monthlies).

(b) According to information available with the Registrar of Newspapers, the following three dailies started publication from Delhi during the last three months:

1. Financial Express.
2. Centrol News Service.
3. Economic Times.

(c) A statement is attached.

STATEMENT

Newsprint Quota Entitlement for 1973-74 Finalised as on 4-5-1974

Sl. No.	Name of the Paper	Language	Quantity (in tonnes)
1	2	3	4
1.	Hindustan Times	English	4,500.06
2.	Hindustan	Hindi	3,432.36
3.	Hindustan Evening News	English	94.92
4.	Indian Express	English	2,872.69
5.	National Herald	English	317.73
6.	Patriot	English	1,094.43
7.	Statesman	English	1,320.36
8.	Milap	Urdu	583.49
9.	Motherland	English	250.38
10.	Times of India	English	2,806.14
11.	Navbharat Times	Hindi	4,000.14
12.	Tej	Urdu	43.16
13.	Dawat	Urdu	72.62

1	2	3	4
14.	Abheet	Punjabi	82.50
15.	Aljamiat	Urdu	45.24
16.	Doorandesh	Hindi	16.91
17.	Daily Delhi Cycle Market Report	English	2.38
18.	Savera	Urdu	24.92
19.	Adhikar	Hindi	3.30
20.	Jathedar	Punjabi	36.44
21.	Janyug	Hindi	148.18
22.	Amrit Patrika	Punjabi	63.28

Number of Indian Films sent for International Film Festival during 1973-74

9631. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcastina** be pleased to state the number of Indian Films sent for inclusion in the Internatioral Film Festival during 1973-74 and the names of the films among them awarded International awards?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dhram Bir Sinha) : 27 feature and 68 short films were sent for inclusion in the International Film Festivals held abroad during 1973-74 . The number is inclusive of films sent for screening in the 'Information' and 'Film Market' Sections for which there was no awards. The titles of the films which won awards are as follows :—

1. **'Vishvakarma—The Creator'**, a documentary produced by the Films Division won a Silver Medal in the XVI Cenematographic prize "Mercuriod Ore" at the Venice Film Festival held in May, 1973.

2. **'Then the Rains'**, a documentary film produced by the Films Division was awarded a certificate of Merit in the Festival on Human Enviornment held in Montreal in June, 1973.

3. **'Ashani Sanket'** (Bengali), a feature film directed by Shri Satyajit Ray was awarded Golden Bear at the 23rd Berlin International Film Festival held from 22nd June to 3rd July, 1973. This film also won the "Golden Hugo" Award in the 9th Chicago International Film Festival held in November, 1973.

4. **'Maya Darpan'** (Hindi) a feature film directed by Kumar Shahani received a special Mention in the Locarno internaional Film Festival held in August, 1973 It was given financial assistance by the Films Finance Corporation.

5. **'India Today'**, a documentary by the Films Division was Awarded the First Prize with a Special Award for Artistic Merit in the Tourfilm Festival held at Spindleruv Mlyn (Czechoslovakia) in September, 1973.

6. **'Manipur'**, a documentary film by the Films Division was awarded a Merit Certificate at the 10th International Educational Film Festival held at Tehran in September, 1973.

7. **'Rhythm of Kerala'**, a documentary by the Films Division was a warded a Certinficate of Merit in the Eighth Brisbane Film Festival held in July, 1973.

8. **'The Ultimate Ruler'**, a documentary by the Films Division was awarded a Certificate of Merit in Eighth Brisbane Film Festival held in July, 1973.

9. **'Swayamvaram** (Malayalam) a feature film directed by Shri Adoor Gopalakrishnan was awarded a Certificate of Merit by the Film Critics and Journlists Association of Sri Lanka in the VIth International Film Review held in Colombo in October, 1973.

बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय संचार केन्द्र

9632. **श्री मधु दण्डवते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में अन्तर्राष्ट्रीय संचार केन्द्र के नये भवन की कुल निर्माण लागत क्या है; और

(ख) इस लागत में से भवन की बाहरी दीवारों पर संगमरमर के पत्थर लगाने के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई थी।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) बम्बई में विदेश संचार सेवा के अन्तर्राष्ट्रीय संचार केन्द्र (विदेश संचार भवन) की नई इमारत के निर्माण की लागत के रूप में अब तक 128.40 लाख रुपयों का भुगतान हुआ है। प्रतिधारण की रकम सहित ठेकेदारों को दी जाने वाली बकाया रकम 2.25 लाख रुपये है।

(ख) इमारत की बाहरी दीवारों पर संगमरमर के पत्थर लगाने की कुल लागत 13.59 लाख रूपये है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

Re : Adjournment Motion

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir, you have not allowed the adjournment motion but I suggest that the hon. members who have given notices to this effect should be allowed to make their submission in two minutes each. There are certain new developments.

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी गई थी और तब आपको काफी समय दिया गया था।

व्यवधान

Shri Madhu Limaye (Banka) : Now the situation has completely **been** changed **(Interruptions)**. The Railwaymen have gone on strike from 6 o'clock **(Interruptions)**

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता–उत्तर-पूर्व) : हमने सभा में इस हड़ताल को रोकने के लिये पूरे प्रयत्न किये थे किन्तु हमारे सभी प्रयत्न विफल हो गये (**व्यवधान**) मैं सिद्धांत की बात कह रहा हूँ कि इस मामले पर सभा में किसी न किसी रूप में चर्चा होनी चाहिये (**व्यवधान**) यदि सरकार चुप है तो संसद भी चुप नहीं रह सकती। अत: मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्रीय समस्या पर विचार करना हमारा कर्तव्य नहीं है। आप इस प्रश्न पर स्वयं विचार करिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं दोनों पक्षों की बात सुनुगा।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, there is a great difference between the text of the adjournment motion already discussed and the adjournment motion in question on which we want a discussion. The situation has altogether changed now. Railway transport has stopped.. .**(Interruptions)** If there is no strike then why thousands of Railway employees have been arrested and personnel of territorial army have been called. In view of the gravity of situation we should be allowed to have a discussion on this motion.

श्री ए० पी० शर्मा (बक्सर) : अब यह किस बात पर चर्चा करना चाहते हैं (**व्यवधान**) वे देश में कहीं भी गाड़ियों का चलना नहीं रोक पाये हैं (**व्यवधान**) कलकत्ता और हावड़ा में स्थानीय रेल-गाड़ियां भी चल रहीं है । (**व्यवधान**)

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये । आप इस पर निष्पक्ष भाव से विचार कीजिये । इस विषय पर पहले चर्चा नहीं हुई थी । पहली चर्चा का विषय हड़ताल होने की सम्भावनाओं के बारे में थी । अब हड़ताल हो गई है । सरकार ने यूनियन लीडर को गिरफ्तार करके बात-चीत की सम्भावनाओं को समाप्त कर दिया है ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : पहले स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के समय हड़ताल को टालने तथा हड़ताल के परिणामों, दोनों पहलुओं पर चर्चा की जा चुकी है । (**व्यवधान**) यदि ये हड़ताल को समाप्त करना चाहते हैं तो चर्चा करने का लाभ हो सकता है अन्यथा यहां पर चर्चा का क्या लाभ होगा ?

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्री शर्मा ने अपनी कल्पना शक्ति के बल पर कहा है कि कलकत्ता हावड़ा और गुहाटी आदि क्षेत्रों में रेलगाड़ियां चल रहीं हैं । यदि उनमें हिम्मत है तो वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर देखें कि वहाँ क्या स्थिति है । (**व्यवधान**) प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार यह अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है । इससे पूर्व चर्चित मामला इससे भिन्न था । (**व्यवधान**) उस समय रेलवे हड़ताल को टालने के बारे में चर्चा की गई थी (**व्यवधान**) सरकार ने अब दमन और आंतक की नीति अपनाली है । अतः इस विषय पर चर्चा किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये । (व्यवधान)

Sri Shankar Dayal Singh (Chatia) : Sir, we have already discussed an adjournment motion even yesterday on the same matter which is being raised again by the opposition. Actually, it is not a proper time to bring an adjournment motion when lakhs of passangers. **(Interruptions)** are stranded at the Railway stations. I would like to appeal to the opposition leaders that they should not make it a political issue and they should ask the railwaymsn to call off the strike urgently.

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया सभी बैठ जाइए । मैंने विभिन्न प्रकार के सुझाव और तर्क सुन लिये हैं । यदि इन का अनुसरण किया जाये तो पुराने सभी प्रक्रिया सम्बन्धी नियम बदलने पड़ेंगे। इस मामले पर एक स्थगन प्रस्ताव आ चुका है तथा उस पर चर्चा हो रही है । एक ही विषय पर दो स्थगन प्रस्ताव कैसे आ सकते हैं. . . .रेलवे हड़ताल के बारे में उस दिन चर्चा हो चुकी है । मैं मंत्री महोदय से एक वक्तव्य देने के लिये कह सकता हूँ । अन्य प्रकार के प्रस्तावों की भी अनुमति दी जा सकती है किन्तु इस बारे में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : क्या आप भी समझते हैं कि जो स्थिति तीन चार दिन पहले थी वास्तव में हड़ताल आरम्भ हो जाने के बाद भी वही स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : चर्चा का विषय रेलवे हड़ताल ही था (**व्यवधान**)

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैंने आंग्ल-भारतीय रेलवे कर्मचारियों से अनुरोध किया था कि वे हड़ताल में भाग न लें किन्तु अब परिस्थिति बदल गई है (**व्यवधान**)

श्री सी० एम० स्टीफन : आपने अपना विनिर्णय दे दिया है तथा उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिये। इस मामले को दुबारा नहीं उठाया जा सकता है । (**व्यवधान**)

28 LSS/74—11.

व्यवधान

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं यह बताना चाहता हूं कि मुझे ऐसे व्यक्तियों की ओर से तार मिले हैं जो काम करना चाहते हैं किन्तु उन्हे कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है । उनके जीवन को खतरा है । अतः स्थिति अब बदल गई है । ऐसी स्थिति में इस पर चर्चा की अनुमति मिलनी चाहिये । वास्तव में सरकार ने इस हड़ताल के लिये कमचारियों को बाध्य किया है । **(व्यवधान)** मैं श्री फरनेड़ीज़ की भी भर्त्सना करना चाहता हूं **(व्यवधान)** मैंने हड़ताल के बारे में उनको पत्र लिखा था । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार निष्ठावान कर्मचारियों और उनके परिवारों को क्या संरक्षण देगी **(व्यवधान)** यदि सरकार उनको कोई संरक्षण देने से इनकार करती है तो मैं उनके लिये कल एक वक्तव्य जारी करूंगा **(व्यवधान)**

श्री वसंत साठे (अकोला) : यह आश्वासन दिया गया था कि निष्ठावान कर्मचारियों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा **(व्यवधान)**

श्री फ्रैंक एंथनी : 1960 और 1948 में आंग्ल-भारतीय कर्मचारियों ने ही रेल गाड़ियां चलाई रखी थीं किन्तु अब उनकी संख्या बहुत कम है । दूसरी बात यह है कि निष्ठावान कर्मचारियों के बच्चों को जानबूझकर रोजगार नहीं दिया जाता । मैंने रेलवे मंत्री को पांच-छः पत्र लिखे किन्तु उन्होने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया ।

प्रो० मधु दन्डवते (राजापुर) : मैं टेबिल आफिस से कापी उठा लाया हूं । श्री ज्योतिर्मय बसु के स्थगन प्रस्ताव का पाठ है "रेल कर्मचारियों के श्री जार्ज फरनान्डीज़ जैसे तथा अन्य नेताओं की अंधाधुन्ध गिरफ्तारी पर सभा में 2 बजे म० प० पर विचार किया जाएगा" इसमें हड़ताल का कोई हवाला नहीं है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नियम 58 के अनुसार इस मामले को नही उठाया जा सकता (व्यवधान)

प्रो० मधु दन्डवते : क्या आज का प्रस्ताव और श्री बसु का प्रस्ताव एक जैसे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब स्थगन प्रस्ताव की मांग की गई है तो उसमें हड़ताल की आशंका आदि सभी बातें सम्मिलित हैं । सभा के नियमों के अनुसार एक ही विषय पर दो स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा नहीं की जा सकती । (व्यवधान)

व्यवधान

श्री सेझियान (कुम्बकोरडाम) : जब नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है तो एक ही विषय पर दुबारा चर्चा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विनिर्णय यह है कि समग्ररूप में रेल हड़ताल पर चर्चा हुई थी ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय ! स्थगन प्रस्ताव में हड़ताल का कोई उल्लेख नहीं था ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : वह स्थगन प्रस्ताव केवल गिरफ्तारी के बारे में था हड़ताल के बारे में नहीं ।

श्री पीलू मोदी : (गोधरा) : आपको याद होगा उस स्थगन प्रस्ताव पर दो तारीख को चर्चा की गई थी। उस समय हड़ताल को टालने के प्रयत्न किये जा रहे थे किन्तु सरकार ने कर्मचारियों की ओर से बात चीत करने वाले प्रतिनिधियों को जेल में बन्द कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : विशेष स्थगन प्रस्ताव के लिये कोई नियम नहीं है।

श्री पीलू मोदी : यदि डाक-तार हड़ताल का उल्लेख होता तो क्या आप इसकी अनुमति देते ?

अध्यक्ष महोदय : निश्चित।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय! मेरे प्रस्ताव में डाक-तार कर्मचारियों के हड़ताल के निर्णय का उल्लेख है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय! हमें यह बता दीजिये कि नियम 58 की कौन सी उपधारा का हमने पालन नहीं किया। अन्यथा आप पर सरकार ने दबाव डाला है।

श्री एस० एम० बनर्जी : कल तक हड़ताल को टालने का प्रयत्न किया गया किन्तु सफलता नहीं मिली। अत: अब स्थिति बिलकुल बदल गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हजारों रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर चर्चा होनी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Kindly let the house know the wordings of my adjournment motion. May I read out the motion....

Mr. Speaker : I have read it I am not allowing it.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Then you must have seen that my adjournment motion is quite different.

Shri Madhu Limaye : Suppose, there is a firing and four-five person are killed, would you not allow a discussion ? **(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो स्थगन प्रस्ताव के विषय को देखना है जो रेलवे हड़ताल का है।

श्री एफ० ए० शमीम (श्रीनगर) : मैं आप के तर्क से सहमत नहीं हूं। परन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि आपको गलत निर्णय देने का भी अधिकार है। आपने स्थगन प्रस्ताव को गृहीत करने से इनकार किया है और हम आपकी बात को मानते हैं। दूसरी बात यह है कि........

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने विनिर्णय पर किसी चर्चा की अनुमति नहीं देता।

श्री एफ० ए० शमीम : आज आप इसे स्वीकार न करें लेकिन कल स्थिति बदलने पर आपको ऐसा करना ही पड़ेगा।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Speaker, you may come here and sit with us... (Interruptions). The Government has committed such a sin..(Interruptions)

Mr. Speaker : Some hon. members quoted the Chief Justice. The opposition members will be treated differently by the Chief Justice in case he is treated in a way I am being treated.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : We have grievances against the Government, not against you.

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों से बन्धा हू । मैं इमानदारी से कहता हूं कि मैंने उचित विनिर्णय दिया है ।

अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायें ।

(तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

(At this stage, some hon-members left the house)

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का वर्ष 1972-73 का प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां–खड 1–अप्रत्यक्ष कर, तथा खण्ड 2–प्रत्यक्ष कर, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 6933/74]

भारतीय उर्वरक निगम के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की समीक्षा तथा प्रतिवेदन

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 6934/74]

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की समीक्षा तथा दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1974-75 के बजट अनुमान

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 6935/74]

(2) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1974-75 के बजट प्रस्तावों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 6936/74]

नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1972-73 के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री मानसिंह जी भासाहेब राणा) मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल इन्सट्रूमेंटस लिमिटेड, कलकत्ता वर्ष 1972–73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 6937/74]

(2) (एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कम्पनी लिमिटेड, इन्दुनगर, ऊटकमण्ड, के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म निर्माण कम्पनी लिमिटेड, इन्दु नगर, ऊटकमण्ड, का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखे परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 6938/74]

(3) (एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 6939/74]

(4) (एक) भारत ग्रोप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर, के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारत ग्रोप्थाल्मिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर, का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षात लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 6940/74]

(5) (एक) नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर, के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर, का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 6941/74]

(6) (एक) हिन्दुस्तान निगम कागज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान कागज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 6942/74]

नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहान अंसारी) : मैं सभा पटल पर निम्न-लिखित पत्र रखता हूँ ।

(1) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 19 की उपधारा (1) के अन्तगत वर्ष 1972-73 के लिए नारियल जटा बोर्ड के क्रियाकलापों तथा नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 के कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 6943/74]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) इन्ट्रमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा, के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्ट्रमेन्टेंशन लिमिटेड, कोटा, का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेख और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6944/74]

(3) पेटेन्ट अधिनियम, 1970 की धारा 155 के अन्तर्गत वर्ष 1972-73 के लिए पेटेन्ट कार्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6945/74]

अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों में संशोधन

AMENDMENTS TO DIRECTIONS BY THE SPEAKER

महासचिव : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा निदेश 2 में किये गये संशोधनों की एक प्रति तथा उनके द्वारा जारी किए गए निदेश 13क की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त एक संदेश की सूचना देता हूँ कि राज्य सभा को विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1974, जो लोक सभा द्वारा 29 अप्रैल, 1974 को पास किया गया था, के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

41वां प्रतिवेदन

श्री० जी० जी० स्वेल (स्वायत्तशासी जिले): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 41वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजतियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

अध्ययन दलों के अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराफार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दौरों के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) समिति के अध्ययन दल 1 के कलकत्ता, उत्तरलखीमपुर, अरूणाचल प्रदेश और डिब्रूगढ़ के अक्तूबर, 1973 के दौरान अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(2) समिति के अध्ययन दल 2 के उड़ीसा और कलकत्ता के अक्तूबर, 1973 के दौरान अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(3) समिति के अध्ययन दल 1 के बम्बई, बंगलौर, मैसूर और मद्रास के जनवरी-फरवरी, 1974 के दौरान अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

15वां प्रतिवेदन

श्री० एच० सी० सामन्त (तामलूक) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 15वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

याचिका समिति

COMMITTEE ON PETITIONS

17वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री० ए० पी० शर्मा (बक्सर) : मैं याचिका समिति का निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूँ ।

(1) समिति का 17वां प्रतिवेदन, और

(2) समिति को 31वीं से 41वीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

मणिपुर में सीमा सुरक्षा दल के जवानों द्वारा महिलाओं तथा लड़कियों के साथ बलात्कार के समाचार के बारे में वक्तव्य

STATEMENT : RE ALLEGED RAPING OF WOMEN AND GIRLS BY BSF PERSONNEL IN MANIPUR

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं श्री उमाशंकर दीक्षित की ओर से मणिपुर पहाड़ी क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा दल के जवानों द्वारा महिलाओं तथा लड़कियों के साथ बलात्कार करने के समाचार के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

वक्तव्य

19 फरवरी, 1974 को जब सीमा सुरक्षा दल के कार्मिक एक चुनाव दल को, जिसके पास मतपत्र पेटियां भी थीं, छोड़ने जा रहे थे तो विरोधी तत्वों ने घात लगाकर उन पर आक्रमण कर दिया। इस घात में सीमा सुरक्षा दल का एक जवान मारा गया, तीन घायल हुए और पीठासीन अधिकारी को सिर में गम्भीर चोटें पहुंची। 20 फरवरी, 1974 को सीमा सुरक्षा दल के गश्ती लगाने वाले जवानों तथा विरोधी नागाओं में फिर मुठभेड़ हो गई।

यह जानकारी प्राप्त होने पर कि उपरान्त घटनाओं में अन्तर्ग्रस्त दो घायल विद्रोहियों को, सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए, रक्षा की जा रही है तो दो विशेष दस्ते, एक श्री पुन्डीर, कार्यवाहक कमांडेन्ट के नेतृत्व में तथा दूसरा श्री धर्म प्रकाश, उप-कमांडेट के नेतृत्व में संदेहास्पद क्षेत्र की खोज के लिए भेजा गया।

खोजबीन करते हुए श्री पुन्डीर के नेतृत्व वाले विशेष दस्तों ने ग्राम नगाप्रुमु का दौरा किया। बताया गया है कि उस गांव की कुमारी रोज नामक एक लड़की के साथ 4-3-74 को श्री पुन्डीर तथा श्री नेगी, सहायक कमांडेंट ने बलात्कार किया और लड़की ने 6-3-74 को आत्म-हत्या कर ली। फुंग्यार पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया। कुमारी रोज का मृत शरीर, जो 6-3-74 को दफना दिया गया था, 25-3-74 को खोद कर निकाला गया और शव परीक्षा के लिए भेजा गया। राज्य सरकार के अनुसार अभी जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। 11-4-1974 को उप-महा-निरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, मणिपुर को उपरोक्त दो अधिकारियों की गिरफ्तारी के लिए कहा गया। दोनों, अधिकारी गिरफ्तार कर लिये गए हैं।

श्री धर्म प्रकाश, उप कमांडट के नेतृत्व वाला दस्ता विद्रोहियों के विरूद्ध खोजबीन का कार्य करते हुए ग्राम ओहंग पहुंचे और उन्होंने 4-3-74, 5-3-74 तथा 6-3-74 को श्रीहंग गांव के कई व्यक्तियों से पूछताछ की। बताया गया है कि पूछताछ के दौरान उन्होंने ग्रामीणों के विरूद्ध, जिनमें महिलाएं भी थी, अपराध बल का प्रयोग किया। यह भी बताया गया है कि 5-3-74 को दोपहर के समय दल के कुछ व्यक्तियों ने ग्राम ग्रीहंग की एक निवासी, श्रीमती नगासिगला का सील भंग किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 354/326/307 के अन्तर्गत पी० एस० उखरूल में एक मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने श्री धर्म प्रकाश, इन्स्पेक्टर, भगवान सिंह, इन्सपेक्टर जीतसिंह, हवलदार चन्द्र बहादुर, लांस-नायक मिल बहादुर, श्री सिखीथांग, कांसटेबल नंगपरांग को गिरफ्तार करने के लिए कहा। इन व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

इन दोनों घटनाओं की आवश्यक जांच की जा रही है और कानून के मुताबिक कठोर कार्यवाही की जायेगी।

संविधान (35वां संशोधन) विधेयक

Constitution (Thirty-fifth Amendment) Bill

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): मैं प्रस्ताव करता हूं: "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का उद्देश्य अनुच्छेद 101 तथा 190 का संशोधन करना है जो संसदसदस्यों तथा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा त्यागपत्रों से सम्बन्धित है। इन अनुच्छेदों के अनुसार, सदस्य अध्यक्ष के नाम अपना त्यागपत्र भेज सकता है। हाल के अनुभवों से ज्ञात हुआ है कि सदस्यों से हर प्रकार से दवाव डाल कर त्यागपत्रों पर हस्ताक्षर करवाये जाते हैं। इस प्रकार का त्यागपत्र कोई त्यागपत्र नहीं हो सकता।

श्री मधु लिमये (बांका): मैं नियम 109 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप इस तरह कार्यवाही में बाधा नहीं डाल सकते।

श्री एच० आर० गोखले: संविधान के वर्तमान प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, पीठासीन अधिकारी के पास त्यागपत्रों को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं होता।

इस प्रकार की स्थिति का निवारण करने के उद्देश्य से ही वर्तमान विधेयक लाया गया है प्रस्तावित प्रावधानों के अन्तर्गत, पीठासीन अधिकारी को अपने आप को संतुष्ट करने का अधिकार होगा कि त्यागपत्र कहीं दबाव में आकर तो नहीं दिया गया।

मैं सदन से विधेयक को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:—"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय): जब हम इस मामले को सदन में निपटाना चाहते थे तो आपने हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है।

अध्यक्ष महोदय: यह मुझे अभी-अभी मिला है।

श्री श्याम नन्दन मिश्र: आप हमें हर बात के सहने के लिये कह रहे हैं, जैसे कि अध्यक्ष महोदय कुछ भी कर सकते हैं। इस बात को नहीं माना जा सकता (**व्यवधान**): अध्यक्ष महोदय किसी नियम की व्याख्या अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते।

श्री पीलू मोदी (गोधरा): क्या मैं यह समझूं कि आपने व्यवस्था के प्रश्न की ओर जानबूझकर ध्यान नहीं दिया और विधि मंत्री को अपना भाषण जारी रखने दिया?

अध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बल्कि नियम 109 के अधीन प्रस्ताव है।

Shri Madhu Limaye : I want to raise a point of order. I rose immediately after the motion was moved by the Minister **(Interruptions)**. No prior notice is necessary for such motions. You must also listen to our friends and then put it to the vote of the House. . . .**(Interruptions)**

अध्यक्ष महोदय : आपने अन्दर आने के बाद प्रश्न उठाया । जब आप लोग सभा भवन के बाहर चले गये तो इन्होंने कार्य शुरु किया । कुछ समय के बाद आप दोड़ते हुये आये और दस्तखत करके इसे मुझे दिया ।

Shri Madhu Limaye : I am ready to quote the precedent.

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे कहा कि मैं आपके व्यवस्था के प्रश्न को नहीं सुन रहा था । आपने कहा कि आप इसे नियम 109 के अधीन उठाना चाहते हैं । उत्तर में मैंने कहा कि इसे मेरे पास भेजिये । इसमें कौन सी बात गलत है ।

Shri Madhu Limaye : I have three reasons for seeking to adjourn this discussion Firstly, it is unnecessary because there is ample provision in our Constitution regarding this. Secondly, the question of railway strike is more important for which we have to find time. Let this dispute be kept pending until the meeting of the Business Advisory Committee is convened and some time is fixed under rule 193 or 184.

Thirdly, this Bill has been put on Agenda without any notice. What is it importance More important items like shortage of tyres & tubes, sofar Inquiry Commission are held up. So, why so much haste for this Bill ?

I, therefore, submit that (1) this Bill may be kept pending, (2) time should be fixed under Rule 193 or 194 for discussion on Railway Strike; and (3) more important items of discussion should be given precedence over this Bill.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): I have also sought the postponment of the discussion on this Bill since it is not so much urgent as to get precedence over other more important and urgent matters. By now the Railway Strike has not become the subject of discussion here, what would be people think of us all ? A larger number of our friends in Congress here perhaps have no interest in the dislocation of traffic, arrests of large number of employees and a serious situations caused in the country as a result of Railway Strike. I, therefore, request you, Sir, kindly to give an opportunity in any way, to discuss the railway strike here.

Then the MLAs in Bihar are of their own accord resigning : the Jan Sangh MLAs have already resigned. Socialist MLAs are resigning, other are also resigning ; but this Government is bringing in this Constitution Amendment Bill just to prevent the people from asking their corrupt representatives to resign. So, the Government is not having honest intentions behind this Bill. The time of the House should not be accorded for this Bill On the other hand, you kindly accept our motion and permit a discussion on railway strike.

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर): इस सभा को आज के सब से अधिक महत्वपूर्ण मामले रेलवे हड़ताल पर चर्चा करनी चाहिये । इस विधेयक का जहां तक संबंध है हमें इस का अध्ययन करने के लिये समय दिया जाये क्योंकि यह एक विवादास्पद मामला है ।

सरकार इन कांग्रेसियों को संरक्षण देना चाहती है जो अब अपने चुनावकर्ताओं का विश्वास खो चुके हैं। इस प्रकार सरकार एक तो निरर्थक कानून बनाने के लिये सदन का समय हड़पना चाहती है दूसरे रेलवे हड़ताल के बारे में विपक्ष को अपनी भावनायें व्यक्त करने का अवसर नहीं देना चाहती। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के मतदान के लिये रख रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर): मैं प्रक्रिया संबंधी एक बात कहना चाहता हूं। दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रवर समिति द्वारा विचार के बाद यहां सभा में आया और इस पर श्री मधु लिमये तथा श्री एस० एम० बनर्जी द्वारा पेश किये गये कई संशोधन स्वीकार हुए। मैं चाहता हूं कि इसे एक पूर्वोद्धारण माना जाये।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं इस प्रस्ताव पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : फिर मुझे अन्य सदस्यों को भी समय देना पड़ेगा।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : यह विधेयक सर्वथा असंगत है और इसके द्वारा रेलवे हड़ताल पर चर्चा रोकने का अर्थ देश की जीवन-गति को रोकना है। दूसरे, जबकि अन्य कई अधिक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होना शेष है तो मैं कहूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति की शीघ्र ही बैठक बुलाकर इन मदों के लिये समय निश्चित किया जाये। तीसरे, क्योंकि इस संशोधन विधेयक में कई पेचीदगियां हैं, इसलिये इसे प्रवर समिति के पास भज दिया जाये तथा इस पर इसी समय विचार न किया जाये। वैसे सत्र के अन्त में इस विधेयक पर विचार करने का कोई औचित्य भी नहीं है। इसके स्थान पर इस समय देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया जाना चाहिये।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : यह तो सही है कि सभी सदस्यों को यहां के नियमों तथा परम्पराओं का पालन करना चाहिये परन्तु अब समय आ गया है जबकि इन नियमों का भी पुनर्गठन किया जाना जरूरी हो गया है। हमारे बहुत से नियम पुराने पड़ गये हैं तथा देश की स्थिति के अनुकूल नहीं रहे हैं। हम अधिकांशतः ब्रिटिश संसद की परम्पराओं का पालन करते हैं। अतः हमें यहां सभी वर्गों के संसद-सदस्यों का प्रतिनिधित्व लेकर एक संसदीय समिति गठित करनी चाहिये जोकि वर्तमान नियमों तथा परम्पराओं में उपयुक्त संशोधन की सिफारिशें करे।

जब आप यह कहते हैं कि अमुक स्थिति तो निरन्तर रहने वाली है और इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये तो हम आपके विनिर्णय का पालन तो करते हैं परन्तु सत्य यह है कि गत सप्ताह हमने श्री फर्नान्डिस तथा अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के प्रश्न पर चर्चा की थी। उस समय हमारा विषय रेल हड़ताल नहीं था आज हम हड़ताल पर चर्चा करना चाहते हैं। अगर हम इस विषय को आज नहीं उठाते तो कल आप कह सकते हैं कि हमने इसे कल क्यों नहीं उठाया था।

मेरा अभिप्राय है कि हम प्रक्रियाओं के मामले में बहुत पीछे रहे हैं। विधि मंत्री ने बहुत कुछ कहा है परन्तु शोर तथा व्यवधानों के कारण हम उनके भाषण के कई अंश नहीं सुन सके। न जाने उन्होंने गुजरात के बारे में क्या कहा है, जब सारा देश रेल हड़ताल तथा अन्य विभागों जैसे डाक व तार आदि में संभावित हड़ताल से चिंतित है और हम इस विषय पर तुरन्त चर्चा न करें तो देश के लोग हमें क्या कहेंगे।

हमारे सामने संविधान 32 वां संशोधन विधेयक भी है जिसे प्रवर समिति के पास भेजा गया है। वह दल-बदल से संबंधित है जब सरकार इस विधेयक के पास प्रवर समिति को भेज सकती है तो यह विधेयक इससे भी अधिक विवादास्पद है। फिर इस विधेयक को सत्र के अन्तिम दिनों में क्यों रखा गया है।

मैं संसदीय कार्य मंत्री से कहता हूं---प्रधान मंत्री भी बैठी हैं---कि मैंने कई अवसरों पर देखा है कि यहां बहुत कम कांग्रेसी सदस्य मौजूद होते हैं। अनेक बार गणपूर्ति का प्रश्न उठ खड़ा होता है। हम अनेक बार गणपूर्ति का प्रश्न उठाते भी नहीं हैं। परन्तु संविधानानुसार हमें गणपूर्ति का पालन करना ही होता है। परन्तु अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर भी गणपूर्ति नहीं होती। अधिकांश कांग्रेसी सदस्य सभा में नहीं होते। (**व्यवधान**) आप कितना ही चिल्लायें, मैं अपनी बात पूरी किये बिना नहीं बैठूंगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुसंख्यक दल के ये सदस्य दिनों तथा हफ्तों तक सभा से अनुपस्थित रहते हैं। अब यह संविधान में संशोधन विधेयक है तथा बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। परन्तु, श्रीमान्, क्या सरकार ने इस बारे में आपसे सलाह ली है? ये लोग तो केवल अपनी संख्या की शक्ति के आधार पर सत्र के अन्त में यह विधेयक पास कराना चाहते हैं। यह तो बड़ी खतरनाक बात है।

इस आधार पर मैं कहूंगा कि यह विधेयक तो विचारार्थ आना ही नहीं चाहिये था। यदि आना ही था तो इस प्रस्ताव के साथ आना था कि इसे प्रवर समिति के पास विचारार्थ भेज दिया जाये। या फिर उस समय आता जबकि कोई शांतिपूर्ण समय होता, रेल हड़ताल का अवसर न होता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप मंत्री महोदय से कहें कि वह इस विधेयक को फिर पढ़ें... **व्यवधान**।

अध्यक्ष महोदय : वह अभी अभी पढ़ चुके। आप बाहर चले गये तो इसमें विधि मंत्री का क्या दोष है?

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : How did it come? Do you with that the debate should be purpose ful?

Mr. Speaker : I think it is just an obstruction. You yourself were in the Business Advisory Committee where a decision was taken in this matter.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : यह तो सही है कि नियम 109 के अधीन सरकार चर्चा के बीच में कुछ भी पेश कर सकती है, और हम इस पर चर्चा से डरते भी नहीं हैं परन्तु हम तो इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार सभा की कार्यवाही अपनी मनमरजी अनुसार चलाये और सभाध्यक्ष तथा सारे सदन को अपनी मुट्ठी में ले। ऐसा तो हम नहीं होने देंगे। हमें नियमों का पालन भी शिष्टता के साथ करना है। नियम 109 को नियम 341 के साथ पढ़ा और समझा जाना चाहिये। नियम 341 में लिखा है कि यदि अध्यक्ष महोदय यह समझें कि चर्चा में व्यवधान सभा के नियमों का दुरुपयोग है तो वह इस नियम को पेश किये जाने से रोक सकते हैं।

अब यह विधेयक पेश करना नियम 109 का दुरुपयोग ही है। अतः नियम 341 के अधीन आप इसे रोक दीजिये या फिर तुरन्त ही मतदान के लिये रख दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप से सहमत हूं। श्री ज्योतिर्मय बसु ने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि वह एक प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 109 के अधीन।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी कहते हैं कि सभा स्थगित कर दी जाये। सब कुछ जल्दबाजी में हो रहा है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): श्रीमान्, मेरे दल की ओर से कोई नहीं बोला है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री मधु लिमये ने प्रस्ताव पेश किया है कि चर्चा को स्थगित किया जाये। मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखूंगा। प्रश्न यह है।

"कि विधेयक पर वाद विवाद स्थगित किया जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

Lok Sabha divided.

पक्ष में 41	विपक्ष मे 228
Ayes	**Noes**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नियम 340 के अधीन एक अन्य प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह संगत है मैं आपको लिखित सूचना दे चुका हूं आप सभा से पूछ लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : फिर मैं यहां किस लिये हूं।

श्री मूल चन्द डागा ने संशोधन संख्या 1 पेश किया है परन्तु वह यहां नहीं हैं। श्री बाजपेयी ने संशोधन संख्या 13 पेश किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं अपना संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा विचाराधीन मुख्य प्रस्ताव के साथ होगी। अब श्री चटर्जी।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल की कार्य सूची में कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक मद का जिक्र है। अब उसे जारी करने की बजाय हमें संविधान (34वां संशोधन) विधेयक पर चर्चा करने को कहा जा रहा है। कोयला खान वाले विधेयक पर एक-दो सदस्य बोल भी चुके हैं। इस विधेयक पर बोलने के लिये मैंने कुछ नोट तैयार किये हैं परन्तु सभा से पूछे बिना ही और हमें सूचित किये बिना ही कार्य-सूची में परिवर्तन कर दिये गये हैं। इसका क्या मतलब है? क्या यह उस विधेयक पर चर्चा को रोकने का षडयंत्र नहीं है। संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिये हमें कतिपय सिद्धांतों का अध्ययन भी तो करना होता है। हमें अन्य देशों की किसी प्रक्रिया का भी अनुसरण करना चाहिये।

इस देश में संविधान में क्या प्रावधान हैं ? हमने उनसे परिचित होने का प्रयास किया । परन्तु अकस्मात् ही बिना हमें या सदन को बताये ही, कार्य-सूची बदल दी गयी है ; सरकार इस विधेयक को अपनी सदस्य संख्या के बल पर हम पर थोपना चाहती है ।

बिहार विधान सभा के भंग करने की मांग पहले से ही की जा रही है । जबकि देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है तो फिर हमें उपयुक्त तैयारी का मौका दिये बिना ही एक दम से यह विधेयक पेश कर दिया गया है । सरकार सिद्धांतों से बुरी तरह डरती है और नैतिकता से घबराती है । वह केवल कर्मचारियों पर डन्डा चलाना जानती है । सरकार प्रादेशिक सेना, बी० एस० एफ० की सहायता से शासन चलाना चाहती है । इसी प्रकार वह यहां सभा में भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहती है ।

अध्यक्ष महोदय : गुह साहेब । यह व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । आप तो भाषण दे रहे हैं । कृपया बैठिये ।

श्री समर गुह : श्रीमान्, मैं आपका ध्यान कार्य-सूची में परिवर्तन की ओर दिला रहा हूं ।

श्री मधु लिमये : मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है । श्री गुह ने सारी बातें नहीं की हैं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : श्री गुह ने कहा कि यह विधेयक क्यों पेश हुआ । मैंने बताया है कि कार्य मंत्रणा समिति ने कहा है कि ये दोनों संशोधन एक दूसरे के बाद लिये जायें। आज की कार्य-सूची में इन्हें शामिल किया गया है (**व्यवधान**)

श्री समर गुह : यह झूठ है ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : यह झूठ है । आप रिकार्ड देखिये । आपने जानबूझकर कार्य मंत्रणा समिति को बताया था परन्तु आपने यह अनुरोध नही किया था कि यह विधेयक 8 मई को ही पेश हो । आप इस प्रकार इनकी अनुमति नही दे सकते ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): स्थगन प्रस्ताव के बाद आपने बिहार से एक सदस्य को बोलने को कहा । वह खड़े हो चुके थे । खैर, जब आप अपना निर्णय दे ही चुके हैं तो हम दुखी मन से इसे स्वीकार करते हैं । अब प्रश्न यह है कि पहले तो 35वां संशोधन विधेयक है और उसके बाद फौरन ही 34वां संशोधन विधेयक आ रहा है । हम अपना संशोधन देना चाहते थे ।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत स्पष्ट है कि यह संविधान संशोधन विधेयक संख्या 35 होगा ।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप संशोधन पेश करने की अनुमति दीजिये । वह 35वें संशोधन विधेयक पर बोल रहे थे जोकि देश में ही नहीं है । हम किस पर चर्चा कर रहे हैं ? चौतीसवां संशोधन विधेयक कहां है । हम फिर 35वें विधेयक पर कैसे चर्चा कर सकते हैं ? बताइये हम 34वें पर चर्चा कर रहे हैं या 35वें पर ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो उस दिन सभा के सामने आ चुका है ।

श्री एस० एम० मबनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि वह सभा के समक्ष नहीं है । हम 35वें संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिसको 33वां नम्बर दिया जा रहा है । आप इस पर संख्या भी ठीक से नहीं लिख सकते ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात उस दिन उठी थी और मंत्री महोदय ने सभा की स्वीकृति से उसे वापस लेकर उसे 34वां करने का संशोधन पेश करने के लिये कहा था ।

Shri Madhu Limaye : I rise on a point of order and first of all I submit the basis there of.

You please refer to item 13 of the Revised list of Business for yesterday. It says :

"Shri Keshav Deo Malviya to move 'that the Bill to provide for the conservation of coal and development of coal mines and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.

Amendments printed on seperate list to be moved.

Also to move that the Bill be passed.

Now you please refer to Bulletin Part-I, item 12 :

"The Coal Mines (Conservation and Development) Bill 1974 Discussion on motion for consideration of the Bill was resumed. Shri Damodar Pandey continued his speach. His Speach was not concluded.

The discussion on the Bill was not concluded.

8.30 P.M.

My point is that when a discussion on coal mines (Conservation and development) Bill, 1974 is giving on, you cannot change it to some other item until a motion is not passed under Rule 109 to that effect.

As regards order of Business rule 31(1) says :

"31(1) A list of business for the day shall be prepared by the Security General and a copy thereof shall be made available the use of every member."

So, the unfinished legislative business should have come first. Had the hon. Minister acted with some Wisdon, he would have given a contingency notice under rule 109 for the adjournment of the debate. Since it has not been done, it is irregular and wrong to consider Shri Gokhale's motion. You may named the list of business I draw your attention towards the adjoining of your office, Sir It is quite possibily that the mistake may have committed inadvertantly, I do not doubt the benifits.

अध्यक्ष महोदय : कार्य-सूची के सरकारी विषय सरकार द्वारा निश्चित किये जाते हैं ।

Shri Madhu Limaye : I wanted to draw your attention to this mistake and you should amend it, otherwise the functioning of your office would be exposed to criticism and I do not want that your office should become a subject of controversy.

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को स्पष्टीकरण देने को कहूंगा । इसमें मेरे कार्यालय का कोई दखल नहीं है ।

श्री सेझियान (कुम्बाकोणम) : मंत्री महोदय को कोयला विधेयक पर चर्चा को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : वे हमें सरकारी कार्य की सूची भेजते हैं और हम उसे कार्य-सूची में रख देते हैं ।

श्री के० रघुरमैया : गत 20 वर्षों से यह प्रक्रिया रही है कि जब किसी विशिष्ट दिन को कोई विशेष कार्य रखा जाता है तो हम सब से पहली मद के रूप में उसे ही रखते हैं और बाकी मदें बाद में। यही परम्परा अब तक रही है।

श्री मधु लिमये : सभा में तदनुरूप प्रस्ताव रखे बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I rise on a point of order. What is the position of the Bill which was being discussed yesterday....

Shri Madhu Limaye : That has gone with the wind.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Is their not the practice ? Would you prepare the order paper on the advice of the Government ? Would the Government dictate to you as to whom should be the order paper ?

अध्यक्ष महोदय : सरकारी कार्य का क्रम सरकार ही बताती है।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Yesterday, when we adjourned, it was said that Shri Pandey would continue his speech. Where is Shri Pandey ? Would that Bill be hanging fire. There should have been a motion for adjourning the discussion.

अध्यक्ष महोदय : मैं ने बुलेटिन देखी है और यह संख्या 7 पर लिखा है :–

"8 मई, 1974 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उनका पास किया जाना :

(1) संविधान (35वां संशोधन) विधेयक, 1974

(2) संविधान (34वां संशोधन) विधेयक 1974"

उन पर चर्चा का दिन भी निश्चित है। सरकारी कार्य को तरतीब देने का कार्य सरकार का है।

श्री सेझियान : हम सरकार के इस अधिकार को चुनौती तो नहीं दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि विधेयक पर विचार कल पूरा नहीं हुआ था और आज कल का अनिष्पादित कार्य लिया जाना चाहिये था। उसके बाद ही सविधान (संशोधन) विधेयक आता। अब यह उस पहले विधेयक को पूरा किये बिना सरकार बीच में कुछ अन्य विषय लेना चहती है तो उसके लिये उसे पहली चर्चा को स्थगित करने हेतु प्रस्ताव पेश करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रायः कार्यसूची में बहुत से विधेयक रखे जाते हैं और यदि पहले विधेयकों से समय बच जाता है, तो उन्हें चर्चा के लिए ले लिया जाता है। जहां तक इन विधेयकों का सम्बन्ध है इन्हें तो विशेष रूप से 8 मई के लिये रखा गया था।

श्री सेझियान : यह तो प्रक्रिया का प्रश्न है। मंत्री महोदय को इस विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ करने से पूर्व, कोयला विधेयक पर हो रही चर्चा को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करना चहिये था।

अध्यक्ष महोदय : बुलेटिन को देखने से तो ऐसा लगता है कि मंत्री महोदय यह पहले ही कह चुके हैं कि आज इन विधेयकों पर चर्चा की जायेगी।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The order paper should not be prepared in accordance with the wishes of the Government.

28 LSS/74—12

Mr. Speaker : The Order Paper is exactly the same as it was announced.

Shri Atal Bihari Vajpayee : According to that, the discussion of Coal Bill should have come to an end yesterday. As that discussion was not concluded yesterday, this discussion should be adjourned. We oppose it.

श्री सेझियान : कल यह कहा गया था कि इस पर चर्चा आठ तारीख को की जायेगी । उस समय किसी प्रकार की प्राथमिकता निर्धारित नहीं की गई थी । चर्चा को स्थगित करने का प्रस्ताव पहले आना चाहिये था ।

श्री पीलू मोदी : यह ईमानदारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : खैर वास्तविक प्रक्रिया की बात तो मैं इस समय नहीं कर रहा, परन्तु इस पर आपत्ति उठाने का उचित अवसर तब था जब इसकी घोषणा की गई थी ।]

श्री सेझियान : उस दिन हमें क्या मालूम था कि चर्चा अपूर्ण रह जायेगी ? अब इसे कैसे उठाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तगत व्यवस्था है कि किस सरकारी कार्य को प्राथमिकता देनी है, इसका निर्णय अध्यक्ष द्वारा 'सदन के नेता' के साथ विचार विमर्श करने के बाद किया जायेगा । किसी दिन के लिये निर्धारित कार्य में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक अध्यक्ष उस परिवर्तन के बारे में पूर्णतया संतुष्ट न हो । जब कार्य की घोषणा की गई थी, उस समय आपत्ति की जानी चाहिये थी ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : नहीं, नहीं, सदन के कार्य की घोषणा ही कब की गई थी ?

अध्यक्ष महोदय : कार्य की घोषणा मेरे साथ तथा सदन के नेता से विचार-विमर्श करके, महा-सचिव द्वारा की जाती है । इसके बारे में कार्य मंत्रणा समिति में विचार किया गया था । उस समय कोई विपत्ति नहीं उठाई गई थी ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इसके लिये अवसर ही नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया को बनाये रखने के उद्देश्य से हम मंत्री महोदय से नियम 109 के अन्तर्गत इस चर्चा को स्थगित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कह सकते हैं ।

श्री विक्रम महाजन (कांगड़ा): स्थगन प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री श्यानम नन्दन मिश्र: मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि नियमों के पालन में कोई त्रुटि रह गई है तो मैंने उसमें सुधार करने का अवसर दे दिया है । परन्तु इस बात को मान मर्यादा का प्रश्न नहीं बनाया जाना चाहिये ।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसिरहाट) : इस मामले में नियम 109 लागू ही नहीं होता ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : कोई भी आपत्ति श्री गोखले के भाषण आरम्भ करने से पूर्व उठाई जा सकती थी । अब इसे नियम 109 के अन्तर्गत कैसे उठाया जा सकता है ?

श्री श्यामन नन्दन मिश्र : यह प्रक्रिया पूर्णतया गलत है और अध्यक्ष महोदय के निर्णय के बारे में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो आप लोगों के सुझावों को दृष्टिगत रखते हुए ही ऐसा कहा था। यदि आप को यह मान्य नहीं है तो फिर श्री गोखले विधेयक पर अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री एच० आर० गोखले : मेरा निवेदन है कि जब इस विधेयक पर चर्चा स्थगित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, तो उस समय इस पर चर्चा हुई थी, मत-विभाजन भी हुआ था। सदन द्वारा यह निर्णय किया गया था कि सदन द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पर ही विचार किया जायेगा... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : निश्चय ही सदन द्वारा यह निर्णय किया गया था। यदि आपको सदन का निर्णय ही मान्य नहीं है तो फिर अन्य कौन सी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है ?

श्री के० रघुरामैया : सदन में आये दिन ऐसा होता है कि जब भी नियम 193 के अधीन किसी प्रस्ताव पर भी किसी सांवैधानिक संशोधन पर विचार निर्धारित समय में समाप्त नहीं हो पाता तो हम उसे किसी अन्य दिन के लिये स्थगित कर, कार्य-सूची के अनुसार नया विषय विचार के लिये ले लेते हैं। विचाराधीन विषय की चर्चा के बारे में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की औपचारिकता को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इस सदन की ऐसी प्रथा रही है।

ऐसे मामलों में अध्यक्ष महोदय का निर्णय ही अन्तिम होता है। अतः वह चाहते हैं तो मैं सदन से निवेदन करता हूं कि जिन विधेयकों पर चर्चा पूर्ण नहीं हो पायी है, उन्हें छोड़ कर आज की कार्यसूची के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन श्री रघुरामैया की इस बात से सहमत है कि मद संख्या 17 और 19 पर चर्चा स्थगित कर दी जाये ?

कुछ सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : अतः ये सदन को मान्य है। यह किसी नियम के अन्तर्गत नहीं आता।

Shri Atal Bihari Vajpayee : What sort of request is this ? If it is not a motion, why a voting is being sought on it ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि ऐसा आप लोगों की इच्छा का आदर करते हुए किया जा रहा है। वैसे यह किसी नियम विशेष के अन्तर्गत नहीं आता।

श्री सोम नाथ चटर्जी (बर्दवान) : श्री रघुरामैया द्वारा जो निवेदन या प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, क्या वह सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम सरकार द्वारा सुझाई गई कार्य-सूची को अक्सर स्वीकार कर लेते हैं। अब तो वह सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। हम सदन की भावनाओं के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : श्री समर गुह द्वारा जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था, उसे आप सहित सभी माननीय सदस्यों ने कुछ अलग ढंग से समझा है। उनका व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न यह था कि क्या आज की कार्यसूची नियम 25 के अनुसार ही बनाई गई थी। नियम 25 के अनुसार कार्यसूची बनाते समय अध्यक्ष को सदन के नेता के साथ विचार-विमर्श करना होता है। यदि ऐसा विचार-विमर्श नहीं किया गया था तो फिर नियम 25 की आवश्यकता ही क्या है ?

दूसरी बात यह है कि यदि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये 'निवेदन' का नियम प्रक्रिया में कोई स्थान ही नहीं है; तो फिर उसका महत्व ही क्या है **(व्यवधान)**

तीसरे, यदि यह सब नियमानुसार है तो फिर विधि मंत्री द्वारा आरम्भ किये गये आंशिक भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में रखने का क्या औचित्य है? यह कहना कहां तक ठीक है कि ऐसा करने का निर्णय कार्य-मंत्रणा समिति में किया गया था?

श्री के० रघुरामैया : मैंने कार्य-मंत्रणा समिति का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया है। मैंने शुक्रवार को 8 मई की कार्यसूची की घोषणा कर दी थी। मैंने अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार 'निवदन' कर दिया है। वैसे व्यक्तिगत रूप से मेरी अभी भी यही राय है कि सदन की कार्यवाही नियमानुसार ही चल रही थी। गत 20 वर्षों की प्रथा को दृष्टिगत रखते हुए मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार के औपचारिक प्रस्ताव की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा मैंने केवल अध्यक्ष महोदय की इच्छा का आदर करने के लिये किया था।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने मेरे सुझाव पर अपना 'निवेदन' प्रस्तुत किया, इसके लिय मैं उनकी सराहना करता हूं। वास्तव में हम सदन की भावनाओं का ही सम्मान करना चाहते थे। यह कार्यवाही 'समाचार' में छप चुकी है। सदन इससे सहमत हो गया है। अब इस पर मैं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाने दूंगा। **श्री सोमनाथ चटर्जी।**

श्री एच० आर० गोखले : संविधान (32वां संशोधन) वधेयक का सम्बन्ध दल-बदल से है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सदन में कहा था कि वह संशोधन प्रस्तुत करना चाहेंगे। मैं उसके लिये सहमत हो गया था।

श्री समर गुह : मेरा व्यव का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही श्री सोमनाथ चटर्जी को बुला चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये

Mr. Deputy Speaker *in the Chair*

कुछ सदस्य खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब बैठ जाइये। मैं एक एक करके आप सब की बात सुनूंगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैंने संविधान (32वें संशोधन) विधेयक की एक प्रति मंगवाई थी। (**व्यवधान**) संविधान के 35वें संशोधन को 34वें संशोधन से पहले पेश नहीं किया जा सकता। दूसरे संसदीय कार्य-मंत्री द्वारा कहा गया है कि 5 बजे विधेयक पर मतदान होगा...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सब की बात सुनूंगा। मेरा निवेदन है कि आप सभी कम से कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयत्न कीजिये। पहली बात यह है कि इस समय संविधान (35वें संशोधन) पर विचार किया जा रहा है। सदन का निर्णय सर्वोच्च है और वह कुछ भी करने के लिये स्वतन्त्र है दूसरे, जहां तक 5 बजे मतदान की बात है, वह तो केवल औपचारिक रूप से ही बता दिया जाता है ताकि सदस्यों को उसकी जानकारी रहे। सदन की सहमति के बिना तो कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। अतः इस समय हमें विधयक पर चर्चा आरम्भ कर लेनी चाहिये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि संसदीय कार्यमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य भ्रामक है। पहली बात तो यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति में जो सदस्य उपस्थित थे, वे उनके निर्णय से सहमत नहीं थे। दूसरी बात यह है कि कोयला खान विधेयक पर विचार करने के लिये जो दो घंटे का समय निर्धारित किया गया उसके अनुसार उस विधेयक को दो घंटे का समय देकर अभी विचार किया जा सकता है। तीसरी बात यह है कि 'समाचार' में भी यह नहीं कहा गया है कि कोयला खान विधेयक की चर्चा छोड़कर, संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा आरम्भ कर दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रणा समिति में जो भी निर्णय किया जाता है वह सदन के समक्ष आ जाता है और सदन की अनुमति के बाद ही उस पर विचार आरम्भ किया जाता है। अतः कार्य मंत्रणा समति की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है।

दूसरे 3 मई के 'समाचार' में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 7, मई 1974 को आरम्भ होने वाले सप्ताह में संविधान (35वां संशोधन) विधयक और संविधान (34वां संशोधन) पर विचार किया जायेगा। इस की घोषणा मंत्री महोदय द्वारा कर दी गई थी। उसके बाद प्रथानुसार सदन द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया था।

अतः यह सब कुछ पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ और वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार हुआ है। हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिये।

जब हमारे कुछ विशिष्ट नियम नहीं होते तो हम कुछ परम्पराओं को और प्रथाओं को भी मान लेते हैं। प्रायः ऐसी परम्परा रही है कि जब सरकार किसी विधेयक विशेष के स्थान पर किसी अन्य 'विधेयक' को प्राथमिकता देना चाहती है तो हम प्रायः उसकी बात मान लेते हैं। अब सरकार आज के विधेयक विशेष को विशेष महत्व देना चाहती है।

मेरा सदन से निवेदन है कि इस मामले पर पहले ही आप लोगों की अध्यक्ष महोदय के साथ काफी बहस हो चुकी है। अतः अब इस बहस को यहीं समाप्त कर, हमें विधेयक पर चर्चा आरम्भ करनी चाहिये। श्री चटर्जी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं श्री बनर्जी के व्यवस्था के प्रश्न के बारे में दो एक बातें पूछना चाहता हूं। जब पीठासीन अधिकारी इस बात से सहमत होते हैं कि कई बातें हमारे वर्तमान नियमों के अन्तर्गत नहीं आती हैं, अतः कुछ स्थितियों में वह अपूर्ण लगते हैं, तो फिर उनमें सुधार करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया जाता। दूसरी बात यह है कि विधि मंत्री को अपना वक्तव्य फिर से देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आज की कार्यवाही बहुत ही असाधारण ढंग से चल रही है । हमें किसी भी बात को मान मर्यादा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये । अगर सदस्य महोदय मंत्री महोदय का वक्तव्य नहीं सुन पाये हैं, और मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं है तो वह अपना वक्तव्य दोहरा सकते हैं।

श्री एच० आर० गोखले : विधेयक पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है। आप की इच्छानुसार मैं अपना वक्तव्य पुनः पढ़ सकता हूं ।

इस विधेयक का उद्देश्य अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन करना है जिनके अनुसार कोई भी संसद या विधानसभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र से त्यागपत्र दे सकता है। इन अनुच्छेदों के अन्तर्गत सदस्य अध्यक्ष अथवा सभापति को लिखकर त्याग-पत्र दे सकता है। परन्तु देखने में यह आया है कि कई बार सस्दयों को अनुच्छेद संख्या 101 अथवा 190 के अन्तर्गत त्याग-पत्र देने पर विवश कर दिया जाता है या ऐसा वातावरण बना दिया जाता है कि सस्दय को त्याग-पत्र देना ही पड़ता है । अतः इसे त्याग-पत्र कहना गलत है । त्याग-पत्र तो वह है जो स्वेच्छा से तथा बिना किसी दबाव के दिया जाए और वर्तमान विधेयक के प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही यही है कि अनुच्छेद संख्या 101 तथा 190 के अन्तर्गत दिये जाने वाले त्याग-पत्र स्वेच्छा से दिये जायें न कि किसी के दबाव में आकर अनिच्छापूर्वक दिये जायें । पीठासीन अधिकारी त्याग-पत्र स्वीकार करने से पूर्व उसके सही होने को सुनिश्चित कर लेगा । इस संशोधन के माध्यम से सदस्य को संविधान द्वारा दिये गये अधिकार को प्रभावशाली बनाना है ।

इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये और इसे स्वीकार किया जाये ।

श्री० मधु दण्डवते (राजापुर) : सत्र समाप्त होने में केवल दो दिन रह गये हैं । मैंने अध्यक्ष महोदय को लिखा था कि सत्रावधि को बढ़ा दिया जाय ताकि रेल हड़ताल के मामले का हल निकाला जा सके। उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर ध्यान दिया जायेगा ।

श्री सोमानाथ चटर्जी (बर्दवान) : दुर्भाग्य की बात है कि अध्यक्ष महोदय ने महत्वपूर्ण विषय पर दिये गये स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार न करके प्रस्तुत विधेयक पर विचार करने की अनुमति दी है। ऐसे विधयक पर विचार करना सदन का समय खराब करना है। ऐसा लगता है कि सत्ताधारी दल अपने बहुमत का दुरुपयोग कर रहा है।

यह विधेयक लोगों का ध्यान न रखने वाली सरकार द्वारा जनता पर अपना शासन थोपने का जीता जागता उदाहरण है । संविधान सत्ताधारी कांग्रेस के हाथों में खिलौना बन कर रह गया है । संविधान में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकार करते समय हमने यह सोचा था कि ऐसा करना लोगों के हित में होगा । लेकिन ऐसा लगता है कि प्रस्तुत संशोधन लोगों के हितों को ध्यान में न रखकर अपने दल की भलाई के लिय पेश किया जा रहा है । प्रस्तुत संशोधन राजनीतिक उद्देश्य से पेश किया गया है । यह प्रस्ताव लोगों की भावनाओं का दमन करने के लिये पेश किया गया है।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में कहा गया है कि हाल ही में ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें विधानसभा सदस्यों को त्याग-पत्र देने के लिये शारीरिक दबाव तक डाला गया। मैं यह मानता हूं कि कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है। परन्तु यह ग्राम बात नहीं हो सकती। जब सरकार अपने वचन से फिर जाये तो जनता के पास क्या विकल्प है। क्या वे पांच वर्ष तक निष्क्रिय होकर बैठे रहें और सरकार के अत्याचारों को सहते रहें? क्या उनको अपनी आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं? ऐसे हालात में यदि जनता किसी को त्याग-पत्र देने पर मजबूर करती है तो केवल इसीलिये कि वह महसूस करती है कि अमुक सदस्य भ्रष्टाचारपूर्ण हथकंडे अपना रहा है और यदि ऐसे हालात में सदस्य को त्याग-पत्र देने के लिय मांग की जाती है तो क्या इसे दबाव कहा जायेगा? यदि कोई मंत्री यह महसूस करता है कि उसका दल जनता का हित नहीं कर रही और यह सोचकर वह त्याग-पत्र दे देता तो क्या यह कहा जायगा कि उसने विवश होकर त्याग-पत्र दिया?

हमारे संविधान में जनमत संग्रह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिये यह आशा नहीं की जा सकती कि लोग चुप-चाप अन्याय सहते रहेंगे। जिस राज्य में कांग्रेस दल की सरकार है, वहां लोग उस सरकार को बदलने की मांग कर रहे हैं। गुजरात में तो ऐसा हो ही चुका है और बिहार में भी ऐसा होने वाला है। संभवतः इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर सरकार वर्तमान संशोधन पेश कर के अपने सदस्यों को संरक्षण देना चाहती है।

मैं सरकार पर यह आरोप लगाना चाहता हूं कि वह यह विधेयक पारित करके लोगों के साथ किये जाने वाले धोखे को विधिसंगत तथा संवैधानिक बनाना चाहती है। गरीबी हटाओ की बजाय देश की आम जनता को राजनीतिक क्षेत्र से दूर करना चाहती है और लोगों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच एक सीमारेखा लगाना चाहती है। यह विधेयक लोगों के लिये अहितकारी है इसलिये हम इसका पूर्णतया विरोध करते हैं।

न्यायाधीशों के अतिलंघन पर चर्चा के दौरान सरकार ने आस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटन के संविधान का हवाला दिया मानों वे कोई धर्मग्रन्थ हैं। लेकिन इन देशों में भी त्याग-पत्र सदस्य द्वारा अपने हाथों से लिखकर भेजा जाता है।

वर्तमान विधेयक जनता के लिये हितकारी नहीं हो सकता। वर्तमान संशोधन में व्यवस्था की गई है कि त्याग-पत्र सभापति या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जायगा और त्याग-पत्र स्वीकार करने से पूर्व वे इस बात की जांच कर लेंगे कि त्याग-पत्र स्वेच्छा से दिया गया है और यदि उन्हें जानकारी मिलती है कि त्याग-पत्र स्वेच्छा से नहीं दिया गया तो वे त्याग-पत्र स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यह नहीं बताया गया कि जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या होंगे।

इस संशोधन के माध्यम से पीठासीन अधिकारी को दलगत राजनीति में प्रवेश करने की व्यवस्था की गई है। यह बड़े शर्म की बात है। जानकारी प्राप्त करने का स्रोत क्या होगा? क्या इस मामले में न्यायिक, अर्ध-न्यायिक अथवा प्रशासनिक जांच कराई जायेगी? क्या उन व्यक्तियों को नोटिस जारी करके बुलाया जायेगा जिन्होंने सम्बन्धित सदस्य के पास जाकर त्याग-पत्र देने की मांग की थी? अध्यक्ष द्वारा प्रयोग किये जाने वाले प्राधिकार अध्यक्ष की हैसियत से प्रयोग किये जायेंगे अथवा प्राधिकार सदन की कार्यवाही के अन्तर्गत आयेंगे। इस बात का निर्णय कौन करेगा कि किस प्रकार की जांच कराई जाये?

क्या विधि मंत्री ऐसे नियम बनायेंगे जिनका पालन अध्यक्ष को करना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद के अध्यक्ष या सभापति को दलगत राजनीति में घसीटा जायेगा । मान लीजिये अध्यक्ष को कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो वह किस माध्यम से जानकारी प्राप्त करेगा ?

[**श्री इसहाक सम्भली पीठासीन हुए**
Shri Ishaque Sambhali *in the Chair*]

इस प्रकार अध्यक्ष एक सब इन्सपैक्टर के रूप में काम करेगा । इसलिये यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो इस का अर्थ यह हुआ कि अध्यक्ष को पुलिस के सब इन्सपैक्टर के रूप में यह जांच करनी होगी कि अपराध हुआ है अथवा नहीं । दो वर्ष पूर्व निर्वाचन विधि में संशोधन करने के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त समिति गठित की गई थी ।

अध्यक्ष महोदय से एक सर्व-सम्मत निवेदन किया गया था, क्योंकि संयुक्त समिति में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर विचार किया जाना है, अतएव वह उसके सभापति बनें । मामले के विवादास्पद होने के कारण उन्होंने इन्कार कर दिया था । यदि कोई सदस्य त्याग-पत्र दे देता है तो पीठासीन अधिकारी कैसे जान सकता है कि उसने त्यागपत्र स्वेच्छा से दिया अथवा किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव के कारण दिया है । यदि विधि मंत्री चाहते हैं कि जनता ऐसा न करे तो वह जनता को मूलभूत अधिकार दें । आप जनता को उसकी आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित नहीं रख सकते हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : श्री चटर्जी ने बताया है कि प्रजातन्त्र एक प्रक्रिया है । उस प्रक्रिया को बनाये रखने के लिये इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी । यदि प्रजातन्त्र को बनाये रखना है तो हमें विधायकों पर इस प्रकार के दबाव और हिंसा की ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिये । यदि विधायकों को कुछ लोग अपना कार्य करने में बाधा डालते हैं तो वे देश और समाज की सेवा नहीं कर सकते ।

मैं विरोधी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि इस देश में ऐसे मामले हुए हैं कि भावनात्मक आधार पर क्षेत्रीय मामलों पर हिंसापूर्ण घटनायें हुई थीं और समय पा कर लोगों ने समझ लिया था । जब तक हम लोगों को उचित संरक्षण नहीं दिया जाता तब तक हम अपना कर्त्तव्य नहीं निभा सकेंगे। मैं विधि मंत्री को यह विधेयक लाने के लिये बधाई देता हूं। उन्होंने इसके द्वारा कुछ मामलों को विनियमित किया है । उनका कथन है कि एक बार जब कोई सदस्य त्याग-पत्र दे देता है तो अनुच्छेद 101(3) के अधीन अध्यक्ष के पास कोई अधिकार नहीं हैं।

एक बार जब त्याग-पत्र दे दिया जाता है तब अध्यक्ष के पास कोई अधिकार नहीं रह जाता । इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अध्यक्ष को त्यागपत्र की सत्यता एवं स्वैच्छिक होने के बारे में विचार करने का अधिकार है । ट्रावनकोर कोचीन उच्च न्यायालय के 1952 के निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 101 के अन्तर्गत त्यागपत्र का स्वैच्छा से होना निहित है । विधि मंत्री का कथन है कि जिस क्षण त्यागपत्र प्राप्त हो जाता है यह तभी से लागू माना जाता है । अनिश्चितता के इस वातावरण में सुधार करने के लिये एक विधेयक तैयार किया गया है तब मैं नहीं समझता कि उसका विरोध क्यों किया जा रहा है ।

माननीय सदस्य ने कहा है कि अध्यक्ष को इस मामले में घसीटा गया है । यह पहला ही अवसर नहीं है कि अध्यक्ष को संबद्ध किया गया है । न्यायालय के भी इस बारे में यही निर्णय हैं कि अध्यक्ष

को त्यागपत्रों की सत्यता और स्वैच्छिक होने का निर्णय लेना होता है । उत्तर प्रदेश विधान सभा ने भी इस बारे में नियम बनाया है ।

इस संविधान संशोधन विधेयक से पहले भी कई विधान सभाओं ने ऐसे कानून बनाये थे। परन्तु कुछ राज्यों द्वारा विधायकों को संरक्षण मिले तथा अन्यों द्वारा न मिले इससे तो यही अच्छा है कि विधि मंत्री द्वारा रखे गये विधेयक का विरोध न किया जाये ।

आज आपत्ति इस लिये उठाई जा रही है कि भारी आर्थिक संकट के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता का समर्थन प्राप्त किये हुए है जैसा कि उत्तर प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश के हाल के निर्वाचनों से स्पष्ट है जहां कि भारी आन्दोलन चले थे।

दूसरी बात 'वापस बुलाने' तथा जनमत संग्रह के बारे में है ।हमारे संविधान में इन दोनों के लिये स्थान क्यों नहीं है ? जनमत संग्रह में क्या व्यवस्था है । इसमें किसी विशेष विधेयक अथवा वैधानिक व्यवस्था को जनता के समक्ष राय जानने के लिये रखा जाता है ।

जिन देशों में जनमत संग्रह की व्यवस्था है, उन देशों की जनसंख्या बहुत कम है और वहां भी इस व्यवस्था का प्रयोग बार-बार नहीं किया जाता । उदाहरणार्थ स्वीडन के संविधान में जनमत संग्रह की व्यवस्था 1922 में शुरू हुई लेकिन उस समय से लेकर अब तक केवल तीन बार इसका प्रयोग किया गया और वह भी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों के लिये । यह व्यवस्था केवल जनसंख्या वाले देशों के लिये व्यवहार्य है। यदि हम इसका प्रयोग करेंगे, तो इससे और जटिलताएं उत्पन्न होंगी ।

जहां तक प्रत्याह्वान का संबंध है, उस व्यवस्था के अनुरूप अमरीकी संघीय संविधानों में यदि कुछ लोग मिल कर एक याचिका दें कि अमुक विधायक अपने कर्तव्यों को उचित तरीके से नहीं निभा रहा, तो इस याचिका के सत्यापन के उपरान्त सदस्य को पुनः चुनाव लड़ना पड़ता है और यदि जनता का बहुमत उसके पक्ष में हो, तभी वह वापिस बुलाया जाता है लेकिन यदि यह प्रावधान हम अपने संविधान में रखेंगे तो उसका नतीजा केवल यही होगा कि हमारे देश में हर वक्त चुनाव होते रहेंगे । विपक्षी दल बहुत कठिनाई में पड़ जाएंगे ।

यह भी प्रश्न उठाया गया है कि सदस्य द्वारा दिया जाने वाला त्यागपत्र स्वैच्छिक है अथवा कि दल के दबाव में आकर दिया जा रहा है । यदि सदस्य अध्यक्ष महोदय के समक्ष कहता है कि मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहा हूं तो स्वभावतः वह स्वैच्छिक है । किन्तु यदि कोई सदस्य त्यागपत्र देने के बाद अध्यक्ष महोदय को बताता है कि उससे त्यागपत्र जबर्दस्ती दिलवाया गया है तब वह त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं होगा ।

यह विधेयक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया की सुरक्षा करने वाला है । अतः मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : सभापति महोदय, जहां तक इस विधेयक का संबध है, हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण सरकार को सदस्यों से जबर्दस्ती त्यागपत्र दिलवाए जाने को रोकने के उपाय करने की आवश्यकता महसूस हुई है । कुछ मामलों में तो सदस्यों द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से त्यागपत्र दिये जाते हैं । पर कुछ मामलों में सदस्यों से जबर्दस्ती त्यागपत्र दिलाया गया है । अध्यक्ष महोदय को अब इस बात की जांच करनी होगी कि यह त्यागपत्र स्वेच्छा से दिया गया है या कि दल के दबाव में आकर दिया गया है। मेरा सुझाव यह है कि यदि केवल संशोधन द्वारा इस बात की

व्यवस्था की जाए कि त्यागपत्र सदस्य द्वारा अपने हाथ से लिख कर तथा स्वयं उपस्थित होकर अध्यक्ष महोदय को दिया जाए, तो सारी समस्या हल हो जाएगी। यदि कोई सदस्य अस्वस्थ है अस्पताल में है, तो भी उसके लिये व्यवस्था की जा सकती है। किन्तु सारी बात अध्यक्ष महोदय पर नहीं छोड़ी जा सकती। क्योंकि त्यागपत्र स्वेच्छा से दिया गया है या दबाव के कारण इस बात की जांच अध्यक्ष महोदय कभी नहीं कर सकते। अतः मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय इस आशय का विधेयक, कि त्यागपत्र सदस्य द्वारा अपने हाथ से लिख कर अध्यक्ष महोदय को स्वयं दिया जाये, लायें। गुजरात तथा बिहार में हो रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यदि सरकार संविधान में सदस्य के प्रत्याह्वान की व्यवस्था नहीं करती तो यह अधिकार निर्वाचक मंडल को दे दिया जाये ताकि वह शांतिपूर्ण ढंग से इस बात का निर्णय कर ले कि यदि कोई सदस्य विशेष अपने दायित्वों को उचित तरह से नहीं निभा रहा, तो वह उस पद पर बना रहने का अधिकारी है अथवा नहीं। वे अपने विचारों की अभिव्यक्ति मतदान द्वारा कर सकते हैं और यह अधिकार उन्हें दिया जाये। इस विषय पर विस्तृत विधेयक लाने का यह उचित समय है। प्रत्येक समाजवादी देश में प्रत्याह्वान की व्यवस्था है। हम अपने देश में भी ऐसी व्यवस्था प्रदान कर सकते हैं।

अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय प्रत्याह्वान के अधिकार पर एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करें तथा दूसरे विधेयक के संशोधन के संबंध में मैंने जो सुझाव प्रस्तुत किया है उस पर विचार करें। अध्यक्ष महोदय का दर्जा मजिस्ट्रेट तक नहीं घटाया जाना चाहिये। इन सुझावों के साथ मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश में आर्थिक संकट फैल रहा है और प्रतिक्रियावादी शक्तियां इस मौके का पूरा लाभ उठाने की इंतजार में हैं। वह अपनी नेतागिरी कायम करना चाहते हैं। इसे रोका जाना चाहिये।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तपुजा): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आश्चर्य है कि इस विधेयक पर इतने लम्बे वाद-विवाद की आवश्यकता क्यों पड़ रही है जबकि देश की स्थिति स्पष्ट है। आर्थिक समस्याओं के कारण काफी असंतोष व्याप्त है। बिहार और गुजरात में जो कुछ भी हुआ है, वह देश के अन्य भागों में भी हो सकता है। अतः यदि हम अपने प्रजातांत्रिक ढांचे को भिन्न-भिन्न होने से बचाना चाहते हैं तो हमें इस उपाय को शीघ्रातिशीघ्र अपनाना होगा।

हमारे संविधान निर्माताओं के संसद सदस्यों तथा विधानसभाओं के सदस्यों के पद तथा प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में तथा जनता के विभिन्न वर्गों के द्वारा उनके साथ किये जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में अपने ही विचार थे। उनको स्वप्न में भी इस बात की आशा नहीं हो सकती थी कि संसद सदस्यों तथा राज्य की विधान सभाओं के सदस्यों का कभी घेराव होगा, अपमान होगा अथवा उन पर दबाव डालकर उनको त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

माननीय सदस्य श्री पंडा ने कहा है कि यदि सदस्य त्यागपत्र अपने हाथ से लिखकर अध्यक्ष महोदय को स्वयं प्रस्तुत करें तो इसका अर्थ होगा कि सदस्य स्वेच्छा से त्यागपत्र दे रहे हैं मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर किसी सदस्य को जबर्दस्ती पांच छह आदमी पकड़ कर जीप में डाल दें और उसे त्यागपत्र लिखने के लिये विवश करें और अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये कहें तो उसके पास क्या विकल्प है। यदि वह अध्यक्ष महोदय के समक्ष जाकर कहता है कि यह त्यागपत्र मुझसे जबर्दस्ती लिखाया गया है तो दरवाजे से बाहर आने पर उसकी क्या दुर्दशा होगी इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। अतः सदस्य को या त्यागपत्र देना होगा या अपनी जान बचानी होगी। क्या त्यागपत्र

सदस्य द्वारा स्वयं प्रस्तुत करने से इस बात की गारन्टी हो जायेगी कि सदस्य त्यागपत्र स्वेच्छा से दे रहा है। इस बात का पता केवल अध्यक्ष महोदय ही लगा सकते हैं कि सदस्य द्वारा त्याग पत्र स्वेच्छा से दिया गया है अथवा नहीं।

[**श्री बसंत साठे पीठासीन हुए**
Shri Vasant Sathe *in the Chair*]

अध्यक्ष महोदय इसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं मेरे विचार में यही एकमात्र उचित ढंग है।

गुजरात में जो कुछ हुआ है, वह बहुत शर्मनाक है। जनता के प्रतिनिधियों पर अत्याचार किया गया है। यदि कुछ लोग भ्रष्ट हैं तो उन्हें भ्रष्टाचार से रोकने के तरीके हैं। क्या आप नशे में चूर लोगों से जबर्दस्ती त्यागपत्र मांग सकते हैं?

हाल की घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि संसद सदस्यों और राज्यों की विधान सभा के सदस्यों को भी सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। केवल त्यागपत्र देने से उनका विधाई जीवन समाप्त नहीं हो जायेगा। यह राष्ट्रीय महत्व का विषय है क्योंकि यह कहा जा रहा है कि विपक्षी दल इस प्रकार विधान सभाओं को भंग कराकर देश के प्रजातांत्रिक ढांचे को बिगाड़ रहे हैं। इसलिये सुरक्षा उपाय बहुत आवश्यक हैं।

माननीय सदस्य श्री डी० के० पंडा ने सुझाव दिया है कि हमारे देश के संविधान में भी प्रत्याह्वान (रिकाल) की व्यवस्था होनी चाहिये। सभी समाजवादी देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या वह एक ऐसे बहुदल प्रणाली वाले समाजवादी देश का नाम बता सकते हैं जिसमें प्रत्याह्वान की व्यवस्था है। यह व्यवस्था केवल उन्हीं देशों में है, जहां कि एक दल की सत्ता है और यह व्यवस्था भी उस दल की शक्ति बढ़ाने का एक उपकरण है। यदि कोई व्यक्ति दल का कहना नहीं मानता, तो उसका प्रत्याह्वान किया जाता है। अतः यह व्यवस्था यहां पर लागू नहीं हो सकती। हम प्रशासन में स्थिरता चाहते हैं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, प्रत्याह्वान का अधिकार बिल्कुल असंगत है। इस अधिकार को प्रदान करके हम अपने लिये और खतरा मोल लेंगे। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यह विधेयक पर्याप्त नहीं है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं नियम 352 के अधीन एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इसमें कहा गया है बोलते समय कोई सदस्य (5) उच्च प्राधिकार वाले व्यक्तियों के आचरण पर आक्षेप नहीं करेगा जब तक कि चर्चा उचित रूप में रखे गये मूल प्रस्ताव पर आधारित न हो; उपधारा (7) के अनुसार अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने किस उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति पर आक्षेप किया है?

श्री समर गुह : उन्होंने सर्वोदय नेता और प्रसिद्ध कांग्रेसियों के चरित्र पर आक्षेप किया है।
सभापति महोदय : माननीय सदस्य ने न तो किसी उच्च प्राधिकार वाले व्यक्ति के चरित्र पर आक्षेप किया है और न ही किसी के बारे में मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग किया है। अतः यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता श्री स्टीफन अपना भाषण जारी रखें।

श्री सी० एम० स्टीफन : इस विधेयक का उद्देश्य प्रजातांत्रिक ढांचे की सुरक्षा करना है । संसद को और विधानसभाओं को जानबूझकर उपहास का पात्र बनाया जा रहा है अगर कोई संसद सदस्य या राज्य विधान सभाओं के सदस्य नियमों का उल्लंघन करते हैं, हिंसा का प्रयोग करते हैं तथा मानहानिकारक शब्दों का प्रयोग करते हैं तब कोई ऐसी व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये जिससे सदस्यों को सदन की बैठकों में भाग लेने के अयोग्य घोषित किया जा सके।

इन सब सुझावों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सभापति महोदय, मैं इस संविधान (पैंतीसवां संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूं। मुझे आश्चर्य है कि इस विधेयक को पारित करने में इतनी जल्दबाजी क्यों की जा रही है। दूसरा संविधान (चौंतीसवां संशोधन) विधेयक जो कि भूमिसुधारों के सम्बन्ध में है, मेरे विचार में अधिक महत्वपूर्ण है और उसे दूसरे सत्र पर टाला जा रहा है। यदि संसद सदस्यों और विधानसभाओं के सदस्यों की सुरक्षा के सम्बन्ध में आप वाकई चिंतित हैं और सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर इस कार्य को पूरा करने हेतु अध्यक्ष के पद को विश्व की नजरों में मजाक का पात्र बनाया जाये यह हमें मंजूर नहीं है। यह अध्यक्ष का कार्य नहीं है। ब्रिटिश हाउस आफ कामंस में कहा जाता है कि अध्यक्ष (Speaker) एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास न देखने को आंखें हैं न सुनने को कान, और न बोलने को जुबान। उसे स्पीकर की संज्ञा राजा को सदन के निर्णय बताने के लिये दी गई है । अतः वह स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकता । पर इस संशोधन के अनुसार हम उसे ऐसा कार्य सौंपने जा रहे हैं जोकि उसके पद की गरिमा के विपरीत है । इस विधेयक को पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में विचार विमर्श करके ही लाया जाना उचित था क्योंकि यह न केवल संसद सदस्य पर ही लागू होगा बल्कि राज्यों की विधान सभाओं के सदस्य भी इसकी सीमा में आबद्ध होंगे। इस विधेयक पर विचार करने के लिये पहले इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये।

मैं इस बात के पक्ष में हूं कि दबाव डालकर या जबर्दस्ती त्यागपत्र दिलाना उचित नहीं है और इसलिये वह अनुच्छेद 101 का संशोधन करना चाहते हैं जिसमें कहा गया है कि सदस्य को अपने पद से त्यागपत्र अपने हाथों से लिखकर अध्यक्ष या सभापति जो भी पीठासीन हो, उसे देना चाहिये। आप इसको हटाना चाहते हैं पर मैं संविधान के ऐसे कई अनुच्छेदों का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें समान शब्दावली का उपयोग किया गया है। यही बात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सभी के त्यागपत्र के सम्बन्ध में कही गई है। इनसे सम्बन्ध सभी अनुच्छेदों में समान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अगर आप अनुच्छेद 101 की शब्दावली बदलना चाहते हैं तो आप इस बात का भी साथ-साथ ध्यान रखें कि बाकी अनुच्छेदों में भी उसके अनुरूप शब्दावली रखी जाये।

यदि किसी सदस्य को दबाव में आकर त्यागपत्र देना पड़ता है, तो वह अपने अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। त्यागपत्र स्वेच्छा से दिया गया है अथवा नहीं, इसकी जांच न्यायालय कर सकते हैं। यह उनका काम है। न्यायालय इसी उद्देश्य के लिये बने हैं। एक मामले में एक सदस्य द्वारा भेजा गया त्यागपत्र अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया और अधिसूचना भी जारी कर दी गई लेकिन वह त्यागपत्र जाली था। उस सदस्य ने न्यायालय की शरण ली और उस अधिसूचना को अवैध घोषित किया गया और सदस्य को पुनः उसके पद पर आसीन किया गया। अगर

त्यागपत्र की जांच करने का काम अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया, तभी अध्यक्ष के निर्णयों को न्यायालय तक ले जाया जायेगा। उदाहरण के लिये यदि पांच छह त्यागपत्र इकट्ठे प्रस्तुत किये जाते हैं जिसमें से अध्यक्ष कुछ को स्वेच्छा से किये गये समझ कर स्वीकार कर लेते हैं और कुछ को दबाव से दिलाये गये समझ कर मंजूर नहीं करते, फिर भी उनके निर्णय को न्यायालय में ले जाया जायेगा। यह कार्य अध्यक्ष पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। उन्हें ऐसा कार्य सौंप कर उनका दरजा घटाया जा रहा है अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : महोदय, इस संविधान संशोधन विधेयक को समझने तथा उसको लाने की आवश्यकता को जानने के लिये देश में जो कुछ घट रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है। माननीय सदस्य श्री चटर्जी ने कहा है कि यह विधेयक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है पर मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित आन्दोलनों को विफल करने का है।

वर्ष 1967 से लेकर 1971 के चुनावों तक देश में राजनैतिक अनिश्चितता थी पर वर्ष 1971 से देश के विभिन्न भागों में सरकार के कार्यकरण में स्थिरता आ गई। 1972 और 1973 के चुनावों में विपक्षी दलों की बुरी तरह हार हुई और इसलिए वह देश की प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली को भंग करना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने देश के लोगों से गरीबी हटाने तथा अज्ञान दूर करने के संबन्ध में कई वायदे किए हैं। विरोधी दल यह कह सकते हैं कि हम असफल रहे हैं, किन्तु हम कहते हैं कि हम काफी अधिक समय तक सफल रहे हैं। अब इन राजनीतिक दलों द्वारा संसदीय तरीकों से भिन्न तरीकों को अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। विरोधी दलों द्वारा प्रथम परीक्षण गुजरात में सफलतापूर्वक किया गया जहां राज्य विधानमंडल के सदस्यों पर सभी प्रकार के अपमानजनक तथा शारीरिक एवं नैतिक दबाव डाले गये। इन दबावों के परिणामस्वरूप उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा।

यह बताया जाता है कि अन्य लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में इस प्रकार का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। जब इस देश का संविधान तैयार और पास किया जा रहा था, तो उस समय किसी ने यह नहीं सोचा था कि संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों पर भी उनके त्यागपत्रों को प्राप्त करने के लिये दबाव डाला जायेगा। यह हम सभी के लिये दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि हमें ऐसी स्थितियों में धकेल दिया गया है जहां हमें इस प्रकार के उपायों को प्रयोग में लाना पड़ा है। यह मानना पड़ेगा कि इस देश में कुछ इस प्रकार के त्यागपत्र बढ़ते जा रहे हैं जिन्हें हिंसा के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि यदि अध्यक्ष को जांच करने का काम सौंप दिया जाता है, तो उनका दर्जा कम करके एक सब-इंस्पैक्टर के दर्जे के बराबर रह जायेगा। इस विधेयक में उपबन्ध के द्वारा यह कहा गया है कि वह इस प्रकार की जांच करेंगे जैसा कि वह उचित समझेंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह साक्ष्य तथा प्रक्रिया के कानून के अन्तर्गत जांच करेंगे। जिस तरह भी वह उचित समझेंगे अपने आपको सन्तुष्ट करेंगे। मैंने एक संशोधन पेश किया है जिसके अनुसार यदि सदस्य इस प्रकार के त्यागपत्र देने के एक मास के भीतर अपने त्यागपत्र को औचित्य अथवा स्वैच्छिक स्वरूप की पुनः पुष्टि नहीं करते हैं तो उसके त्यागपत्र को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

हमने आज के समाचारपत्रों में देखा है कि 8 मई, 1974 को बिहार विधान सभा को भंग करने का आन्दोलन शुरू होगा। यह क्या ही विचित्र संयोग है कि देश भर में रेल हड़ताल में 8 मई को ही शुरू होने जा रही है। इस विधेयक पर चर्चा भी 8 मई को की जा रही है। क्या यह संयोग मात्र

ही है या यह किसी गहरे षड़यंत्र का परिणाम है । लोकतंत्रीय संस्थाओं में विश्वास रखने वाले सभी व्यक्तियों को इस मामले के बारे में गहराई से विचार करना चाहिये। यदि इस प्रकार कानून और व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया जाता है, तो इससे हम देश में संसदीय लोकतंत्र की जड़ ही कट जायेगी।

यह कहा गया है कि सदस्यों को वापस बुलाने की पद्धति को लागू किया जाना चाहिये। यदि हम इस पद्धति को सदस्य को वापस बुलाने हेतु लागू करते हैं, तो कोई स्थिरता नहीं रहेगी। और कोई सुधार नहीं हो पायेगा। इस देश में सदस्य को वापस बुलाने की पद्धति को लागू नहीं कियाजाना चाहिये।

मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक पर दलगत दृष्टिकोण से नहीं, अपितु देश के हित से विचार किया जाना चाहिये और हमें सभा के सभी सदस्यों का समर्थन मिलना चाहिये।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : It is natural that there is discontentment in the public, because the Government have not fulfilled their promises, and if the public is demanding the resignation of their elected representatives the Government should not interfere and they should not have brought this Bill to prevent the people from recalling their own representatives. This Bill has been brought to suppress the voice of the people who are groaning under corruption, high prices and mal-administration. This Bill is an admission of the failure on the part of Government. The situation in Bihar is like that which prevailed in Gujarat. The people there have been demanding resignations of their representatives so that the present corrupt Government should not remain in power. The public wants that there should be clean administration. But the Government want to depriee the people of their constilutional rights by bringing forth this Bill.

The resignation submitted voluntarily by a member is being accepted under the provisions of the constitution. Now amendment has been brought by the Government. This Bill provides that the Speaker would satisfy himself that the resignation tendered by a Member is voluntary and it has not been extracted by force or intimidation. But no procedure has been laid down as to how the Speaker would satisfy himself. Would it be done through the office of Lok Sabha secretariat ? Therefore, a positive attempt has been made to denigrade the position of the Speaker.

Mr. Chairman : Every member is to be given 10 minutes, so please finish your speech.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Mr. Chairman, Sir, four hours have been allotted for it. It has been said by the Minister of Parliamentary Affairs that there would be voting at 5 P.M., but it can not be put to voting at 5 P.M.

Mr. Chairman: Still 14 members have to speak, therefore it is not possible to put it to voting at 5 P.M.

Dr. Laxminarain Pandeya : The Government are pushing this Bill in haste, because they fear that their Governments may fall in other States also like Gujarat. This Bill should have been referred to the select Committee, so that it could have discussed there in detail.

The Speaker should not be dragged into it. If he gives his rulings in his chamber about the resignation of any member, it can be challenged in High Court or any other Court of Law. I again submit that this amending Bill should be referred to the select Committee so that it may be discussed there properly and an opportunity may be given to the members to think over the whole matter seriously.

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : इस विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101(3) और 190(3) (ख) का संशोधन करने का प्रयास किया गया है। इस संबन्ध में कई प्रकार की बातें

कही गयी हैं। विरोधी पक्ष के एक सदस्य ने कहा है कि इस विधेयक के द्वारा माननीय अध्यक्ष के दर्जे को कम करके पुलिस के एक सब-इंस्पैक्टर के बराबर या उससे भी कम दर्जे का कर दिया गया है जिसने एक अपराध की जांच करनी है।

कभी-कभी विशेषाधिकार प्रस्ताव संबन्धित व्यक्ति की टिप्पणी के लिये भेजे जाते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि अध्यक्ष महोदय एक सब-इंस्पैक्टर हैं .... (**व्यवधान**)

यह बात ठीक है कि उन्हें अपने आपको संतुष्ट करना चाहिये लेकिन विधेयक में इस बात का कोई भी संकेत नहीं है। अध्यक्ष महोदय को सूचना तथा किसी अन्य उपाय द्वारा अपने आपको संतुष्ट करना चाहिये। इसमें क्या बुराई है। वे सीधे ही सम्बन्धित सदस्य को बुला सकते हैं अथवा सूचना मांग सकते हैं।

इस विधेयक का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि यदि इस सदन अथवा राज्य विधान सभा के किसी सदस्य को त्यागपत्र देने के लिये बाध्य किया जाये तो इसे उचित त्यागपत्र नहीं माना जा सकता।

आज इस सदन अथवा राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को उनके सिर गंजा करके अपमानित किया जाता है और उनसे जबरदस्ती त्यागपत्र लिये जाते हैं। इस प्रकार सारी लोकतंत्रीय व्यवस्था को तहस नहस किया जा रहा है। विरोधी दल आज अपना उल्लू सीधा करने के लिये गैर-संसदीय प्रणाली अपना रहे हैं और प्रजातंत्रीय संस्थाओं को समाप्त कर रहे हैं। उनकी आतंकवादी गतिविधियों से लोग गुमराह नहीं होंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामनंदन मिश्र (बेगुसराय) : विधेयक का शीर्षक सत्तारूढ़ दल के दिवालियेपन का प्रतीक है। सत्तारूढ़ दल अपने आपको असुरक्षित क्यों समझता है? यह एक बुनियादी प्रश्न है। आखिर इस विधेयक को लाने की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई? हम इस विधेयक को लाने का समर्थन नहीं कर सकते। हम भी माननीय सदस्यों से जबरदस्ती त्यागपत्र लेने की निन्दा करते हैं। सदस्यों को वापिस बुलाने की व्यवस्था न होने की दशा में और अन्य क्या उपाय हो सकता है? सत्तारूढ़ दल में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने का और क्या उपाय हो सकता है? हम भ्रष्ट विधायक को शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक उपायों द्वारा पद त्यागने के पक्ष में हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिये।

मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात और बिहार के आन्दोलन प्रजातन्त्र को पवित्र और सुदृढ़ बनाने के लिये हैं, इसे कमजोर बनाने के लिये नहीं।

यह विधेयक संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। विधेयक पीठासीन अधिकारी के पद के निर्धारित कार्यों के प्रतिकूल है। यह इस पद की परम्पराओं के भी प्रतिकूल है। इससे पीठासीन अधिकारी के अधिकार संसद अथवा विधान मंडल के भीतर ही सिमित हो जायेंगे। अब तक मूलभूत सिद्धान्त यह रहा है कि अध्यक्ष महोदय के अधिकार बाहरी हस्ताक्षेप से अछूते रहने चाहिये। हमें अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके उनके पद को बाहरी हस्तक्षेप के लिये अनावृत नहीं करना चाहिये क्योंकि पीठासीन अधिकारी की कार्यवाही को किसी न्यायालय में भी चुनौती दी जा सकती है। आप इस विधेयक द्वारा जो कुछ भी करने जा रहे हैं, वह संसद अथवा विधानमंडल के कर्तव्यों के प्रतिकूल होगा।

अनेक माननीय सदस्यों ने कहा है कि आप पीठासीन अधिकारी को कार्यकारी कार्य सौंपना चाहते हैं। इन्हें आप बहुउद्देश्य अधिकारी न बनायें। अब वे मजिस्ट्रेट तथा न्यायिक व्यक्ति भी होंगे।

विधेयक में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि माननीय सदस्य द्वारा शिकायत किये जाने पर कार्यवाही की जायेगी। पीठासीन अधिकारी को कार्यपालिका के इशारे पर काम करना होगा। यह कार्यपालिका द्वारा पीठासीन अधिकारी को दवाब में लाने का एक निंदनीय प्रयास होगा ——(**व्यवधान**)

पीठासीन अधिकारी को अब जो कर्तव्य सौंपे जा रहे हैं, उससे लोग इस प्रकार की आलोचना करने लग जायेंगे कि पीठासीन अधिकारी सत्तारूढ़ दल की सहायता करेगा।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि इससे माननीय सदस्य के पद और प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। आखिर वह पीठासीन अधिकारी का अधीनस्थ कर्मचारी की तरह अपना त्याग-पत्र स्वीकार होने के लिये कई दिनों तक प्रतीक्षा कैसे करेगा। इससे उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। संविधान की धारा 101 के अधीन उसका त्याग-पत्र तुरन्त स्वीकार होना चाहिये। आपको मानना पड़ेगा कि त्यागपत्र के मामले में पीठासीन अधिकारी का कार्य प्राप्त करने वाले एजेन्ट के कार्य जैसा है। त्याग-पत्र के मामले में पीठासीन अधिकारी किसी निर्णय का प्रयोग नहीं कर सकता। उन्हें संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार त्याग-पत्र केवल प्राप्त करना होता है। इस विधेयक से उन्हें दी गई शक्ति स्वतः प्रभावित हो जाती है।

यदि सरकार की औचित्य की भावना होती तो इस विधेयक को लाने से पूर्व इसे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को सौंपा जाना चाहिये था और उनसे पूछा जाना चाहिये था कि क्या वे इसे उचित समझते हैं कि उन कृत्यों को उनके कार्यों में जोड़ा जाये?

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि यदि किसी सदस्य पर हिंसा या दबाव की धमकी से त्याग-पत्र देने के लिये बाध्य किया जाता है तो वह न्याय पाने के लिए न्यायालय में जा सकता है। वे पहले न्यायालय में गये भी हैं। अब इस मामले को पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय को इसे सुपुर्द किया जा सकता है?

इसके अतिरिक्त अब पीठासीन अधिकारियों की स्थिति संकट में पड़ जायेगी। यदि पीठासीन अधिकारी त्याग-पत्र देंगे तब क्या होगा? इसका निर्णय कौन करेगा? जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं कि इस विधेयक में संबन्धित माननीय सदस्यों द्वारा की गई शिकायत के लिये कोई व्यवस्था नहीं है जो अस्वाभाविक है।

उस समय क्या होगा जब कोई दल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके सदस्य कर्त्तव्य के आह्वान के प्रति त्याग-पत्र दें क्योंकि वे जनता द्वारा उन्हें दिये गए शासनादेश को पूरा नहीं कर पाये हैं। आप उनके त्याग-पत्रों की किस प्रकार व्याख्या करेंगे? ये बहुत जटिल मामले हैं और इस प्रकार का विधेयक लाकर सरकार संसदीय लोकतंत्र जैसी संस्था के प्रति भारी अन्याय कर रही है। मैं सरकार से इस विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं। हम इस विधेयक का हर संभवविरोध करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री ने मुझे एक प्रस्ताव दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने पहले निवेदन किया था और लिखित प्रस्ताव आपके सामने हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० राघु रामैया) : मैंने काफी पहले सूचना दे दी है।

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे चैम्बर में मेरे पास आई थी।

श्री के० राघुरमैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आज सभा की बैठक तब तक बढ़ाई जाये जब तक संविधान पेंतीसवां (संशोधन) विधेयक पास नहीं हो जाता।"

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : इस मामले में समय की कोई निश्चित सीमा होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभा कल प्रातः 4 बजे तक जब तक संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो जाता, बैठे।

श्री के० राघुरामैया : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 6 बजे से अधिक समय नहीं लगेगा मैंने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

श्री ज्योतिमर्य बसु : आपके आदेश के अन्तर्गत महासचिव के हस्ताक्षर के अन्तर्गत कार्य-सूची होती है। उसमें स्पष्ट निर्दिष्ट है कि 5.30 बजे आधे घंटे की चर्चा होगी। मैं संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

एक माननीय सदस्य : जिन माननीय सदस्य ने आधे घंटे की चर्चा सूचना दी है वह क्या चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी जांच करेंगे।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : मैं अपने आधे घंटे की चर्चा पर जोर नहीं दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आज सभा की बैठक तब तक बढ़ाई जाये जब तक संविधान (पेंतीसवां संशोधन) विधेयक पास नहीं हो जाता।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में : 289 विपक्ष में : 45

Ayes : 289 Noes : 45

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : श्री इसहाक। **(व्यवधान)**

श्री ज्योतिमर्य बसु : मैंने एक प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन को देखते हुए माननीय सदस्य का प्रस्ताव विफल हो गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने प्रस्ताव काफी पहले दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कोई प्रस्ताव नहीं है । आपने कहा है, 'में प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं, कौन सा प्रस्ताव ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके पीठासीन होने से पूर्व मैंने औपचारिक रूप से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । आप रिकार्ड देख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव कहां है ।

प्रो० मधु दंडवते: (राजापुर) : मंत्री महोदय को मौखिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी । आप यही बात विरोधी दलों पर भी लागू कर सकते हैं । **(व्यवधान)**

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्री बसु ने सरकार द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने से पूर्व प्रस्ताव प्रस्तुत किया था । मैं उपस्थित था और सभा की सारी कार्यवाही देख रहा था ।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा प्रस्ताव है और क्या विषय है । यदि कोई भी चीज आये तो ऐसे मत कहिए कि मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा अनुरोध है कि श्री ज्योतिमर्य बसु को मौखिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इस टिप्पण में लिखा हुआ है : मैं अपने मौखिक निवेदन के संदर्भ मे एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं ......यह अनुरोध आपने किससे किया ?

श्री ज्योतिमर्य बसु : अध्यक्षपीठ को ।

अध्यक्ष महोदय : उस समय कौन पीठासीन थे ?

एक माननीय सदस्य : श्री साठे पीठासीन थे .

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री साठे स्पष्ट करेंगे ?

श्री पी० जी० मावलंकर : हम चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय स्वतंत्र रूप से कार्य करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सभा आज 6 बजे म०प० स्थगित हो ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided.

पक्ष में : 47 विपक्ष में : 293

Ayes : 47 Noes : 293

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : श्री इसहाक ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मुझे 6 बजे जाना है । पहले मुझे समय दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : : मैं श्री ए० के० एम० इसहाक को बुला चुका हूं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : (Gwalior) : It means that the ruling party does not want us to express our views on such important matter as constitutional amendment. **It is a negation** of democracy......... *(interruptions)*

तत्पश्चात अटल बिहारी बाजपेयी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee and some other Members then left the House.

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० के० एम० इसहाक ।

श्री ए० के० एम० इसहाक (बसीरहाट) : यह सामाजिक विधेयक है और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : यह कहा गया है कि इस विधेयक से सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के अधिकार पर प्रभाव पड़ा है । जिन्होंने यह तर्क दिया है व विधेयक के संशोधन प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं क्योंक इससे स्वेच्छा से त्याग-पत्र देने के अधिकार को संरक्षण मिलता है ।

दूसरी बात यह कही गई है कि जिस परन्तुक को जोड़ा जाना है उससे पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति को यह निश्चित करने का अधिकार मिलता है कि क्या त्याग-पत्र स्वैच्छिक या वास्तविक है । यह आलोचना की गई है कि जिस विवाद को न्यायालय में ले जाया जा सकता है उसके लिये अध्यक्ष को पहली बार निर्णय करने के लिये लाया गया है । यह भी ठीक नहीं है क्योंकि विद्यमान उपबंधों के अन्तर्गत भी मामले न्यायालय में ले जाये गये हैं । श्री गोस्वामी ने ट्रावनकोर-कोचीन मामले का उल्लेख किया । इस तथ्य के बावजूद कि त्याग-पत्र दे दिया गया था और अध्यक्ष ने त्याग-पत्र पर कार्यवाही की, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि त्याग-पत्र वास्तविक नहीं था, अतः ऐसे त्याग-पत्र पर कार्यवाही करना अध्यक्ष के लिये उचित नहीं था । अतः इस संशोधन से पूर्व गलत निर्णय की सदैव संभावना थी परन्तु इस विधेयक में ऐसी स्थिति से निपटने की व्यवस्था है जिसका हाल ही में अनुभव किया गया है जहां त्याग-पत्र दबाव डाल कर दिलवाए गए हैं ।

इस आधार पर भी इस विधेयक का विरोध किया गया है कि यह लोकतंत्र-विरोधी है। यह तर्क समझ नहीं सका कि ऐसे व्यक्ति को त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जानी चाहिए जो जनता का विश्वास खो बैठा हो।

अन्य देशों के वापस बुलाने के अधिकार के बारे में भी भाषण दिये गए हैं। यदि किसी देश में वापस बुलाने का अधिकार है भी तो हिंसक तरीकों से लिये गए त्याग-पत्र का उससे क्या संबंध है?

अन्य तर्क विधेयक में प्रयुक्त भाषा से संबंधित था। मुझे अनुभवी वकील का यह तर्क सुनकर आश्चर्य हुआ कि 'यह "अन्यथा" शब्द क्या है?' इस शब्द का संविधान के अनुच्छेद 356 में भी प्रयोग किया गया है। अतः केवल इन शब्दों के "जैसा वह उचित समझें" या "जो जानकारी उन्हें मिली है या अन्यथा जनाकारी पर" प्रयोग से यह मानना गलत होगा, कि अध्यक्ष को यह कहने की शक्ति है कि त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा या त्याग-पत्र मानमानें ढंग से स्वीकार किया जायेगा। मैं विधान मंडल के, यहां अथवा राज्यों में, अध्यक्ष से बेहतर किसी अधिकारी के बारे में नहीं सोच सकता जो यह निर्णय करे कि त्याग-पत्र वास्तविक है या नहीं।

यदि माननीय सदस्य यह कहें कि यदि इस मामले को अध्यक्ष पर छोड़ा गया तो वह मनमाने ढंग से कार्य करेगा, तो यह अध्यक्ष के पद के प्रति अन्याय करना होगा।

यह कहा गया है कि ऐसा इसलिये किया गया है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के त्याग-पत्र स्वीकार न किये जायें। वास्तव में यह संशोधन सभा के प्रत्येक सदस्य को संरक्षण प्रदान करता है। जब विधेयक को पुरः स्थापित किया जा रहा था तब एक माननीय सदस्य ने विरोध करते हुए कहा कि यदि एक सदस्य चुन लिया जाता है तो उसमें हिंसा और दबाब का प्रतिकार करने का नैतिक बल होना चाहिए। ऐसा कहना सरल है।

विधान मंडल के सभी सदस्यों, चाहे वे किसी भी दल के हों, का संरक्षण हम केवल अध्यक्ष में विश्वास रख कर ही कर सकते हैं।

मैं सभा से अभिस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाये।

एक माननीय सदस्य : खड़े हुए--

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के बाद नहीं। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के लिये श्री अटल बिहारी वाजपेयी का संशोधन संख्या-13 है। मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 13 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः इस पर मत-विभाजन द्वारा मतदान होना है।

माननीय सदस्य लांबी खाली कर दें।

प्रश्न यह है :

"भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब मत-विभाजन होगा।

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 302	विपक्ष में : 2
Ayes : 302	Noes : 2

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 2 लेता हूं। क्या खंड 2 पर कोई संशोधन प्रस्तुत किये जा रहे हैं। नहीं। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का परिणाम निम्न प्रकार है :—

पक्ष में : 307	विपक्ष में : 2
Ayes : 307	Noes : 2

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मत-विभजान हुआ

The Lok Sabha divided

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन का परिणाम निम्न प्रकार है :—

पक्ष में : 305	विपक्ष में : 1
Ayes : 305	Noes : 1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

पृष्ठ 1, पंक्ति 3—

'Thirty fifth Amendments' (35वां संशोधन) के स्थान पर 'Thirty-Third Amendment' (33वां संशोधन) शब्द रख दिये जायें (संख्या 6)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

पृष्ठ 1 पंक्ति 3—

Thirty fifth Amendment (35वां संशोधन) के स्थान पर 'Thirty-Third Amendment' (33वां संशोधन) शब्द रख दिया जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है कि :—

"अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री एच० आर० गोखले : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये "

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जायें"

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मैं बहुमत प्राप्त दल के प्रधान मंत्री सहित सभी माननीय सदस्यों के सामने भाषण दे रहा हूं ।

मेरे विचार से यह विधेयक... **(व्यवधान)**

यह एक विचित्र विधेयक है क्योंकि इससे अनेक विकट समस्यायें पैदा होंगी । मेरे विचार में यह विधेयक व्यवहारिक सिद्ध नहीं होगा । यह संविधान, लोकतंत्र तथा जन विरोधी विधेयक है ।

यदि संसद अथवा विधान सभा सदस्य अपनी पांच वर्ष की अवधि में अनुत्तरदायी ढंग से अपने दायित्वों को निभायेंगे तो संविधान के अन्तर्गत लोगों के पास माननीय सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करने का क्या उपाय है ? क्या वे सब कुछ सहन करते जायें ?

क्या यह सच नहीं कि संसद अथवा विधान सभा सदस्य चाहे वे किसी भी दल के हों । देश के लोगों की आकांक्षाओं को चोट पहुंचाते हैं ।

त्यागपत्र जबरदस्ती नहीं लिया जाना चाहिये, मैं इस बात को मानता हूं । यद्यपि यह समस्या यथार्थ है फिर भी विधि मंत्री ने इसके लिये कोई समाधान नहीं रखा है । उन्होंने ऐसे समाधान रखे हैं जिनके घातक परिणाम होंगे । अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपका पद भी इस विधेयक के प्रावधानों से सम्बद्ध है, तो क्या सरकार ने पेश करने से पहले, इसके बारे में आपका परामर्श लिया था ? मुझे खेद है कि सरकार ने ऐसा नहीं किया है । यह विधेयक जल्दबाज़ी में पेश किया गया है ।

इस विधेयक के बिना भी आज अध्यक्ष महोदय को इस बात की जांच करने का अधिकार है कि त्यागपत्र सही है अथवा नहीं । इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक को इतनी जल्दबाज़ी में लाने की क्या आवश्यकता थी...मैं विधि मंत्री से जानना चाहता हूं कि विश्व की अन्य प्रजातंत्रीय सरकारों के संविधानों में भी क्या ऐसी व्यवस्था है जो वे यहां के संविधान में करने जा रहे हैं । इस संशोधन द्वारा अध्यक्ष महोदय तथा इस सदन की प्रतिष्टा को धक्का पहुंचेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिये । अब आपका पद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आ जायेगा । क्या यह उचित और प्रजातंत्रिय कदम है ?

इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं इस विधेयक का पूरी तरह विरोध करता हूं ।

श्री मोहम्मद खुदा बख्श (मुर्शिदाबाद) : पीठासीन अधिकारी भी संसद तथा विधान मंडलों के सदस्य होते हैं । यदि उनसे भी त्यागपत्र लेने के लिये दबाव डाला जाये तो इस स्थिति का सामना करने के लिये भी विधेयक में कोई व्यवस्था की गयी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कर्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : यह सच है कि अध्यक्ष महोदय भी संसद अथवा विधान मंडल के सदस्य होते हैं । लेकिन अध्यक्ष अपने को अपना त्यागपत्र प्रस्तुत नहीं करता । यदि ऐसी स्थिति पैदा भी हो जाये तो उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा सकता है । मुझे और कुछ नहीं कहना है

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये"

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	308	विपक्ष में	1
Ayes	308	Noes	1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ ।

The motion is carried by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Members present and voting.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

सभा का कार्य

Business of the House

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० राघुरमैया) : अनेक सदस्यों द्वारा आज सुबह की गयी आपत्ति को ध्यान में रखते हुए मैं प्रस्ताव करता हूं कि 9 मई, 1974 के लिये निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाये :

(1) संविधान (34वां) संशोधन विधेयक ;

(2) कोयला खान (संरक्षण और विकास) विधेयक पर आगे विचार;

(3) गुजरात की वर्ष 1974-75 के लिये अनुदानों की मांगें ;

(4) गुजरात विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1974;

(5) राज्य सभा द्वारा पारित चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक 1973 पर आगे विचार ।

तत्पश्चात लोकसभा—गुरूवार, 9 मई, 1974 / (वैशाख 19, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 9th May, 1974/Vaisakha 19, 1896 (Saka)

MGIPRRND—V (Day)—28 LSS/74—7-10-74—490